राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 1] चौदहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र का बत्तीसवां दिवस [संख्या : 10

शुक्रवार,

21 फरवरी, 2014

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल। श्री फूलचन्द भिण्डा।

विराटनगर के बाबा भगवानदास महाविद्यालय में वित्तीय अनियमितताएं

84. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के बाबा भगवानदास महाविद्यालय में कितने संकाय हैं तथा उनमें कितने-कितने शिक्षक कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालय में कितने गैर-शैक्षणिक मंत्रालयिक कर्मचारी कार्यरत हैं? कार्यरत कर्मचारियों में से वर्तमान में कितने महाविद्यालय में कार्य कर रहे हैं तथा कितने प्रतिनियुक्ति पर बाहर कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कोई कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी के लिखित आदेश के महाविद्यालय से लम्बी अवधि तक प्रतिनियुक्ति पर रह सकता है तथा माह में एक बार आकर एक साथ हस्ताक्षर करके सरकारी कोष से वेतन उठा सकता है? यदि हां, तो किस नियम के तहत व नहीं, तो क्या ऐसे कर्मचारियों से वेतन की वसूली हो सकती है?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): (1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में स्थापित बाबा भगवानदास महाविद्यालय, चिमनपुरा में चार संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि) संचालित हैं तथा उसमें कार्यरत शिक्षकों की संख्या सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(श्री कालीचरण सराफ)

(2) महाविद्यालय में 75 गैर-शैक्षणिक/मंत्रालयिक कर्मचारी हैं। इनमें से वर्तमान में 66 कर्मचारी महाविद्यालय में कार्य कर रहे हैं तथा 9 कर्मचारी महाविद्यालय से बाहर कार्य व्यवस्थार्थ के आधार पर कार्यरत हैं। सूची परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं । ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस की पिछली सरकार का गांवों के बच्चों के प्रति जो पाप हुआ है, उस बात को ये नकार रहे हैं। मंत्रीजी, आपके संरक्षण के माध्यम से, मैं चाहता हूं, जिस कालेज में, विश्व का सबसे बड़ा कालेज, विश्व का सबसे बड़ा कालेज, सबसे छोटे स्थान का कालेज, जहां पंचायत हैडक्वार्टर नहीं है उस स्थान पर, उस स्थान पर साढ़े छह हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं, वहां से स्टाफ को चाहे जैसे हटाया गया। उसमें भी एक निवेदन करूं कि जो प्रकरण आया है, उसमें 23 लोग 13 महीने से बिना किसी आदेश के, बिना किसी कार्य के वे जयपुर में बैठे थे। जब मैंने यह विषय मंत्रीजी के सामने उठाया, उसके बाद उसी दिन 11 लोगों को जोइन करा दिया। लेकिन वे थे कहां? इसमें कहा, जी नहीं। ये लिख रहे हैं, जी नहीं। यह कांग्रेस का पाप था, कांग्रेस ने ऐसे ऐसे पाप किये। दो साल तक खैरवाड़ा में दो कामर्स के प्राध्यापक ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह भाषण का विषय थोड़े ही है, अध्यक्ष महोदय।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): एक भी बच्चा नहीं था वहां। एक भी बच्चा नहीं था वहां। इस प्रकार से प्रकरण हैं ये।...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब तो सुधार लो आप। इस पाप को आप क्यों बढ़ाये जा रहे हो? आपके हाथ में है सरकार तो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: खैरवाड़ा का रेफरेंस मत दीजिए, आप सवाल कीजिए। सवाल कीजिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आपके माध्यम से मेरा यह निवेदन है, मंत्रीजी यह बतायें कि जो 23 लोग थे, ये कहां-कहां कार्यरत रहे? इसमें यह स्वीकार नहीं किया कि ये 13 महीने से थे। उन्होंने उसी दिन का

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

स्वीकार किया है? एक तो मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि ये 23 लोग कहां-कहां काम कर रहे थे? एक बात। दूसरा मेरा निवेदन है कि 23 लोगों में से, जहां से हटाया गया है, लैब असिसटेंट हटाये गये हैं, बुक लिफ्टर हटाये गये हैं, 6 हजार विद्यार्थियों पर तीन बुक लिफ्टर, जबकि जो मापदण्ड हैं सरकार के, क्या मापदण्ड हैं?

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): निवेदन यह कर रहा हूं...

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए। दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): 18 लैब हैं और उनमें से हटाये गये हैं। क्या गांव के स्कूल, जो दुनिया का सबसे छोटे स्थान का सबसे बड़ा कालेज है, वहां से क्यों हटाये गये? और राजस्थान में नहीं हैं क्या? और जगह खाली हैं। इस कारण मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। बैठिये आप। स्थान ग्रहण कीजिए। दूसरा प्रश्न पूछने का अवसर दूंगा।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत लकी हैं कि इनके यहां जो महाविद्यालय है, वह पूरे राजस्थान में ऐसा महाविद्यालय है जिसमें 99 ...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): इनके यहां महाविद्यालय नहीं है, वह शाहपुरा महाविद्यालय है, इनके परिधि में है।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): सुनिये तो सही। इसमें शैक्षणिक स्वीकृत पद 99 प्रतिशत भरे हुए हैं। यह एक ऐसा महाविद्यालय है जिसमें 99 प्रतिशत पद भरे हुए हैं। यह कह रहे हैं कि ग्रामीणों के साथ बड़ा अन्याय किया। 37 पद इनके यहां स्वीकृत हैं, गैर-शैक्षणिक और मंत्रालयिक स्टाफ के, उसके अगेंस्ट में वहां 75 कर्मी लगे हुए हैं। यानी, 37 की जगह 75 लगे हुए हैं। मैं तो इसकी जांच करवा रहा हूं कि ये 75 कर्मी वहां कैसे लगे हुए हैं? मैंने जब अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब, जिस समय अपने यह अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के जो वहां पर अपाइंटमेंट हुए, तो उस समय केवल 19 ग्रामीण क्षेत्रों में महाविद्यालय थे। इसलिए एक जगह इन्होंने इतने लगा दिये। अब चूंकि 27 महाविद्यालय और खुल गये, इसलिए मैं तो आपको यह बताना चाहता हूं कि ये 75 पद भी वहां नहीं रहेंगे, वहां केवल 37 रहेंगे और बाकी जितने पद हैं उनको मैं बाकी कालेजों में भेजूंगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। दूसरा प्रश्न।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये छुपा रहे हैं, छात्र संख्या के अनुसार पद हैं क्या? मैं यह पूछना चाहता हूं। 18 लोग हैं और 16 ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, छुपाना मंत्री जी की पुरानी आदत है।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कहा, पहले 2011 में जब यह केवल 22 पदों पर गैर-शैक्षणिक कर्मचारी लगे हुए थे। शैक्षणिक कर्मचारियों के 37 पद स्वीकृत हैं, उसकी जगह केवल 22 लगे हुए थे और 22 में बड़े प्रेम से काम चल रहा था। अब वहां 75 लगे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। भिण्डा साहब, आप विराजिए।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): स्वीकृत पद केवल 37 हैं। (व्यवधान) मैं सदन को बताना चाहूंगा कि वहां 37 पद के अगेंस्ट में जो 75 लगे हुए हैं, उनको भी मैं वहां से हटाऊंगा और केवल 37 पदों पर ही वहां रखूंगा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्षजी, मैंने पूछा, मापदण्ड के अनुसार हैं क्या? मापदण्ड हैं। आप बताइये, 4,200 भूगोल में, 4,280...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): इतने कठोर न बनें। हैं जितने तो रहने दें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): 4280 बालक हैं कालेज में, भूगोल विषय में, केवल भूगोल विषय में। उसमें 25 पद हैं और 9 ही कार्यरत हैं और 9 में से भी दो पद प्रतिनियुक्ति पर और जगह भेज रखा है। ये गैर-शैक्षणिक की बात करते हैं, शैक्षणिक स्थिति क्या है? जयपुर में क्यों बैठा रखा है? क्या सबकी प्रतिनियुक्ति निरस्त करेंगे? एक मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब दीजिए आप।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): दूसरा मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, पूरा पूछने दें।

श्री अध्यक्ष: आ गया, पूरा ही आ गया आपका।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्षजी, इसमें वास्तव में

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

गड़बड़ी है। यह ग्रामीण क्षेत्र का महाविद्यालय है, इस कारण से वहां मापदण्ड के अनुसार नहीं हैं। मापदण्ड के अनुसार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: गड़बड़ी ठीक करने का आश्वासन दे दिया है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): ये किसको हटाएंगे? 18 लैब हैं; लैबोरेटरी हैं 18 तो। 18 लैबोरेटरी, लैब ब्वाय नहीं हैं। न तो लैब ब्वाय हैं, न लैब असिसटेंट हैं। 18-18 चाहिए। 18-18 नहीं हैं, 6 ही हैं। उनमें से भी हटाना चाहते हैं, एक को हटा रखा है और हटाना चाहते हैं। ये मापदण्ड के अनुसार नहीं हैं। इसका जवाब दिलाइये मुझे। इसका जवाब दीजिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिए, इसका जवाब आ जाएगा। इसका जवाब दीजिए। आप विराजिए। आप विराजिए। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आपके माध्यम से एक विषय और है।

श्री अध्यक्ष: बहुत आ गया। बहुत आ गया। आपने एक प्रश्न में इतने प्रश्न कर लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): यह गम्भीर मामला है। अध्यक्ष जी, बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में बहुत गम्भीर मामला है कि 37 पद स्वीकृत और उनकी जगह 75 लगे हुए हैं। It is very serious. मैं निश्चित रूप से 37 पद ही रखूंगा और बाकी वहां से हटाऊंगा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्षजी, मापदण्ड के अनुसार चाहिए। मुझे तो मापदण्ड के अनुसार, मापदण्ड के अनुसार 4280 बालक हैं, साढ़े चार हजार बालक हैं, प्राध्यापक ...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): संवेदनशील हैं ...(व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): साढ़े चार, हजार बालक हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये। बार-बार रिपीट मत कीजिए। आ गई आपकी बात।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): ये जवाब कहां दे रहे हैं? ये तो केवल हटाने की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): हटाने की बात कर रहे हैं। आपका संरक्षण इसीलिए तो चाहिए। ये हटाने की बात कर रहे हैं। (व्यवधान) ग्रामीण सेवा के लोग सिटी में क्यों बैठे हैं? ग्रामीण सेवा क्रीएट की थी...

श्री अध्यक्ष: आपकी बात आ गई। आपकी बात आ गई।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): संस्थाओं से मिलकर जो षड्यंत्र किया था पिछली सरकार ने, सेठों को एक-एक रुपये में दी हुई जमीन वापस लौटा दी थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): उनके लोग ग्रामीण सेवा में हैं, ग्रामीण सेवा में भेजिए उनको।

श्री अध्यक्ष: आपने अपनी बात बिलकुल ठीक...

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): उनको शहरी सेवा में बैठा रखा है। ग्रामीण सेवा में भेजिए उनको आप। आपके माध्यम से यही तो कहना चाहता हूं मैं।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। आपकी बात ध्यान में आ गई और माननीय मंत्री महोदय उसके अनुरूप कार्य करेंगे।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आश्वासन चाहता हूं, मापदण्ड के अनुसार लगाएंगे।

श्री अध्यक्ष: दे दिया, आश्वासन दे दिया। दे दिया आश्वासन उन्होंने।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मापदण्ड के अनुसार चाहिए, मापदण्ड के अनुसार। आपका संरक्षण चाहिए। आश्वासन चाहिए मुझे।

श्री अध्यक्ष: श्री मोहनलाल गुप्ता।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सेम क्वेश्चन है, 94 और 85 ।

श्री अध्यक्ष: दोनों का एक साथ चाहते हो?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): वह आ जाए, तब बात कर लेना आप।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मेरा भी नम्बर आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। मोहनलालजी गुप्ता।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्लब तो हो सकता है। एक बार देख तो लो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप बीच में मत बोलो, साहब। मेरा अधिकार है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय...

प्रदेश में छात्रवृति वितरण में अनियमितताओं की जांच

85. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल):- क्या सामाजिक न्यय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में गत तीन वर्षों में छात्रवृति वितरण में हुई अनियमितताओं की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जयपुर क्षेत्र में छात्रवृति वितरण में हुई अनियमितताओं की जांच में दोषी पाये गये कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों व अब कब कार्यवाही कर ली जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (श्री अरुण चतुर्वेदी): (1) विगत तीन वर्षों में 2010-11, 2011-12, 2012-13 में छात्रवृति वितरण की जांच नहीं करवाई गई है।

(2) जी नहीं।

(3) विगत तीन वर्षों (2010-11, 2011-12, 2012-13) में छात्रवृति वितरण की जांच नहीं करवाई गई है लेकिन दिनांक 17.5.2013 को जयपुर (शहर) एवं दिनांक 21.5.2013 को जयपुर (ग्रामीण) कार्यालयों का औचक निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण के दौरान छात्रवृति वितरण में पाई गई कमियों, लापरवाहियों के कारण उक्त दोनों जिलाधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मेरा प्रश्न है उसका जवाब अधिकारियों ने गलत दिया है। औचक निरीक्षण व जांच...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, जवाब तो मंत्रीजी ने दिया है। अधिकारी कौन होते हैं यहां जवाब देने वाले?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप बीच में मत बोलिये, सर।

एक माननीय सदस्य: सुन तो लें, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, यह अधिकारियों ने गलत दिया है; मंत्रीजी ने दिया है जवाब तो। ये अधिकारी थोड़े ही हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय सक्षम हैं, सब समझ रहे हैं। आपको क्या जरूरत पड़ी है पाठ पढ़ाने की?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): औचक निरीक्षण और घपला और छात्रवृत्ति की जांच, दोनों में क्या फर्क है? यह जांच नहीं की, औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण में अधिकारी बता रहे हैं कि हमने निम्नलिखित लोगों को दोषी पाया। दोषी पाया गया, पवन पूनिया को, मनोज आर्य को, जयनारायण चेजारा को, नरेन्द्र सिंह रोकड़िया को। चार्जशीट दी है केवल पवन पूनिया को। उसके बाद औचक निरीक्षण में करतार सिंह मीणा, नन्द किशोर जोशी, प्रमोद नेमीवाल, सरदार मीणा को दोषी पाया गया और चार्जशीट दी है केवल करतार सिंह मीणा को। उसके बाद इन सब लोगों को चार्जशीट देने के बाद इनको छोड़ दिया गया।

जो मेरा प्रश्न है, उसकी भावना यह है कि जो ये छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं, उन छात्रवृत्तियों में वास्तव में क्या सही लोगों को छात्रवृत्ति जा रही है? क्या उनकी सही ढंग से जांच की जा रही है? क्या उन संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई है? क्या उन छात्रवृत्तियों का दुरुपयोग कर रही हैं? क्या उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी? जो लोग उन छात्रवृत्तियों में, बड़े-बड़े लोगों, अधिकारियों के और उदयपुर के सांसद का पुत्र, उसने भी छात्रवृत्ति ली है, क्या वे एलिजिबल हैं?

श्री अध्यक्ष: अब लम्बा हो जाएगा, जवाब आने दीजिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आने दीजिए। फिर मैं पूरक प्रश्न कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष: एक प्रश्न और दुबारा पूछना।

श्री अरुण चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): अध्यक्ष महोदय, अब तक जितने भी मामले हमारे पास छात्रवृत्ति के आते हैं, उन सबको एक प्रक्रिया के तहत हम सब की जांच करते हैं और जांच करने के बाद स्वीकृति होती है, स्वीकृत के बाद छात्रवृत्ति जारी की जाती है। जितनी भी

(श्री अरूण चतुर्वेदी)

संस्थाएं हैं, ऐसी कोई किसी की तरफ से इर्रेगुलेरिटीज होती हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही नियमानुसार की जाती है। जैसे उदयपुर के पूर्व सांसद महोदय के पुत्र का मामला किशनपोल से आने वाले सम्माननीय विधायक ने उठाया है, उसमें उनके बारे में जांच की गई। जांच के बाद वापस उनसे छात्रवृत्ति प्राप्त की, रिकवरी की और रिकवरी करने के बाद उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया। हमारे रूल्स में यह है कि वह ब्लैकलिस्ट करते हैं और करने के बाद आगे किसी भी तरह की छात्रवृत्ति लेने के लिये वह योग्य नहीं होगा।

जहां तक इन दोनों का, इस पूरे विषय की जांच का मामला आया, जयपुर शहर और देहात का, उसमें पूनिया और करतार सिंह मीणा, दोनों को तो, पूनिया को तो हमने चार्जशीट दे दी और 25 तारीख तक प्रति-उत्तर देने का समय करतार सिंह मीणा का है, वह अगर प्रति-उत्तर नहीं आता है तो उनको भी हम चार्जशीट देंगे। बाकी सब जो साथ में कर्मचारी हैं, उनको भी नोटिस दे दिया गया है। उनकी भी जांच की प्रक्रिया चल रही है। इसका एक प्रोसेस है सर्विस रूल्स में, उस प्रोसेस के तहत पूरी कार्यवाही की जाएगी। अन्य कोई भी विषय ऐसा आएगा जिसमें कहीं कोई जांच करने की बात होगी, कोई इर्रेगुलेरिटी आयेगी तो उसकी नियमानुसार जांच करके कार्यवाही, कोई भी हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे।

अब आने वाले समय में आगे इस तरह की कोई इर्रेगुलेरिटी नहीं हो, तो इस पूरे सिस्टम को आन-लाइन कर दिया है। पोर्टल पर सब चीज हैं। जो भी स्कालरशिप होगी, उस स्कालरशिप को हम पोर्टल पर डालते हैं। एप्लिकेशंस से लेकर के पूरे प्रोसेस को, डेफिशिएंसी को, कोई भी एप्लिकेंट देख सकता है, किस स्टेज पर डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी का टाइम है। किसी भी कर्मचारी की तरफ से अगर कोई कमी रहती है तो उसको नोटिस में तुरन्त आयेगा कि क्या है।

अभी तक हमने 60 दिवसीय कार्य योजना में लिया है कि सारी पिछली, जितने भी छात्रवृत्ति के बैकलाग हैं, उनको क्लीयर करेंगे, इस साल के क्लीयर करेंगे। इसमें अब तक 3 लाख 61 हजार हमें एप्लिकेशंस मिलीं, उनमें से 2 लाख 44 हजार 982, इस फाइनेंशल यीअर की एप्लिकेशंस को हम क्लीयर कर चुके हैं। पिछला जो बैकलाग था, उसमें से 2009-10 से लेकर एक अप्रैल, 2013 तक, उसको भी, 4 लाख 19 हजार, जितनी भी एप्लिकेशंस थीं, उन सबको क्लीयर करके हमने स्वीकृति जारी करने का प्रोसेस पूरा कर लिया है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न पूछें। उसके बाद आप करेंगे, आप करेंगे।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, एक आडिट हुई थी और आडिट में, हमारे तत्कालीन विपक्ष के नेता ने एक प्रश्न किया था और उस वक्त उन्होंने यह कहा था कि 2007-08 में 17 हजार विद्यार्थियों ने उत्तर-मैट्रिक स्कालरशिप ली; 2008-09 में 45 हजार बच्चों ने यह उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति ली। जैसे ही यह जांच शुरू हुई, वापस 17 हजार का आंकड़ा आ गया। इतना बड़ा मामला कि 17 हजार से 45 हजार बच्चे आ गये और 45 हजार से वापस 17 हजार बच्चे आ गये। आखिर इसकी जांच में क्या हुआ? किन-किन लोगों को इसमें सस्पेंड किया? किन-किन लोगों को इसमें बचाया गया, इसमें कौन-कौन से अधिकारियों और नेताओं के पुत्र थे? इसके साथ-साथ, उदयपुर के सांसद, जिनको आपने अभी यह कहा है कि दोषी पाया गया है और उनकी छात्रवृत्ति कैंसिल कर दी गयी, तो उनके खिलाफ संसद में क्या आप कार्यवाही करने के लिये लिखेंगे कि उन्होंने गलत एफिडेविट दिया है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये, जवाब आ जाएगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जयपुर जिला कार्यालय में छात्रवृत्ति की जो राशि खातों में नहीं जा पा रही है, वह कब से अवितरित पड़ी हुई है? उत्तर में यह आया है, बच्चों के चैक वहां पड़े हुए हैं, छात्रों को दिये नहीं गये। दूसरा, मेरा एक प्रश्न है कि 2010-11 से पूर्व एवं 3 माह से अधिक पुरानी राशि जो वितरित नहीं की जा सकी, वह कितनी राशि अभी पड़ी हुई है? विभाग द्वारा इसके लिए क्या कार्यवाही की हुई है? तीसरा मेरा प्रश्न है कि अपात्र होते हुए भी छात्रवृत्ति उठाये जाने के कितने मामले विभाग के सामने आये, अपात्र होते हुए भी? उनमें से कितनों की राशि पुन: राजकोष में जमा हुई? (व्यवधान) ऐसे मामलों में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब विराजिए। लम्बा हो जाएगा। (व्यवधान) लम्बा हो जाएगा। इसका जवाब आ जाएगा। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारे कितने चैक डिस्ट्रिब्यूट नहीं हुए, यह कहीं न कहीं लापरवाही रही, विलम्ब रहा, इस कारण से हमने तुरन्त औचक निरीक्षण किया। किसी तरह की कोई शिकायत हमारे

(श्री अरूण चतुर्वेदी)

पास नहीं थी। डिपार्टमेंट कई बार अपनी तरफ से, कहीं विजिलेंस टीम जाती है और वह उसका इंस्पेक्शन करती है। उसमें से जो कुछ हमें लापरवाही मिली, उस लापरवाही के आधार पर हमने एक्शन इनिशिएट किया। तुरन्त उनके खिलाफ, एक को चार्जशीट दे दी और दूसरे का यदि उत्तर नहीं आता तो उसको चार्जशीट देंगे। बाकी सबको एक नोटिस देकर के, उसकी इंक्वायरी का प्रोसेस शुरू कर दिया है। जो भी, अकोर्डिंग टू प्रोसीडिंग्स, जो भी रहता है, उनके खिलाफ एक्शन हम इनिशिएट करेंगे। इसमें कोई भी कितना बड़ा हो, इसके खिलाफ कोई एक्शन में किसी तरह की कोताही नहीं बरतेंगे।

मैंने पहले ही कहा कि इसमें जितने अब तक के बैकलाग थे, उसमें से 2009-10 से लेकर एक अप्रैल, 2013 तक 4 लाख 19 हजार लोगों की एप्लिकेशंस जो हमारे पास अब तक पेंडिंग थीं, सबको क्लीयर कर दिया। जो एलिजिबल थे, उन सबकी छात्रवृत्ति जारी कर दी। इस साल की साठ दिवसीय कार्ययोजनाओं में हमने तय किया था कि जितना भी बैकलाग है, इस साल के फाइनेंशल यीअर के जितने भी एप्लिकेंट हैं, उन सब एलिजिबल लोगों को हम छात्रवृत्तियां जारी कर देंगे।

हमारे यहां पिछले दिनों में लगातार रहा कि बैकलाग की बहुत समस्या थी, विलम्ब की बात रहती थी। इसके कारण मैंने कहा कि 60 दिवसीय कार्य योजना में एक तो बैकलाग क्लीयर करेंगे और विलम्ब के कारण से इसको आन-लाइन कर दिया। पोर्टल पर सब चीज हैं।

जो ईरेगुलेरिटीज की बात माननीय सदस्य महोदय ने उठाई है, उसमें जो ईरेगुलेरिटी होती थीं, जब मैन्यूअल होता था तो कई चीज लेने-देने में कई बार दिक्कत होती थी। इसलिए हमने उसको भी चैक के माध्यम से बैंक में जमा कराते हैं, सारे पैसों को। उस विद्यार्थी के बैंक में पैसा जाता है। इस तरह की पहले की जो सम्भावनाएं थीं, वे भी अब सब समाप्त हुई हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया। मेरा जवाब नहीं आया। कितने अपात्र लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई? उनसे कितनी राशि वापस जमा हुई? अगर मंत्रीजी के पास जवाब नहीं है तो भिजवा दें।

श्री अध्यक्ष: आपके पास लिखित में भिजवा देंगे। आप लिखित में भिजवा दीजिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मंत्रीजी बोलें तो सही।

श्री अरुण चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): स्पेस्फिक जो आपने किया है, इसमें पूरा, जो आपने कहा कि कितने लोगों के खिलाफ थी और किन-किन के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई, मैं आपको जानकारी भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: आपका पूरक प्रश्न।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बी.पी.एल. परिवार के जो छात्र हैं, उनको यह छात्रवृत्ति मिलती है। क्या इसमें आप समय-सीमा निर्धारित कर सकते हैं कि जब भी कोई छात्र एडमिशन लेता है, उसके 60 या 65 या 70 दिवस के अन्दर-अन्दर यह छात्रवृत्ति उस छात्र के पास पहुंच जाएगी? कई जगह स्थिति यह है कि 3-3, 4-4 सेमेस्टर पूरे हो जाते हैं, उसके बावजूद भी उनकी छात्रवृत्ति उन तक नहीं पहुंचती है और कालेज वाले उनको बाहर, घर का रास्ता दिखा देते हैं। मंत्रीजी, क्या इसमें समय-सीमा निर्धारित करने का विचार रखते हैं?

श्री अरुण चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): अभी तक तो कोई समय-सीमा इसमें नहीं है। लेकिन हमने कहा कि अब हमने जो आन-लाइन किया है, इसके कारण से और फिर इसका फार्म है, उसमें भी हमने सिम्पलिफाई किया है। पहले जो 3-4 पेज का इन्कम का रहता था, एक फार्म था, उसको करके एक पेज पर हम लेकर आये हैं। कुछ और सिम्पलिफाई किया है, जिसके कारण से बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज और प्रोसीजर के आधार पर विलम्ब नहीं हो।

दूसरी बात जो कही है, आगे के लिये हम जरूर इसमें चाहते हैं, कोई ऐसा सिस्टम इसमें इन्वाल्व करें, जिसके आधार पर कम से कम समय में और एक टाइम-बाउण्ड सिस्टम आये कि किस तारीख तक एप्लिकेशन देनी है, कब तक स्क्रूटिनी होगी, आगे कब डिस्बर्समेंट होगा। विभाग इसके बारे में विचार कर रहा है, कोई न कोई तरीका निकले जिससे कि एक निश्चित समय में, कम समय में इस काम को पूरा करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक आहूजा जी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानकारी लेना चाहता हूं कि दो वर्ष पूर्व अलवर जिले में 34 लाख कुछ हजार का जो घोटाला छात्रवृत्ति में हुआ, उसमें

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

अधिकारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. लगाई गई। ऐसे कितने अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ एफ.आई.आर. लाज करवाई गई और उनको अब तक क्या सज़ा हुई है? विभाग की ओर से क्या कार्यवाही हुई है? इसकी जानकारी मैं लेना चाहता हूं।

श्री अरुण चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): यह सीधा-सीधा पहला प्रश्न भरतपुर से जोड़ा हुआ था, लेकिन मैंने, माननीय सदस्य ने जो विषय जब उठाया है तो मैं उस सारे मामले की जानकारी करके, आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट। श्री सुखराम विश्नोई।

सांचौर में फसलों के खराबे की रिपोर्ट में परिवर्तन

86. श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): क्या आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2013-14 में विधान सभा क्षेत्र सांचौर में बेमौसम वर्षा के कारण किसानों की खरीफ फसल का नुकसान हुआ है? यदि हां, तो कौन-कौन से ग्राम में कितना-कितना प्रतिशत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2013-14 की खरीफ फसल खराबे की रिपोर्ट फेमिन कोड के पैरा 7(डी) अन्तर्गत जिला कलक्टर, जालौर द्वारा तहसील सांचौर की 68 प्रतिशत एवं चितलवाना की 62 प्रतिशत खराबे की रिपोर्ट को बदलवाकर 50 प्रतिशत से कम करवाया गया है? यदि हां, तो क्यों व किस नियम से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): (1) जी हां। तहसील सांचौर व चितलवाना में हुए खरीफ फसल खराबे का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) तहसीलदार, चितलवाना से खरीफ खराबे के सम्बन्ध में पत्रांक 2823 दिनांक 23.10.2013 से प्राप्त रिपोर्ट में तहसील चितलवाना में 62 प्रतिशत खराबा दर्शाया गया है। इसकी प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। जिला कलक्टर, जालौर द्वारा इस रिपोर्ट की जांच की जाकर इसमें पाई गई कमियों को दुरुस्त करने हेतु पत्रांक 3524, दिनांक 31.10.2013 से तहसीलदार,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

चितलवाना को निर्देश दिये गये जिसकी प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है। इसके पश्चात्, तहसीलदार, चितलवाना द्वारा प्रेषित संशोधित 7डी रिपोर्ट में फसल खराबा 43 प्रतिशत दर्शाया गया है। प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। तहसील सांचौर की 7डी रिपोर्ट में फसल खराबा 38.50 प्रतिशत दर्शाया गया है। परिशिष्ट-अ पर अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): जो मेरा सवाल था, उसका जवाब नहीं आया है। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अध्यक्ष महोदय।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हां, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि जो परिशिष्ट 'अ', 'ब' और 'स' दर्शाये गये हैं, वे कागजात ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सदस्य, ये पति बने ही नहीं हैं, इसलिए इनको अध्यक्ष कहना ही जरूरी है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह इन पर लागू नहीं होता। अब पति बनाना ठीक नहीं है। अब तो अध्यक्षजी ही ठीक है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी को जो कलक्टर महोदय ने कागजात भेजे हैं, परिशिष्ट 'अ', 'ब' और 'स', वे पूरे नहीं भेजे हैं। इसमें एक हवाला दिया गया है परिशिष्ट 'स' का, परिशिष्ट 'स' तहसीलदार को भेजा ही नहीं है कलक्टर, जालौर ने।

चूंकि मामला फेमिन से जुडा हुआ था, जितने भी गुजरात से लगते हुए जिले हैं, सब में बरसात ज्यादा हुई है। चाहे जालौर हो, सिरोही हो, पाली हो, सब जगह पर ज्यादा बरसात हुई है। बरसात से 50 से 75 प्रतिशत तक फसल का खराबा हुआ है। एक हेक्टेयर पर नौ हजार रुपए देने का बीमा कम्पनियों का प्रावधान है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो परिशिष्ट-स न भेज कर तहसीलदार, चितलवाना ने जो फारवर्डिंग लैटर भेजा है, दुबारा जांच करके, उस पर लिखा है कि- ''श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जालौर के टेलीफोन वार्ता के आधार पर फेमिन रिपोर्ट संशोधित कर हेमाराम के मार्फत भेजी जा रही है।''

(श्री सुखराम विश्नोई)

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई फेमिन रिपोर्ट संशोधित होती है क्या? पहले खराबे के जितने भी गांव बताये गये हैं 154, वे 154 गांव खराबे के हैं; जितने हेक्टेयर पहले जमीन खराबे की बताई वह ही खराबे की रिपोर्ट बताई गई है। दो रिपोर्ट मेरे पास हैं, दोनों ही सर्टिफाइड कापी हैं। एक में, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो खराबा बताया गया है तहसीलदार, चितलवाना द्वारा, वह बताया गया है, 50 से 75 प्रतिशत के बीच में और दुबारा जो, चूंकि प्रत्येक सोसाइटी, **पांच** करोड़ रुपया सोसाइटी का लोन था और पूरा फेमिन डिक्लेयर होने से पूरा किसानों का फसल बीमा माफ होता। 40 के करीब मेरे विधान सभा क्षेत्र में सोसाइटीज हैं; इसके अलावा, जितनी भी बैंक्स हैं, उनके किसान क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर दो-तीन अरब रुपए बीमा कम्पनियों को अगर फेमिन डिक्लेयर होती तो देने पड़ते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह बहुत बीमा कम्पनियों से और जिले के जो हमारे सक्षम अधिकारी हैं, उन्होंने भारी सांठ-गांठ की है और सांठ-गांठ करके रिपोर्ट को जान-बूझकर बदलवाया गया है। दो रिपोर्ट मेरे पास में हैं।

मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्रीजी की पैठ रही है, ईमानदारी की पैठ रही है, जब इस तरह की रिपोर्ट आपके पास दोनों हैं तो केवल मात्र गोल-मोल जवाब देने से नहीं यह बैठेगा। स्पष्ट बात होनी चाहिए कि आप एक 50 से 75 प्रतिशत के बीच का खराबा, रिपोर्ट मेरे पास है और आपके पास भी इसकी कापी है, लेकिन कुछ अन्य जो कागजात हैं, वे कागजात आपके पास नहीं भेजे हैं, जान-बूझकर अधिकारियों ने पीछे रखे हैं। आप पहले वाली रिपोर्ट सही मानते हो या बाद वाली रिपोर्ट सही मानते हो? यह केवल मेरे सांचौर का ही प्रश्न नहीं है, सिरोही के जो क्षेत्र हैं गुजरात से लगते हुए ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी से जवाब आने दीजिए। आपने पूरक प्रश्न कर लिया।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): नहीं, आगे थोड़ा और है। पांच मिनट। साहब, एक मिनट। एक मिनट बात पूरी करने दो।...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी पूछना है।

श्री अध्यक्ष: वरिष्ठ विधायक इंटरवीन कर रहे हैं, मैं इनको अलाउ करता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तहसलीदार ने रिपोर्ट भेजी 50 से 75 प्रतिशत की। फिर कलक्टर के मौखिक निर्देश, टेलीफोन वार्ता के अनुसार। There appears something fishy about it. इसको आप गम्भीरता से लें, मंत्रीजी, पहले 50 से 75 प्रतिशत थी। To protect the insurance companies, उन्होंने कहा कि फिर से करो इसकी। और यह भी लिखा है तहसीलदार ने, जैसा कि आपने फरमाया, 'टेलीफोन पर वार्ता के अनुसार', क्या आप इसकी पुन: जांच करवाएंगे? यह तो बड़ी अजीब स्थिति है। किसान को फायदा पहुंचता, लाभ पहुंचता, जो पीड़ित किसान हैं। उसके बदले में रिपोर्ट को मैनिपुलेट किया गया है। It appears. आप क्या कार्यवाही करेंगे, यह बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। उनका पूरक प्रश्न पूरा हो जाए। आप दोनों का जवाब एक साथ दे दीजिए। आपका पूरक प्रश्न।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि दुबारा जो रिपोर्ट भेजी गई, वह एस.डी.एम. के मार्फत नहीं भेजी गई, सीधी रिपोर्ट भेजी गई और सीधी रिपोर्ट भेजने के बाद में कलक्टर ने एस.डी.एम. से जब पूछा कि रिपोर्ट, पहले वाली रिपोर्ट आपने भेजी कि दुबारा भेजी? तो एस.डी.एम. ने लिखा है कि सांचौर तहसीलदार ने बाद में कब रिपोर्ट बदलकर भिजवाई, इसकी जानकारी मुझे नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह पूरा का पूरा घोटाला एक तहसील, मेरे विधान सभा क्षेत्र का ही नहीं है। सत्ता पक्ष के भी मेरे माननीय विधायक साथी बैठे हैं, गुजरात से लगते हुए के और कम से कम इतनी ज्यादा बरसात हुई थी कि यह 75 प्रतिशत तो कम है, पूरी की पूरी फसल खराब हो गई थी। तो आपके मार्फत हम आश्वासन चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए। अभी आश्वासन देंगे वे, आप विराजिए। माननीय प्रद्युम्न सिंहजी का और इनका, दोनों का आप एक साथ जवाब दीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य और राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, इसमें मैंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है। मैंने दोनों रिपोर्टे भी आपके इसके में साथ संलग्न की हैं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अगर मेरे मन में यह होता तो मैं एक रिपोर्ट ही संलग्न करता, दूसरी आपके नहीं करता। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आरोप नहीं है। आरोप कहां है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एक मिनट आप मेरी बात को सुनें।

तो यह सच है कि पहली रिपोर्ट जो तहसीलदार ने 23.10 को भेजी थी, उस 23.10 की रिपोर्ट में उसमें 154 गांव ही 50 से लेकर 75 प्रतिशत खराबे में अंकित किया। लेकिन उसने अंकित करते समय, यह जो कालम नम्बर-9 है, इसमें उसको प्रतिशत लिखना था, उसने प्रतिशत नहीं लिखकर सब पर टिक कर दिया। टिक। अब इस टिक में यह 52 परसेंट भी हो सकता है, यह 70 परसेंट भी हो सकता है, यह 68 परसेंट भी हो सकता है, यह 59 परसेंट भी हो सकता है। कालम और डायरेक्शन जो प्रपत्र का है, यह कहता है कि आप इस कॉलम में, जिस गांव में जितना प्रतिशत खराबा है, वह परसेंटेज लिखे। इन्होंने सारा का सारा टिक कर दिया। एक। दूसरा, क्या है कि इन्होंने जो कालम नम्बर-14 है, इसमें 'स्थगन योग्य लगान', इसकी राशि क्या बनती है, यह भी इस प्रपत्र में उन्होंने नहीं भेजा।

कलक्टर ने इस बात की जानकारी के लिए कि जो प्रपत्र की मंशा है उस प्रपत्र की मंशा के अनुसार खराबा प्रत्येक गांव का प्रतिशत जो आपको भेजना था, वह आपने नहीं भेजा। एक। इसके कारण से उन्होंने फिर 31 तारीख को अपनी तरफ से एक पत्र लिखकर उनसे कहा कि यह आप देखें। तो यह जो कलक्टर की चिट्ठी गई है 31.10 को, गांव-वार रिपोर्ट में कालम नम्बर-9 में वास्तविक नुकसान दर्शा कर केवल टिक मार्क ही किया गया, कृपया गांव -वार वास्तविक प्रतिशत का अंकन करें।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरा निवेदन है ...(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं आपकी बात की ताईद कर रहा हूं कि वास्तव में तहसीलदार ने जो रिपोर्ट दी और बाद में जो रिपोर्ट आई, दोनों में अंतर है, यह डाक्यूमेंट्स से प्रूव है, लेकिन कलक्टर ने जो कमियां रहीं, उस प्रपत्र में उसको लिखकर वापस उन्होंने

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सूचना मांगी और कालम-9 में लिखा। प्रपत्र-3 में, प्रपत्र-3 की मंशा है कि 75 परसेंट से लेकर 100 परसेंट खराबे का। उस कालम में वह जो प्रपत्र भरा, वह प्रपत्र उन्होंने 62 परसेंट भरा,

जो इस प्रपत्र की मंशा ही नहीं है। यह प्रपत्र वही भर सकता है जिसमें खराबा 75 से लेकर 100 परसेंट हो। तो उसका प्रपत्र में 62 परसेंट भरना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।

दूसरा, यह बात सच है कि इन दोनों रिपोर्टों में अन्तर है, लेकिन जो मैंने रिपोर्ट मंगाई है, इस बारिश के कारण से सांचौर जिले में जो बाकी एरिया है, उनमें भी बारिश हुई, उसमें खराबा प्रतिशत क्या आया, ये सारे के सारे मेरे पास आंकड़े हैं। उन दिनों में, यह 28, 29 एवं 30, ये सितम्बर की तारीखें थीं, इनमें सांचौर में 28.9 को बारिश हुई थी 196 मिलीमीटर और 29 को हुई 6 मिलीमीटर; चितलवाड़ा में उस दिन जो बारिश हुई, उसका कोई रिकार्ड ही नहीं, क्योंकि वहां पर कोई गेज ही नहीं लगे हुए थे, जिसके कारण से उन्होंने किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं दी; इसके बाद इसके पास का ही जो गांव है, आपका एरिया है बागोड़ा। इसमें भी बारिश हुई 28 तारीख को 194 मिलीमीटर और दूसरे दिन हुई 9 मिलीमीटर। यह जो बागोड़ा है, इसका खराबा परसेंटेज आया 35, चितलवाड़ा का आया 43, सांचौर का परसेंटज आया 38.5 1 यह जो इसके पास है आपका जसवन्तपुरा, आपके चितलवाड़ा में 123 एम.एम. बारिश हुई उसी दिन। उसका खराबा आया 39 । तो सारे सांचौर के उस दिन बारिश के कारण से जो कुछ भी गेज रीडिंग हुई, उसमें इन सब गांवों में परसेंटेज कम आया। लेकिन यह बात सही है कि पहले 23.10 को तहसीलदार ने जो रिपोर्ट भेजी, उसमें उस दिन 100 परसेंट 154 गांवों को ही 50 से लेकर 75 परसेंट खराबे में मार्किंग किया, वह उसमें सही है; जो परसेंटेज उसे मार्किंग करना चाहिये, दुबारा इसमें सुधार के लिए जब दिया तो उसमें मैंने आपको जो 'अ' पर रिपोर्ट दी, यह रिपोर्ट आई थी चितलवाड़ा की दुबारा, यह 11.12.13 को आई, इस 11.12.13 में यही सारे के सारे 154 गांव, एक-एक को प्रतिशत निकालकर, इन्होंने चितलवाड़ा 45 परसेंट, रामपुरा 45 परसेंट, यह सारा का सारा दिया और इसमें कोई भी 50 प्रतिशत से अधिक नहीं आया।

लेकिन यह बात जरूर है, मैं इस बात की जांच कराऊंगा तहसीलदार ने जो पहले रिपोर्ट भेजी, वह क्या थी, क्यों थी और उसके बाद उसी रिपोर्ट में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

इस प्रकार का परिवर्तन कैसे आया? चाहे वह कलक्टर के लेवल पर हो, चाहे वह तहसीलदार के लेवल पर हो, इसमें जहां भी अनियमितता हुई है, जहां भी कोई कमी रही है, निश्चित रूप से यहां से किसी अधिकारी को भेजकर इस सारे प्रकरण की जांच कराकर, जो भी इसमें सत्यता होगी, उसके आधार पर किसान को न्याय मिलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सब कुछ आ गया।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): नहीं, साहब, खुलासा नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ये जालौर से हैं, इनको बोलने दो पहले। एक मिनट, इनको बोलने दो।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, खाली सांचौर का नहीं, पूरे जालौर जिले में इसकी जांच करवायें। सभी तहसीलदारों ने यह के यह काम किये हैं। एक बार रिपोर्ट पूरी दी, उसके बाद में क्या ऐसी आफत पड़ी कि उनकी रिपोर्ट सारी बदलनी पड़ी, एक-एक तहसील की? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक-एक बोलें। यह विषय बहुत गम्भीर है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए मैं आप सबको समय दूंगा। पहले आप बोल लें, फिर आप बोल लेना।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर भी देख लीजिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मेरी बात अधूरी रह गयी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, बैठिये। दूसरा पूरक प्रश्न वे करेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर भी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करने का उनका अधिकार है, फिर मैं आपको मौका दूंगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर भी।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत जानना चाहूंगा कि विलेज 154 हैं चितलवाना तहसील में, जो खराबा बताया गया, एक टेक्निकल मामला है कि वही तहसीलदार है....(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर की तरफ भी देखना। हां ठीक है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ग्राम पहले 154 थे, आज भी 154 हैं। पहले तहसीलदार ने जो रिपोर्ट भेजी है चितलवाना मूल गांव की, वहां खराबा जो प्रभावित क्षेत्र है, वह 8,141 हेक्टेयर जमीन है। उसके बाद आपके पास जो रिपोर्ट आई है, उसमें उसने बता दिया, रिपोर्ट में बिलकुल कम करके कर दिया 5,862 हेक्टेयर। वह तहसीलदार, पहले तो रिपोर्ट आई है पटवारी के मार्फत और 10 दिनों बाद रिपोर्ट को बदला गया है। हेक्टेयर कम किये गये हैं, जान-बूझकर कम किये गये हैं। केवल, केवल मात्र करोड़ों रुपयों की हेराफेरी कलक्टर के और बीमा कम्पनियों के मार्फत हुई है।

इसके अलावा, माननीय, मैं जानना चाहूंगा, इनके पास पूरा रिकार्ड नहीं है, जब एस डी ओ लिख रहा है, वहां का प्रशासनिक अधिकारी लिख रहा है, मेरे से रिपोर्ट के बारे में पूछा नहीं गया, मुझे रिपोर्ट दिखाई नहीं गयी, कलक्टर और तहसीलदार ने मिलीभगत करके रिपोर्ट तैयार की है। माननीय मंत्रीजी जवाब दें कि कलक्टर और तहसीलदार के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी? कम से कम इस बात का खुलासा तो होना चाहिये। खुलासा नहीं होगा तो मतलब क्या है इस बात का?

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। बैठिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): किसान मारे जा रहे हैं, किसान बरबाद हो रहे हैं। अरबों रुपये किसानों के माफ होते।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, उनका जवाब आने दो। फिर आपको मौका दूंगा, फिर आपको।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): एक ही बार में आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष: एक ही बार में दिला दें, तो फिर आप बोल लीजिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मेरा तो, अध्यक्षजी, एक ही निवेदन है कि तहसीलदारों ने या कलक्टर ने जो भी रिपोर्ट गलत दी है, मंत्री महोदय यह घोषणा करें कि अधिकारियों ने जो भी रिपोर्ट दी है, किसी ने तो गलत दी होगी, दो में से एक ने गलत दी होगी, क्या मंत्री महोदय किसी एक के खिलाफ कार्यवाही करेंगे कि नहीं करेंगे?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह कर्म तो आपके ही किये हुए हैं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): और जो भी जिला ....(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कर्म तो आपके ही किये हुए हैं। यह तो आपने ही बदली हैं रिपोर्टें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): अभी तक सर्वे में कुछ गांव रह गये हैं, जिनका अभी तक सर्वे नहीं करवाया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, आप बैठिये, आपका सवाल आ गया।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): यह सारी गलत रिपोर्ट आपके राज में करवायी गयी है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपके राज के ही कर्म किये हुए हैं सारे।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): यह सारी गलत रिपोर्ट आपके राज में करवायी गयी है, जिन पर आपने कोई कार्यवाही नहीं की। गलत रिपोर्ट आपने करवायी है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): तो जो भी जिले रह गये हैं, उनका सर्वे करवायेंगे या नहीं करवायेंगे?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): 2013 की रिपोर्टें हैं ये। माननीय सदस्य, ये 2013 की रिपोर्टें हैं जो आपके राज में हुई हैं और आप लोगों ने ही ऐसी गलत रिपोर्टें करवायी हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो राठौड़ साहब कह रहे हैं, उतना ही बोल रहे हो।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आपके राज में क्या हो रहा है? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हमारे राज में सही हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): वह सर्वे कब तक करवायेंगे? (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): जिन्होंने पैसे खाये हैं, वह तो नाक से निकलवायेंगे, नाक से।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आपके राज में हुआ। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): हमारे राज में जांच हो जायेगी, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही भी होती है और खाया हुआ पैसा वापस निकल जायेगा। खाया हुआ पैसा वापस निकाला जायेगा।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाह रहा हूं कि यह सांचौर तहसील का नहीं, जालौर तहसील के सारे तहसीलदारों ने पहले रिपोर्ट अलग दी, बाद में रिपोर्ट दूसरी दी। वह जांच करवायी जाये।

दूसरा मेरा निवेदन यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बड़ी दबंगता के साथ यह कहना पड़ रहा है, यह सारा जो कबाड़ा हुआ, पूर्ववर्ती सरकार के समय उन अधिकारियों ने जो कबाड़ा किया है, उसकी जांच होनी चाहिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मेरा अर्जेण्ट है जोधपुर का।

श्री अध्यक्ष: एक इधर से, एक इधर से।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मेरा एक निवेदन है कि जोधपुर जिले में पूरी 9 तहसीलों में भयंकर बरसात हुई और खेत में पड़ी फसल, खलिहान में पड़ी फसल...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह अलग से सवाल है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इससे लगता ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे लगता हुआ ही सवाल है। पूर्व मुख्य मंत्री, अशोकजी गहलोत ने जोधपुर में आश्वासन दिया था कि मैं खरीफ की फसल का आपको मुआवजा दूंगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या दिया था? अब आप करो ना। आपके पास समय है, आप करो ना। पूर्व मुख्य मंत्री ने यह कहा था, अब आप करो ना। कौन मना कर रहा है? आप घोषणा करो ना। (भारी व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) आप लोगों ने असत्य आश्वासन दिये हैं ...(व्यवधान) लोगों को गुमराह किया है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): किसानों को बरबाद कर दिया पूर्ववर्ती सरकार ने। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पूर्व मुख्य मंत्री की घोषणा के बावजूद भी मुआवजा नहीं मिलना, किसानों के साथ अन्याय होना, खराबे की रिपोर्ट जाने के बाद भी नहीं करना, यह पूर्ववर्ती सरकार की सबसे निकम्मी कार्यवाही है।

श्री अध्यक्ष: डोटासरा साहब।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी चर्चा हो गयी, मैं तो एक मात्र निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से मंत्रीजी से, मंत्रीजी ने यह कहा है कि रिपोर्टें दो भिन्न-भिन्न प्रकार की हैं। पहली रिपोर्ट में जो खराबा है, वह 50 से 75 परसेंट है। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) आपने ही तो यह गलत रिपोर्टें तैयार करवायीं आपके राज में। दो-दो रिपोर्टें तैयार करवाने वाले आप हो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसके अलावा तो ज्यादा बोलते ही नहीं हैं राठौड़ साहब इशारा करके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अभी वक्तव्य दिया है सदन में कि मैं इसकी जांच कराऊंगा। इसी में मैं पूछ रहा हूं कि जिला कलक्टर ने टेलीफोनिक आदेश देकर रिपोर्ट बदलवायी है, तो आप जिला कलक्टर के खिलाफ, सांप को तो सभी मारते हैं, सांप की मां को मारो, जिला कलक्टर के खिलाफ आप जांच कराने की मंशा रखते हैं या नहीं रखते हैं? तहसीलदार को तो कोई मार लेगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तहसीलदार को तो कोई भी मार लेगा, जिला कलक्टर के खिलाफ ...(व्यवधान).

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह भी जांच करा ली जाए कि आप लोगों ने टेलीफोन कर के रिपोर्टें बदलवायी हैं।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं...

श्री अध्यक्ष: पहले वे बोलेंगे। पहले वे बोलेंगे। आप कीजिए। आप अपना पूरक सवाल कीजिए।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, अभी जो आहौर से आने वाले विधायक ने जालौर के फेमिन की बात कही, मैं इस बात से सहमत हूं। पूर्ववर्ती जो सरकार थी, उनके दबाव में कलक्टर साहब ने यह रिपोर्ट पूरे जिले में बदली है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या भाषण दिलवा रहे हो, साहब! हमने तो एक लाइन में किया है। क्या भाषण दे रहे हैं! (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, वे तो भाषण दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री पब्बाराम (फलौदी): आप अभी भाषण ही दे रहे थे, और क्या कर रहे थे? डोटासराजी, आप भी भाषण ही दे रहे थे, और क्या कर रहे थे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये। आप भी बैठिये। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ये रिपोर्टें इन्होंने ही बदलवायी हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया था, वह बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तो आप कराओ न जांच। मना कौन कर रहा है? मंत्रीजी से करवाओ जांच।

श्री अध्यक्ष: पर्याप्त सवाल कर लिये गये हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, कर लिये आपने सवाल। आपने कर लिये सवाल।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): जवाब आ जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पर्याप्त सवाल हो चुके, पूरक प्रश्न। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी जवाब दें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब कोई पूरक प्रश्न नहीं। (व्यवधान) आप जवाब दीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं ने ही अपनी तरफ से चला कर यह स्वीकार किया कि पहली रिपोर्ट दूसरी थी, दूसरी रिपोर्ट में बदल हुई, या जिस ढंग से भी जांच होकर के आयी, दोनों में बदलाव है। इसको कोई मैंने नकारा नहीं। मैंने यह भी कहा कि मैं स्वयं भी इससे संतुष्ट नहीं हूं, जिस प्रकार का जवाब है। निश्चित रूप से इसमें जांच की आवश्यकता है और इसलिए मैंने स्वयं ने चला कर कह दिया कि जांच करायेंगे।

रहा सवाल यह कि दोष कलक्टर का है या तहसीलदार का है, जिसका भी दोष होगा, यहां का अधिकारी जाकर के, इस प्रकरण की जांच कर के, जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट। श्री रणधीर सिंहजी भीण्डर।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मेरा निवेदन है। (व्यवधान) रिपोर्ट पहले वाली मानी जाए।

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिये। विराजिये। विराजिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): साहब, एक मिनट। मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: अब विराजिये आप।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): जब तक जांच होगी तब तक किसानों को फायदा नहीं मिलेगा। माननीय अध्यक्षजी, मेरा निवेदन है, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। आप अलग से मिल लेना।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मेरी बात तो सुन ली जाए।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): जांच में कितना समय लगेगा, साहब। जांच कब तक होगी, साहब?

श्री अध्यक्ष: अलग से मिल लेना। विराजिये। स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, मेरा निवेदन है कि जांच लम्बी होगी, किसानों को फायदा नहीं मिलेगा। कब तक जांच होगी?

श्री अध्यक्ष: आपकी भावना आ गयी मंत्रीजी के सामने। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): जांच महीने में होगी, पन्द्रह दिन में होगी, कितने दिन में जांच होगी, साहब?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आपका निर्णय सिर माथे है। माननीय मंत्री महोदय ने कह दिया कि जांच होगी, मूल बात यह है कि गोधों की लड़ाई में झाड़ों का नाश क्यों हो? मूल बात यह है कि इस सारी जांच प्रक्रिया में कलक्टर की गलती होगी, पिछली सरकार की गलती होगी, तहसीलदार की गलती होगी, किसान की गलती नहीं है। इसलिए सरकार किसान को क्या लाभ दिलायेगी, यह आप बताएं। मूल बात यह है।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा सुझाव है। आप जवाब दे दो, इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं होगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): किसान को लाभ मिलेगा, वह जांच पर ही निर्भर करेगा। अगर बिना जांच किये, केवल यह कहना कि किसान को लाभ दे देना, यह घोषणा नहीं हो सकती। जांच के बाद ही निर्णय होगा। मैंने स्वयं ने स्वीकार किया कि दोनों रिपोर्टों में अन्तर है। इसलिए जांच करने के बाद जो इसका हकदार होगा, उसको मिलेगा।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): एक मिनट, साहब। फिर क्या होगा? फिर न तो फेमिन वर्क खुल पायेंगे, न लोगों को कोई रिलीफ मिलेगी। समय सीमा तय हो।

श्री अध्यक्ष: आपका रिकार्ड पर नहीं जायेगा अब। श्री रणधीर सिंह भीण्डर।

प्रदेश के पंचायत क्षेत्रों में जिन्स की सीधी खरीद की कार्ययोजना

87. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किसानों से गेहूं व अन्य जिन्सों की ठेकेदारों द्वारा क्रय केन्द्रों पर खरीद करा कर अनाज गोदामों में पहुंचाया जाता है तथा वापस उचित मूल्य पर वितरण हेतु परिवहन व्यय कर फिर राशन डीलरों के पास भेजा जाता है, जिससे जिन्सों के खराब होने व सड़ने

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

की संभावना रहती है? यदि हां, तो क्या सरकार हर पंचायत क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों के मार्फत ही कमीशन देकर खरीद करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यवस्था से जिन्सों पर अनावश्यक परिवहन व्यय में भी कमी आयेगी?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (श्री हेमसिंह भड़ाना): (1) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य सहयोगी संस्थाओं, राजफेड, तिलम संघ, आदि द्वारा किसानों से गेहूं व अन्य जिन्स की खरीद की जाती है तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा ही गेहूं का भण्डारण किया जाता है। भारत सरकार से आबंटित गेहूं का थोक विक्रेताओं के माध्यम से उठाव कर वितरण हेतु भिजवाया जाता है। भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूचना अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा एफ ए क्यू स्तर की गुणवत्ता का गेहूं खरीदा जाता है और वैज्ञानिक तरीकों से भण्डारण कर उनकी गुणवत्ता को संधारित किया जाता है। इसलिए गेहूं के खराब होने और सड़ने की सम्भावना नहीं रहती है।

राज्य सरकार द्वारा हर पंचायत क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों के मार्फत कमीशन देकर गेहूं की खरीद करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। किसानों से गेहूं की खरीद भारत सरकार के द्वारा ही की जाती है।

(2) उक्त व्यवस्था राज्य में लागू नहीं है। अत: प्रत्युत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो गेंद केन्द्र सरकार के पाले में डाल दी, लेकिन यह तो बताएं कि एफ.सी.आई. से क्रय-विक्रय और क्रय-विक्रय तक जब गेहूं जाता है तो उसकी मानिटरिंग कौन करता है? इसकी मानिटरिंग कोई हो ही नहीं रही है। इसको भी आपने क्या केन्द्र सरकार के भरोसे छोड़ रखा है क्या?

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी मानिटरिंग वेयरहाउस से, सेंट्रल को-आपरेटिव वेयरहाउस से माल जो उचित मूल्य तक जाता है, उसकी मानिटरिंग के लिए हर स्तर पर सतर्कता कमेटियां गठित की गयी हैं, राशन डीलर की दुकान पर, ग्राम पंचायत

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

स्तर पर, सरपंच उसमें प्रतिनिधि होता है, सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है, वार्ड पंच होता है। नगरपालिका स्तर पर नगर परिषद का चेयरमैन होता है, दो मनोनीत सदस्य होते हैं, एस.डी.एम. होता है। प्रधान स्तर पर प्रधान होता है, दो मनोनीत सदस्य होते हैं, एस.डी.एम. और तहसीलदार करते हैं। जिला स्तर पर जिलाधीश महोदय, माननीय सांसद, माननीय जिला प्रमुख, सम्बन्धित सभी प्रधान और विधायक और दो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य इनकी समय-समय पर मानिटरिंग करते हैं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न, पूरक प्रश्न आपका।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, यह जो गेहूं है, यह एफ.सी.आई. के अधिकारी, अधिकारीगण, डीलर, क्रय-विक्रय वाले और कुछ नेताओं की मिलीभगत से डाइरेक्ट आटा मिलों में जा रहा है। क्या इसकी जानकारी आपको है या नहीं? अगर है तो आपने कब-कब, क्या-क्या जांच करवायी?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक इससे मिलता सवाल है, साहब। एक ही जवाब आ जायेगा।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सम्माननीय विधायकजी ने बात रखी, अब तक के डाइवर्जन और डिस्ट्रिब्यूशन के पूरे तीन साल में राजस्थान में सात सम्बन्धित मामले हमारे सामने आये उनकी जांच करायी गयी है, एफ.आई.आर. दर्ज हुई है और सम्बन्धित लम्बित मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, खाद्य सुरक्षा के गेहूं सभी जिलों में उपलब्ध हैं, उदयपुर जिले में क्यों नहीं उपलब्ध है और वल्लभनगर तहसील में क्यों नहीं उपलब्ध है? आप बताइये।

श्री अध्यक्ष: इसका भी जवाब आ जायेगा, आप कर लो एक प्रश्न।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो गोदाम की समस्या दिनोंदिन आ रही है जिससे भण्डारण में अव्यवस्था होने की वजह से खरीद मूल्य में तकलीफ आ रही है, अभी मूंगफली का विषय आया और मूंगफली के विषय में इस सदन में भी बहुत बहस हुई और अभी भी खरीद नहीं की जा रही है क्योंकि भण्डारण की व्यवस्था नहीं है।

(श्री जोगाराम पटेल)

मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारण के लिए कोई व्यवस्था प्राइवेट स्तर पर देने का सरकार विचार रखती है ताकि काश्तकार अपने खेत में गोदाम बना लें, उसमें स्टोरेज कर लें और समय-समय पर वापस जहां भी भेजना है, वहां भेज दें? ऐसी व्यवस्था क्या सरकार रखती है?

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं इसका भी इनको जवाब दे देता हूं। यह पी.डी.एस. से सम्बन्धित मामला है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): एक मिनट।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): +++, सुन तो ले, +++ पूछ लीए +++ (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): पूछेंगे, मंत्री महोदय, हमारा अधिकार है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आप भी पूछ लेना। आप भी पूछ लेना। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बोलना सीखो, बोलना। (व्यवधान) ढंग से बोलो, ढंग से। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या कह रहे हैं मंत्री जी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: डांट रहे हैं एम.एल.ए. को। (व्यवधान) यह सदन का अपमान है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): यह क्या तरीका है? (व्यवधान) इस तरीके से अपमान किया है। +++ क्या है यह? हम बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह अपनी भाषा है ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: माननीय सदस्यों के बारे में इस तरह की भाषा उपयोग करना बहुत ही गलत है। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): यह मंत्रियों की भाषा है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह रिकार्ड से हटा ...(व्यवधान)...

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मंत्री महोदय इस बात के लिए माफी मांगें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह शब्द एक्सपंज कर दिया है। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो शब्द कहे हैं, वे शब्द अपने वापस लें और माफी मांगें। उसके बाद कार्यवाही शुरू करें।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ऐसा कोई असंसदीय शब्द माननीय मंत्रीजी ने नहीं कहा जो वापस लिया जाना चाहिए। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, यह प्रतिपक्ष की मांग निराधार है। (व्यवधान) यह तो स्थानीय भाषा में इन्होंने जो कुछ कहा, वह असंसदीय शब्द नहीं है, न कोई गाली है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विधान सभा की व्यवस्था ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह प्रश्न काल है, प्रश्न काल सुनो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय मंत्री महोदय बहुत महत्वपूर्ण जवाब दे रहे हैं, सुनो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अपनेपन में कहा है, द्वेषतापूर्ण नहीं कहा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, इतना महत्वपूर्ण जवाब दिया है ...(व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी मंशा किसी सदस्य को ठेस पहुंचाने की नहीं थी, हमारी भाषा में +++ निकल जाता है। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): अलवर की भाषा है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बैठ जाओ, सारी फील कर लो। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मंत्री महोदय से इस्तीफा दिलवाओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक्सपंज कर दिया। ऐसे क्या कर रहे हो? एक्सपंज कर दिया।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सम्माननीय सदस्य, आप संतुष्ट हैं ना?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): इनसे इस्तीफा लेकर आप बनोगे क्या मंत्री?

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आपका नम्बर आ जाएगा। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ऐसे आते हैं क्या! मंत्रीजी के इस्तीफे की बात करते हो।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दीजिए।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सही जवाब दे रहा हूं, सुनने की स्थिति में नहीं हैं। मैंने अपनी बात रख दी। मेरा कोई ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था। आगे से 'आप' कहेंगे और यह हमारी लोकल भाषा है।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट। श्रीमती शिमला बावरी।

श्रीगंगानगर जिले में को-आपरेटिव काटन काम्पलेक्स लिमिटेड के अधिशेष कर्मचारियों का बकाया वेतन

88. श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) श्रीगंगानगर जिले में को-आपरेटिव काटन काम्पलेक्स लि. बंद होने के बाद उसकी नीलामी से कितनी राशि प्राप्त हुई है व अब तक परिसमापक के पास अधिशेष राशि कितनी है?

(2) उक्त नीलामी से प्राप्त राशि के भुगतान की प्राथमिकता कैसे तय की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त को-आपरेटिव काटन काम्पलेक्स लिमिटेड के अधिशेष कर्मचारियों के बकाया वेतन की राशि कितनी बनी तथा भुगतान कितनी राशि का हुआ? यदि अब तक वेतन भुगतान नहीं हुआ, तो क्यों? भुगतान में देरी के लिए कौन उत्तरदायी हैं? क्या सरकार अब अधिशेष कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री अजय सिंह): (1) श्रीगंगानगर जिले में को -आपरेटिव काटन काम्पलेक्स लिमिटेड के बन्द होने तथा अवसायन में आने के बाद मिल की भूमि एवं मशीनरी के नीलामी द्वारा विक्रय से 8.01 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। उस राशि में से अब तक भुगतान किये जाने के पश्चात्

(श्री अजय सिंह)

तथा राशि पर प्राप्त ब्याज से वर्तमान में परिसमापक के पास 12,61,30,316 रुपए (बारह करोड़ इकसठ लाख तीस हजार तीन सौ सोलह) की राशि शेष है।

(2) नीलामी से प्राप्त राशि तथा उस पर तत्समय प्राप्त ब्याज को शामिल कर संस्था के पास कुल दस करोड़ रुपये की राशि थी। परन्तु मिल की देनदारियां 42.75 करोड़ रुपए होने के कारण भुगतान करने हेतु प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए दिनांक 23.2.2012 को प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर निम्नानुसार देनदारियों के भुगतान करने की अनुमति दी गई है:-

1. कर्मचारियों/श्रमिकों के दायित्व 122.44 लाख रुपए
2. वैधानिक दायित्व 55.11 लाख रुपए
3. राज्य सरकार का ऋण 52.00 लाख रुपए
4. मिल की परिसम्पत्तियों का नीलामी खर्चा 80 हजार 661 रुपए

(3) श्रीगंगानगर को-आपरेटिव काटन काम्पलेक्स लिमिटेड की दिनांक 31.3.2004 की आडिट के आधार पर एवं प्राप्त क्लेमों से देनदारियों की सूची तैयार की गई, जिसके अनुसार कर्मचारियों/श्रमिकों के बकाया वेतन-भत्ते, आदि के भुगतान हेतु रुपए एक करोड़ बाइस लाख चवालीस हजार अठहत्तर की देनदारी बनी, जिसमें से ग्यारह लाख चौबीस हजार आठ सौ अड़सठ रुपए रिकार्ड के अभाव एवं कोई व्यक्तिगत रिकार्ड नहीं होने के कारण दिनांक 2.9.2013 को अवसायक द्वारा राइट-आफ कर दिये गये। शेष वेतन का दायित्व रुपए एक करोड़ ग्यारह लाख उन्नीस हजार दो सौ ग्यारह रहा था, जिसके बाद उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर कर्मचारियों/श्रमिकों की वेतन व भत्तों में हुई वृद्धियां, ग्रेच्यूटी एवं अवकाश वेतन की राशि को शामिल किया जाकर रुपए 168.38 लाख का भुगतान किया जाना है। उक्त कर्मचारी/श्रमिकों के अलग-अलग देय (दायित्वों) को रिकार्ड में नहीं दर्शाया गया है जिसका प्रमाणित रिकार्ड नहीं होने के कारण अब तक भुगतान नहीं किया जा सका है।

सहकारी विभाग के पत्र दिनांक 19.11.2013 के द्वारा संस्था के अवसायक को इन कर्मचारियों के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में क्लेमों की दस्तावेजों के आधार पर प्रामाणिकता सुनिश्चित कर निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में अवसायक ने अवगत कराया है कि समिति के कर्मचारियों के बकाया वेतन-भत्तों के भुगतान

(श्री अजय सिंह)

के सम्बन्ध में प्रमाणित रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अत: कर्मचारियों के बकाया वेतन-भत्तों के भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करने के लिए विभाग के आदेश क्रमांक एफ.2(78) सविरा/प्रोसे/07 प्रथम दिनांक 13.2.2014 के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी द्वारा प्रस्तुत सुझावों के पश्चात् इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में हमारी काटन मिल जो बंद कर दी गयी है, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि हमारे गंगानगर जिले में करणपुर, सूरतगढ़, रायसिंहनगर और अनूपगढ़ काटन बाहुल्य क्षेत्र हैं। तो यह काटन मिल क्यों बंद की गयी? अगर मिल बंद की गयी तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि अधिशेष जो कर्मचारी हैं उनका क्या दोष है? उनको उनका वेतन भुगतान क्यों नहीं मिल रहा?

यह जो रिकार्ड में अभी पाया गया, इसमें मेरे पास जवाब आया है कि उसका कोई रिकार्ड दर्ज नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, उनका रिकार्ड दर्ज है। यह बिल्कुल असत्य है। रिकार्ड दर्ज है उनका। उन कर्मचारियों का क्या दोष है? उनका भुगतान क्यों रोका जा रहा है? उनको क्यों नहीं मिल रही भुगतान राशि?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी। दूसरा प्रश्न और पूछना है आपको?

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा, पहला तो उन्होंने पूछा कि क्यों बंद कर दिया गया? यह गंगानगर काटन काम्पलेक्स लगातार घाटे में चल रही थी और इसकी व्यक्तिगत पूंजी भी पूर्णतया समाप्त हो गयी थी और इसके ऊपर देनदारियां बहुत बढ़ गई थीं। इसलिए इसे बंद किया गया।

अभी आपने पूछा कि कर्मचारियों का भुगतान क्यों नहीं किया गया? मैंने मेरे उत्तर में भी यह स्पष्ट कर दिया है कि इसका कोई प्रामाणिक रिकार्ड हमारे पास नहीं है और मैं कुछ रिकार्ड, उपस्थिति पंजिका लेकर भी आया हूं। इसमें अनुपस्थित दर्ज किया गया, उसके ऊपर भी हस्ताक्षर कर दिये गये हैं, स्लिप लगाकर के हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। प्रथम दृष्टया देखते ही ऐसा

(श्री अजय सिंह)

लगता है कि एक दिन में एक ही पेन से हस्ताक्षर कर दिये गये। इसके अलावा जो कैश बुक है, इसमें किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या कैशियर के हस्ताक्षर नहीं हैं।

मैंने इस पूरे प्रकरण को देख लिया है और यह पूर्ववर्ती सरकार के समय यह होना चाहिए था, इस पर...

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): कांग्रेस की सरकार में यह काटन मिल बंद हुई है। तब से कर्मचारियों को भुगतान नहीं मिल रहा।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या और इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि छह माह में उक्त प्रकरण का निस्तारण कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगी आप? नहीं।

नैक्स्ट। श्री शुभकरण चौधरी।

उदयपुरवाटी के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

89. श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं व कितने पद कब से रिक्त हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): (1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालयवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट क-1 तथा क-2 पर तथा पद कब से पद रिक्त हैं, की सूचना परिशिष्ट ख-1 तथा ख-2 पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2013 हेतु 20,000 तृतीय श्रेणी अध्यापक के पदों की सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा, 2013 जिला परिषदों के माध्यम से दिनांक 11.10.2013 को आयोजित की जा चुकी है। इस भर्ती में झुंझुनूं जिले हेतु 200 तृतीय श्रेणी अध्यापक के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। इस भर्ती परीक्षा

(श्री कालीचरण सराफ)

का परिणाम राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक के सम्बन्ध में एस एल पी संख्या 23508-513/2013 राजस्थान सरकार बनाम विकास कुमार अग्रवाल व अन्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण जारी होना शेष है। शेष संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर की जा सकेगी।

(विवरण व सूचना पुस्तकालय में रखे गये)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में जवाब यह आया है, 200 अध्यापक झुन्झुनूं जिले के थर्ड ग्रेड में मंत्रीजी देने की बात कर रहे हैं। मैं चर्चा करना चाह रहा हूं मात्र उदयपुरवाटी की। उदयपुरवाटी में 37 ग्राम पंचायतें हैं। उनमें जितनी स्कूलें हैं, उनमें सारे थर्ड ग्रेड, सेकण्ड ग्रेड, प्रिंसिपल, सब्जेक्ट टीचर, 1,399 पद स्वीकृत हैं। जैसा जवाब मिला है, 1,399 पदों में से, अध्यक्ष महोदय, 600 पद खाली हैं एक विधान सभा क्षेत्र में। ये जवाब मेरे पास आया है। ये 200 अध्यापक देने की बात कर रहे हैं झुन्झुनूं जिले में, अकेले उदयपुरवाटी के 1,399 में से, 600 पद खाली हैं। 29 प्रधानाध्यापकों में से चार पद खाली; तीस प्रिंसिपल में से दस प्रिंसिपल के पद खाली; सब्जेक्ट टीचर जिसकी आप बात कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड, सेकण्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की, 188 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 132 पद खाली। निवेदन करना चाहता हूं, थर्ड ग्रेड टीचर, तीस में से छह खाली; शारीरिक शिक्षक और 286 पद जो सब्जेक्ट टीचर हैं, जिसमें अपन बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों के बढ़ने की, सरकारी स्कूलों के चलाने की, अध्यक्ष महोदय, गणित के सोलह पद खाली हैं बत्तीस स्कूलों में से; उर्दू के दो पद खाली हैं तीन स्कूलों में से; अंग्रेजी के ग्यारह पद खाली हैं तीस स्कूलों में से; विज्ञान के 18 पद खाली हैं 30 स्कूलों में से; संस्कृत के 15 पद खाली हैं 30 स्कूलों में से; हिन्दी के छह पद खाली हैं; और सामान्य विज्ञान के आठ पद खाली हैं।

मेरी विधान सभा क्षेत्र में सेकण्डरी और सीनियर सेकण्डरी 28 से 30 स्कूलें हैं, उनमें से 60 परसेंट पद खाली हैं। क्या कर पायेंगे और... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त...(व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): क्या करेंगे, मैं जानना चाह रहा हूं और ये कब तक भरे जायेंगे? 2008 से लगातार खाली हैं तो, अध्यक्ष महोदय, हम क्या शिक्षा देंगे बच्चों को? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त..(व्यवधान) प्रश्न काल समाप्त।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): फिर मेरा जवाब क्या मिला, साहब, मेरे को प्रश्न पूछने का? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दूसरे तरीके से उठा लीजिये। कई प्रश्न नहीं भी आते हैं समय अभाव से लेकिन प्रश्न काल की एक सैंक्टिटी है।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): तो जवाब तो, अध्यक्ष महोदय, ये कब तक भर दिये जायेंगे, यह तो बतायें। एक मिनट में, अध्यक्ष महोदय, क्या हो जायेगा?

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त होने की एक सैंक्टिटी है।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): मेरा प्रश्न खाली इतना है कि कब यह पद भर दिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये। आप स्थान ग्रहण कीजिये। प्रश्नकाल समाप्त होने की एक सैंक्टिटी है। (व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त करना है...(व्यवधान)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): मुद्दा बड़ा संवेदनशील था, बच्चों की परीक्षा-दीक्षा का मामला था।

श्री अध्यक्ष: अलग से मिल लेना आप।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): मुझे खाली इतना पूछना है, ये कब तक भर दिये जायेंगे?

श्री अध्यक्ष: अलग से मिल लेना। स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट जवाब दे देता हूं। एकमिनट...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो, नो। प्रश्नकाल की एक सैंक्टिटी है। नो, नो। नो रियायत।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से जिला भरतपुर के थाना कुम्हेर में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार करने की दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 54/14 के आरोपियों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में;
2. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राज्य में सामाजिक समरसता के वातावरण में जहर घोलने सम्बन्धी एक वरिष्ठ लोक सेवक द्वारा की गयी अभिव्यक्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;
3. डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा घोषित आबकारी नीति से आम जन को भारी परेशानी होने की सम्भावना के सम्बन्ध में; व
4. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से 11 अक्टूबर, 2013 को हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं करने से युवाओं में व्याप्त भारी असन्तोष के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य, श्री मनोज कुमार, श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, डा. किरोड़ी लाल एवं श्री हनुमान बेनीवाल को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री हीरालाल नागर, सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्यालय, सांगोद को कोटा विश्वविद्यालय से अविलम्ब मान्यता दिलाने के सम्बन्ध में।
2. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर की 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइनें अवधि पार होने के कारण जन धन की हो रही हानि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्री पूरण मल सैनी, सदस्य की ओर से गैर-आबादी क्षेत्र में एक डी पी

(श्री अध्यक्ष)

से केवल पांच विद्युत कनेक्शन जारी करने के नियम को निरस्त करने के सम्बन्ध में।

4. श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से जोधपुर डिस्काम क्षेत्र में बिजली की पर्याप्त सप्लाई एवं छीजत रोकने हेतु खराब पड़े कैपेसिटर्स को ठीक कराने के सम्बन्ध में।

5. श्री अशोक, सदस्य की ओर से राज्य में किसानों को कृषि कार्यों हेतु वर्तमान में आपूर्ति की जा रही विद्युत आपूर्ति के समय में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

6. श्री बंशीधर, सदस्य की ओर से खण्डेला नगरपालिका क्षेत्र में अवैध एवं नियम विरुद्ध नदी-नालों के बहाव क्षेत्र में जारी पट्टों को निरस्त करने के सम्बन्ध में।

7. श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से जयपुर जिले की बांडी, मोरेल, मेढ़ा, बाणगंगा, आदि नदियों के बहाव मार्ग में हुए अतिक्रमणों को हटाकर इनको पुनर्जीवित करने के सम्बन्ध में।

8. श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई व पीपलू शहर को बीसलपुर बांध से पर्याप्त पेयजल की सप्लाई कराने के सम्बन्ध में।

9. श्रीमती संतोष अहलावत, सदस्या की ओर से नहरी पानी को कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना के माध्यम से सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पहुंचाने के सम्बन्ध में।

10. श्री नवनीत लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र घाटोल की पंचायत समिति पीपलखूंट, ग्राम पंचायत परथीपुरा में सर्वे कराकर बी पी एल परिवारों को विद्युत कनेक्शन देने के सम्बन्ध में।

11. श्री हमीरसिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना में बरसाती पानी के संरक्षण की आवश्यकता से सम्बन्ध में।

12. श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में फव्वारा एवं उन्नत कृषि यंत्रों पर अनुदान के प्रार्थना पत्र आनलाइन प्राप्त करने के स्थान पर भौतिक रूप से प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री मनोज कुमार।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय....

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: एक विधायक बोल रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मेरा प्रिविलेज मूव किया हुआ था। आज आपने व्यवस्था के लिए...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आज व्यवस्था दी जायेगी, अभी इसके बाद।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक बहुत गम्भीर समस्या और आरोप भी लगाना...(व्यवधान) आरोप के बारे में पूछना चाहता हूं कि...

श्री अध्यक्ष: किस प्रकिया में? किस प्रकिया में?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): साहब, यह राजा-महाराजा, महारानी की कोई प्रक्रिया नहीं है, सीधी है।

सूचना

कतिपय माननीय सदस्यों के टेलीफोनों की निगरानी

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं आपके माध्यम से यह सूचना मांगना चाहता हूं, मेरे को सरकारी विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि मेरा, किरोड़ी लालजी मीणा का और हनुमान बेनीवालजी का मोबाइल फोन सर्विलेंस पर डाल दिये सरकार ने। विधायकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आप बैठे हैं, हम आपको भीष्म पितामह मानते हैं। यह +++ रूपी सरकार से हम पांडवों को बचाओ। मेरा यह निवेदन है। आप इसका जवाब दें। मोहतरमा आज आयी नहीं हैं...

श्री अध्यक्ष: इस विषय में।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): महोदय, यह सीरियस एलीगेशन है। I am giving notice of a very serious allegation. It is not a small allegation.

श्री अध्यक्ष: मैं जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आपको भीष्म पितामह कहा है, आप धृतराष्ट्र मत बनो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप इन +++ से रक्षा करो हमारी। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): यह बड़ा गम्भीर मामला है। यह हमारा हनन है। (व्यवधान)

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): यह सीरियस एलीगेशन है। यह किसी विधायक के साथ हो सकता है, नेता, प्रतिपक्ष के साथ हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज-आज का सदन है और अगर माननीय सदस्यों के फोन टेप हो रहे हैं, इससे गम्भीर बात तो कोई हो नहीं सकती। इससे गम्भीर बात तो कोई हो नहीं सकती। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्रीजी कुछ कहना चाह रहे हैं। माननीय मंत्रीजी।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): ये अधिकृत हैं क्या जवाब देने के लिये? ये अधिकृत हैं क्या जवाब देने के लिये?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, हूं मैं। यह आपको मालूम नहीं है। हूं मैं। अध्यक्ष महोदय, बिना किसी आधार पर और बिना स्रोत खोले, यह एक वेग सा आरोप लगा देना कि हमारे टेलीफोन टेप हो रहे हैं, मैं इसको सिरे से खारिज भी करता हूं। इनके टेलीफोन टेप करके जो लोग, राजस्थान की जनता ने पीट कर जिनको इतना सा कर दिया, उनके टेलीफोन टेप करके हमारी सरकार को क्या फायदा होने वाला है? आधार ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): पिटकर नहीं, पीटकर तो आपके दोस्त को आया हूं। यहां कहां से पहुंचते? पिटकर कहां से आ गये? (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपके दोस्त को पीटकर आये हैं। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बेबुनियाद आरोप...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपके टेलीफोन टेप करके क्या करेगी सरकार? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। विराजिये। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपने ऐसा क्या काम किया जो...(व्यवधान) आप ऐसा गलत काम क्यों करते हो कि टेप हो रहे हैं? (व्यवधान) कई बार अपराधी होता है...(व्यवधान) टेलीफोन टेप होते हैं। आप ऐसा काम करते हैं जिसके लिए आपके टेलीफोन टेप होते हैं। आपके मन में यही पीड़ा उठ गयी...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, जवाब माननीय कटारिया साहब देते हैं तो उनसे जवाब दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप जवाब तो दिलायें ना, अध्यक्ष महोदय।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): कटारिया साहब इस तरह का जवाब ही नहीं देते। हमारे मंत्री छोटे-मोटे जवाब ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी बात कोई समझ ही नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय, यह मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेवारी है और माननीय मंत्री महोदय ने विस्तृत इसका जवाब दे दिया है। आपको बीच में बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मंत्रीजी ने जवाब दिया, यह कोई जवाब है क्या कि आपको पीटकर आये हैं? पिटकर आये हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपके सोर्स क्या हैं ? किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं ? क्या स्रोत है आपका? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आरोप लगा रहे हैं, कोई आधार नहीं है आरोप का। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): +++ से रक्षा करो हमारी। +++ से... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देखिये यह विषय...(व्यवधान) राजा जी, बैठिये। राजा जी बहुत कम बोलते थे। राजा-महाराजा बहुत कम बोलते थे, आप भी इस प्रवृत्ति को थोड़ा कायम रखिये।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

कुम्हेर (भरतपुर) में नाबालिग का अपहरण व बलात्कार

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं कि कुम्हेर पुलिस थाना, भरतपुर जिले में 29/01/13 को एक एफ आई आर दर्ज हुई। एक नाबालिग बच्ची को...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): प्लीज। यह मामला ठीक है, लेकिन यह टेलीफोन वास्तव में टेप हो रहे हैं। इसको आप गम्भीरता से लो। इस पर कोई व्यवस्था दो। आप सरकार को निर्देशित करो। अध्यक्ष महोदय, यह आप इस तरह इतना लाइटली मत लो इस बात को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कतई नहीं ले रहा हूं, मैं लाइटली नहीं ले रहा हूं। मेरे ध्यान में बात आ गयी है। माननीय विधायक, मेरे ध्यान में बात आ गयी है, आप विश्वास करो, इसको किसी भी रूप में लाइटली नहीं लूंगा। यथोचित कोई भी कार्यवाही मेरे स्तर पर हो सकती है, वह करने की कोशिश करूंगा।

श्री हीरालाल (निवाई): अध्यक्ष महोदय, हनुमानजी बेनीवाल ने 'हां' पक्ष को +++ कहा है। यह कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): इसे पहले तो नकारो ना (व्यवधान) क्या बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाये। +++ शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाये। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): इसे भी कार्यवाही से निकालो ना। ये क्या बोल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इन +++ से हमारी रक्षा करो, अध्यक्ष महोदय।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 29.01.2013 को कुम्हेर पुलिस थाने में एक नाबालिग बच्ची जो अपने गांव से विद्यालय में जा रही थी, उसका अपहरण हो गया। उसको जगह-जगह घुमाकर के उसके साथ रेप किया गया। हमारी सरकार भरतपुर का दौरा करके आयी है, उसके बावजूद उन दरिंदों में से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि इसके लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं और उनकी कब तक गिरफ्तारी हो रही है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। हो गया आपका पाइंट। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: इसमें जवाब देने की परम्परा नहीं है। वे चाहें तो दे सकते हैं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, वह नाबालिग छात्राएं कैसे जायेंगी राजस्थान में? (व्यवधान) छात्राएं कैसे जायेंगी इस राजस्थान में, अगर इस तरह ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने जो लिखा है ...(व्यवधान) व्याख्या आप यहां नहीं करेंगे। नहीं तो आपका बोलना भी रोक दूंगा और आपका कोई शब्द रिकार्ड पर नहीं जायेगा। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): वे नाबालिग छात्राएं अपने विद्यालयों में नहीं जा सकतीं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, सख्ती कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यहां पर सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। (व्यवधान) आपने अपनी बात रख दी। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह समझे ...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सरकार तो अभी पूरे भरतपुर का दौरा करके आयी है, फिर भी नहीं आयी सरकार के। तभी तो चाह रहे हैं सरकार से एक मिनट का जवाब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, जवाब नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): उसके लिए क्या कार्यवाही कर रही है सरकार? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब नहीं आ रहा है, आप बैठिये। (व्यवधान) जवाब नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): नाबालिग छात्राएं जो विद्यालय में नहीं जा सकती हैं, उनका आप कैसे संरक्षण करेंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। जवाब देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अपना स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का मामला है। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया है वह निश्चित रूप से गम्भीरतम विषय है। उसको कोई नकार नहीं सकता है। जो उस बालिका के साथ घटना हुई, वह वास्तव में शर्मनाक घटना है लेकिन उसमें पुलिस की जो भी कार्यवाही होती है, जिस तरह का मेडिकल टैस्ट या बाकी सारा किया है, 164 के बयान लिये हैं बलवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। यह निश्चित रूप से शर्मनाक घटना है। हम और यह सदन क्या, पूरा प्रदेश और पूरा देश स्वीकार करता है। अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा, यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, सरकार बनी, 60 दिन भी हो गये और 60 दिन की कार्ययोजना भी बन गयी। इस कार्ययोजना में एक बात नहीं लिखते हुए भी, एक ऐसी बात हमारी सरकार के इस कार्यकाल के दौरान एक लोक सेवक द्वारा की गयी है, जिससे आज पूरा प्रदेश और पूरे प्रदेश के सारे वर्ग उद्वेलित हैं और एक-दूसरे को मारने पर उतारू हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, अगर कोई सुराज लाने की बात करने वाली सरकार का लोक सेवक किसी जाति विशेष को गालियां दे, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई सरकार के लिए हो नहीं सकती। लेकिन यह इनके समझ में नहीं आयेगी। वह इसलिए नहीं आयेगी क्योंकि वह इनकी फितरत में है। यह पहले भी +++ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर चुकी है।

श्री अध्यक्ष: ड्रोप किया जाये। ड्रोप किया जाये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ...(व्यवधान) गलत हुआ है क्या? बहुत बार अंकित हुआ है। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): यह आरोप बिलकुल गलत हैं। आरोप लगाना इनकी फितरत में है। बिना किसी आधार के...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ड्रोप किया जाये। एक्सपंज किया जाये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): भारतीय जनता पार्टी के शासन में ...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने स्वीकार किया है और आपकी जो हालत की है, वह देखिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब विराज जाइये। डोटासरा साहब का एक भी शब्द अब रिकार्ड पर नहीं आयेगा। (व्यवधान) जब मैंने पहले ही कह दिया आपको कि आप ऐसे आरोप नहीं लगायेंगे ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): भरतपुर की बताओ ना आप तो। भरतपुर में क्या हुआ ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): आप भरतपुर में क्या हुआ, यह बताओ, डोटासराजी। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: विराजिये। स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं बोलने दूंगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप विराज जायें। (व्यवधान) आपको चेतावनी दे दी, उसके बाद आप बोल रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: डा. किरोड़ी लाल, आप बोलिये। (व्यवधान) करेंगे, आपका भी करेंगे। पूरा करेंगे, आपका संरक्षण करूंगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): आप तो सचेतक हो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइये। (व्यवधान) आप बैठ जाइये। डा. किरोड़ी लाल। वरिष्ठ विधायक बोलने के लिए खड़े हो गये हैं, आप उनका आदर कीजिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप उनका आदर कीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप तो ट्रैक से आउट हो गये। (व्यवधान) हो गये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: विराजिये। आपने जो विषय दिया, उस पर नहीं बोले और आप ट्रैक से आउट हो गये। इसलिए मैं आपको बैठने के लिए कहता हूं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: शांत रहिये। डा. किरोड़ी लाल। (व्यवधान) आप बैठिये, डा. किरोड़ी लालजी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, इतनी नाराजगी, गुस्सा आप उधर दिखा रहे हो। मेरे ऊपर तो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नाराजगी कतई नहीं। कुछ आवाज आपकी और मेरी एक सरीखी है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मेरे पर आप कृपा बनाये रखना।

श्री अध्यक्ष: आवाज आपकी और मेरी एक सरीखी है। नाराज कतई नहीं। आप नाराजी से बोलते हैं जब बड़ा ...(व्यवधान)

आबकारी नीति से आम जन को कारित भारी परेशानी

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे मुद्दे की तरफ आपका और सदन का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि सुराज संकल्प यात्रा के दौरान पूरी भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की मुखिया और आज की मुख्य मंत्री ने नरेन्द्र मोदी की बात कही थी, गुजरात की बात की थी, सुशासन लायेंगे, सुराज लायेंगे और राजस्थान स्टेट को हम गुजरात माडल पर लायेंगे। अध्यक्ष महोदय, यहां विचारधारा से पुष्ट घनश्याम जी तिवाड़ी बैठे हैं, गुलाब चन्दजी कटारिया बैठे हैं...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आप भी हो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): बहुत सारे बैठे हैं जो संस्कारवान हैं। (व्यवधान) राठौड़ साहब बैठे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप वह संस्कार भूल गये, आप भटक गये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): पंडित दीनदयाल उपाध्याय की और डा. मुखर्जी की वह पार्टी विचारधारा से तो भटक ही गयी, लेकिन जो आश्वासन दिये थे, जो भरोसा राजस्थान की जनता को दिया था, उससे राजस्थान की जनता...

श्री अध्यक्ष: आपके स्थगन प्रस्ताव में यह कहीं रेफरेंस नहीं है जो आप अभी बोल रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, मैं एक गम्भीर प्रकरण की तरफ...

श्री अध्यक्ष: हां, वह बोलिये गम्भीर प्रकरण।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, ये आप-बीती बता रहे हैं। ये खुद आर एस एस के रह चुके हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, अख़बार में एक बहुत गम्भीर समाचार छपा है कि मां-बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर दिया एक बेटे ने। शराब के नशे में एक युवक ने गहरी नींद में सो रही अपनी मां को सरिये से वार करके मार डाला। अध्यक्ष महोदय, यह नेहरू बाजार की घटना है। इस घटना में, बेटे ने शराब पी और मां को गाली-गलौच करके, धक्का मारकर और अंत में जब मां सो गयी तो सोती हुई मां को मार दिया। यह शराब के कारण हुआ। शराब की बुराई का एक उदाहरण मैंने आपको दिया है।

अध्यक्ष महोदय, कल शराब के ठेके हुए हैं। उन ठेकों में अकेले जयपुर शहर में 26 हजार की भीड़ आयी और 406 को ही दुकानें मिलेंगी क्योंकि ज्यादा दुकानें तो हैं नहीं। सरकार ने साढ़े 25 हजार की भीड़ को लूट लिया। यह गलत नहीं कह रहा हूं। 10 हजार रुपये जो प्रत्येक ने जमा कराया और इस हिसाब से सरकार ने इस आबकारी में करीबन 6 जिलों में 636 करोड़ आवेदनों के नाम पर ले लिये।

अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान हो तो आपके मित्र जो कि मीसा में जेल में गये, घनश्यामजी के साथ भी रहे थे, गुलाबजी के साथ भी रहे थे, पूर्व विधायक गुरुशरणजी छाबड़ा, वे इस सरकार में 25 दिन तक अनशन पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे। एक बार नहीं, 2 बार बैठे और सरकार ने आश्वासन दिया कि हम एक कमेटी बनायेंगे और 2 महीने में शराबबंदी पर नीतिगत

(डा. किरोड़ी लाल)

निर्णय ले लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके अनशन के 25 दिन के बाद हाई-पावर कमेटी बनी, जिसमें ए सी एस थे, एक विधायक बी जे पी का था, एक विधायक कांग्रेस का था। उसने 15 सिफारिशें कीं; मतलब, कदम कांग्रेस सरकार ने नशाबंदी की तरफ बढ़ाया; उसने 15 सिफारिशें की जिनमें से एक सिफारिश में, जो व्यक्ति शराब पीकर सार्वजनिक स्थान पर उत्पात करेगा, उसका दण्ड, अध्यक्ष महोदय, केवल पचास रुपये था, उसको बढ़ाकर पांच सौ रुपये, **पांच** हजार रुपये और दस हजार रुपये कर दिया। अब जो इन्होंने नीति की है, राठौड़ साहब ने, जारी, जिसका कई मंत्रियों को तो पता नहीं है, आबकारी नीति कब जारी हो गई, बाइ सर्कुलेशन दस्तखत करवा लिये +++ के, मंत्रियों से, ...

श्री अध्यक्ष: ... शब्द निकाला जाये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): दूसरा, इन्होंने घटा कर **पांच** सौ रुपये कर दिया, एक हजार रुपये कर दिया दस हजार से, जो उत्पात करेगा उसको एक हजार कर दिया और **पांच** सौ कर दिया। यह उत्पातियों को फायदा देने का काम किया है बी जे पी की सरकार ने। (व्यवधान) गरीबों को, गरीब? ऐसे गरीबों को? (व्यवधान) दूसरा, सभापति महोदय,...

श्री अध्यक्ष: आप फिर गलती कर रहे हैं, 'अध्यक्ष महोदय' बोलिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): सारी। अध्यक्ष महोदय। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, यह तय हुआ था...

श्री अध्यक्ष: ये मुझे सभापति बनाकर छोड़ेंगे, ऐसा लगता है1

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): पूर्ववर्ती सरकार ने यह तय किया था उस समझौते में, उस समझौते में यह तय हुआ था कि आबादी के 20 परसेंट व्यक्ति मांग करेंगे शराबबंदी की तो एक ग्राम सभा बुलाई जायेगी, या जन सभा बुलाई जायेगी जिसमें 50 परसेंट की अनिवार्यता के साथ साधारण बहुमत से शराबबंदी लागू हो जायेगी, दुकान बंद हो जायेगी, लाइसेंस खतम हो जायेगा। जैसे, मानों, तीन हजार की आबादी का गांव है तो उसमें सात सौ इक्यावन लोग वोट डालेंगे तो वह दुकान बंद हो जायेगी, तो वहां से शराब बंटना बंद हो जायेगा। अब इन्होंने क्या किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 51 परसेंट यानी कि तीन हजार में पन्द्रह सौ तीस व्यक्ति वोट डालेंगे तो वह दुकान बंद हो जायेगी। मैं पूछना चाहता हूं आपसे ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): रा ज पा वालों का ख्याल रखो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप अपने मुख्य मंत्रीजी का ध्यान रखो। ज्यादा मत बोलो, कौन पीता है, क्या करता है। ऐसी ओछी मानसिकता पर मत आओ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, सामने गुलाबजी बैठे हैं, उनका आदर करता हूं, घनश्यामजी बैठे हैं और आपसे भी आदरपूर्वक शब्दों में पूछना चाहता हूं कि जब आपने गुजरात माडल लागू करने की बात कही है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इधर देखकर बोलिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, नरेन्द्र मोदी को प्रधान मंत्री बनाना चाहते हैं, उस माडल पर चलना चाहते हैं तो यह नरेन्द्र मोदी को प्रधान मंत्री बनाने वाले सरकार में बैठे लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब नरेन्द्र मोदी के गुजरात में तो शराबबंदी पूरी तरह से है और आपने चुनाव से पहले राजस्थान की सरकार को आश्वासन दिया था और इस शराबबंदी की तरफ पूर्ववर्ती सरकार ने पन्द्रह-सूत्रीय फार्मूला दिया था जो शराब बंद करने की तरफ था, तो आपने उस फार्मूले को भी बदल दिया।

आप शराबबंदी करेंगे, गुलाबजी? करेंगे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पंच निष्ठा, अभी इन विधायकों को इकट्ठा करके आपने पंच निष्ठा के संस्कार डाले थे। पार्टी की विचारधारा को कहां से कहां ले गये? आप इतने प्रचण्ड बहुमत में आये हो, यह ऐसी विचारधारा वाली सरकार है, मैं औरों से तो आशा नहीं कर सकता, गुलाबजी के बगल में बैठे हैं, उनसे आशा नहीं कर सकता लेकिन गुलाबजी से आशा कर सकता हूं, घनश्यामजी से आशा कर सकता हूं, कि क्या आपकी पार्टी, क्या सरकार जब गुजरात माडल पर चलकर, नरेन्द्र मोदी के सरकार के कदमों पर चलकर आप राजस्थान में यह शराबबंदी लायेंगे?

जहां कानून की स्थिति बिगड़ी हुई है, जहां बेटा मां को मार रहा है, जहां बाप बेटे को मार रहा है, जहां लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति रोज खराब हो रही है, जहां हरियाणा से बेशुमार शराब आकर यहां पर माफिया पनप गये हैं, थानों में शराब पी-पीकर मारपीट हो रही है, यह जो रोज अपराध बढ़ रहे हैं और अगर सबसे पहले घर-घर, गली-गली में दुकान खोलने का काम किया तो पूर्ववर्ती वसुन्धरा सरकार ने किया, जिसमें मैं भी भागी हूं, यह किया। हमारी संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है, हमारे सामाजिक ताने-बाने को खतम किया जा रहा है, लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बिगड़ रही है।

(डा. किरोड़ी लाल)

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सरकार को कि बड़ा भला होगा, अगर आपने पूर्ण नशाबंदी कर दी, शराबबंदी कर दी तो राजस्थान का कल्याण हो जायेगा। 163 के बहुमत से जनता ने आपको भेजा है, आप साहस जतायें, साहस दिखायें, इच्छा शक्ति दिखायें तो आप अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर शराबबंदी कर सकते हैं। यह आपको करना चाहिये। क्योंकि आप नरेन्द्र मोदी को प्रधान मंत्री बनाना चाहते हैं तो एक मिसाल राजस्थान से जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री हनुमान बेनीवाल। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य का हृदय परिवर्तन हो रहा है, नरेन्द्र मोदीजी की चिंता उनको हो रही है। उन्होंने आबकारी नीति को लेकर कुछ ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इसी पर कुछ है, इसी पर। शराब बंदी पर ही है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। मैंने इन्टरवेंशन अलाउ किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पिछली सरकार ने तीन वर्ष तक, 2011-12 में जो आबकारी बंदोबस्त किया था, अपने चहेतों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार उन्होंने ठेकों का रिन्यूअल किया। यह सही है कि 2014-15 में जब यह सरकार बदली तो सरकार ने नये सिरे से आबकारी नीति जारी की और उस आबकारी नीति में, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी नई, देशी और विदेशी निर्मित भारतीय शराब की एक भी नई दुकान बढ़ाई नहीं है। दूसरा इसमें यह कर दिया कि पहले बड़े-बड़े माफिया मिल जाया करते थे...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी मेरे बहुत अजीज मित्र हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं बता रहा हूं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): बहुत अजीज मित्र रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: बोलने दीजिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मैं यह नहीं कह रहा हूं, मैं यह नहीं

(डा. किरोड़ी लाल)

कह रहा हूं, ...(व्यवधान) मैं दूसरी बात कह रहा हूं। बहुत अजीज मित्र रहे हैं। मेरा आप किनसे जवाब दिलवा रहे हो?

श्री अध्यक्ष: मंत्री हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): नहीं हैं, साहब। आप इनके बगल वालों से दिलवा दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): विराजो। विराजो।

श्री अध्यक्ष: आप उकसाइये मत उनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अगर उनसे जवाब की बात आयेगी तो फिर मैं भी पूछ लूंगा, धीरे से। आप और हम मित्र रहे हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: कुछ नहीं पूछना है। माननीय मंत्रीजी, मंत्री पद की गरिमा रखिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बात निकली है तो दूर तक जायेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिये, असर देखिये आप। ज्यों ही मधु की चर्चा की, आसन ने भी पूरा अलाउ कर दिया और माननीय मंत्रीजी भी जवाब देने लगे हैं और बाकी बात पर गर्मागर्मी हो रही थी। मधु मास उतर आया है, फाल्गुन चल रहा है, मधु मास है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि नई आबकारी नीति में इसका बंदोबस्त किया गया है। एक व्यक्ति एक दुकान ही ले पायेगा, पहले एक व्यक्ति कई-कई दुकानें ले लिया करता था। आपने जिक्र किया कि सरकार ने पुरानी नीति में यह कहा था कि 20 परसेंट मतदाता, किसी भी गांव के वोटर, अगर किसी दुकान को बंद करने की मांग करते हैं, ग्राम सभा में उसका मतदान हो जाता है तो पूर्ववर्ती सरकार के अन्दर उस दुकान को बंद करने का निर्णय लिया गया था, जिसको बदल दिया; यह बिलकुल गलत है, माननीय सदस्य। अब भी 20 परसेंट मतदाता अगर किसी गांव की किसी शराब की दुकान को बंद करने की मांग करते हैं, ग्राम सभा या वार्ड सभा में उसका मतदान हो जाता है तो वह दुकान बंद हो जायेगी। यह शराब नीति का अंश है। इसमें इससे आगे बढ़कर, माननीय अध्यक्ष महोदय, 51 फीसदी लोग अगर शराबबंदी और उस शराब की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दुकान के खिलाफ अपना मतदान करते हैं तो आगामी वित्तीय वर्ष में उस दुकान को नहीं खोले जाने का प्रावधान भी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो आप कह रहे हैं कि सार्वजनिक स्थान पर मद्य निषेध पर जुर्माने की बात, सार्वजनिक स्थान पर मद्य सेवन करते हुए अगर कोई पाया जाता है तो वर्तमान में 50 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है, उस धारा को संशोधित कर जुर्माना प्रथम उल्लंघन पर पांच सौ रुपये, पश्चात्‌वर्ती उल्लंघन पर एक हजार रुपये किये जाने का निर्णय लिया गया है और इस हेतु पुलिस एक्ट में आवश्यक संशोधन के लिए सरकार ने प्रस्ताव भेज दिया है।

श्री अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): स्थगन प्रस्ताव पर बोलना है या शराब पर?

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव पर बोलना है, शराब पर नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): डाक्टर साहब, क्या खतम हो गया?

श्री अध्यक्ष: चलो आप। स्थगन पर बोलो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): खींवसर पर बोलो।

तृतीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा का अघोषित परिणाम

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): खींवसर पर नहीं बोलूंगा, मैं राजस्थान पर बोलूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, राजस्थान में नई सरकार बने दो महीने से ज्यादा का समय हो गया है...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): बेरोजगारों से दस-दस हजार रुपये ले लिये, वह तो रिफण्ड करवा दो, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): क्यों दिये थे?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अकेले शहर में छब्बीस हजार से ज्यादा एप्लिकेशंस आई हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) किसी भी प्रक्रिया के अन्तर्गत आप यह सवाल उठायें, यह यूं नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर भारतीय जनता पार्टी का प्रचण्ड बहुमत आया है। उसमें निश्चित रूप से युवाओं की विशेष भूमिका रही है। क्योंकि हम चुनाव से पहले इलाकों में जाते थे, किसी भी स्कूल में जाते, गांव में जाते, वहां अध्यापकों के पद हर जगह खाली मिलते थे और सरकार ने एग्जाम भी कराये 2003 में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए और उस एग्जाम के बाद अभी भी उसका रिजल्ट नहीं निकाला। हालात वे ही हैं जो पहले थे। इन दो महीनों में कोई नयी क्रान्ति शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में नहीं आयी।

आज बी एस टी सी शिक्षक संघ के नेतृत्व में विगत कई महीनों से छात्र आंदोलित हैं और जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर जब इन छात्रों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया तो शिक्षा मंत्रीजी के इशारे पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनको जमकर लाठियों से पीटा, उनके साथ मार-पीट की और पुलिस भी उनके साथ हो गई और उन्होंने भागकर अपनी जान बचायी।

अध्यक्ष महोदय, इस मामले को लेकर कोर्ट ने भी यह कहा कि युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष पर केस करें। भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से मारपीट के मामले में कोर्ट ने कहा कि जब चुनाव घोषणा-पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षकों के रिक्त पद भरने की बात की थी और आरटैट को खतम करने की बात की थी, इन दोनों मामलों को लेकर जब ये प्रदर्शन कर रहे थे तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को इस तरह मंत्री के इशारे पर इनको लाठियों से नहीं मारना चाहिए। पुलिस ने उनका साथ दिया तथा लम्बी लड़ाई के बाद अदालत से इनको न्याय मिला और मुकदमा दर्ज हो गया और कोर्ट ने कह दिया, कार्रवाई करो। लेकिन मुझे आशंका है इस मामले में, क्योंकि वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे तो उनके खिलाफ यह सरकार कार्यवाही करती नजर नहीं आ रही है।

अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के नौजवानों को पूरी उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 60 दिन के अन्दर कुछ नया होने की, हम लोगों को भी था कि 60 दिन के अन्दर नया होगा, लेकिन 60 दिन के अन्दर राजस्थान में कुछ भी नया नहीं हुआ और जो भी हुआ, वह पुराने से बढ़कर हो रहा है और आगे भी ऐसा नजर आ रहा है कि अभी सरकार जिस तरह बदले की भावना से कार्यवाही कर रही है, अभी डीग-कुम्हेर से आने वाले माननीय

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सदस्य ने जो बताया, टेलीफोन टेप करवाना और जो चुनाव में इनसे हारे नहीं, पूरी ताकत लगा दी, उन लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाना और ऐसा काम करके उनकी छवि को धूमिल करना, इन कामों में ये लग गये हैं। इनको 60 दिन की कार्ययोजना से कोई मतलब नहीं। 163 सीटें आ गईं और इनको पता है, अब कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन इतना दावे के साथ कह रहे हैं, मिशन 25 की जो बात कर रहे हैं, आपके मिशन 25 की हवा निकालेंगे राजस्थान के अन्दर। यह हम सदन के अन्दर कहकर जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपने राजस्थान के बेरोजगार के साथ धोखा किया आरटैट के नाम पर और शराबबंदी के टाइम...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह कहां आ गया? ट्रैक से नीचे मत उतरो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जब पूर्व विधायक ने बाहर अनशन किया था तो भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक रोज कहते थे कि अनशन से छाबड़ाजी को उठाओ, छाबड़ाजी की तबीयत बिगड़ गई, शराबबंदी होनी चाहिए। तो करो शराबबंदी। अब यह मामला भी तो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ट्रैक से उतर गये आप। जिस विषय पर बोलना था, बोल लिया। स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): राजस्थान के नौजवान को, राजस्थान की जनता को, बिजली के नाम पर किसान को, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा-पत्र में कहकर लूटा है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): वहां बड़े-बड़े वरिष्ठ लोग अनशन के दौरान गये थे, जो आज मंत्री बने बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): उस समय इन्होंने शराबबंदी की मांग की थी।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। आप नहीं गये थे, आप विराजिए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): वे दुबारा अनशन पर बैठने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। (व्यवधान) आप विराजिए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अनशन से, वे इतने हठी हैं कि हटेंगे नहीं। मिट जाएंगे, मर जाएंगे। फिर जिम्मेदारी सरकार की होगी।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) आप भी...(व्यवधान) अब स्थान ग्रहण कीजिए। आपका विषय आपने बोल दिया। (व्यवधान) अच्छा, एक मिनट।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं,...(व्यवधान) सबका जवाब आप हमेशा दिलवाते हो, मेरा भी एकाध बार जवाब दिलवा दो कभी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री हीरालाल नागर।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, यह रिजल्ट कब जारी करवाएंगे?

श्री अध्यक्ष: अब आप विराज जाओ।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा है, इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा? (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक सेकण्ड। यह अध्यापक भर्ती का जो प्रकरण 2011 से जिस ढंग से चला है, सरकार ने जिस प्रकार से आरटैट के कानून की अवहेलना कर, बोनस मार्क्स देने का जो निर्णय किया, उसके कारण से यह उलझ गया। उलझा ही नहीं, हाई कोर्ट ने इसके बारे में फैसला दे दिया कि इतने परसेंट से ज्यादा आप बोनस मार्क्स नहीं दे सकते। आप डबल बेंच में भी गये, डबल बेंच ने भी उसको निरस्त कर दिया। लेकिन ये बच्चे नाराज न हो जाएं, सबको गुड लगा दिया घुटने में और नाराज न हो जाए, इसलिए एस.एल.पी. भी सुप्रीम कोर्ट में की।

आपने इस भर्ती के नाम से इन लाखों बच्चों को जिस प्रकार से गुमराह पिछली सरकार ने किया, उसके कानूनी पहलू इतने उलझे हुए हैं कि उनको हल करने के लिए सरकार निरन्तर बैठक कर रही है। इसके लिए कमेटी बनायी हुई है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत जल्दी इस बारे में निर्णय करके उन सब बच्चों के भविष्य का रास्ता हम निकालेंगे।

श्री अध्यक्ष: 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

श्री हीरालाल नागर

(अनुपस्थित)

श्रीमती शकुन्तला रावत।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बानसूर की अवधिपार विद्युत लाइनों से जन-धन को कारित हानि

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): निवेदन है कि पूरे राज्य में विद्युत विभाग का पूरा ध्यान अपना राजस्व बढ़ाने में तो पूरी तरह लगा हुआ है, वहीं अपनी जिम्मेदारियों के नाम पर विभाग कबूतर की तरह आंखें मूंदे हुए बैठा है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 295 में पढ़ा जाता है, ये भाषण कर रही हैं। 295 में पढ़ा जाता है।

श्री अध्यक्ष: वे पढ़ रही हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यह इसमें लिखा हुआ है, कापी है।

श्री अध्यक्ष: पढ़ रही हैं वे।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): और जब-तब खोलता भी है तो आंकड़ों की कलाबाजियां मारकर सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिशों में लगा दिखता है। परन्तु सबकी मिली-जुली अनदेखी से राज्य में वर्षों से बिछी हुई 11,000 वोल्ट विद्युत लाइनों से आमजन एवं सरकार, दोनों को भारी जन-धन हानि हो रही है। पूरे राज्य तथा विशेषकर क्षेत्र बानसूर में 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइनें अवधिपार हो चुकी हैं, या फिर उनके दोनों सिरों के मध्य खम्भों की दूरी इतनी अधिक है कि ये तार कहीं-कहीं तो महज जमीन से 6-7 फीट की ऊंचाई पर लटक रहे हैं। नतीजतन, इन अवधिपार तारों के टूटने और झूलते तारों को छूने से एक साल में लगभग दर्जन भर हादसे घटित होते हैं जिनमें अमूल्य जानें जाती हैं और आक्रोशित पीड़ितों को नियंत्रित करने में प्रशासन को बहुमूल्य समय और व्यवस्थाएं अनावश्यक जाया करनी पड़ती हैं।

माननीय, इसी कड़ी में आपको अवगत कराना चाहूंगी कि एक तरफ सरकार के दावे और कार्ययोजनाएं हैं, तो दूसरी तरफ राज्य, विशेषकर बानसूर क्षेत्र में उपभोक्ताओं को ट्रांसफार्मर्स, खंभे, तार, अन्य उपकरण पिछले एक माह से उपलब्ध नहीं करवाये जा रहे हैं और उपभोक्ताओं से लगातार दुर्व्यवहार की शिकायतें मुझे प्रतिदिन प्राप्त हो रही हैं। यही नहीं, विद्युत बिलों में अविश्वसनीय उपभोग तथा उपभोग राशियां आ रही हैं। मेरे द्वारा जब-तब आमजन को इन विद्युत उपकरणों की उपलब्धता तथा शिकायतों के विषय में स्थानीय विद्युत अधिकारियों से सम्पर्क करना चाहा गया है, तो खेद का विषय

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

है कि अनेक माध्यमों से सम्पर्क के प्रयासोपरान्त भी इनसे सम्पर्क नहीं हो पाया है।

आपके माध्यम से मेरा सरकार से विशेष आग्रह है कि सरकार इन सबके पीछे उचित कारणों की जांच इन बिन्दुओं को शामिल करते हुए करे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्थान विशेष पर अपने व्यक्तिगत, राजनीतिक सम्पर्कों से जब अधिकारी, कर्मचारी लंबा ठहराव पा जाते हैं तो वे स्थानीय चुनावी राजनीति में इस कदर संलग्न हो जाते हैं कि अप्रिय परिणाम आने पर वे लोग राजनीतिक संरक्षणान्तर्गत प्रतिद्वंद्विता से कार्य करने लगते हैं। अत: राज्य सरकार गम्भीरतापूर्वक इस विषय पर गहन जांच कर उचित प्रशासनिक कार्यवाहियां करते हुए जनता को राहत प्रदान करवाएगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री पूरणमल सैनी।

गैर-आबादी क्षेत्र में एक डी पी से पांच कनेक्शन के नियम की निरस्ती

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत घरेलू विद्युत कनेक्शनों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्राम लोयल, चारावास, गौरीर, पपुरना, गाडराटा, बबाई, कालोटा, माधोगढ़, बड़ाऊ, रसूलपुर एवं सभी 106 ग्रामों में विद्युत वितरण निगम द्वारा स्थानीय गरीब किसानों को गैर-आबादी क्षेत्र का कारण बताकर घरेलू कनेक्शन जारी नहीं किये जा रहे हैं। विद्युत वितरण निगम द्वारा गैर-आबादी क्षेत्र में एक डी पी में 5 कनेक्शन से अधिक कनेक्शन जारी नहीं किये जा रहे हैं, चाहे डी पी 5 एच पी की हो या 25 एच पी की। **पांच** से कम आवेदन होने पर स्ववित्त पोषित योजना का विकल्प बचता है।

आज के आधुनिक युग में एक गांव या ढाणी के किसान व गरीब व्यक्ति को घरेलू विद्युत कनेक्शन भी नसीब नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या किसान व गरीब के बच्चों को रोशनी में पढ़ने का अधिकार नहीं है? यदि है, तो विद्युत विभाग द्वारा वर्तमान में घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी करने के नियमों में परिवर्तन करना होगा। एक गरीब व्यक्ति घरेलू विद्युत कनेक्शन के लिए स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत ट्रांसफार्मर की कीमत जमा करवाकर कनेक्शन लेने में सक्षम नहीं है।

(श्री पूरणमल सैनी)

अत: माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से आपके माध्यम से अनुरोध है कि गैर-आबादी क्षेत्र में एक डी पी में केवल पांच कनेशन जारी करने के नियमों को निरस्त करावें तथा गैर आबादी क्षेत्र में घरेलू विद्युत कनेक्शन मांगने पर विद्युत कनेक्शन अविलम्ब जारी करवाने के आदेश प्रदान करवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

जोधपुर डिस्काम क्षेत्र में विद्युत तंत्र में सुधार हेतु खराब कैपेसिटर्स की मरम्मत

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत आवश्यक विषय को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

मान्यवरजी, वर्तमान में बिजली हर व्यक्ति के लिए जीवन का अत्यन्त ही आवश्यक अंग हो गयी है। अधिक बिजली उत्पादन के उपरान्त भी बिजली की अत्यधिक छीजत होने व अन्य कारणों से बिजली की पर्याप्त सप्लाई नहीं हो रही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अनावश्यक घोषणाएं करने के उपरांत भी बिजली का कोई उत्पादन नहीं किया। ऐसी स्थिति में वर्तमान सरकार को बिजली के उत्पादन व संचालन में भारी कठिनाइयां आ रही हैं। उसके बावजूद भी लोकप्रिय मुख्य मंत्री, माननीय वसुंधरा राजे ने 24 घंटे घरेलू बिजली सप्लाई करने एवं 6 से 8 घंटे किसानों को बिजली सप्लाई करने का वादा किया व उसकी पूर्ति भी कर रही हैं। परन्तु जोधपुर शहर में 20 में से 17 कैपेसिटर पांच साल से खराब पड़े हैं। इनके काम नहीं करने से घरों में हाई वोल्टेज से बिजली के उपकरण जलने का खतरा रहता है। इस सम्बन्ध में कई घटनाएं भी हुईं, फिर भी रिपेयर नहीं करवा कर जोधपुर डिस्काम ने न केवल पब्लिक के साथ अन्याय किया है, बल्कि सरकार की भी बदनामी कर रही है।

इतना ही नहीं, करोड़ों की लागत के कैपेसिटर छह माह से भी नहीं चल पाये हैं। यदि इन्हें ठीक किया जाता व सही उपयोग किया जाता तो करीब 1 कैपेसिटर करीब 1.50 लाख यूनिट बिजली बचाता और इस हिसाब से जोधपुर शहर में खराब पड़े 18 कैपेसिटर बैंक सुधार दिये जाएं तो रोजाना 93,312 और हर महीने 27,99,380 यूनिट बिजली बचत हो सकती है।

इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जोधपुर जिला वृत में 33/11 के

(श्री जोगाराम पटेल)

वी ए के 350 जी एस एस में से 65 जी एस एस में कैपेसिटर बैंक लगे हैं। इनमें से 21 पिछले एक वर्ष में लगाये गये हैं। इन्हें छोड़ कर पुराने सभी कैपेसिटर बैंक पिछले पांच सालों से बंद हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में वोल्टेज में ज्यादा उतार-चढ़ाव रहता है, वहां इनकी ज्यादा जरूरत रहती है। गम्भीर बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में कई कैपेसिटर बैंक लोड, बैटरी, कापर वायर व अन्य उपकरण चोरी कर ले गये, जिससे ये बंद हो गये हैं।

इतना ही नहीं, पांच साल पहले खरीदे 17 कैपेसिटर छह माह से नहीं चल रहे हैं और खराब हो गये हैं, जिससे डिस्काम को ढाई करोड़ रुपये की चपत लगी। परन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

इसलिए इस सम्बन्ध में बिजली की हालत सुधारने में तकलीफ आ रही है। इन्हें ठीक करना, उपयोग में लेना और बिजली की बचत करना, अत्यन्त ही आवश्यक है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक।

किसानों को कृषि कार्य हेतु आपूर्त विद्युत के समय में परिवर्तन

श्री अशोक (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में किसानों को कृषि कार्यों हेतु वर्तमान में प्रतिदिन 6 घंटे विद्युत की आपूर्ति की जा रही है, जिसमें भी अलग-अलग समय की व्यवस्था की गई है। प्रदेश का वातावरण ग्रीष्म काल में रिकार्ड तोड़ गर्मी एवं शीत काल में असहनीय ठण्ड का प्रकोप रहता है। आज हम राज्य की प्रगति की बात करते हैं जिसमें कृषि क्षेत्र का हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है किन्तु बड़ी विडम्बना की बात है कि राज्य की 70 प्रतिशत से ज्यादा जनता जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों से जुडी हुई है, वही किसान वर्ग आज उपेक्षा का शिकार हो रहा है। किसानों को ग्रीष्म काल के समय दिन में 11.00 बजे से 5.00 बजे तक एवं सर्दियों के समय रात्रि में 11.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक विद्युत सप्लाई की जा रही है। जिस गर्मी एवं ठण्ड में आम आदमी का बाहर निकलना मुश्किल होता है, उस मौसम में किसान खेतों में कृषि कार्य करते हैं। अगर ऐसे मौसम में किसान कृषि कार्य करता है तो वह पर्याप्त मेहनत भी नहीं कर पाता, न ही प्राप्त हो रही विद्युत का सही प्रकार से उपयोग कर पाता है एवं ऐसे समय में कृषि कार्य करते हुए किसान बीमार हो जाता है तो असर कृषि उत्पादनों पर पड़ता है।

(श्री अशोक)

इंसान को जीने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, 1. हवा, 2. पानी व 3. खाना। खाने के लिए अनाज उत्पादन किसान करता है जिसके लिए उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। वही किसान आज सरकारी नीतियों का शिकार हो रहा है तो राज्य की प्रगति की बात कहां तक सत्य साबित होगी? आज किसान को कभी अतिवृष्टि, कभी अल्पवृष्टि, कभी ओलावृष्टि, तो कभी शीतलहर के प्रकोप जैसी अनेक प्राकृतिक आपदों का सामना करना पड़ रहा है जिससे कई बार उसकी सम्पूर्ण फसल नष्ट हो जाती है, जिससे किसानों को सरकार के पास मुआवजे हेतु हाथ फैलाना पड़ता है तथा सरकारी अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ना पड़ता है।

आज राज्य के कृषि क्षेत्र में सुधारात्मक व्यवस्था की आवश्यकता है। क्यों नहीं सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे किसी भी प्रकार की आपदा से फसलों को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए किसान सरकारी मुआवजे के लिए सरकार से भीख मांगता हुआ नजर न आए, बल्कि वह अपने अधिकारों के लिए लड़ता हुआ नजर आए व इंश्योरेंस कम्पनी के आगे अपनी मांग रखे। आज किसान को भीख की नहीं, उसे तो हक की आवश्यकता है।

किसान को इस बात का तो पता है कि उसे किस मौसम में कौन सी फसल का उत्पादन करना है किन्तु उत्पादन बढ़ाने हेतु उसे नई तकनीकी की जानकारी का अभाव होने से वह आज की पारम्परिक तकनीक से कृषि कार्य करता है जिससे उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाता, जिस कारण उसे कई बार नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। राज्य में जहां भी किसान अपने हकों के लिए धरना प्रदर्शन करता है तो सरकार उस ओर ध्यान नहीं देती। उसे मात्र धरना-प्रदर्शन मान कर किसान के साथ अन्याय ना करें, बल्कि उसे उनकी मूलभूत आवश्यकता समझ कर, देश हित में समझने की आवश्यकता है। आज बाजार में किसान को समय पर खाद नहीं मिलता। क्योंकि खाद की कालाबाजारी हो रही है, मजबूरन उसे महंगी दरों पर खाद खरीदना पड़ता है। आज किसान को समय पर कृषि कार्यों हेतु मजदूर नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए नरेगा योजना के तहत किसान को मजदूर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है।

आज हम राज्य की प्रगति की बात को सत्य साबित करना चाहते हैं तो किसान वर्ग के हित में सरकार अलग से किसान बजट जारी करे; कृषि

(श्री अशोक)

कार्यों में नई तकनीक समझाने हेतु प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर पृथक से किसान प्रशिक्षण केन्द्र एवं खाद उपलब्धता केन्द्र हों; फसलों का 100 प्रतिशत इंश्योरेंस हो; खाद्य एवं अन्य अनाजों की 100 प्रतिशत खरीददारी सरकारी तंत्र से हो एवं उसकी भण्डारण की व्यवस्था हो, जिससे कालाबाजारी एवं बिचौलिया प्रणाली खतम हो; किसानों को शीत काल के समय रात्रि में 11.00 से सुबह 5.00 बजे एवं ग्रीष्म काल में दिन में 11.00 से 5.00 बजे तक विद्युत आपूर्ति नहीं की जाए, जिससे किसानों को उनकी मेहनत एवं उपज का उचित हक मिल सकेगा एवं राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा।

श्री अध्यक्ष: श्री बंशीधर खण्डेला।

खण्डेला नगरपालिका क्षेत्र में अवैध एवं नियम विरुद्ध जारी पट्टों की निरस्ती

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र खण्डेला नगरपालिका क्षेत्र में अवैध एवं नियम विरुद्ध नदी-नालों के बहाव क्षेत्र में जारी पट्टों को निरस्त करने बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं एक अत्यन्त ही गम्भीर एवं लोक महत्व के विषय की ओर राज्य सरकार एवं स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डेला की नगरपालिका खण्डेला में नियम विरुद्ध एवं अवैधानिक तरीके से नदी-नालों के बहाव क्षेत्र में आवासीय पट्टे जारी किये गये, जिसके सम्बन्ध में मैंने पूर्व में भी कई बार उच्चाधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया है, परन्तु आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही मेरे द्वारा उठाये गये इस महत्वपूर्ण एवं जन हित से जुडे मुद्दों पर नहीं हो पाई है जिसके कारण स्थानीय जनता में रोष व्याप्त है। वस्तुस्थिति यह है कि नगरपालिका खण्डेला द्वारा खसरा नम्बर 1052 एवं 1053 में आवासीय पट्टे काट दिये गये हैं, जबकि उक्त दोनों खसरे नदी के बहाव क्षेत्र में आते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अब्दुल रहमान प्रकरण में राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देशित किया है कि किसी भी सूरत में नदी-नालों के बहाव क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता, न ही कोई पट्टे, आदि जारी किये जा सकते हैं; साथ ही, जो निर्माण कार्य हैं, उन्हें तुरन्त प्रभाव से हटाया जाये। इस प्रकार स्वायत्त शासन विभाग के उच्चाधिकारियों

(श्री बंशीधर)

द्वारा मेरे बार-बार यह मुद्दा विभिन्न स्तरों पर उठाये जाने के उपरान्त भी आज तक उन पट्टों को निरस्त नहीं करना, सीधे-सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

उक्त दोनों खसरा नम्बरान 1052 एवं 1053 में कुल आठ पट्टे नगरपालिका खण्डेला द्वारा जारी किये गये हैं, जिनमें आवासीय निर्माण भी अवैध रूप से हो चुका है। नगरपालिका खण्डेला के अधिकारी स्थानीय न्यायालय में कुछ पट्टों के सम्बन्ध में वाद दायर होने का हवाला देकर प्रकरण में चुप्पी साधे हुए हैं, जो कि उनकी मिलीभगत का स्पष्ट संकेत है। नगरपालिका खण्डेला द्वारा मामले में नियुक्त वकील ने उक्त प्रकरण में कोई गम्भीरता नहीं दिखाते हुए सामान्य तरीके से मामले को लिया एवं स्थानीय न्यायालय के आदेश के विरुद्ध समय पर अपील प्रस्तुत नहीं की जिसके कारण मामला अण्डर-लिटिगेशन मान लिया गया, जबकि यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत है, क्योंकि नदी-नालों के बहाव क्षेत्र में निर्माण को हटाने में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है।

मैं राज्य सरकार एवं स्वायत शासन मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मांग करता हूं कि उक्त दोनों खसरा नम्बरान में जारी आवासीय पट्टों को अविलम्ब निरस्त किया जाये, अवैध निर्माण को हटाया जाये एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

जयपुर जिले की नदियों के बहाव मार्ग के अतिक्रमणों को हटाया जाना

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के तहत जयपुर जिले में विभिन्न स्थानों से निकलने वाली लुप्त होती नदियों को पुनर्जीवित करने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

जयपुर जिले में अरावली की पहाड़ियों से कई छोटी-छोटी नदियां निकलती हैं, जो आम आदमी के जीवन से जुडी हुई हैं तथा पेयजल उपलब्ध करवाती हैं। कुछ समय पूर्व इन नदियों में पानी बहता था, जिनसे इन नदियों

(श्री रामलाल शर्मा)

के आसपास के क्षेत्र के कुओं तथा बावड़ियों में भी पानी भरा रहता था। इन नदियों में प्रमुख रूप से बांडी, मोरेल, मेंढा तथा बाणगंगा हैं। इन नदियों से आम आदमी तथा किसानों को पेयजल तथा कृषि कार्यों हेतु पानी उपलब्ध होता था।

वर्तमान में इन नदियों के मार्ग में एनिकट तथा अवैध निर्माण होने के कारण इनका बहाव अवरुद्ध हो गया है। इन नदियों में मेंढा नदी का उद्गम स्थल भी नीमकाथाना, मनोहरपुर था तथा ये श्रीमाधोपुर, चौमूं होते हुए सांभर झील में जाकर मिलती थीं। इन नदियों के मार्ग में अतिक्रमण होने से ये नदियां मृतप्राय हो गई हैं जिससे इन नदियों के बहाव क्षेत्र में पेयजल की अत्यन्त विकट समस्या उत्पन्न हो गई है।

अत: मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार से सहयोग लेकर अथवा राज्य सरकार इन नदियों के बहाव क्षेत्र से अवैध अतिक्रमणों को हटाकर तथा यमुना नदी से पानी लाकर सभी नदियों को पुनर्जीवित करने की कृपा करे। ये नदियां पुनर्जीवित होती हैं तो ये क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान एवं जीवनरेखा सिद्ध होंगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल।

निवाई एवं पीपलू शहर को बीसलपुर से पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति

श्री हीरालाल (निवाई): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई एवं पीपलू शहर में बीसलपुर से पर्याप्त मात्रा में पेयजल सप्लाई हेतु अनुरोध करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई में पेयजल की गम्भीर समस्या है। वर्तमान में निवाई एवं पीपलू शहर में बीसलपुर से पानी सप्लाई किया जाता है लेकिन पानी की मात्रा कम होने से पेयजल की गम्भीर समस्या व्याप्त हो गई है। पीपलू-राणोली कस्बे में आधे शहर में ही पानी की सप्लाई होती है, जिसके कारण आधे शहर को पेयजल की गम्भीर समस्या से जूझना पड़ रहा है। नागरिकों को पानी के अन्य स्रोतों से पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस इलाके में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण यहां के निवासियों में अनेक प्रकार की शारीरिक बीमारियां व्याप्त हो गई हैं।

(श्री हीरालाल)

इसी प्रकार, निवाई शहर के वार्ड नं. 13 व 14 को बीसलपुर से पानी नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण इन वार्डों के निवासी मीठे एवं स्वच्छ पानी से वंचित हो रहे हैं।

अत: इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मेरा माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के निवाई व पीपलू शहर में बीसलपुर से पर्याप्त पेयजल की सप्लाई कराने की कृपा करायें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती संतोष अहलावत।

सूरजगढ़ को कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से नहरी जल की आपूर्ति

श्रीमती संतोष अहलावत (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव की सूचना देना चाहती हूं।

सरकार द्वारा नहरी पानी को कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना के माध्यम से खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र के गांवों तक पहुंचाया जा रहा है, जो कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ से लगती सीमा पर स्थित है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भू-जल स्तर अत्यधिक नीचे चला गया है। पीने के पानी की उपलब्धता अत्यधिक न्यून है। इस वजह से सिंचाई एवं पीने के पानी की गम्भीर समस्या से हम ग्रस्त हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस परियोजना के माध्यम से नहरी पानी को मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के गांवों तक पहुंचाने के लिए उचित कार्यवाही करें ताकि क्षेत्रवासियों को पानी की समस्या से निजात मिल सके।

अत: मेरा निवेदन है कि सरकार नहरी पानी को कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना के माध्यम से सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्ययोजना बनाकर समुचित कार्यवाही प्रारम्भ करे।

श्री अध्यक्ष: श्री नवनीतलाल नीनामा।

परथीपुरा ग्राम पंचायत (घाटोल) में सर्वे पश्चात् बी पी एल परिवारों को विद्युत कनेक्शन

श्री नवनीत लाल (घाटोल): मान्यवर, मैं राजस्थान विधान सभा के

(श्री नवनीत लाल)

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र घाटोल की पंचायत समिति पीपलखूंट, ग्राम पंचायत परथीपुरा में आजादी के 66 वर्ष गुजर जाने के बावजूद ग्राम पंचायत में विद्युत के खम्भे नहीं पहुंचे हैं। ग्राम परथीपुरा में निम्न गांवों में दर्शायेनुसार बी पी एल परिवार होने के बावजूद विद्युत कनेक्शन नहीं पहुंचे हैं:-

क्रम संख्या	नाम गांव	बी पी एल परिवार
1.	खडियावानी	200
2.	खरवाड़ा	160
3.	वडलीखेड़ा	280
4.	पीपल्दा	300
5.	परथीपुरा	200
	योग	**1,140**

अत: मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल की पंचायत समिति पीपलखूंट, ग्राम पंचायत परथीपुरा में सर्वे करवाकर बी पी एल परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिये जायें। इस आशा और विश्वास के साथ।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीरसिंह भायल।

सिवाना क्षेत्र में बरसाती पानी का संरक्षण

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से सिवाना क्षेत्र में बरसाती पानी के संरक्षण की आवश्यकता के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। जल की स्थिति अत्यन्त विकट है। हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से 10.4, जनसंख्या के हिसाब से 5.5, पशुधन के हिसाब से 18.7 प्रतिशत देश में हिस्सा है, जिसके लिए सतही जल मात्र 1.16 प्रतिशत ही है। देश के 142 में से 85 रेगिस्तानी ब्लाक हमारे प्रदेश में हैं। प्रदेश में 1984 में पानी का दोहन 35 प्रतिशत था जो आज बढ़कर

(श्री हमीरसिंह भायल)

2008 तक 138 प्रतिशत पर पहुंच गया है जिससे जल की समस्या दिन-पर-दिन विकराल हो गई है। हमारा प्रदेश हमेशा से ही जल की कमी वाला क्षेत्र रहा है। बाड़मेर में तो 100 मिलीमीटर वार्षिक औसतन बरसात ही होती है।

सिवाना क्षेत्र में सतपुड़ा की श्रृंखला का पहाड़ी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बरसाती पानी की आवक है। बरसात के समय पहाड़ी क्षेत्र में पानी की गति इतनी तेज होती है कि वह पानी पहाड़ियों से गुजरता हुआ, खेतों से गुजरता हुआ, भूमि का कटाव करता हुआ, नालों एवं मैदानी भाग में फैल जाता है और खाराबैल्ट एवं लूणी नदी में चला जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो पाता है, उलटा क्षेत्र में खेतों का कटान करता है। बाड़मेर जिले के सबसे बड़े बांध मेली बांध में कुछ हिस्सा जरूर इकट्ठा होता है जिससे मेली, मांगला, कुम्पावास, बामसीन, आदि का कुछ हिस्सा ही सिंचित हो पाता है। इस बांध में पानी की आवक होने से कृषि कुएं रिचार्ज होने से किसानों को सीधा फायदा होता है। इसलिए यदि भाखरड़ा बेल्ट में छोटे-छोटे एनिकट एवं पानी बहाव के क्षेत्र में जमीन स्तर तक चैक डैमों का निर्माण करवाया जाये तो बरसाती पानी जमीन में उतरेगा, साथ ही एनिकटों में पानी इकट्ठा होगा जिससे कुण्डल, धीरा, रमणिया, गुडानाल, मेली एवं आसपाल के कृषि कुएं रिचार्ज होंगे, जिससे भू-जल स्तर बढ़ेगा और कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा। साथ ही, क्षेत्र में पेयजल के संकट से भी निजात मिलेगी।

मेरा विशेष आग्रह है कि सिवाना विधान सभा क्षेत्र में पहाड़ियों पर थोड़ी-थोडी दूरी पर पत्थर की दीवारों का निर्माण करवाया जाये ताकि पानी की गति कम होगी जिससे भूमि का कटाव नहीं होगा। कुण्डल क्षेत्र में बांध, पहाड़ी क्षेत्र हल्देश्वर की पहाड़ियों में छोटे-छोटे एनिकट्स का निर्माण करवाया जाये तथा पानी बहाव क्षेत्र में चैक डैमों का निर्माण करवाया जाता है तो बरसाती पानी का संरक्षण होगा, भूमि का कटाव रुकेगा, पहाड़ी क्षेत्र में औषधियों, इमारती एवं ईंधन योग्य लकड़ियों का उत्पादन होगा। इसी के साथ, मरुस्थलीय क्षेत्र में पेयजल के संकट से भी निजात मिलेगी। विकट जल संसाधनों की स्थिति से निपटने के लिए शीघ्र ही उक्त प्रकार से सुधारवादी तरीकों की नितान्त आवश्यकता है। शीघ्र निर्णय लेकर जनता को लाभान्वित करायें। धन्यवाद।

(13.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

राजसमन्द में फव्वारा एवं उन्नत कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु आनलाइन के साथ-साथ भौतिक प्रार्थना पत्र की अनुमति

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूं; विषय है, कृषकों को फव्वारा एवं उन्नत कृषि यंत्रों पर अनुदान के संदर्भ में।

माननीय अध्यक्षजी, मेरे विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में कृषकों को फव्वारा एवं उन्नत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन पत्र भौतिक रूप से स्वीकार किये गये थे लेकिन विभाग द्वारा कृषकों को बिना कोई सूचना दिये ही प्रार्थना पत्र आनलाइन स्वीकार करने की नीति लागू कर दी गयी और जो पूर्व में भौतिक रूप से आवेदन पत्रावलियां प्राप्त की थीं, वे किसानों को वापस लौटा दी गयीं। ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश कृषक अशिक्षित होने के कारण, आनलाइन आवेदन पत्र की जटिल प्रक्रिया से अनभिज्ञ होने के कारण, आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की नीति से फव्वारा एवं उन्नत कृषि यंत्रों पर अनुदान की राजकीय नीति का लाभ लेने से वंचित रह रहे हैं।

अत: किसानों को आनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की नीति में छूट प्रदान करते हुए, भौतिक रूप से आवेदन पत्रावलियां स्वीकार करने के आदेश जारी कर, ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को राहत प्रदान करें, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग वित्तीय वर्ष 2013-14, जो शीघ्र ही समाप्त हो रहा है, के बजट का भी लाभ पूरा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से। श्रीमती सोना देवी।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): मान्यवर अध्यक्ष महोदय, दोबारा पर्ची देने के बाद स्वीकृति मिली है। क्वेश्चन भी दिये कोई महीना हो गया है, उसका कोई जवाब नहीं आया है और जो जवाब आया है, उसकी भी कोई बारी नहीं आई है। पर्ची सुबह लगाई थी, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया, मेरा नम्बर नहीं आया। पता नहीं, सदन में क्या व्यवस्था है। कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप तो अपना कथन कीजिये।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): यह तो पता चल ही गया है। वर्तमान सरकार जो क्या कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है। हम दिख ही नहीं रहे हैं, मतलब कि यहां पर कोई सदस्य हैं हम।

श्री अध्यक्ष: अपना कथन कीजिये, वक्तव्य।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सब को समानता का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, यह तो स्पष्ट हो ही चुका है।

एक माननीय सदस्य: आज नम्बर आ गया न आपका।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): नम्बर हमने जबरदस्ती लगाया है, दोबारा लगाया है नम्बर। आपके कहने पर नहीं लगाया है।

श्री अध्यक्ष: आसन को सम्बोधित कीजिये और अपना वक्तव्य जारी कीजिये।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

फसलों का समर्थन मूल्य

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): अगर नम्बर नहीं भी आता है तो हम यहां धरना लगा कर बैठ जाते।

तो देखिये, हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को जो देने की बात कही थी, वसुंधराजी ने, घोषणा पत्र में भी कही है कि किसानों को फसलों का ज्यादा से ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जायेगा, अभी तक उस न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या हुआ? किसी भी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई घोषणा नहीं की गई है और न ही फसलों के बारे में कोई चर्चा की। बोनस के आधार पर गेहूं का 250 रुपये मिलना चाहिए, सरसों का 150 रुपये मिलना चाहिए, चने का 600 रुपये और जौ का 400 रुपये मिलना चाहिए, इसकी अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की गई है कि कब तक मिल जायेगा, न ही कोई समय दिया, न ही अवधि दी है। किसान के प्रति कोई भी इस सदन में जगह है ही नहीं। पूरे राज्य भर में 75 परसेंट से अधिक किसान भाई रहते हैं, उन काश्तकारों के लिए, उन जनता के लिए, उन किसानों के लिए यहां पर सदन में कहीं भी कोई जगह नहीं है।

तो, अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि वसुंधराजी को अवगत करवायें, याद करवायें वह घोषणा पत्र और याद करवायें अभिभाषण कि उस अभिभाषण में प्राथमिक पांच विकास कार्यों के लिए दिया गया था, उसमें कहीं भी किसान की कोई जगह नहीं है।

रायसिंहनगर में गंदे नाले का स्थानान्तरण

रही बात स्वच्छता की, स्वच्छता की, कौन सी स्वच्छता के अभियान की बात की जा रही है? शहर में स्वच्छता अभियान के लिए, शहर में देखिये,

(श्रीमती सोनादेवी)

हमारे रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र के विजय नगर क्षेत्र में स्वच्छता के नाम पर शर्मनाक घटना कि तीन नम्बर वार्ड, चार नम्बर वार्ड में ढाई हजार लोगों की आबादी है और वह आबादी ऐसे बन रही है जैसे कि उस पूरे शहर का कचरा पात्र हो। पूरे गंदे नाले का पानी उस दो नम्बर वार्ड, तीन नम्बर वार्ड और चार नम्बर वार्ड में, सर, आ रहा है। महोदयजी, क्या उक्त स्वच्छता अभियान में उस गंदे नाले को अन्यत्र स्थानांतरित करने की कोई व्यवस्था नहीं है? धरना लगाने के बाद और उसमें जल समाधि लेने के बाद भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। क्या यह वर्तमान सरकार की नीति है? क्या उनके लिए, क्या वह वहां रह रही जनता कोई मानव नहीं है?

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये, सरकार सुन रही है।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सरकार के लिए ही बोल रही हूं, उनको सुनाने के लिए ही बोल रही हूं, क्योंकि उनको दिखा ही नहीं, हमने छह दिन धरना लगाया, वह दिखा नहीं, उसकी कोई सूचना नहीं। सरकार के माध्यम से कोई सूचना नहीं आई है और न ही 54 लाख का जो बजट बनाया है, उन्होंने एस्टिमेट बनाया है कि उसको अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित किया जायेगा गंदे नाले को, तो क्या यह वर्तमान सरकार वह बजट वह देगी? हम वर्तमान सरकार से पूछना चाहते हैं। अगर वह नहीं देती है तो इस सदन से कह कर जा रही हूं कि मेरे, सोना देवी के मरने का कारण वर्तमान राज्य सरकार होगी। यह मैं कह कर जा रही हूं।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, जब बात चली है स्वच्छता की तो गंगानगर की इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है, मेरे क्षेत्र की, वह है सीवरेज की।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से है। पर्ची एक, अपन नियम के माध्यम से आयेंगे। पर्ची आपकी लगी है।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): जब सीवरेज की बात चल रही है तो उस पर बोलने का अवसर सब को है न। जब स्वच्छता की बात चल रही है।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): पर्ची के माध्यम से कौन सा बोलने दिया जा रहा था? पर्ची के माध्यम से कौन सा तो बोलने दिया जा रहा था?

(श्रीमती सोनादेवी)

यहां पर्ची के माध्यम से भी नहीं बोलने दें, पर्ची के माध्यम से भी बोलने नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: अब विराजिये आप। आपकी पर्ची है, आप बोल ली न।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): सीवरेज की जो समस्या है, कम से कम दो करोड़ रुपये सरकार के उसमें जा चुके हैं लेकिन वहां का....

श्री अध्यक्ष: आप बोल लीं। माननीया विधायिक, यों नहीं, यों नहीं। प्रक्रिया है। मैंने सोना देवीजी को पुकारा, उन्होंने अपना वक्तव्य रख दिया। अब आप स्थान ग्रहण कीजिये। शत्रुघ्न गौतम। आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, वहां का जो कलक्टर है, वहां के कलक्टर महोदय, जो यह बात कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं लाचार हूं, जो कम्पनी है, जो कार्य कर रही है, वह सेठ लोग हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। तो उस पर मैं जवाब चाहती हूं कि राज्य सरकार...

श्री अध्यक्ष: मैंने उनको पुकार लिया। मैंने उनको पुकार लिया।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): क्या कलक्टर किसी भी तरह की जवाबदेही नहीं रखता इसके अन्दर?

श्री अध्यक्ष: मैंने उनको पुकार लिया, माननीया विधायक, आप विराजिये। मैंने उनको पुकार लिया है।

सावर में अनियमित रूप से खान-आबंटन के विरुद्ध कार्यवाही

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महादय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सावर में बावन माता मंदिर की खातेदारी की जमीन में दो खानें आबंटन की गई सन् 1993-94 में। उन दोनों खानों के अगेंस्ट में माननीय जिलाधीश ने.... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: उनको बोलने दीजिये।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): आप विराजें। आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट रुको।

श्री अध्यक्ष: उनको बोलने दीजिये। उनको बोलने दीजिये। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट सुनें।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): जिलाधीश ने 1998 में.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अपना स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): आप विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का सत्र चल रहा है, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। सिर्फ एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। नहीं, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा का सत्र चल रहा है और जो गंगानगर जिले से विधायक आई हैं, इन्होंने कहा कि हमारे मरने की सूचना आपको प्राप्त होगी। यह कितनी बड़ी बात है कि राजस्थान की एक विधायिक को सदन में यह कहना पड़े कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है, सरकार संवेदनहीन है और हमारे मरने की सूचना आपको प्राप्त होगी। इससे बड़ी विकट परिस्थिति नहीं हो सकती है, अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): अभी अलग-अलग जाकर के वोट मांगने में व्यस्त हैं लेकिन सरकार को जनता नहीं दिखाई दे रही है और जनता यह सब देख रही है। जनता आगे सब देख रही है कि एक विधायक यह बात कहती हैं कि मैं मरने के लिए तैयार हूं और आज यहां हमें जवाब नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष: खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए। आप भी विराजिये। आप विराजिए, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): सन् 1998 में जिलाधीश, अजमेर ने इन दोनों खानों के आबंटन से और 1998 में इन खानों के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक रिट हुई कि ये दोनों खानें निरस्त होनी चाहिए। (व्यवधान) जिलाधीश

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

महोदय ने हाई कोर्ट में एक रिट की कि दोनों खानों का आबंटन निरस्त होना चाहिए। 2003 में डी.बी. का फैसला आया और डी.बी. के फ़ैसले में कहा गया, उच्च न्यायालय में फ़ैसले में लिखा कि सांवर में जो बामन माता मंदिर हैं उस मंदिर की खातेदारी के लिए "For the management, control, administration and maintenance acts, the temple Mataji Maharaj, village Sawar, district Ajmer shall constitute a committee of 4 persons viz. Shri Sanjay Tyagi, Adv., Shri Dharmendra Agrawal, Adv, Shri Shailendra Jain, Adv., and Shri Ladu Ram Choudhary. The Committee shall have power to spend Rs. 5000/- towards day-to-day expenses of temple. Where there arises need to spend money exceeding Rs. 5000/- , they have to take prior permission of the Court."

उसके बाद सावर में बामन माता मंदिर के 2003 के बाद 9 प्रार्थना पत्र लगे और माइनिंग इंजीनियर ने 9 में से किसी भी प्रार्थना पत्र को एन ओ सी के लिए नहीं भिजवाया।

7.12.2009 को राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक आदेश निकाला कि मंदिर की जमीनों की देखरेख के लिए, राजस्थान में जो मंदिर की जमीनों पर अतिक्रमण हो रहे हैं, उनकी देखरेख के लिए एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में एस डी ओ अध्यक्ष, बी डी ओ, तहसीलदार, ए ईएन पी डब्ल्यू डी, ए ईएन आर एस ई बी और उसमें को-आर्डिनेटर बनाया गया देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त को और उसमें क्लाज-7 में साफ लिखा गया कि धार्मिक स्थलों की भूमि के उचित प्रबंधन और उचित व्यक्तियों के काश्त हेतु अस्थायी रूप से आबंटन करेगी। इससे प्राप्त होने वाली आय से मंदिर की पूजा, सेवा, मंदिर के विकास, जीर्णोद्धार और धार्मिक आयोजन की उचित व्यवस्था करेगी। यह समिति मंदिरों के विकास हेतु श्रद्धालुओं को आने के लिए प्रेरित करेगी। इसमें इस आदेश में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि खान आबंटन के लिए ये एन ओ सी दे सकते हैं।

पूर्ववर्ती एक इंदिरा शर्मा के नाम से एक प्रार्थना पत्र 2009 में पेश हुआ और पुराने आवेदन निरस्त करते हुए, इस आवेदन के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने एक आदेश निकालकर के और देवस्थान विभाग की जमीन में...

श्री अध्यक्ष: समाप्त कीजिए।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): खातेदारी की एन ओ सी दे दी और उसके बाद माइनिंग इंजीनियर ने खान आबंटन कर दी और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हुई। उसी में, सरकार के ए सी डी के एक आई जी हैं, ए

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

सी डी में शिकायत हुई और ए सी डी के आई जी ने एक चिट्ठी लिखी निदेशक, खान को कि इस खान को तुरन्त प्रभाव से कैंसिल किया जाए।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस खान को निरस्त करते हुए, इस खान को शून्य करते हुए, जो अधिकारियों ने इसमें गलत तरीके से एन ओ सी दी है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री मदन राठौड़।

सुमेरपुर-पाली से गुजरने वाली खुली नहर से उत्पन्न समस्याएं

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सुमेरपुर और पाली शहर के बीच में से गुजरने वाली खुली नहर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, नगर के बीच में से यह नहर खुली निकल रही है। इससे जवाई बांध से पहले पानी सप्लाई होता था पाली के लिए और जब पाइपलाइन लग गई तो खुली नहर केवल डम्पिंग यार्ड बनकर रह गया। क्योंकि शहर के बीच में से होकर निकल रही है, लोगों ने उसमें कचरा डालना शुरू कर दिया। लगभग चार-चार फिट उसमें गंदा पानी और उसमें कचरा, यह भरा पड़ा रहता था।

मैंने 2012 में एक चिट्ठी लिखी जिला कलेक्टर को और मैंने यह लिखा कि आप इस नहर को या तो बंद करवा दें, या इसको ऊपर से कवर करवा दें। अध्यक्ष महोदय, जिला कलक्टर ने इर्रिगेशन को लिखा; इर्रिगेशन ने मेरी चिट्ठी साथ में लगाकर के पेयजल को लिखा, पेयजल ने वापस नगर परिषद को लिखा और ऐसे ही वह चिट्ठी घूमती रही। अंत में जब जंवाई बांध में पानी कम पड़ गया और हेमावास से पानी देना मजबूरी बन गई, तो उसी खुली नहर से हेमावास से पानी पाली को पीने के लिए दे दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, वह सारी गंदगी जो इतने वर्षों से उसमें गिरी पड़ी थी वह सारी की सारी लाखोटिया तालाब में आई और उसका फिल्टरेशन करके और वह कैसा फिल्टरेशन होता है यह भी आप अच्छी तरह से जानते हैं और हम सब भी जानते हैं, वह पानी पीने के लिए जनता को दिया गया और वह बीमारियों का कारण बन गया।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से सुमेरपुर में एक नहर निकल रही है, वह भी शहर के बीच में से होकर निकल रही है। 2004 में भी मैंने लिखा था और अभी मैंने जब लिखा तो हमारी वहां की नगरपालिका ने तो वह नहर कवर करवाने का निर्णय ले लिया, केवल उसमें राज्य सरकार से अनुमति

(श्री मदन राठौड़)

चाहिए, वह अनुमति दे दे तो वह नहर को ऊपर से कवर कर दिया जाएगा। नहर को व्यवस्थित रूप से, दीवारें ऊंची उठाकर के, ऊपर आर सी सी से कवर कर देंगे।

लेकिन पाली शहर में जो अभी हेमावास से पानी की सप्लाई हो रही है, पहले भी हुई, 2012 में हुई, 2013 में हुई, 2014 में हुई, जब भी जवाई बांध में पानी कम पड़ता है तो हेमावास से सप्लाई देनी पड़ती है, तो इस खुली नहर से देनी पड़ती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे उसमें वहां जो हेमावास के पास में से, जो जवाई बांध की जवाई नहर से जो पाइप निकल रहा है, उस पाइप में ही जंक्शन बनाकर के यदि जोड़ दिया जाए तो पाली नगर को वह गंदगी का पानी नहीं पीना पड़ेगा और उस नहर को कवर करवाने के लिए अनुमति जारी करें। यदि नगर परिषद पाली कर सके तब तो ठीक है, नहीं तो और किसी मद में इसको कवर करवाना चाहिए। यही मैं निवेदन करना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री गोतम कुमार।

मंगलवाड़ से नीमच सड़क का निर्माण

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार द्वारा 2013-14 के बजट में मंगलवाड़ से बड़ी सादड़ी होकर के नीमच एक सड़क है, उसके लिए, 90 किलोमीटर हाइवे सड़क के लिए, 135 करोड़ रुपये की बजट में घोषणा की थी। लेकिन एक वर्ष होने के बावजूद भी आज दिन तक न तो उसके टेण्डर हुए हैं और न ही उस ओर कोई प्रगति हुई है अभी तक। पिछली सरकार ने केवल झूठी वाहवाही और थोथी घोषणा करके सिर्फ वाहवाही लूटने का काम किया था। मेरा इस सरकार से आग्रह है कि लाखों लोग इस रोड से प्रभावित हैं और जो पैच वर्क उस सड़क पर किया था किसी ठेकेदार ने, वह भी अब बहानेबाजी कर रहा है। उस रोड पर बड़े-बड़े खड्डे हो रहे हैं और आये-दिन रोज-रोज कोई न कोई घटनाएं होती रहती हैं इस रोड पर।

तो मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से आग्रह है कि बजट में जो प्रस्तावित सड़क है, उस पर शीघ्र निर्माण करवाकर और उस सड़क पर लोगों को राहत प्रदान करवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, रेस्पोंड करेंगे क्या?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि यह सही है कि 2013-14 के बजट में 90 किलोमीटर, 135 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ववर्ती सरकार ने घोषणा की थी। चूंकि उस पर कोई कन्सेशनर आया नहीं, निकाली तो थी निविदा, क्योंकि वह वाएबल रोड नहीं है, जो माननीय सदस्य ने बात कही है, पूर्ववर्ती सरकार ने जो बजट में घोषणा की, वह वाएबल नहीं होने की वजह से कोई आया नहीं। लेकिन इसके समानान्तर एक सड़क एन एच की, मतलब, है जो फोरलेन है और माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, इसमें सी आर एफ में एक स्वीकृति आई है 44 किलोमीटर की, तो उसका निर्माण करवाया जा रहा है। बाकी पैचवर्क के लिए आपने जो बात कही है, तो उसको दिखवाकर के पैचवर्क करवा देंगे।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

आय-व्ययक 2013-14 की घोषणा व प्रावधान में भारी अन्तर

श्री अध्यक्ष: बस, जवाब आ गया है। माननीय विधायक, जवाब आ गया है।

दिनांक 20 फरवरी, 2014 को श्री राव राजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में प्रस्तुत किए गए बजट में कथित रूप से की गई घोषणा एवं बजट में किए गए प्रावधान में भारी अन्तर होने के सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य मंत्री, तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा सदन को गुमराह किए जाने व सदन के विशेषाधिकारों का हनन किए जाने सम्बन्धी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर मैंने आज अपनी व्यवस्था देने हेतु सदन में निवेदन किया था।

मैंने इस विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का गहनता से अध्ययन किया है। प्रथम तो यह प्रकरण विशेषाधिकार सदन की श्रेणी में आता भी है या नहीं, यह विचारणीय विषय है। दूसरा, इस विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव में बजट के आंकड़ों सम्बन्धी जटिलताएं निहित हैं जिनकी गहन एवं विस्तृत जांच होने की नितान्त आवश्यकता है।

अत: मैं श्री राव राजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत इस विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 162 के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया जांच,

(श्री अध्यक्ष)

अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करता हूं। विशेषाधिकार समिति छह महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

आप कुछ बोलेंगे?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो मैं...

श्री अध्यक्ष: आपको अनुमति दी जाती है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, चूंकि विशेषाधिकार या प्रिविलेज इस सदन का एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, इस संविधान के निर्माताओं ने जिस वक्त इस संविधान का निर्माण किया था, उस वक्त हमारे उन नेताओं ने और हमारे उन राष्ट्र के मनीषियों ने कांस्टिट्यूशन को सिर्फ एक एंड के रूप में नहीं लिया था। उन लोगों का यह कथन था कि Constitution is not an end but it's a means to end. And constituency democracy is not a simple political project. In fact, democracy by itself is a socio-judicature eventual character which opens sources of human radical information, of change of a common citizen. The common citizen ventilates its opinion and reflects it through the federal system of this country, Vidhan Sabha in the State and the Parliament at the centre." अगर इस सदन के सामने जानकारी ही जान-बूझकर, नोइंगली, डेलिबरेटली गलत दी जाए और गलत देने के बाद में कंटेम्प्ट हो जाए और कंटेम्प्ट करने के बाद में अन्कांस्टिट्यूशनल प्रोसीजर को लागू कर दिया जाए, तो सदन चुपचाप बैठ कर उस बात को स्वीकार नहीं कर सकता।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि आपने प्रिविलेज कमेटी को यह बात आफर की है, निर्देश दिये हैं, पाइंट्स आफ रेफरेंस क्लीयर होने चाहिए कि कमेटी उन पाइंट्स आफ रेफरेंस को देखे। सबसे पहला पाइंट आफ रेफरेंस हो यह कि क्या उन्होंने डेलिबरेटली नोइंगली कोई बात, जो कोई जानकारी उनके पास में थी, वह छुपायी। वह जानकारी छुपाने के बाद वह आंकड़ा पेश किया जिसके आधार पर उन्होंने अपना पूरा डिस्कशन और पूरा बजट का प्रोसेस चालू किया। दूसरा, क्या उनके यह करने के बाद कांस्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ और कांस्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ तो क्या कंटिंजेंसी फंड से आपने पैसे निकाले? और कंटिंजेंसी फंड से पैसे निकाले

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

तो आपने कांस्टिट्यूशन का उल्लंघन किया क्योंकि कंटिंजेंसी फंड 267 में यह कहता है, 'अनफोरसीन', जब आप फोरसीन कर रहे थे, और कल का सदन के नेता का अभिभाषण इन तथ्यों को स्वीकार करता है। My privilege, in fact, gets confirmed by the so-called speech of the Leader of the House.

अब इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगले ...

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये। इसीलिए आपने जितनी अपने वक्तव्य में कुछ बातें यहां रखी हैं, ये बातें इतनी विस्तृत जांच का आधार बननी चाहिए और मैं आपका आभारी हूं कि आपने विशेषाधिकार, क्योंकि माननीय विधायक एक बात सुन कर मुझे भी आश्चर्य हुआ कि चाहे लोक सभा हो, चाहे विधान सभा हो, प्रिविलेज के बारे में कहीं किसी तरह के नियम नहीं हैं, कहीं किसी तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं और यह प्रिविलेज मोशन चल ही रहा है, प्रिविलेज, प्रिविलेज। हाउस आफ कामन्स में 200 साल पहले प्रिविलेज मोशन के बारे में कुछ धारणाएं बनी थीं और उसी के आधार पर आज तक चल रहा है।

इसीलिए मैंने इस पर आपने जितनी बात रखी, उस पर विस्तृत चर्चा हो और मैं विश्वास करता हूं कि आप प्रिविलेज कमेटी को पूरी तरह अपना सहयोग देंगे और प्रिविलेज कमेटी के सामने आप जो भी, अपने विचार भी रखेंगे और बिन्दु भी रखेंगे। कमेटी उन सब पर विस्तार से विचार करके, इन सब बातों का समाधान करते हुए, विधान सभा में वह कमेटी रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है कि भविष्य के लिए भी कुछ इसमें निर्देशन मिले।

मैं इसलिए आपका स्वागत करते हुए, निवेदन करता हूं कि मैंने इसीलिए प्रिविलेज कमेटी को आपका प्रस्ताव भेजा है। धन्यवाद।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस बारे में निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष: जोर से बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): साहब, ये बंद रखते हैं तो मैं करूं क्या? जान-बूझकर बंद रखते हैं।

श्री अध्यक्ष: आपने उस पर अंगुली डाल दी। आपने तो आज तक पचास साल में अंगुलियां ही अंगुलियां डाली हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राव राजेन्द्र सिंहजी ने प्रिविलेज मोशन रखा है। मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि बजट के अन्दर एस्टिमेट्स होते हैं। मान्यवर, budget is never… एस्टिमेटेड अकाउंट्स एक भाषा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, एक बात कहूं, क्या इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे यहां पर अभी?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपने चूंकि इस मामले को प्रिविलेज कमेटी को देने का आदेश कर दिया है, लेकिन मेरी भी कुछ बातें हैं जो प्रिविलेज कमेटी के सामने चली जाएंगी।

श्री अध्यक्ष: तो आप वहां रखिये न।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): देखिये, मुझे अवसर मिलेगा कि नहीं प्रिविलेज कमेटी में, वह तो आप नोमिनेट करेंगे प्रिविलेज कमेटी को। आप करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अपने यहां की व्यवस्था है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरी बात बोलने के लिए मुझे दो मिनट दिये जाएं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, दो मिनट। आप वरिष्ठ विधायक हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर मामला है। इस देश के इतिहास में पार्लियामेंट में आज दिन तक कभी प्रिविलेज मोशन बजट सम्बन्धी मामलों के ऊपर नहीं आया है। देश के इतिहास में नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष: यह मैंने अपनी रूलिंग में लिखा है कि यह प्रिविलेज मोशन है भी या नहीं, इसकी भी जांच हो जाएगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं वह ही आपसे कह रहा हूं। देश के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में आज दिन तक कभी पार्लियामेंट में या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में वित्त मंत्री के ऊपर...। मुख्य मंत्री, चूंकि वित्त विभाग उनके पास था, उन्होंने यहां पर बजट पेश किया, बजट के कुछ आंकड़े दिये, एस्टिमेटेड आधार के ऊपर उन्होंने लिखा। कुछ एडिशनल खर्चे आते हैं, हमेशा उन एडिशनल खर्चों के लिए आप सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के जरिये हाउस की परमिशन लेते हैं। ठीक है, उन्होंने इसके अन्दर कुछ चीजें कहीं, कुछ घोषणाएं कीं, उनका समावेश नहीं हुआ, उसका टोकन प्रोविजन कर दिया। टोकन

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

प्रोविजन करने का मतलब है कि वह हैड खुला हुआ था; या नहीं भी खुला हुआ है तो टोकन प्रोविजन करके वह हैड खुल गया और उसके बाद में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के अन्दर वह सरकार या दूसरी सरकार सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के जरिये उसकी मंजूरी सदन से लेगी।

तो मेरे कहने का मतलब है कि नयी परम्परा यहां शुरू हो गई तो किसी भी वित्त मंत्री के लिए बजट के आंकड़े में कोई नयी घोषणा करके सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स हजारों करोड़ रुपये की आएंगी। आप अकाल के अन्दर खर्चे करते हैं, अकाल में आपने कोई टोकन प्राविजन कर दिया...

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, यही तो मैंने कहा कि ये सारी सिफारिशें, मैंने जैसा अपने वक्तव्य में कहा है, आपने लिखा है, चूंकि यह सारी रिपोर्ट जो बनेगी, इस रिपोर्ट के आधार पर अपनी परम्परा भी बनेगी, अपना भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): लेकिन एक नयी परम्परा डाल रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप। अध्यक्ष महोदय, आप एक नयी परम्परा डाल रहे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): पहली बार इस संविधान के अन्दर एक ऐसा उल्लेखनीय कार्य होगा कि साबित हो जाएगा कि प्रिविलेज हुआ और कंटेम्प्ट हुआ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप एक नयी परम्परा डाल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: एक माननीय विधायक इतने विश्वासपूर्वक कह रहे हैं कि वे साबित करेंगे प्रिविलेज कमेटी के सामने। इसमें दिक्कत क्या है?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं करूंगा; आदरणीय, बिलकुल करूंगा और मैं कह रहा हूं विश्वास के साथ।

श्री अध्यक्ष: आप भी अपना पक्ष वहां रखिये और रिपोर्ट आ जाएगी। अब इस विषय पर यहां कोई बहस नहीं होगी, माननीय विधायक, विराजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश, आपका निर्णय शिरोधार्य, लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है। गलत परम्परा शुरू हो रही है सदन के अन्दर। यह गलत परम्परा शुरू हो जाएगी, मेरा आपसे निवेदन यह है। देश के इतिहास में आज दिन तक नहीं हुआ। एक नयी परम्परा डालेंगे यहां पर इस सदन के अन्दर आप। मैं तो इसका सख्त विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। आपका विरोध दर्ज कर लिया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक यह भी स्वस्थ संसदीय परम्परा रही है कि अध्यक्ष के दिये गये निर्णय पर कभी इस प्रकार वाद-विवाद नहीं हुआ। आपने एक निर्णय सुना दिया, अध्यक्षीय व्यवस्था दे दी और आपने प्रिविलेज कमेटी को जब मोशन दे दिया है, उसके बाद बात ही नहीं बची कोई। आज तक कभी हुआ है? अध्यक्ष की व्यवस्था के खिलाफ कभी टीका-टिप्पणी नहीं होती है। यह हमारे नियमों में लिखा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैंने भी यही कहा है कि मैं इनके आदेश का, जो निर्णय दिया है वह शिरोधार्य है, लेकिन अपनी बात तो मैं कह सकता हूं यहां पर। क्यों नहीं कह सकता अपनी बात?

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन। श्री राजेन्द्र राठौड़।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 52वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2012-13)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) के अन्तर्गत दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 52वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री युनुस खान।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 49वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2012-13)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 (2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 49वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिका का उपस्थापन। श्री मदन राठौड़, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

याचिका

पाली जिले की नगरपालिकाओं के पेरिफेरल एरिया का व्यवस्थापन

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, पाली जिले की नगरपालिकाओं के पेरिफेरल एरिया को व्यवस्थित करवाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। श्री राजेन्द्र राठौड़।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2014

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़, श्री ओम बिरला, श्री जोगाराम पटेल, श्री बनवारी लाल सिंघल, श्री गोविन्द सिंह डोटासरा विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, यह जो वन अधिनियम लाया जा रहा है, वन संशोधन विधेयक 2014, उसमें कई गलतियां हैं। एक तो पेज नम्बर 8 पर आप देखेंगे कि 6 मास का कारावास या 25 हजार रुपये, यह तो फिर भी समझ में आता है; ठीक इसी प्रकार से पेज 9 पर जो प्रावधान किया गया है कि 6 मास का कारावास या जुर्माने के 500 रुपये, अब आप एक विचार करें कि जब जुर्माने के 500 रुपये, यानी इसको अपन और कम करना चाहते हैं, तो फिर यह 6 मास का कारावास, मैं सोचता हूं, ठीक नहीं है। इसमें निश्चित रूप से संशोधन किया जाना चाहिए। यह 6 मास का कारावास नहीं होकर, इसको अपन 15 दिन का कर सकते हैं, एक मास का कर सकते हैं। यह इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए थी।

ठीक इसी प्रकार से, यदि वन को बचाना है तो जूली फ्लोरा को समाप्त करना पड़ेगा, उसको नष्ट करना पड़ेगा। यह अंग्रेजी बबूल है, यह वन के लिए दुश्मन है। यह जूली फ्लोरा जहां पनप रहा है, दूसरे वन तो पनप ही नहीं सकते, वे वहां पर समाप्त हो जाते हैं। न उसमें कोई मवेशी जा सकता है, न उसमें कोई व्यक्ति जा सकता है। वह फैलते हैं, दूसरे पौधों को पनपने नहीं

(श्री मदन राठौड़)

देते हैं। इसलिए यह प्रावधान निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, वन क्षेत्र के अन्दर जूली फ्लोरा को समाप्त किया जाना चाहिए। यह कोई प्रावधान अगर हो सके तो इसके बारे में भी विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, ठीक इसी प्रकार से आगे भी यह प्रावधान दिये हैं जहां पर आप 6 मास और 25 हजार, 6 मास की सज़ा या 25 हजार का जुर्माना या दोनों। ठीक इसी प्रकार से, जहां पर 6 मास की सजा या 500 रुपये जुर्माना, तो 500 रुपये को 6 मास से तुलना करेंगे तो मैं सोचता हूं कि यह अतिशयोक्तिपूर्ण है। इसमें निश्चित रूप से 15 दिन या एक मास का करवाया जाना चाहिए। यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिरला।

(अनुपस्थित)

श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने राजस्थान फाटेस्ट अमेंडमेंट बिल 2014 पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके एम्स एंड आब्जेक्ट्स का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तो यह निश्चित रूप से पाया जाएगा कि जो कमिटमेंट सुराज संकल्प यात्रा के दौरान लिया गया था, उसमें यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था, बताया गया था, कमिटमेंट किया गया था, उसमें यह लिखा गया था, जो सुराज संकल्प पत्र बना, उसमें Rajasthan Forest (Amendment) Bill 2012 में उस क्षेत्र के काश्तकारों, ग्रामीणों के हितों के विपरीत लाये गये प्रावधानों को पुन: संशोधित किया जाएगा। उसी के लिए हमारी यह मंशा थी और यह कमिटमेंट था और इसी के अनुरूप यह बिल लाया गया है।

2012 में इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था और जो पनिशमेंट ग्रेविटी थी, पनिशमेंट की ग्रेविटी बताते हैं उसको बढ़ा दिया गया था और वह बहुत ज्यादा कर दिया गया था। एक साधारण व्यक्ति, गरीब व्यक्ति या उस क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति अगर छोटी सी लकड़ी काट देता है, अपना पशु चरा देता है, या और कोई त्रुटि वन से सम्बन्धित कर देता है, माननीय सभापति महोदय,

(13.33 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

(श्री जोगाराम पटेल)

यह आपका वक्तव्य है, चूंकि यह हमारी पार्टी का कमिटमेंट था, मैं जो निवेदन कर रहा था आपके समक्ष, उसी के तहत लाया गया। उसका कारण बेसिक मेन आब्जेक्ट्स में बताया गया, जो कारण भी है कि 2012 में जो बिल लाया गया, इस एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया, उसके आफेंस की ग्रेविटी बहुत ज्यादा बता दी गई, उस ग्रेविटी को कम करना था। उसके पीछे रीजन यह था कि फोरेस्ट एरिया में, चाहे वह रीजन फर्स्ट हो, चाहे अन्य किसी किस्म का फोरेस्ट हो, चाहे वह सेक्शन 29 की परिधि में आता हो, चाहे 18 की परिधि में आता हो, अगर कोई साधारण व्यक्ति, गरीब व्यक्ति उस क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति, सद्भावना से कोई लकड़ी काट देता है, सूखी लकड़ी ले आता है, कोई छोटा-मोटा फल-फ्रूट ले आता है, तो उसको ऐसी सज़ा नहीं दी जानी चाहिए कि वह सज़ा झेलने की स्थिति में नहीं हो, गरीब व्यक्ति के बूते के बाहर की बात है। उसकी मंशा यह है कि उसको बताया जाए, उसको जताया जाए कि आपको इस तरह से यह लकड़ी, वगैरह बिना अनुमति के नहीं काटनी है। तो इसी लिहाज से जो अमेंडमेंट किया गया है, उसमें आफेंस की ग्रेविटी, चाहे सेंटेंस के पाइंट आफ व्यू से हो, या पनिशमेंट के पाइंट आफ व्यू से यह कम की गई है, 25 हजार की जगह 500 रुपये; जो सज़ा का प्रावधान था, उसको भी कम किया गया है। यह 500 रुपये या 6 मंथ इन आल्टरनेटिव यह कंट्राडिक्शन नहीं है। It may be either 500 Rupees or it may be six months.

इसलिए, मेरे हिसाब से, जो सुराज संकल्प यात्रा के दौरान, जो अभी मैंने आपके सामने कोट किया, जो कमिटमेंट था उसके अनुरूप लाया है वह स्वागतयोग्य है। परन्तु इसमें और अधिक अगर सम्भावना हो, गुंजाइश हो, और अधिक कम किया जा सके, तो ऐसा किया जाना चाहिए।

मैं आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस एक्ट में 2-3 चीजें और राजस्थान लेवल पर अगर सम्भव हों तो की जानी आवश्यक हैं। अनेकों ऐसे शहर हैं और मैं उदाहरण के रूप में जोधपुर शहर का उदाहरण दे सकता हूं जहां वर्षों से कालोनियां बसी हुई है और अनेकों वर्ष हो गये वे कालोनियां, विकसित कालोनी हैं, उनमें सभी सुविधाएं हैं, लाइट है, पानी है, बिजली है, सीवरेज लाइन है; जे डी ए हो या नगर सुधार न्यास, उन्होंने पैसे खर्च किये, सड़कें बनाई हैं, फिर भी रेवेन्यू रिकार्ड में वे आज भी रिजर्व फोरेस्ट के नाम से अंकित हैं। क्या हम 50 साल, 60 साल तक भी उस एरिया को डी-फोरेस्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, उस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं करेंगे? हां, यह

(श्री जोगाराम पटेल)

सही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस सम्बन्ध में निर्णय, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए क्या इतने वर्षों के बावजूद भी, चूंकि रियल में वह फोरेस्ट नहीं है अनेकों वर्षों से कालोनियां बसी हुई है, लोग उसमें रह रहे हैं तो उसको डिनोटिफाई करके डिफोरेस्ट डिक्लेयर करवाने की कार्यवाही की जाए, यह भी मेरा निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, एक विषय और बहुत गम्भीर है, जब कभी भी हम फोरेस्ट डिक्लियर करते हैं तो यह तो सैंक्शन 29 में है कि आपके जो एग्जिस्टिंग हैबिटेशंस हैं, उसके राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन वर्तमान में सबसे अधिक जो विषय आया है, वह फोरेस्ट से सम्बन्धित है। लेकिन इसके साथ का भी है कि आबादी से लगता हुआ क्षेत्र, बिलकुल आबादी के अन्दर आ गया है, जहां पर कहीं स्कूल बन रही है, कहीं पर अस्पताल बन रहा है, कहीं यूटिलिटी के साधन बन रहे हैं, लेकिन वह फोरेस्ट होने की वजह से, उस पर कोई भी उपयोग नहीं, हो सकता। फोरेस्ट के काम भी नहीं आ रहा है। जिस सेंस में फोरेस्ट एक्ट लाया गया था और जिस सेंस में प्रोटेक्टेड फोरेस्ट को बताया गया था, उसके अलावा भी मात्र रेवेन्यू रिकार्ड में गलती से या किसी भी कारण से फोरेस्ट शब्द को यूज कर लिया, वन क्षेत्र की भूमि बता दिया है, या वन क्षेत्र के खाते में दर्ज हो गई है, मात्र इससे यह नहीं माना जाना चाहिए कि वह फोरेस्ट एरिया है। ऐसा सर्वे कराकर, राजस्थान में पूरे स्तर पर सर्वे कराकर कि वास्तव में जो फोरेस्ट है उसे फोरेस्ट रहने दिया जाए, फोरेस्ट भी जरूरी है, पर्यावरण के लिए भी जरूरी है, लेकिन जो वास्तव में फोरेस्ट नहीं है उन सभी एरिया को जनता के हितार्थ, जो लोग वहां रहते हैं उनके हितार्थ, जो पब्लिक यूटिलिटी की बिल्डिंग बन रही हैं उनके हितार्थ, ऐसा सर्वे कराकर जो वास्तव में फोरेस्ट नहीं है, फोरेस्ट के उपयोग में नहीं आ रहा है, फोरेस्ट के उपयोग में भविष्य में आने की सम्भावना भी नहीं है, उन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करके, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, फोरेस्ट से डिनोटिफाई करें। ऐसा भी मेरा आग्रह है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन भी करना चाहूंगा कि अनेको ऐसे केस भी कोर्ट में इसी वजह से चल रहे हैं कि साहब, आपने फोरेस्ट पर अतिक्रमण कर लिया, जबकि वह वास्तव में कितने सालों से बैठा है। अभी 2012-13 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को ध्यान में रखकर, अब्दुल रहमान के जजमेंट को ध्यान में

(श्री जोगाराम पटेल)

रखते हुए, नदी, आगोर और ओरण के साथ फोरेस्ट के केसेज थे, किसी का 30 साल पुराना अलाटमेंट था, किसी का 50 साल पुराना अलाटमेंट था, किसी का 60 साल पुराना अलाटमेंट था, उन सबको भी तहसीलदार के मार्फत नोटिस दे दिये गये हैं। यह ध्यान में नहीं रखा गया कि तत्कालीन समय में विधिवत आबंटन हुआ है, उसके बाद अनेक बार वह भूमि आगे से आगे कई बार बिक गई है, उस पर बिल्डिंग भी बन गई है। आव-देखा-न-ताव, 2012 और 2013 में उन सबको तहसीलदार के मार्फत नोटिस दे दिये और रेफरेंस करवा दिया सेंक्शन 86 लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत। वह रेफरेंस, सम्बन्धित कलक्टर महोदय ने उस पर कोई अपना, मेरिट पर बिना कंसिडर किए, सीधा का सीधा रेफरेंस कर दिया रेवेन्यू बोर्ड को । तो ऐसे हजारों, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे 500 केसेज हैं, उन 500 केसेज में सब के सब रेफरेंस रेवेन्यू बोर्ड को हो गये। उन गरीब लोगों को, जिनके सन् 1960 में, 1960 में, 20 साल, 30 साल पहले अलाटमेंट थे, उन सबको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो मेरा यह भी आग्रह है कि उन ऐसे केसेज को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, जो वास्तव में उस समय विधिवत अलाट किये गये हैं। फोरेस्ट है नहीं, फोरेस्ट होने की सम्भावना नहीं है। उनको आइडेंटिफाई करके उनको राहत मिलनी चाहिए। नीयर फोरेस्ट शब्द, कि फोरेस्ट शब्द रेवेन्यू रिकार्ड में लिख दिया, बस, अब कुछ नहीं कर सकते; ऐसा व्यू, ऐसा हार्ड व्यू, ऐसा टेक्निकल व्यू नहीं लेना चाहिए। इसको सही करना चाहिए।

लास्ट में, एक मेरा निवेदन यह भी है कि उन सब क्षेत्रों को फोरेस्ट से प्रोटेक्ट करने की भी कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसे अनेक लोग हैं जो फोरेस्ट के नाम पर फोरेस्ट की प्रोपर्टी का मिस्यूज भी करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता है। उसमें कहीं आपने सुना होगा, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में भू-माफिया हुए, चन्दन माफिया हुए, उन लोगों के खिलाफ यह एक्शन लेने के लिए है। मगर जो साधारण गरीब व्यक्ति है, वह फोरेस्ट के प्रोडक्ट पर ही उसका जीवन निर्भर करता है, वह पत्ती भी लेता है, बकरी चराता है, अपनी भेड़-भैंस चराता है, अपना ऊंट चराता है और वहां से वह पत्तियां इकट्ठी करता है। घर में पत्तियां इकट्ठा करके वह उसको अपने जानवरों को खिलाता है। जो जंगल में जाता है, सूखी लकड़ी लाता है, अपनी रोजी चलाता है, उन सबको भी इनसे मुक्त किया जाना चाहिए। क्योंकि उनके बूते की बात नहीं है। पांच सौ रुपये की कीमत नहीं है लेकिन उस प्रोसीक्यूशन

(श्री जोगाराम पटेल)

को, या उसकी पैनल्टी को, उसकी प्रक्रिया लम्बी है, उस प्रक्रिया में जो लगता है वह ज्यादा पनिशमेंट हो जाता है, बनिस्पत पांच सौ रुपये या छह महीने की सजा।

ऐसी स्थिति में यह जो पुराना एक्ट है, यह एक्ट भी काफी पुराना हो गया है, सन् 1953 का एक्ट है और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इसका कम्प्लीट रिव्यू हो। ऐसा मेरा निवेदन है कि हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक बार इसका कम्प्लीट रिव्यू करें, इसके प्रावधानों का प्रैक्टिकली जो यूज आयें, उसके रूप में देखें। इस सन्दर्भ में आपके समक्ष मेरी बात मैंने रखी।

मैं अनुरोध करता हूं कि मैंने जो प्रस्ताव रखा है, चूंकि यह हमारी सुराज संकल्प योजना के अनुरूप है, इसलिए मैं आपके मार्फत प्रार्थना करूंगा कि मेरा जो प्रस्ताव है, छह महीने के लिए जन मत जानने हेतु भेजा जाए, इसको विथड्रा करने की अनुमति मैं चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बनवारीलाल सिंघल।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सभापतिजी, राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2014 पर मैं अपनी बात रख रहा हूं। अभी पिछले दिनों 2013 में सुराज संकल्प यात्रा के दौरान यह बात देखने में आई कि राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र भी जिसमें शामिल है, इस प्रकार से निवास करता है कि उन लोगों को न वन क्षेत्र की भूमि का ज्ञान है और न उनको इसमें जुर्माने और सज़ा के प्रावधानों के बारे में ज्ञान है। 2013-14 में जब यह संशोधन आया, उसके बाद जिस तरह से बिना सोचे-समझे तत्कालीन सरकार ने सज़ा और जुर्माने के जो प्रावधान किये, इस सज़ा और जुर्माने के प्रावधानों को जब सुराज संकल्प यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हम स्वयं ने भी उन आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बताया तो लोगों की स्थिति ऐसी थी, लोग भयभीत होकर यह समझने लगे कि अब हम सब लोगों को जेलों के अन्दर ही जाना पड़ेगा। क्योंकि उन आदिवासी क्षेत्रों में 25 हजार रुपये पैनल्टी भरने योग्य उन लोगों की आर्थिक हैसियत भी नहीं है। मैंने स्वयं ने देखा है उदयपुर के उस आदिवासी क्षेत्र को भी, जहां लोगों के पास न बिजली है, न पानी है, न रोजगार के साधन हैं। उन लोगों ने अपने घरों को भी पहाड़ों में इस प्रकार से बना रखा है, जिनमें न दरवाजे हैं, न खिड़कियां हैं। ये लोग निश्चित रूप से वन क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और कब

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

किसी ने कोई पत्ती तोड़ ली, या किसी की गाय, भैंस, बकरी इस वन क्षेत्र में जाकर चर कर आ गई। इस प्रकार से अगर ऐसे लोगों के खिलाफ, इस अधिनियम में जो संशोधन हुआ है, 2013 में, इसके तहत उन पर जुर्माना और जेल का प्रावधान होने लगा तो निश्चित रूप से सारे लोगों के जेलों के अन्दर ठूंसे जाने की स्थिति आयेगी।

वर्तमान सरकार की मुखिया, श्रीमती वसुन्धरा राजेजी को जब हम लोगों ने इस बाबत बताया तो उन्होंने राजस्थान के इन वन क्षेत्रों में बसे हुए लोगों की चिन्ता करते हुए उसी समय यह विश्वास दिलाया था, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पश्चात् इसमें संशोधन किया जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीया मुख्य मंत्रीजी को, राजस्थान की सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, जिन्होंने सरकार में आते ही सबसे पहले इस वन अधिनियम में संशोधन करने का अपना जो वादा था उसको पूरा करने का काम किया।

सभापतिजी, निश्चित रूप से वन क्षेत्र में गरीब व्यक्ति भी बसा हुआ है और दूसरी ओर देखें तो अलवर जिले में वन क्षेत्र में जिस प्रकार से अवैध खनन होकर रोजाना पहाड़ों की कटाई हो रही है, इन दोनों को अगर एक नजरिये से देखा जाएगा तो न्यायोचित नहीं हो सकता। ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि इस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई भी व्यक्ति, जो निर्णय सुनाने वाला होगा, वह जुर्माने की राशि, जिस प्रकार से अभी पांच सौ की गई है 25 हजार से, लेकिन सज़ा का प्रावधान छह महीने है, अगर स्वविवेक का निर्णय करते हुए, नकद सज़ा के स्थान पर, जुर्माने के स्थान पर, छह महीने की कैद की सज़ा सुना दी गई तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसलिये जैसा मेरे साथी माननीय सदस्य, मदनजी राठौड़ ने और जोगारामजी पटेल ने कहा, चूंकि 25 हजार के स्थान पर यह राशि पांच सौ रुपये करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, तो इस सज़ा को भी कम से कम करने का निर्णय लिया जाए। साथ ही, जिस प्रकार से अवैध खनन करके इन वन क्षेत्रों को उजाड़ने का काम, यह जो पत्थर माफिया है, या खनन माफिया है, इसके द्वारा किया जा रहा है, उसके लिये इस वन अधिनियम में आवश्यक संशोधन भी अलग से किये जाएं ताकि उन वन क्षेत्रों की भी सुरक्षा हो सके, जहां लगातार अंधाधुंध दोहन करके, बल्कि देखा जाए

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

तो अलवर और भिवाड़ी का जो क्षेत्र है, वहां तो इतने बड़े ब्लास्ट की सामग्री एक-एक बार में पकड़ी गई है कि किसी भी कारण से अगर उनका विस्फोट हो जाए तो 50-50 किलोमीटर का एरिया एक बार के विस्फोट से बिलकुल तहस-नहस हो सकता है, ध्वस्त हो सकता है, समाप्त हो सकता है।

इसलिए इस राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक में इस प्रकार के संशोधन करने की आवश्यकता है कि अवैध खननकर्ताओं को, या जिस प्रकार से माननीय जोगारामजी पटेल ने कहा, जो हमारी बहुमूल्य सम्पदा इन वनों के अन्दर है, उस स्थान को आरक्षित, संरक्षित रखने के लिये अलग से संशोधन किये जाएं और यह जो गरीब आदिवासी और गरीब ग्रामीण, चाहे जाने में या अनजाने में इन वन क्षेत्रों में बसा हुआ है, उनकी एक जागरूकता का अभियान भी चलाया जाए ताकि उनसे जाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं हो, जिससे उनको या उनके परिवार को जेल जाने की कोई मजबूरी हो।

मैं इस संशोधन में सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति से अनजाने में एक बार अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई और उसने एक बार सज़ा भुगत ली, उसके पश्चात् अगर दुबारा गलती करता है तो निश्चित रूप से उसको कठोर दण्ड दिया जाए, लेकिन इस प्रकार के प्रावधानों को जो पिछले 2013 में संशोधन किया गया, उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि राजस्थान में जो पूर्ववर्ती सरकार, जो अपने आपको लोक-कल्याणकारी और आम आदमी की सरकार कहती थी, उसने न आदमी की चिन्ता की और न लोक-कल्याण की चिन्ता की। बिलकुल, जैसे, आंख मूंदकर इस वन अधिनियम में संशोधन किया गया, जो कतई लोक-कल्याणकारी नहीं था।

अत: मैं इस संशोधन विधेयक के माध्यम से अपनी बात कहते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में इस विधेयक में यह निर्णय करते समय जरूर संशोधन किया जाए, सज़ा का प्रावधान कम किया जाए और अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ और वन सम्पदा को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कठोर दण्ड का प्रावधान भी किया जाए। साथ ही, ऐसा वन जहां अंधा-धुंध पेड़ों की कटाई भी जान बूझकर लोग कर रहे हैं, उसमें किन लोगों की संलिप्तता है, अगर इसकी जांच की जाए, इस पर कोई रोक लगाने के लिए किसी भी तरह की कोई गणना कराई जाए तो सैकड़ों की

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

संख्या में लकड़ी के भरोंटे, जो ताजा पेड़ों के हैं, सूखे नहीं हैं, उनको भी बांध-बांध कर, सिरों पर ढोकर लाते हुए महिलाओं और पुरुषों को देखा जा सकता है। इन वनों की अवैध कटाई रोकने के लिए भी विभागीय स्तर पर ऐसी कार्यवाही कराने का प्रावधान किया जाए ताकि इन लोगों को भी रोकने का कोई काम हो सके।

अत: मैं अपनी बात कहते हुए, राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2014 को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2014 सरकार द्वारा जो पेश किया गया है, उसमें जनमत जानने के लिए, परिचालित करने के लिए मैंने प्रस्ताव किया है।

माननीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के दो माननीय सदस्यों द्वारा इस विधेयक के ऊपर अपनी बात कही गयी। एक माननीय सदस्य, आदरणीय जोगारामजी पटेल ने तो अपना प्रस्ताव ही वापस लेने की अनुमति चाही और दूसरे माननीय सदस्य, मेरे मित्र सिंघल साहब को भी हमने सुना। वे कंफ्यूज्ड थे, दोनों बातें कह रहे थे, खनन माफियाओं को रोको, वन क्षेत्र को बचाओ और यह सही भी किया है हमने, हमारी सरकार ने। वसुन्धरा राजेजी ने 'सुराज संकल्प' यात्रा में यह कह दिया कि बकरी चराओ, भेड़ चराओ, खनन माफियाओं को कुछ भी करो, वन कहीं भी जाए, 500 रुपए से ज्यादा हम दंड नहीं लेंगे।

माननीय सभापति महोदय, यह 1953 का बना हुआ अधिनियम है, आज 61 साल हो गए और इसकी आड़ में जो वन माफिया हैं, वे अवैध रूप से पेड़ काट रहे थे, पेड़ों को ले जा रहे थे। जो खनन माफिया हैं, वे वन भूमि को नष्ट करके, वहां के पेड़ों को नष्ट करके, अवैध खनन कर रहे थे, वहां से निकाल रहे थे। यही प्रतिपक्ष उस टाइम, भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता पक्ष में है, माननीय सभापति महोदय, उन्होंने मांग की थी, इस अवैध खनन के ऊपर चर्चा भी हुई थी कि इसको रोका जाए। किस प्रकार से रोका जाए? यह जो अधिनियम में संशोधन किया गया है, माननीय सभापति महोदय, ये सारे के सारे एक ही बात कह रहे हैं कि 25 हजार लग जाएंगे तो भेड़ चराने वाला, बकरी चराने वाला आदिवासी मारा जाएगा। यह अप-टू 25 हजार है, अप-टू 25 हजार का मतलब है कि 25 हजार से नीचे आप कितना भी कर सकते हो।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इसलिए, 61 साल पुराना अधिनियम, 500 रुपया उस टाइम होता था, आज उसको मल्टीप्लाई करो कि 61 साल बाद में 500 रुपए की क्या कीमत है। अगर आप 25 हजार रुपए करेंगे तो कौन सा अन्याय हो जाएगा? अगर सरकार की मंशा ठीक होती और इसमें अध्ययन करती तो सरकार यह भी कर सकती थी, दो तरह से प्रस्ताव कर देती कि कोई बकरी चराने वाला हो तो उसके 500 रुपया रख दो, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन जो अवैध खनन कर रहा है, उसके आप 25 हजार छोड़कर ढाई लाख भी कर दो तो भी उसके तो थोड़ा पड़ जाएगा। यह आपकी भारतीय जनता पार्टी की जहां पर सरकारें हैं; मध्य प्रदेश में, वहां भी शायद यह दस हजार या ज्यादा है, 500 रुपए नहीं है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मंशा थी, सरकार ने जो यह संशोधन किया था, उसके पीछे एक ही मंशा थी कि यह जो भूमाफिया, अवैध जो खनन करते हैं, जो वनों की अवैध कटाई करके ले जाते हैं, इसमें, माननीय सभापति महोदय, होता क्या है कि पहले पेड़ की छाल जो है वह छीली जाती है उसकी। पेड़ को छीलने के बाद में, वह कोई ज्यादा लम्बी-चौड़ी अपन को दिखाई नहीं देता, वैसे ही दिखाई देता है कि छील रहा होगा, कोई ले गया होगा अपनी अंगीठी जलाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। माननीय सभापति महोदय, एक पेड़ को छीलने के बाद में, वह पूरा पेड़ धीरे-धीरे महीने, दो महीने, चार महीने के बाद में समाप्त हो जाता है और वह सूख जाता है। इसकी आड़ में अवैध, वनों के जो पेड़ थे, उनको वन माफिया ले जा रहे हैं। जो खान माफिया हैं, खनिज माफिया हैं, वे वहां पर अवैध खनन करते थे। इसलिए यह अप-टू 25 हजार रुपए किया था।

लेकिन, खैर, सरकार है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इसमें इतने गम्भीर हैं तो सरकार को यह चाहिए था, दो कैटेगरी कर देते कि आदिवासी जो लोग हैं, उनके लिए अगर बकरी घुस गई वन भूमि में तो उसके लिए 500 रुपए कर दो, हजार रुपए कर दो, दो हजार कर दो; अगर कोई, जैसे माननीय सिंघल साहब कह रहे थे कि हजारों की हजारों में भरोटिया लेकर हम देख रहे हैं, तो देख रहे हों तो फिर 25 हजार से 500 रुपए फिर दुबारा से क्यों कर रहे हो? गरीब आदमी है तो उसके लिए अलग से कानून करो न।

आप तो 163 की संख्या में हो। माननीय सभापति महोदय, इनको 163 का बहुमत है। कुछ भी कानून पारित कर सकते हो और हम जैसे को तो बोलने के लिए भी प्रतिबंधित कर रखा है। जो बात, माननीय सभापति महोदय,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इस हाउस में रिकार्ड पर एक हजार दफा अंकित है, वह बात मैं बोल रहा था उस टाइम भी, आदेश सर माथे माननीय अध्यक्ष का, लेकिन सवाल यह है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार को, माननीय राठौड़ साहब बैठे हैं, आप एक्सरसाइज कीजिए और जो अवैध खनन माफिया हैं, जो वन भूमि में से खनन करके निकाल कर ले जा रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कानून बनाइए, वरना सारी की सारी व्यवस्था चौपट हो जाएगी।

यह कोई अकेले यहां पर नहीं हुआ, राजस्थान की पूर्व सरकार ने, अकेले ने ही संशोधन नहीं किया, कर्नाटक में भी हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है, अन्य तीन प्रदेशों में भी हुआ है। तो केवल आप इसीलिए कि इन्होंने कर दिया इसलिए हमको इसको निरस्त करना है, मात्र केवल इतना करने से काम नहीं चलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर सरकार सोचे, जन मत के लिए परिचालित करे इसको और इसमें कैटेगरी बनाए। एक मारवाड़ी में हमारे कहावत है, माननीय सभापति महोदय, कांकड़ी के चोर को मुक्की की मार होती है, तलवार से नहीं मारा जाता, मैं इससे सहमत हूं लेकिन वह वहां तक हो। अगर आपने जो पेड़ ले जा रहे हैं, जो अवैध खनन कर रहे हैं, उनके लिए ही अगर वापस 500 रुपया कर दिया तो इससे स्पष्ट रूप से सरकार की मंशा उन वन माफिया और खनन माफियाओं से मिलीभगत की साबित होगी। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

अगर इनको करना था, संशोधन ही लाना था कि नहीं, साहब, हमें तो संशोधन ही लाना है; कांग्रेस की सरकार ने कर दिया, इसलिए हमने तो 'सुराज' यात्रा में, मैडम ने बोल दिया, तो इसमें और संशोधन भी आने चाहिए थे। माननीय सभापति महोदय, आज हजारों-हजार लोग वन भूमि के ऊपर मकान बनाकर रह रहे हैं, लाखों लोग मकान बनाकर रह रहे हैं। सात-सात मंजिला मकान भी अब वन भूमि पर बने हुए हैं। उन सबकी सूचना सरकार के पास में है। हमने समय-समय पर, माननीय सदस्यों ने यहां पर आवाज उठाकर, प्रश्न के माध्यम से ये आंकड़े ले रखे हैं। उनको डाइवर्जन करने का प्रस्ताव लाइए। उनको आज बिजली नहीं मिल रही है, उनको पानी का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। आप लाइए न डाइवर्जन का प्रस्ताव। इतने लोग

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जो आबादी के पास में बसे हुए हैं, इन लोगों के मकान बन गये, तीस-तीस, चालीस-चालीस साल से ये रह रहे हैं, इनकी पूरी भूमि को चिह्नित कीजिए। वह तो सिवायचक सरकार में हो जाए और जो भूमि पड़ी है, बहुत भूमि पड़ी है सरकार के पास में, उस सिवायचक भूमि को आप एक जगह वन भूमि को डाइवर्जन कर दें, उनको दे दें और उनके पक्ष में लेकर फिर इनका नियमितीकरण कर दें। जो गरीब लोग हैं, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से जो मकान बना लिया, उनको आप हटा भी तो नहीं रहे हैं। क्योंकि हटाते ही तो वोटों का डर लगे। 163 से वापस यही 20-21, हमारी वाली स्थिति भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है।

इसलिए उसके डर से न तो कानून में संशोधन कर रहे हैं और जो चीज होनी चाहिए, अभी माननीय सदस्य जोगारामजी ने कही, माननीय सभापति महोदय, बहुत अच्छी बात कही कि जो वन के काम में भूमि नहीं आ रही है, स्कूलें बन गईं, सड़कें बन गईं, पानी की टंकियां बन गईं, उसके बावजूद भी जब वहां पर दुबारा काम चालू होता है तो वन भूमि बताकर और ये अधिकारी उस काम को रोक देते हैं। हमने इसी सदन में पिछले पांच साल में सुना है प्रतिपक्ष के द्वारा जो आज सत्ता पक्ष में है, हमारी सड़कें नहीं बन रही हैं, हमारे नेशनल हाइवे नहीं बन रहे हैं, हमारी जो स्कूल है उसके अन्दर चार कमरे हैं, एक कमरा और बना रहे हैं तो वन विभाग के अधिकारी रोक रहे हैं, तो ऐसे के लिए भी कोई कानून लाना चाहिए सरकार को, चिह्नित करके उसमें अमल-दरामद रिकार्ड में होना चाहिए। बहुत पहले सरकार ने वन से हटाकर किसी न किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए जमीन दे दी लेकिन अमल-दरामद नहीं हुआ। नेशनल हाइवे बना हुआ है लेकिन दुबारा जब काम चालू हुआ तो उसको रोक दिया गया। मेरे यहां पर लक्ष्मणगढ़ से सालासर सड़क बन रही थी तो कहा कि साहब, अमल-दरामद नहीं है, आप इस रोड को नहीं बना सकते, तो हमने कहा कि आज थोड़े ही नई बना रहे हैं, पहले से बनी हुई है।

(**14.00 बजे)**

तो यह जो समस्याएं थीं, वह, सभापति महोदय, उनके लिये इनको माथा-पच्ची करके, दिमाग लड़ाकर और अगर वास्तव में ही सुराज लाना है, तब तो वह काम करो और हमने जो कुछ भी कर दिया, हमने किसी विश्वविद्यालय का नाम 'ए' रख दिया तो आप 'बी' रख दोगे। हमने कानून

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

बना दिया, वन अधिनियम में संशोधन कर दिया कि अप-टू 25 हजार से थोड़ा भय रहेगा; यह वनों की जो अवैध कटाई हो रही है, वन भूमि में जो पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है, उस पर रोक लगेगी और जो अवैध खनन माफिया है, जो वन भूमि को नष्ट कर रहे हैं, वहां से खनिज सम्पदा निकाल रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिये यह कानून बनाया था। यह कहां क्या हुआ, कोई मिस्-अंडरस्टैंडिंग हुई, या समझने में भूल हुई कि साहब, 25 हजार कर दिया, बकरी वाले के भी लगेंगे, जेलों में ठूस देंगे। यह आई.ए.एस. अधिकारी इतना पढ़ा-लिखा होता है, इतना तो माथा होगा, एक बकरी चराने वाले को अन्दर ठूस देगा क्या? ऐसा कोई कानून नहीं है और न उस कानून की मंशा थी। कांग्रेस की सरकार के कानून की मंशा स्पष्ट थी कि जो वन काट रहे हैं, जो माफिया हैं, जो धीरे-धीरे पेड़ों को छील-छीलकर, नष्ट करके, फिर उनको ले जा रहे हैं, जो अवैध माइनिंग कर रहे हैं, जो रातों ट्रक चलते हैं वन भूमि में से, उनको सीजर करने की थी, उन पर रोक लगाने की थी। इसलिए जो कानून पास किया था, वह बिलकुल सही किया था।

अगर इसमें सरकार को संशोधन लाना है, कुछ करना है तो जन मत के लिए परिचालित कीजिये और कैटेगिरी बना दीजिये। राठौड़ साहब, आप तो सब विभागों के एक ही मंत्री हैं, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री सब विभागों को डील करता है हाउस में, इसलिए एक ऐसा कानून लाइये, संशोधन, कि जो हजारों-लाखों लोग आपको आशा की किरण से देख रहे हैं कि साहब, सुराज आ गया, तो उनको पानी-बिजली का कनेक्शन देने के लिए, वरना क्या होता है कि नोटिस जायेंगे और नोटिस जाते ही वह बेचारा गरीब थरथराता जाता है। उनको डाइवर्जन करने का प्रस्ताव सरकार को लाना चाहिये और जो कानून में प्रावधान है, 1953 का 61 साल पुराना है, उसमें परिवर्तन होना चाहिये। इसलिये यह निरस्त नहीं हो और दुबारा दूसरा कानून वापस नहीं आये कि यह तो कांग्रेस की सरकार ने ला दिया और हमारी नेता ने सुराज संकल्प यात्रा में यह कह दिया कि मैं सबके माफ कर दूंगी, तो फिर यह 500 रुपये ही माफ कर देते। आपको कौन मना कर रहा था? सभापति महोदय, इनका बहुमत है, पास कर लेते कानून। किसने मना किया?

इसलिए मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, जो कानून वापस संशोधन करने जा रहे हैं, इसमें किसी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं हुई है। इसको जन मत के लिये परिचालित किया जाना चाहिये। इसमें मेरा मत है कि

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

कैटेगरी बनानी चाहिये कि कौन से, किस तरह के अपराध के ऊपर कितने रुपये का जुर्माना हो और जो माफिया लोग हैं, मेरा तो यह मानना है कि 25 हजार भी कम है, इससे ज्यादा होना चाहिये। जब दुबारा संशोधन लायें तो, सभापति महोदय, उसमें जो गरीब लोग, लाखों लोग बिजली-पानी के लिये तड़प रहे हैं, अपनी गाढ़ी-कमाई से जैसे-तैसे, उनको पता नहीं था, सभापति महोदय, कि हम वन भूमि में बस रहे हैं, उनको किसी ने रोका भी नहीं, न हमारे अधिकारियों ने रोका, न और किसी ने उनको रोका, क्योंकि गांव की लगती हुई जमीन थी; रिकार्ड में चढ़ा दिया। न तो वन विभाग का कोई बोर्ड है, न उनके कोई फेंसिंग है, न कोई उसके पिलर हैं। उस बेचारे को पता नहीं, उसने गांव की आबादी भूमि मानकर वहां मकान बना लिया। अब किसी को बिजली नहीं मिल रही है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है। किसी विद्यालय में चार-दीवारी और कमरे हो गये, नये कमरे नहीं बन पा रहे हैं। कहां पर कुछ नहीं हो रहा है। कहीं-कहीं ऐसी जगह है, सभापति महोदय, जहां वन भूमि में श्मशान भूमि है और श्मशान में, एक दिन सबको इस संसार से जाना है, सबसे पवित्र जगह होती है, उसके ऊपर भी इसकी आड़ में हमारे जो अधिकारी हैं, वे कहते हैं, नहीं, भाई, आज से तुम्हारा यह श्मशान बंद है, इसके ऊपर आप कार्यवाही नहीं करोगे, आप इसके ऊपर तारबंदी नहीं करोगे, यहां पर मुर्दे को नहीं जलाओगे, क्योंकि यह भूमि यहां रिकार्ड में वन भूमि बोलती है। आज उन चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है, न कि केवल हमने कर दिया, इसलिए आप इसको दुरुस्त कर रहे हैं।

इतना-सा मेरा निवेदन है, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस कानून को जनमत के लिये परिचालित करना चाहिये। हमारे सिंघल साहब ने तो हिम्मत भी दिखाई है, उन्होंने तो कहा कि जनमत के परिचालित कीजिये लेकिन एक माननीय सदस्य ने कह दिया कि मैं तो विथड्रा करता हूं। मैं तो बहुत खुश हूं सुराज आ गया है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं भी विथड्रा करता हूं।

श्री सभापति: यह आपको इजाजत किसने दी बोलने की? विराज जाइये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, विथड्रा करने की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इजाजत हाउस देता है, हाउस में प्रश्न रखना पड़ता है। ऐसे कोई खड़ा होकर कह दे, मैं विथड्रा कर लूंगा, वह विथड्रा नहीं होता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसलिए मैं, अन्त में, मेरी बात यहीं समाप्त करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जनमत के लिये परिचालित किया जाये। जो कानून बनाया था, अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा-बहुत कुछ अप-टू लिखने में रह गया हो, मुझे तो नहीं लगता है, रह गया हो, इसका अर्थ तो यही है। तो मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि नीचे से अधिकारियों ने सारा सोच-समझकर इसको बढ़ाने का प्रस्ताव किया था। यह 61 साल पुराना था और उनको वहां पर वन भूमि को बचाने के लिये कठिनाइयां आई हैं, वन भूमि में जो सम्पदा थी उसको बचाने के लिये कठिनाइयां आई हैं, तभी तो प्रपोजल भेजा था, वरना तो प्रपोजल भेजने की जरूरत ही कहां थी? इसलिये इसको सोचें, समझें, कोई जल्दी नहीं है कि 500 रुपये कर रहे हैं। सुराज यात्रा में तो 5 साल के लिए कहा था ना कि 5 साल में सुराज ला देंगे, अब क्या जल्दी है, तीन महीने में या 60 दिन में सुराज लाकर दिखा दोगे कि साहब, यह तो कानून में संशोधन कर दिया? इसलिये अब सुराज आ गया, आराम से मौज करना और टार्गेट 25 में पता लग जायेगा कि सुराज कैसे आया और कैसे आयेगा। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुमेरपुर, लूणी, अलवर और लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्यों को कि उन्होंने राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2014 के माध्यम से राज्य में वनों के सीमांकन की चिन्ता की। उन्होंने इस बात की भी चिन्ता की कि राज्य में इस कानून के संशोधन के माध्यम से कहीं वन अपराध नहीं बढ़ जायें।

सभापति महोदय, मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने यह बात सही कही कि सुराज संकल्प यात्रा में हमारी नेता ने, जब आदिवासी क्षेत्र में यात्रा गयी और वहां आदिवासी खड़ा होकर यह कहने लगा कि आप साक्षी हो उस विधान सभा में प्रतिपक्ष के तौर पर बैठने के, जहां ऐसा कानून पारित किया गया था कि अगर किसी राज्य सरकार द्वारा घोषित रिजर्व और प्रोटक्टेड फोरेस्ट से कोई पत्ती भी तोड़ लेगा, अगर किसी का मवेशी उसके अन्दर चराई के लिये भी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चला जायेगा तो उस पर 25 हजार का जुर्माना और कैद का प्रावधान है। उस समय उस हालात को देखते हुए यह निर्णय भी हुआ था और सरकार में आने से पहले जो सुराज संकल्प पत्र के माध्यम से राजस्थान के अवाम से जो वादा किया गया था, उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया था कि हमारी सरकार आयेगी तो इस कानून के अन्दर हम परिवर्तन करेंगे।

सभापति महोदय, यह राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम, 2012, जो इसी विधान सभा के अन्दर 22 मार्च, 2013 को पारित किया गया था, इसके दो हिस्से हैं। सभापति महोदय, एक हिस्सा तो वह है जिसके माध्यम से धारा 26 और धारा 33 के अन्दर पूर्ववर्ती सरकार संशोधन लेकर आई है। इसके अलावा, सभापति महोदय, इसी 2012 के कानून में धारा 52, धारा 52 (क), धारा 52 (ख), धारा 52 (ग), धारा 53, 54, 60, 62, 67, 68, 71 और 72, माननीय सदस्य, इनमें भी पूर्ववर्ती सरकार संशोधन लेकर आई थी। हम इन संशोधनों में पुन: संशोधन करने के प्रस्ताव लेकर नहीं आये हैं हमारे नये विधेयक के माध्यम से। मैंने जिन धाराओं का उल्लेख किया है, ये धाराएं वे धाराएं हैं जिनमें संगठित अपराधी गिरोह वनों में, जंगल के अन्दर कटाई करके, वाहनों के अन्दर भर-भरकर पेड़ों को ले जाते हैं, या संगठित वन अपराधी गिरोह वहां खनन करने का काम चालू कर देते हैं। इनमें जो दण्डात्मक प्रावधान, जो संशोधन आपने किये थे, उन संशोधनों में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। इनमें 25 हजार का जुर्माना आज भी है।

सभापति महोदय, 22 मार्च, 2013 को तत्कालीन सरकार संशोधन लेकर आई थी। राजस्थान वन अधिनियम, 1953, यह सही है, जिसका जिक्र लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह हमारा प्रिंसिपल एक्ट है, मूल अधिनियम, उसकी धारा 26 और धारा 33, उसमें इस वन भूमि पर छोटे-मोटे कृत्य पर दण्डात्मक प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, यह संशोधन जब लाया गया तब तत्कालीन सरकार के जेहन में यह बात नहीं आई कि राज्य के अन्दर आदिवासी, जनजाति क्षेत्र और उस क्षेत्र के अन्दर आदिवासी का जंगल से सम्बन्ध है। सभापति महोदय, आप तो जानते हैं, वन और आदिवासी, इनका सहअस्तित्व है। मानव संस्कृति को वनों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। यह वन, जिन वनों में छितरायी आबादी के अन्दर यह आदिवासी रह रहा है, जहां उसने झोंपड़ी बना रखी है, जहां वह इस वन के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रोड्यूस पर जिंदा है, अपने पशुओं को इन्हीं वनों में चराई कराता है, उनका दूध निकालता है, उन पर इस प्रकार का जब कानून आया तो सरकार ने निर्णय लिया था कि इसके अन्दर संशोधन किया जाए।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 26(1), यह सम्बन्धित है, आरक्षित वनों के बारे में जो प्रावधान किये गये 26(1) में, उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। सभापति महोदय "Acts prohibited in such forests" , ''ऐसे वनों में प्रतिबिद्ध कार्य'', 26(1) ''जो कोई व्यक्ति (क) धारा 5 के अधीन प्रतिषेद्ध नई कटाई- सफाई करेगा, '' 26 (1) के (डी) में लिखा है- ''अतिचार करेगा या पशु चराएगा या पशुओं को अतिचार करने देगा'', सभापति महोदय, यानी, अगर आरक्षित वन में किसी का पशु घुस गया, ट्रेसपास हो गया, उससे अतिचार हो गया और उसने चराई कर ली तो 25 हजार रुपया जुर्माना और छह महीने के कैद तय कर दी थी पिछली सरकार ने।

इसी में 1953 में 26(1) का (ई) कहता है, किसी वृक्ष को गिरायेगा या किसी वृक्ष को गिराने, उखाड़ने, संपरिवर्तित करने या किसी इमारती लकड़ी को काटने या घसीटने द्वारा नुकसान पहुंचायेगा; यानी, किसी भी रिजर्व फोरेस्ट के अन्दर अगर किसी ने एक टहनी काट ली, या पहले टूटी हुई लकड़ी पड़ी हो, सभापति महोदय, उसको घसीट कर अपने घर की तरफ ले गया तो भी उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना और छह महीने की कैद का प्रावधान पूर्ववर्ती सरकार ने किया।

अब, सभापति महोदय, जो संशोधन उस समय सरकार लेकर आयी, उस समय माननीय सदस्य, जो उदयपुर से आते हैं, हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, इन्होंने भी उसको काला कानून कहा था और इसलिए कहा था कि 26(f) के अन्दर जो संशोधन था, वह सभापति महोदय, मैं पढ़ कर सुना रहा हूं- ''किसी वृक्ष या उसके भाग को गिरायेगा, उखाड़ेगा, परितक्षण करेगा, छांटेगा, छेकेगा या उसे जलायेगा या उसकी छाल उतारेगा या पत्तियां तोड़ेगा...'', यानी, किसी आदिवासी ने चलते हुए पत्तियां भी तोड़ लीं तो भी वह इस परिधि के अन्दर आ गया। 26(f) के अन्दर एक और संशोधन ले आये- किसी भी वन-उपज का संग्रह कर लिया, तो, मान लो, मधु मक्खी का छत्ता है, उसने कर लिया, तो भी यह जो संशोधन लेकर आये हैं उसकी परिधि में वह आ गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उसमें फिर जो संशोधन ये मूल रूप से लेकर आये, वह है, ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त जिसका संदाय किया जाना सिद्धदोष करने वाला न्यायालय निर्दिष्ट करे, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माना से, जो 25 हजार रुपये तक का हो सकेगा,...'' यह प्रावधान इन्होंने किया।

सभापति महोदय, इसी तरह धारा 33(1) में जो हम संशोधन लेकर आये हैं वह प्रोटेक्टिव फोर्स से सम्बन्धित है। इसमें लिखा है, ''धारा 30 के अधीन अधिसूचना या धारा 32 के अधीन वाले नियमों के उल्लंघन में किए गए कार्यों के लिए शास्तियां'', "Penalties for acts in contravention of notification under section 30 or rules under section 32" 33(1) जो कोई व्यक्ति निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा...'' (क) में कहेगा- ''किसी वृक्ष को गिराएगा, परितक्षण करेगा, छांटेगा, छेकेगा या जलायेगा या...पत्तियां तोड़ेगा या उसे अन्यथा नुकसान पहुंचाएगा'', और उसमें आगे कहते हैं 33(1) के (जी) में, सभापति महोदय, मैं सारे पढ़ूंगा तो लम्बा हो जायेगा, ''पशुओं को ऐसे किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाने देगा,' उसमें भी संशोधन ले आये, 500 रुपये की जगह 25 हजार रुपये।

सभापति महोदय, इसमें 26(1) के (अ) के अन्दर जो संशोधन लेकर आये हैं, ''वन के अस्तित्व के प्रति अहितकर किसी कार्य में लिप्त'', और इसको लाकर आगे जुर्माने की राशि लिख दी, रिजर्व फोरेस्ट, प्रोटेक्टेड फोरेस्ट में जुर्माने की राशि 500 से बढ़ा कर 25 हजार कर दी।

सभापति महोदय, आपको तो मालूम है, वन अधिनियम, 1953 की धारा 4 के अन्दर रिजर्व फोरेस्ट के बारे में सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है, कौन-कौनसा क्षेत्र रिजर्व फोरेस्ट में आयेगा और धारा 29 में प्रोटेक्टेड फोरेस्ट के बारे में नोटिफिकेशन जारी करती है। सभापति महोदय, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और बारां का सहरिया क्षेत्र, इसकी आबादी है 73 लाख और 11,311 वर्ग किलोमीटर इसमें जंगल लगता है। अब यहां का आदिवासी जो जंगल के प्रोड्यूस पर जिंदा है, उसको छोटे-मोटे एक्ट्स के कारण से सज़ा का प्रावधान इतना होगा, अगर सरकार उसको संशोधन करके लायी तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। आज जनजाति जीवन के अन्दर जंगल का उसका सहअस्तित्व का सिद्धांत इसलिए है कि आज भी जनजाति जंगल से गोंद निकालता है, तेंदू पत्ता तोड़ता है, महुवा का फूल निकालता है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा, एक वन अधिकार अधिनियम, 2006 भारत सरकार लेकर आयी, दो साल बाद 2008 में उसके रूल्स बने और उसके अन्दर इन्होंने यह कहा, क्योंकि आदिवासियों को भ्रमित करना था, इन्होंने यह कहा, 31.12.2005 तक कोई भी आदिवासी किसी वन क्षेत्र की भूमि में रह रहा हो या चार हेक्टेयर पर खेती कर रहा हो तो उसको अधिकार पत्र दिये जायेंगे। सभापति महोदय, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारी मुख्य मंत्री वह पहली मुख्य मंत्री थीं, सात दिन लगातार अपने पिछले कार्यकाल में आदिवासी क्षेत्र में घूमीं और आदिवासी क्षेत्र में घूम कर जब उन्होंने देखा, जिस अधिकार पत्र के लिए भारत सरकार ने कानून बना दिया, लम्बी-चौड़ी घोषणाएं कर दीं, उसको पट्टा नहीं रहा, तो उसका उन्होंने अभियान भी चलाया। पर अभी असली चेहरा सामने है, आदिवासियों के कितने हित चिंतक हैं। सभापति महोदय, आज भी 59,775 आदिवासियों ने अधिकार पत्र, पट्टा लेने के लिए दावा किया, 34,040 या तो खारिज कर दिये गये या लम्बित हैं। ये लोग आज भी महरूम हैं। राजस्थान सरकार का फैसला है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जितने भी वंचित लोग हैं, जो आदिवासी को पट्टा मिलना चाहिए, सरकार अभियान चलायेगी, इन सारे आदिवासियों को पट्टा देगी, उनको मालिकाना हक देगी। हम न केवल कानून में संशोधन कर रहे हैं, बल्कि हमें चिंता है समग्र रूप से कि राज्य के आदिवासियों की बहबूदी हो।

इसमें कोई शक नहीं, सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की, चिंता इस बात की व्यक्त की कि जंगल कटेगा, जंगल कटेगा पर्यावरण बिगड़ेगा, पर्यावरण बिगड़ेगा प्रदूषण होगा और प्रदूषण के कारण नित नयी बीमारियां फैलेंगी। सभापति महोदय, यह सही है पिछले वर्षों में विकास की इस होड़ में जिस प्रकार ग्रीन गैसों का उत्सर्जन हुआ ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, यह अधिनियम पर बोल रहे हैं, काहे पर बोल रहे हैं?

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, मैं इंटरप्शन अलाउ नहीं करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं उसी पर बोल रहा हूं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसमें कोई शक नहीं, सभापति महोदय, और आपका तो यह प्रिय विषय रहा है, इस विकास की होड़ में जिस प्रकार ग्रीन गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, सब ओर चिंता है। सारा इको-साइकल बदल गया। आज नित नयी घटना विश्व के किसी न किसी कोने में, किसी न किसी देश में होती है।

सभापति महोदय, 1992 में ब्राजील के अन्दर रियो समिट हुई, 1995 का क्योटो प्रोटोकोल, 1994 का पेरिस सम्मेलन और इसी 2012 में रियो प्लस ट्वेन्टी सम्मेलन भी हुआ।

सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी इस सरकार का दृष्टिकोण साफ है, जहां एक ओर वन बचने चाहिए, वन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। वन के अन्दर वन अपराध के तौर पर संगठित गिरोह ने जिस तरह काम करना प्रारम्भ किया है पिछले पांच सालों में, हम उस पर भी अंकुश लगायेंगे, पर हम उस आदिवासी के जीवन को जंगल से अलग नहीं कर सकते जो उसी जंगल पर जिंदा है। उसके छोटे-मोटे कृत्य पर हम दण्डात्मक प्रावधान को कम करेंगे। हम दोनों काम करेंगे।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो अधिनियम लेकर आये थे, 2012, उसमें वन अपराध में जो वाहन हैं, मशीनरी है, औजार हैं, हथियार हैं, इसकी जब्ती का प्रावधान पिछली बार पूर्ववर्ती सरकार लेकर आयी, हमने उसको एज-इट-इज-रखा है।

सभापति महोदय, जो यह कन्विक्शन का प्रावधान है, जो धारा 52 में, 52 (क) में, 52 (ख) में, 52 (ग) में, 53, 54, 60, 62, 67, 68, 71 और 72 में है लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, इनमें भी आपकी सरकार संशोधन लेकर आयी थी, 1953 के एक्ट में। हमने उनको नहीं बदला, क्योंकि यह संगठित गिरोह के खिलाफ था।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो विचारार्थ आया है, सभापति महोदय, मैं एक बात को कह कर मेरी बात को समाप्त करूंगा। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आपने इस कानून को पढ़ा होगा, राजस्थान वन अधिनियम 1953 में बना, एक वर्ष पहले बना, आप उसकी धारा 20 पढ़िये, उस धारा 20 में रिजर्व फोरेस्ट में तो पहले ही यह कह रखा है, यह रिजर्व फोरेस्ट, इसका नोटिफिकेशन धारा चार में होता है, इसमें पहले ही कह रखा है कि गांव के निवासी को चरागाह, वन उपज जैसे फूल, पत्ते, शहद, महुवा के फूल, हरड़, इत्यादि को प्राप्त करने का अधिकार है। पहले से ही है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक तरफ इन्हीं की सरकार ने वन नीति बनाई थी, 2010 की वन नीति जारी की और इन्होंने यह कहा था कि राजस्थान के अन्दर जो हरियाली आच्छादित क्षेत्र है, वह बीस परसेंट होना चाहिए। मैंने जब इस कानून के बारे में जानकारी ली, मैंने मालूम किया कि आज कितने हमारे क्षेत्र में वन हैं, कुल 32 हजार 726 वर्ग किलोमीटर है सिर्फ, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है 9.57 परसेंट। अभी जो फोरेस्ट सर्वे आफ इण्डिया हुआ है, इसमें जो वास्तविक आंकड़े आये हैं, वह है, मात्र 16 हजार 87 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में जंगल है, यानी 4.70 । हम नीतियां बना दें, नीतियां बनाने से नहीं होगा।

इसलिए, सभापति महोदय, मेरा तो आपके माध्यम से सदन से आग्रह है, हमारा उद्देश्य आदिवासी, अनपढ़, वह व्यक्ति छोटा-मोटा जिसका जंगल से सीधा सम्बन्ध है, आपने देखा होगा, कई क्षेत्रों में जंगल की भूमि पर लोग वर्षों से बसे हुए हैं। सभापति महोदय, आपको मालूम है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक एम्पावर्ड कमेटी बना रखी है, इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने का एक पूरा मार्ग है। मैं समझता हूं, इस प्रकार की जहां-जहां परेशानी है, सरकार नियमानुसार उस पर भी कार्यवाही करेगी।

इसलिए, सभापति महोदय, मेरा तो आपके माध्यम से सदन से आग्रह है कि इस विधेयक को पारित करें, क्योंकि यह उन आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए लाया गया विधेयक है और इस विधेयक में जहां हम छोटे-मोटे कृत्यों के दण्डात्मक प्रावधानों को कम कर रहे हैं, वहीं जो संगठित अपराध गिरोह है उनके दण्डात्मक प्रावधानों को हम सख्त करेंगे, लागू करेंगे, वन क्षेत्र बढ़ाएंगे। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2014 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 व 3 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सभापति जी, हम बोलना चाहते हैं।

श्री सभापति: एक मिनट, विराज जाइये, प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं, कि राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: जो सदस्य बोलना चाहें। विराटनगर से आने वाले सदस्य को इजाजत दी जाती है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सभापति जी, मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर, जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, 1947 के बाद में जितनी नीतियां बनीं वे खण्ड-खण्ड बनीं। यह जो विषय है, जन, जानवर, जंगल, जल और जमीन, इन सबको जोड़कर अगर नीति बनाई जाती तो निश्चित तौर पर यह दुर्दशा नहीं होती। साढ़े चार परसेंट पर, जैसा मंत्रीजी ने कहा, मैं वन क्षेत्र में साढ़े चार साल रहा हूं, वन क्षेत्र में इसी सदन के नेता ने एक बार कहा भी था कि जब तक मैं रसोई की ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, वन क्षेत्र से अगर कोई आबादी क्षेत्र में घुस जाए तो कुछ ...

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सदन के नेता, माननीय भैरोंसिंह शेखावत ने एक बार उत्तर में कहा था कि मैं इस प्रकार के कड़े प्रतिबंध तब तक नहीं लगा सकता जब तक गरीब के रोटी सेंकने की व्यवस्था नहीं कर देता।

इस कारण से आज हम जंगल की बात तो करते हैं, लक्ष्मणगढ़ से आने-वाले माननीय सदस्य ने जो कहा, उससे मैं बिलकुल भी सहमत नहीं हूं, इसलिए सहमत नहीं हूं कि इनकी सरकार ने जल संग्रहण के लिए 700 करोड़ रुपए वापस दिल्ली को भेज दिये। अगर आदिवासियों को दिये जाते तो कुण्ड बना लेते, पेड़ों को पनपा देते।

दूसरा विषय और है, हमने कभी विचार ही नहीं किया कि आदिवासी चाहता क्या है। आम की खेती करिए ना। पैसे देकर के, जैसे हिमाचल प्रदेश के माननीय शांता कुमार जी ने पैसे देकर के पेड़ लगाएं, ऐसे आम के पेड़ की खेती करवाइए। देखें, कैसे आदिवासी काटेंगे। आज तक विचार ही नहीं किया गया। पूरी तरह जो मौसम है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का जो मौसम है...

श्री सभापति: आप क्या कहना चाहते हैं कि वन में आम की खेती कराई जाए? आपका यह सुझाव है कि वनों में आम की खेती कराई जाए?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आम ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएं जिससे आदिवासी काटें नहीं। इनकम भी होगी और वनों का क्षेत्र बढ़ेगा।

दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तेरह गांव ऐसे हैं जिनको रिकार्ड के आधार पर, किसी ने जमीन खाली कराने के नाम पर, किसी ने सिवाय चक मुक्त कराने के नाम पर, तेरह गांवों को वन क्षेत्र में धकेल दिया। वे दो-दो सौ वर्ष से बसे हुए हैं। इस प्रकार से डाइवर्जन की स्थिति जो बनी हुई है, एक तो उस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए, जिस कारण से यह हो सके।

तीसरी बात, खण्ड-खण्ड के बारे में विचार मैं इसलिए कह रहा था कि जल, जमीन, जानवर, जन, जंगल, इनकी एक साथ कोई प्लानिंग ऐसी की जाए। एक निवेदन करता हूं इस सदन से कि जहां भी प्रभावी मंदिर हैं, उनके आस-पास जाकर देखिए, सघन वन हैं। त्रिवेणी में आमंत्रित करता हूं मैं, नामदेव जी महाराज के आश्रम में, एक भी तिनका नहीं कटता वहां और न तोड़ा जाता है। देखिए, वहां कितनी बीघा में वन अपने आप ही पनपा हुआ है। कोई वहां रेंजर नहीं है।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

यह जो पाप बता रहे हैं, इक्यावन वर्ष तो राज आपने ही किया, 1953 के बाद में। जितनी अव्यवस्थाएं हुईं वन विभाग के चक्कर में और खनन के चक्कर में, आप नरेगा लाए, नरेगा में चालीस परसेंट पक्का निर्माण करना, ग्रेवल डालने के लिए वह ग्रेवल कहां से लाता है सरपंच? वह ठेकेदार कहां से लाता है? यह व्यवस्था तो आपने की है। नरेगा के कारण से आज खनन माफिया पनपा है। सब जगह जो जंगल नष्ट हो रहे हैं वह ग्रेवल के कारण से हो रहे हैं। कोई व्यवस्था की क्या आपने पिछले पांच साल में? यह नरेगा आप ही तो लाए थे। इस कारण से अव्यवस्था हो रही है। अव्यवस्था के लिए, इक्यावन साल के लिए तो आप ही जिम्मेदार हैं। परसेंटेज में हम तो पन्द्रह परसेंट ही आएंगे आपको इक्यावन परसेंट स्वीकार करना पड़ेगा, वनों की कटाई के लिए। यह मैं निवेदन कर रहा हूं। आप बार-बार रिपीट कर रहे थे।

अगर बकरी चली जाती है और पेड़-पत्तियां खा जाती है तो पच्चीस हजार रुपए देगा। वह तो बकरी ही छोड़ देगा। मैं पहले भी चिल्लाया था, जब आप पास कर रहे थे ना पच्चीस हजार, तब भी चिल्लाया था। बकरी छोड़ देगा। बकरी के लिए पच्चीस हजार दण्ड देगा क्या? ऐसे प्रावधान लाकर भी आप बार-बार कह रहे हो कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा।

व्यावहारिकता में बात देखो, किसानों की बात देखो, गांव के आदमी की बात देखो, उस वनवासी की बात देखो, जो रोटी वहीं सेंकता है और वहीं रहता है, वहीं खाता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इधर देखिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): हां, सभापति जी, क्षमा चाहूंगा मैं।

श्री सभापति: आसन की अनुमति के बगैर कोई भी बोलेगा, वह अंकित नहीं होगा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सभापति जी, मैं क्षमा याचना के साथ निवेदन करना चाहता हूं। कोई संतुलित और व्यावहारिक नीति बनाई जाए जिससे वन क्षेत्र भी बढ़े और जो वनों पर आश्रित जन हैं 73 लाख लोग हैं उनको भी व्यावहारिक वह मिले। कोई व्यक्ति घर के लिए भी पत्थर लाने चला जाता है तो वह चोरी छिपे लाएगा, आपने लाइसेंस तो दिया नहीं, हर गांव में खानें हैं नहीं। वह निकाल कर घर के चबूतरे के लिए भी लाता है तो पच्चीस हजार, सीधा आजकल ट्रैक्टर पकड़ने का करते हैं और अभी तो

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

अभियान चल रहा है। पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस दिन से किसानों के ट्रैक्टर बंद पड़े हैं। यह अव्यावहारिक नीति मानता हूं मैं। इस कारण से कोई न कोई संतुलित, व्यावहारिक और जिसको हम आगे तक बढ़ा सकें और वन क्षेत्र उसके साथ बढ़ता चला जाए, जैसे मैंने अभी संतों के मंदिरों का उदाहरण दिया, उस प्रकार की कोई नीति अपनाई जाए।

मत्स्य पुराण में, मैं लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य को बताना चाहता हूं कि उसमें सौ पुत्रों के बराबर एक पेड़ की बात कही गयी है। आप उसका प्रचार तो करते नहीं। आप प्रचार करते हो इस प्रकार का? इस कारण से आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि मत्स्य पुराण का अध्ययन करके ऐसी चीजें भी सीखो जो देश के लिए और इस देश की संस्कृति के लिए, देश की जन भावना के अनुकूल हैं। उनको भी ध्यान में लाना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मोहन लाल गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, यह जो संशोधन विधेयक सरकार लायी है, वह वास्तव में गरीबों के हित में है, वनवासियों के हित में है। पूर्ववर्ती सरकार के फैसले का जो विपक्षी सदस्यों ने डिफेंड किया है, 25 हजार का, अगर वह पहले वाली बहस देखें तो उस वक्त भी हम लोगों ने इसका विरोध किया था।

माननीय सभापति महोदय, जब कोई संवेदनशील मामला हो, गरीबों के हित का मामला हो, निश्चित रूप से अगर कोई अच्छी चीज लायी जाती है तो विपक्ष के सदस्यों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। केवल विरोध के लिए विरोध करना ठीक नहीं है। गलती सरकार से हो जाती है, ले आए जल्दीबाजी में। अब ले आए तो उसको संशोधन करके यदि सरकार 500 रुपये कर रही है, तो उसका समर्थन करना चाहिए।

अन्य जो धाराएं हमारे माननीय मंत्री महोदय ने बतायी हैं, वह जो वन माफिया हैं उनके खिलाफ आप अन्य धाराओं में भी एक्शन ले सकते हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं।

लेकिन, माननीय सभापति महोदय, साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां विधान सभा में इतनी बहस हो जाती है, बहुत सारे सुझाव भी आ जाते हैं, उन सुझावों पर अधिकारी कार्यवाही क्या करते हैं? इस

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

बात के लिए भी, निश्चित रूप से आपकी कोई कमेटी है या आपकी कलम से, आपके श्रीमुख से कुछ तो हो कि आज हमने जो कुछ कहा है, उस पर क्या कार्यवाही हुई? आखिर लोगों का फीडबैक तो विधायक ही देते हैं। विधायक सरकार के माध्यम से काम करवाना चाहते हैं। मान लो, फीडबैक के तहत लालफीताशाही में कोई चीज रह जाती है, तो आखिर उसका क्या हो? इतनी सारी बहस इस पर हुई।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने बोला भी था कि वन क्षेत्र में बहुत सारी बस्तियां बसी हुई हैं वहां सड़क भी है, पानी भी है, बिजली भी है और वहां लोग रह भी रहे हैं। 50-50 साल से रह रहे हैं, 100-100 साल से रह रहे हैं। आदिवासी भी रह रहे हैं। आखिर उन लोगों को पट्टे क्यों नहीं मिलने चाहिए? यह कई बार की बहस मैं देख चुका हूं। 10, 15, 20 सालों से देख रहा हूं, पट्टे मिलने चाहिए, पट्टे मिलने चाहिए, तो पट्टे कौन देगा? कैसे देगा? उसका कोई प्रोसीजर है तो वह पूरा कीजिये। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि घाट की गूणी के लिए, वन क्षेत्र में से घाट की गूणी निकालने के लिए प्रोसीजर पूरा किया गया, घाट की गूणी निकली है। रिंग रोड को निकालने के लिए, प्रोसीजर पूरा करके आप वहां डि-फोरेस्टाइजेशन कर देते हैं और वहां से रिंग रोड निकाल देते हैं। भट्टा बस्ती में 15 हजार मकानों को बनाने के लिए आपने डि-फोरेस्टाइजेशन कर दिया और वहां उनको मकान बनाने की इजाजत दे दी।

सभापति महोदय, अब ये जो बस्तियां हैं जयपुर में, जैसे बैरवा बस्ती है, पुरानी बस्ती में मीणा बस्ती है, नृसिंह कालोनी है, हरिजन बस्ती है, आमागढ़ की पहाड़ियों के पास में लोग-बाग़ बसे हुए हैं, कागदीवाड़ा में बसे हुए हैं, शिवाजी नगर में बसे हुए हैं, ब्रह्मपुरी में बसे हुए हैं, आखिर इन लोगों का क्या दोष है? मैं उनकी आवाज उठाना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जयपुर शहर में इन इलाकों में बसे हुए हजारों लोग हैं जिनके पास में सड़क है, बिजली है, पानी है, हाउस टैक्स भर रहे हैं, नगर निगम को सब टैक्स दे रहे हैं लेकिन जे डी ए और नगर निगम वाले उनको पट्टा नहीं दे रहे हैं।

सभापति महोदय, अब उनको पट्टा देने के लिए प्रशासन-शहरों-की-ओर अभियान चला दिया। बहुत अभियान चला, आज हमारी सरकार भी चला

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

रही है। मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने जवाब में यह बतायें कि इन लोगों को हमारी सरकार संवेदनशील होते हुए पट्टा दिलाने की क्या कार्यवाही करेगी? हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी बैठे हुए हैं, 6-6 बार विधायक रह चुके हैं, इनके क्षेत्र की बस्तियां नहीं निकली। तकलीफ है, दुःख है कि आखिर विधान सभा में सदस्य बोलते हैं, अधिकारी सुनते हैं, मंत्री जी सुनते हैं, उसके बाद भी फाइलों में चीज अटक जाती है। डि-फेक्टो और डि-जूर दो वर्ड हैं, वास्तविक स्थिति क्या है, कानूनी स्थिति क्या है। कानून को बदलने का अधिकार इस विधायिका को है, संशोधन करने का अधिकार इस विधायिका को है, उसमें विभिन्न प्रकार के प्रोसीजर को पूरा करने का अधिकार इस सरकार को है।

सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि यह जो बस्ती के लोग हैं, बैरवा बस्ती, मीणा बस्ती, नृसिंह कालोनी, हरिजन बस्ती, आमागढ़ की बस्ती, कागदीवाड़ा, शिवाजी नगर, ब्रह्मपुरी, इनमें जो भी एम्पावर्ड कमेटी बनी हो, वाइल्डलाइफ की कोई कमेटी बनी हो, वहां आज तक कोई वन की गतिविधियां ही नहीं हैं। आप जाकर के देख लीजिये, कोई कमेटी बना दीजिये, कोई वन की गतिविधियां नहीं हैं, कोई वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी नहीं है, कोई वहां वाइल्डलाइफ के लिए आता नहीं है। अब उसके बाद भी इन लोगों को अटका कर रखा है।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि करीब 8-10 हजार लोगों को आप पट्टे देने की कार्यवाही शुरू करें, इनको मुक्त करके। इसको आवश्यक कार्यवाही के लिए बढ़ायें।

सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि आदिवासी क्षेत्र के हजारों लोगों को पट्टे नहीं मिले हैं। वे भटक रहे हैं, उन आदिवासियों को भी हम पट्टा नहीं दे रहे हैं। वे वन क्षेत्र में रह रहे हैं? उनको क्या जीने का अधिकार नहीं है? उनको लोन लेने का अधिकार नहीं है? उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? केवल हम बात ही करते हैं कि आदिवासी, आदिवासी, आदिवासी। आखिर इन लोगों को पट्टा देकर के इनको भी लोन दिलायें, इनको भी राष्ट्र की मुख्यधारा में लायें, इनकी भी आर्थिक उन्नति करें। यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बोलिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, यह वन

(श्री शुभकरण चौधरी)

संशोधन अधिनियम में मैं छोटी-छोटी दो बातें करना चाहता हूं। फोरेस्ट रूल्स में वायलेंस करने वालों के खिलाफ 25 हजार की बजाय पेनल्टी तो हमने 500 रुपये कर दी लेकिन इसकी प्रक्रिया अभी तक जस की तस है। एक आदमी गलती से कोई पत्थर लाता है, कोई लकड़ी काटकर लाता है, अमूमन तो ऐसा भी होता है कि कोई अपनी शादी में आरा मशीन से चीरी हुई लकड़ी लेकर जाता है तो उसको भी पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर भी उसने गुनाह कबूल कर लिया कि हां, मैंने आपके फोरेस्ट से लकड़ी काट ली, पत्थर भर लिया, 25 हजार रुपये की पहले पेनल्टी थी, आदमी पेनल्टी देकर के छूट जाता था। अब वह व्यक्ति डी एफ ओ के पास जाता है, फोरेस्टर पकड़कर ले जाता है, डी एफ ओ कहता है कि आपको 25 हजार नहीं, 500 रुपये देने हैं लेकिन आपको ए सी सी एफ के पास जाना पड़ेगा, ए सी एफ के पास जाना पड़ेगा। मेरे क्षेत्र की 4 गाड़ियां अब तक सीज हैं और उनको कहा गया कि पेनल्टी तो आपको 500 रुपये ही देनी है, लेकिन वह प्रक्रिया के तहत एक-एक स्टेज पर 10-10, 5-5 दिन लगकर के 6 महीने से, पिछली सरकार के समय पर पकड़ी गयी थी, अभी तक सी सी एफ के यहां उनका फैसला नहीं हुआ।

एक तो इस प्रक्रिया को सरल करने के लिए कोई प्रावधान हो गया तो ठीक है, मैं तो पूरी तरह नहीं पढ़ पाया, नहीं किया तो जो पेनल्टी की प्रक्रिया भी, 500 रुपये जुर्माना, या तो डी एफ ओ करे या वह फोरेस्टर करे।

सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी समस्या है, हम लोग वन अधिनियम की बात तो करते हैं, वनों की सुरक्षा की बात भी करते हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछली सरकार के समय मणकसाल एक ग्राम पंचायत है, जहां से मनसा माता के लिए 1980 में कोई रास्ता कटा हुआ था, उस रास्ते पर ग्रेवल भी डल गयी, सी सी सड़क भी बन गयी। उस जमाने की स्वीकृति को उठाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने और सरकार ने सघन वन में, अन्य स्वीकृति मानते हुए, डेढ़ करोड़ रुपये की स्वीकृति निकाल दी। सी सी का काम चल रहा है। इसकी आप जांच करायें पी डब्ल्यू डी विभाग से और फोरेस्ट विभाग से, अगर एक सिंगल व्यक्ति भी उस जंगल में कोई रहता हो, एक परिंदा भी कहीं वहां रहता हो। सघन वन के हजारों पेड़ काट दिये। पी डब्ल्यू डी विभाग वहां सड़कों की स्वीकृति निकाल गया और यही नहीं पता कि वह सड़क बना किसके लिए रहे हैं। मात्र जंगल को काटने का काम किया जा रहा है। एक तरफ हम वनों को बचाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बिना किसी

(श्री शुभकरण चौधरी)

को लाभ पहुंचे, कोई गांव नहीं जुड़ना, कोई ढाणी नहीं जुड़नी, किसी आदमी को फायदा नहीं और पी डब्ल्यू डी वहां डेढ़ करोड़ रुपये की स्वीकृति करके बैठी है, इस नाम पर कि खो से मणकसाल जाने के लिए मंदिर में सड़क बनानी है, जो कि कभी की बन चुकी थी। नाम तो वह रखा गया और सड़क बना दी जंगल में हजारों पेड़ों को काटकर के। हमने कल-परसों उसकी चर्चा उठाई तो अभी तो उसको रोका है लेकिन तुरन्त प्रभाव से उसको रोका जाये। जो भी मंत्री फोरेस्ट और पी डब्ल्यू डी का काम देख रहे हैं, वे उस काम को रुकवायें। उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें। वनों के लिए यह नियम भी बनायें ताकि अधिकारी जहां गलती कर रहे हैं, सरकार उनके खिलाफ भी कार्यवाही कर सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं कि वन अधिनियम में अभी संशोधन किया है 25 हजार से 500 रुपये का, लेकिन उसके साथ ही साथ यह बताया कि सेक्शन 52, 53 और 41 के तहत 55 की भाषा, मैं कहना चाहता हूं कि जो व्हिकल सीज हो गये, सीज्ड व्हिकल को माननीय जुडिशियल कोर्ट के सामने जुर्म स्वीकार करने के बाद परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है। उसके बाद व्हिकल को छोड़ने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है कि व्हिकल को किस बेस पर छोड़ा जाये? सिर्फ एक ही आदेश है कि इस व्हिकल को अधिग्रहित किया जाता है। इसके अलावा, ना ए सी एफ छोड़ता है, ना डी एफ ओ छोड़ता है।

मेरे चूरू जिले में कम से कम 50 व्हिकल्स ऐसे खड़े हैं जिनका आदेश करने वाला कोई अधिकारी नहीं है। माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस सेक्शन में अधिग्रहण करने के अलावा, जुर्म स्वीकार होने के बाद, क्या इन व्हिकल्स को, हमारे किसानों के इन व्हिकल्स को, 5-10 लाख का व्हिकल है, गलती से अगर कोई खेत का किसान भी अगर ट्रैक्टर में लेकर आता है तो उसको छोड़ने का जिम्मेदार अधिकारी कोई नहीं है। मेरे पास ऐसे दो आदेश हैं जिनमें स्पष्ट लिखा हुआ है, न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि वन विभाग अपने आप में वाहन मालिक को सुपुर्द करने हेतु स्वतन्त्र है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी यह कहते हैं कि हमारे पास सेक्शन 52 में सिर्फ यह प्रावधान है कि हम व्हिकल का अधिग्रहण कर सकते हैं, हमारे पास छोड़ने की कोई पावर नहीं है।

(श्री मनोज कुमार)

दूसरी बात, इसी में एक ऐसा भी आदेश है, राज्य सरकार ने कीकर, जो हमारा देशी बबूल है, उसको राजस्थान में अगर आप परिवहन करते हो तो उसमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, पारपत्र की आवश्यकता नहीं है, उसके बावजूद भी पुलिस ने कीकर के एक व्हिकल को जब्त कर लिया। कोर्ट ने भी, माननीय जुडिशियल कोर्ट ने भी उसका जुर्म स्वीकार करते हुए उसे दोषी मान लिया और ए सी एफ का आदेश है, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि सरकार ने राज्य सरकार के नोटिफिकेशन एफ 212/19.1.91 में राजस्थान राज्य की सीमा में कीकर की लकड़ियों का परिवहन करने की वन अधिनियम की धारा 41 एवं उसमें बने नियम के अन्तर्गत छूट प्रदान की है, अर्थात् राज्य सीमा में कीकर की लकड़ियों का परिवहन करने के लिये किसी पारपत्र की आवश्यकता नहीं है, उसके बावजूद भी व्हिकल की सुपुर्दगी नहीं हुई। ऐसा आदेश, यह वन विभाग का आदेश है जिसमें स्पष्ट लिखा है, उसके बावजूद व्हिकल की सुपुर्दगी नहीं हुई है।

तो ऐसे काले कानून जो पांच सौ और पच्चीस हजार की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं, किसान अपने खेत से लकड़ी लेकर नहीं आ सकता, अपने ट्रैक्टर में लेकर नहीं आ सकता, ऐसे कानून में आज संशोधन करने की जरूरत है और ऐसे आदेश करने की जरूरत है। उनको किसी भी शर्त पर उसका व्हिकल सुपुर्द किया जाये।

श्री सभापति: जमवारामगढ़ से आने वाले सम्माननीय सदस्य, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो विषय माननीय सदस्य पहले अपने वक्तव्य में या अभिव्यक्ति में उठा चुके हैं, अगर उससे भिन्न कोई विषय हो, जो आपके मंत्रीजी के ध्यान में लाने का हो, तो उन पर अगर आप ज्यादा ध्यान देंगे तो उचित रहेगा। क्योंकि बाकी काफी भी...

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): ठीक है, सर। एक तो, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इजाजत दी, इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं और जैसा कि वनों से सम्बन्धित चर्चा चल रही थी, इसलिए इसमें भागीदार भी बनना चाहता हूं।

सभापति महोदय, जितना वन और पर्यावरण जरूरी है, उतना जन जीवन भी जरूरी होना चाहिये। हमारे जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वन्य अभयारण्य क्षेत्र घोषित करके पूर्ववर्ती सरकार ने 160 गांवों की जमीन की

(श्री जगदीश नारायण)

खरीद-फरोख्त पर रोक लगायी और हमने उस वक्त जन आन्दोलन करके हमारी समस्याएं सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। रिजल्ट यह रहा कि 160 में से लगभग 73 गांवों की रजिस्ट्रियां खुल गयीं और अभी भी 33 गांवों की रजिस्ट्रियां पूर्णतया बन्द हैं और 50 गांवों की रजिस्ट्रियां आंशिक रूप से बन्द हैं।

माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि वन्य अभयारण्य क्षेत्र तो घोषित कर दिया पर किसानों की जो खातेदारी की जमीन है, उन जमीनों का रजिस्ट्रेशन बन्द कर देना या उनकी खरीद-फरोख्त बन्द कर देना, इससे काश्तकार को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आज काश्तकार की जमीन को कोई खरीदने के लिये तैयार नहीं है। उसकी रजिस्ट्रियां नहीं हो रही हैं। यहां तक कि बैंकों ने जो उनकी लोनिंग फाइलें थीं, ऋण की जो फाइलें थीं, उन फाइलों को बैंकों ने आज वापस लौटा दिया है। और तो और, सरकार की तरफ से जो किसान क्रेडिट कार्ड बने हुये थे, उन किसान क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा किसान को मिल रही थी, उन सुविधाओं से भी आज किसान को वंचित कर दिया गया है।

इसलिए मैं तो सरकार से यह चाहता हूं कि कम से कम किसान की जमीन खरीद-फरोख्त चालू की जाये, उसका रजिस्ट्रेशन चालू किया जाये। खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्रेशन चालू करने से वन विभाग पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वन्य अभयारण्य क्षेत्र के नियमों में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर यह भी माना जाये कि कभी सरकार को जमीन अधिग्रहण करने की जरूरत पड़े तो, माननीय सभापति जी, जमीन का तो केवल स्वामित्व बदला जाता है। जमीन तो ज्यों की त्यों जहां है वहीं रहने वाली है। खरीद में आपका स्वामित्व मेरे पास आ सकता है, या मेरा स्वामित्व किसी तीसरे व्यक्ति के पास में जा सकता है और जब भी वन विभाग को जमीन अधिग्रहण करने की आवश्यकता पड़े तो उस वक्त जिसके स्वामित्व में जमीन हो, उस व्यक्ति से जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है। तो यह एक मेरा एक निवेदन है कि इस विडम्बना से किसान को बचाया जाये ताकि किसान अपना लोन ले सकें, किसान अपनी उदर पूर्ति कर सकें, अपना जीवन यापन कर सकें।

दूसरा बिन्दु पर्यावरण से सम्बन्धित हमारा यह है कि जयपुर के पास में शाहपुरा पंचायत के पास पालेड़ा गांव में बूचड़खाना, कारकस प्लांट लगा

(श्री जगदीश नारायण)

हुआ है और उसके बारे में हमारे जमवारामगढ़ की जनता ने एक बार नहीं, सैकड़ों बार आन्दोलन करके उस आवाज को सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास भी किया है। सभापति महोदय, आप तो अच्छी तरह जानते हैं...

श्री सभापति: वह पर्यावरण से सम्बन्धित है आपका यह इश्यू।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): हां, वह पर्यावरण से सम्बन्धित है। यह पहला मेरा वनों से सम्बन्धित था। वहां की जनता एक नारकीय रूप में जीवन जी रही है। इतनी बदबू चल रही है कि आप जयपुर से अगर जमवारामगढ़ भी जाना चाहेंगे तो दो-पांच मिनट तक, जब तक उस रोड को क्रोस करेंगे, तब तक आप नाक बन्द करके ही क्रोस कर सकते हैं। अब वहां रहने वाले लोगों का क्या होता होगा इसलिये मेरा निवेदन है कि उस कारकस प्लांट को भी वहां से तुरत-फुरत में हटाया जाकर जनता को राहत दी जानी चाहिये। यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: श्रीमाधोपुर से आने वाले सम्माननीय सदस्य।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय सभापति महोदय, वन कानून में संशोधन की कापीज तो हमें नहीं मिलीं क्योंकि हमारी डाक का अता-पता ही नहीं रहता है लेकिन फिर भी मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

अभी बात चल रही थी वन क्षेत्र भूमि में बसे हुए गांव, ढाणियों और आबादी क्षेत्र के पट्टों के बारे में। मैं आपके मार्फत सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहूंगा कि वर्षों पूर्व से जो गांव बसे हुए हैं उनकी समस्या तो है ही है लेकिन एक नयी समस्या जो जन्म ले रही है, जैसे-जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि के साथ आबादी विस्तार हो रहा है, तो जो सैकड़ों वर्ष से बसे हुए थे, उनके अलावा, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो आबादी बढ़ी है, उनको बसाने के बारे में भी कोई समग्र नीति का निर्माण होना चाहिये।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा पर्यावरण के मामले में। वन क्षेत्र के विस्तार के मामले में पिछले 60-65 साल के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो मेरे विचार में हिन्दुस्तान की एक इंच जमीन भी बिना वन क्षेत्र के नहीं होनी चाहिये। इतना बजट और इतने पेड़ सरकारी आंकड़ों में लग चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सरकारी निर्माण कार्यों के लिए, चाहे वह नरेगा की योजना हो, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग के काम हों, उनमें जो खनिज सामग्री चाहिये, पत्थर चाहिये, बजरी चाहिये, मोरम चाहिये, वह

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

कहां से आता है इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता है और सबसे ज्यादा जो चोरी होती है खनिज की, वह इन्हीं क्षेत्रों के लिए होती है। तो मैं आपके मार्फत सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि जिलेवार जहां-जहां इन खनिजों का कानूनन उत्खनन हो सकता है, उसकी सूची सभी विभागों के पास उपलब्ध रहनी चाहिये। जो भी एजेंसीज इन निर्माण कार्यों को करने के प्रति जिम्मेदार हैं, उनको पाबन्द करना चाहिये कि वह कानूनन उत्खनन करने वाले क्षेत्रों से ही इन खनिजों की खरीद करें।

एक मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी जो बात चल रही थी, इस कानून के आने के बाद अवैध खनन के मामले में जितने भी बड़े गिरोह हैं, जो संगठित रूप से इसको एक बड़े व्यापार के रूप में लाखों-करोड़ों रुपये का टर्न-ओवर करते हैं, उन पर एक पर भी हाथ नहीं डाला गया है। जो गरीब बेरोजगारी के कारण मेहनत करके अपना जीवन-यापन करता है, साधारणतः उन्हीं लोगों पर इस कानून के तहत कार्यवाही हुई है। तो मैं आपके मार्फत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि गरीबों के बजाय जो बड़े गिरोह हैं, उन पर अगर कार्यवाही हो, इस तरह का कोई प्रावधान, कोई दण्ड नीति बने तो मैं समझता हूं कि ज्यादा हितकार होगा।

अंत में, मैं एक और आपके मार्फत सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे श्रीमाधोपुर विधान सभा क्षेत्र में टाइल्स के काम आने वाले पत्थर की पिसाई की 60-70 यूनिटें हैं। सरकार ने खनिज की लीजें दे रखी हैं। वे रायल्टी चुकाये हुए खनिज की उनसे खरीद करते हैं और उसके बाद पिसाई करके मोरवी, जहां टाइल्स बनाने की बड़ी फैक्टरियां हैं, उनको सप्लाई करते हैं, निर्यात करते हैं। पिछले दिनों खनिज चोरी में उस पिसे हुए पत्थर के पाउडर के **पांच**-सात ट्रक, आपने जो फ्लाइंग स्क्वाड बना रखा है, उसने उनको अजीतगढ़ थाने में बंद करवाया है और उन पर 379 का चार्ज लगाया गया है। मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि खान से उस पत्थर का खनन हुआ, उसका रवन्ना कटा, उसका बिल कटा, फैक्टरी तक वह आया, फैक्टरी में उसकी पिसाई हो गई, पिसाई के बाद उसका बिल कटा है, बिल्टी बनी है और जो भी उसका क्रेता है, उस माल को उस तक ट्रांसपोर्ट करते वक्त पकड़ा गया है और फिर कहते हैं कि उस फैक्टरी मालिक ने 379

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

का अपराध किया है। मेरे विचार से इससे बड़ा इस कानून के दुरुपयोग का कोई दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। मैं आपके मार्फत सरकार से यह भी आग्रह करना चाहूंगा, वह इस प्रकरण को दिखाये, क्योंकि इस प्रकरण में जो जानकारी मुझे दी गई है, 2007 में खनिज विभाग ने इस तरह माल के परिवहन के लिए टी पी जारी करने का कोई नियम लागू किया था और मेरी जानकारी के अनुसार, आज की दिनांक तक, चाहे वह सीकर जिला हो, चाहे वह भीलवाड़ा जिला हो, चाहे राजसमन्द और ब्यावर हो, जहां इस तरह की बड़ी यूनिटें हैं और जहां से रोज हजारों टन माल मोरवी जाता है, आज तक भी खनिज विभाग द्वारा एक भी यूनिट को टी पी फार्म जारी नहीं किया गया है, 2007 से अब तक, और अब अचानक टी पी के नाम पर 379 के मुकदमों से उन उद्यमियों को परेशान किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर भी ध्यान देकर इस समस्या का समाधान करे। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, शाहपुरा के आसपास के जितने भी माननीय सदस्य थे, उन सबको मौका मिल गया। धन्यवाद आपको। जमवारामगढ़ से लेकर श्रीमाधोपुर तक।

श्री सभापति: मैंने शेखावाटी का भी ध्यान रखा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक 2014 पर माननीय सदस्यों ने कुछ शंकाएं व्यक्त की हैं। माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि वन अधिनियम, 1953 की धारा 4 राज्य सरकार को यह अधिकृत करती है कि वह किसी भी क्षेत्र को रिजर्व फोरेस्ट घोषित कर दे और धारा 29 राज्य सरकार को अधिकृत करती है कि किसी भी क्षेत्र को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दे। यह भी सही है कि राज्य के अन्दर कई ऐसे रिजर्व फोरेस्ट हैं और प्रोटेक्टेड फोरेस्ट हैं जिनके अन्दर आज भी कई गांव बसे हुए हैं, कई आबादी बसी हुई हैं। अभी किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने एक के बाद एक, बैरवा बस्ती, मीणा बस्ती, नृसिंह कालोनी, हरिजन बस्ती, कागदीवाड़ा, ये सब गिनाईं। ये निश्चित तौर पर वन भूमि में बसी हुई बस्तियां हैं।

माननीय सभापति महोदय, इनको निकालने के लिए भारत सरकार के पास वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार हम अनुमति लेने के लिए

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रस्ताव भेज सकते हैं और इसके डाइवर्जन के लिए जो नियम हैं, जितनी भूमि हमने डाइवर्जन के लिए ली, उससे दुगनी भूमि हम उसी के समीपस्थ वन विभाग के खाते में, उसके खाते में इन्द्राज करायें। माननीय सभापति महोदय, जो वन्य जीव अभयारण्य हैं या जो हमारे नेशनल पार्क हैं, उनकी भूमि का डाइवर्जन हम जब तक हमें सर्वोच्च न्यायालय की एम्पावर्ड कमेटी अनुमति न दे, तब तक हम नहीं करवा सकते और उसके लिए एक लम्बा प्रोसीजर है। माननीय सभापति महोदय, इसके लिए पहले स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, उसके अन्दर प्रस्ताव जाता है, फिर नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उसमें प्रस्ताव जाता है, फिर भारत सरकार के पास जाता है, भारत सरकार सर्वोच्च न्यायालय को भेजती है, सर्वोच्च न्यायालय एम्पावर्ड कमेटी को भेजता है, एम्पावर्ड कमेटी विजिट करने आती है, उसके बाद अपनी रिपोर्ट देती है। ये सारी बातें हैं। माननीय सभापति महोदय, निश्चित तौर पर जो वनों में बस गये, वनों के नजदीक जो कॉलोनियां आ गईं, उसके लिए जो मौजूदा कानून में प्रावधान आज हैं उसके अन्तर्गत हम प्रस्ताव भी बनायेंगे, प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार के पास भेजना है तो भारत सरकार के पास भी जायेंगे, उनके डाइवर्जन की कोशिश करेंगे।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, यह जिस बात का जिक्र अभी हुआ कि वन अधिनियम के तहत जो प्रकरण दर्ज होते हैं, उनमें इतने अपराधों का विचारण कैसे किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, अपराधी का विचारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाता है और हमने तो उसमें सिर्फ अधिकतम दण्ड का जो प्रावधान है, इस एक्ट के तहत उस दण्ड के बारे में कहा है कि इतना ही अधिकतम दण्ड दे सकते हैं, जो पहले 25 हजार था उसको अब हमने 5 सौ रुपये किया है। परन्तु, माननीय सभापति महोदय, यह भी सही है, जिस तरह से मैंने पहले कहा, धारा 52, धारा 52 (अ) के अन्दर जो संशोधन लेकर आये थे, उसमें वन उपज को लेकर कोई वाहन जाये या कोई वन की उपज ले जाये, उसको जब्त करने का अधिकार इस कानून में दिया है। अब धारा 52 (अ) के तहत सी सी एफ के सामने अपील की जा सकती है और ठीक एक्साइज एक्ट की तरह सी सी एफ मूल्यांकन करता है, जब्त की गई लकड़ी का मूल्य और उस वाहन की कीमत का, और उसके बाद अपने आदेश में लिखता है कि इतना जमा कराने पर यह वाहन छूट सकता है, वरना वह किसी न्यायालय में 451, 457 के अधीन सुपुर्दगीनामे में चला जाता

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है। न्यायालय में केस कंटेस्ट करके वह कर सकता है। पहले न्यायालय इस मामले में छोड़ दिया करते थे। अब इस कानून के तहत ये सारे अधिकार सी सी एफ के पास आ गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस वन भूमि और उसके लिए जो सबसे उत्तम सुझाव हमने दिये, मत्स्य पुराण की बात कही विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने, माननीय सभापति महोदय, मुझे पहली बार पता लगा कि आप उन वन्य जीवों के साथ काफी समय तक रह चुके हैं और मत्स्य पुराण का आपने अध्ययन किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं भी इनसे ज्ञान लूंगा और इनके ज्ञान से अगर सरकार का मार्ग प्रशस्त होगा तो इस पूरे सदन को प्रसन्नता होगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय सदस्यों की शंकाओं का लगभग निराकरण हो गया, और भी कोई ऐसी होगी तो उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं माननीय सदस्य को व्यक्तिगत तौर पर अवगत करवा दूंगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस विधेयक को पारित किया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया गया।

श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक पर विचार

बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति: श्री मदन राठौड़।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, एक

(श्री कालीचरण सराफ)

जैसे ही बिल हैं तीनों नाम परिवर्तन के। एक साथ ही ले लें तो ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां, यह ठीक रहेगा।

श्री सभापति: हर बिल को अलग-अलग लेंगे, एक बार में नहीं लेंगे। अलग-अलग लिया जाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता को तो धन्यवाद दो, अकेले विराजे हैं तब से। एक भी माननीय सदस्य साथ नहीं है। बड़ी हिम्मत की बात है।

श्री सभापति: इसीलिए मैंने यह कहा है, आसन ने भी यह बात कही है कि बिलों को एक-एक करके लिया जाये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, मैंने बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को जन मत जानने के लिए प्रस्ताव किया था। माननीय सभापति महोदय, इसका एक मात्र कारण यह था कि बृज एक संदेश देता है, भगवान कृष्ण की जन्म स्थली है, बचपन उनका वहां बीता था। माननीय सभापति महोदय, आपको भी पता होगा कि पाश्चात्य देशों के लोग भी अपनी शांति की खोज के लिए वहां आकर, हरे रामा, हरे कृष्णा करते हैं और वहां मंदिरों में आते हैं, मुण्डन करवाते हैं। बृज अपने आप में एक अच्छा संदेश देता है। मैं सोचता था कि यह नाम तो बिलकुल ठीक है लेकिन महाराजा सूरजमल का त्याग, एक इतिहास पुरुष, यह

(15.00 बजे)

भी सही है और जब यह उनके नाम से रखा गया तो मैंने यह सोचा कि आखिर महाराजा सूरजमल भी एक महापुरुष थे, बृज को बीच में ले लिया जाए। इसलिए मेरे दिमाग में यह बात आयी। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव किया था कि इसको जन मत जानने के लिए परिचालित किया जाए। लेकिन मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, मैं इस प्रस्ताव को विथड्रा करना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

(अनुपस्थित)

श्रीमती अनिता।

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

श्री जोगाराम पटेल।

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 4 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

अनुसूची। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाय?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड 1, अधिनियमन, सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, पहले तो मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि आप यह बिल लेकर आये। इन तीनों बिलों का अपने आप में एक इतिहास है। पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये तीनों विश्वविद्यालय खोलने के लिए अध्यादेश बना लिया था और अध्यादेश बनाकर राज्यपाल महोदय को भेज दिया था। इस पीरियड में सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद पूरे **पांच** साल तक ये विश्वविद्यालय नहीं बनाये गये और उसके बाद जब विश्वविद्यालय बनने का समय आया तो उन्होंने बृज विश्वविद्यालय से महाराजा सूरजमल का नाम विलोपित कर दिया, उन्होंने अलवर से महाराजा भर्तृहरि का नाम विलोपित कर दिया और सीकर से दीनदयाल जी उपाध्याय का नाम विलोपित कर दिया। हमने उस समय भी कहा था, इन विश्वविद्यालयों को बनाने के पीछे एक कल्पना थी, एक विचार था, एक चिन्तन था और उस चिन्तन और विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बिल लेकर आयी थी। हम इन विश्वविद्यालयों को केवल पढ़ाई का माध्यम नहीं बनाकर, उच्च क्षेत्र, वहां की संस्कृति और वहां के किये गये कामों का संरक्षण का केन्द्र बनाना चाहते थे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप तो बहुत समझदार हैं, पढ़े-लिखे हैं, विद्वान भी हैं, संसदीय परम्पराओं को समझते भी हैं, जो उद्देश्य और कारण, इसमें लिखा है ''भरतपुर राज्य के पूर्व शासक महाराजा सूरजमल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए और उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाये रखने के लिए राज्य सरकार ने बृज विश्वविद्यालय भरतपुर का नाम महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के रूप में परिवर्तित किये जाने का विनिश्चय किया है।'' यह उद्देश्य और कारण स्पष्ट करते हैं और हमको उसकी पृष्ठभूमि में जाना आवश्यक है कि महाराजा सूरजमल जी ने ऐसे कौन से काम किये जिनके कारण से उनकी स्मृति को चिरस्थायी करना आवश्यक है और वह हमारे लिए प्रेरणादायक होगा। यह आवश्यक है कि हमने इसके साथ 'बृज' शब्द को क्यों जोड़ा और बृज और सूरजमल जी मिलकर फिर जो विश्वविद्यालय बनेगा, वह विश्वविद्यालय इस प्रदेश की, उस क्षेत्र की और हिन्दुस्तान के लोगों के कहां-कहां, क्या-क्या काम करेगा, संक्षेप में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा।

'बृज' शब्द का संस्कृत में बहुत सीधा अर्थ है, ''गतिशीलता'', जो चले निरन्तर। दूसरा वैदिक संहिताओं में, रामायण और महाभारत के पर्वों में, अन्य धर्म ग्रन्थों में भी 'बृज' उस क्षेत्र को कहते हैं जहां गौशाला हो, गौस्थान

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हो और निरन्तर गाय चलती रहें, चरती रहें और गतिशील रहें। इसलिए उस क्षेत्र को भी बृज कहते हैं। सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि कृष्ण की यह रमणस्थली है, वह कृष्ण की रमणस्थली नहीं है। इस बृज प्रदेश में जो क्षेत्र है, वह राजस्थान में आता है, उसमें अपना भरतपुर है, धौलपुर है, वह आसपास का सारा इलाका है। बृज चौरासी कोस में है। इसका वर्णन इस प्रकार है-

''इत बरहद उत सोनहद, उत सूरसेन को गाम।

ब्रज चौरासी कोस में।''

यह जो परिक्रमा क्षेत्र है यह बृज प्रदेश राजस्थान में है। तो इस राजस्थान के बृज प्रदेश को बोला जाता है। दूसरी, बृज की जो बोली है, एक भाषा का वहां पर विकास हुआ। इसलिए उसको हम उसमें लेना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अब जो मूल बात है, जो हमने कहा, हम उनकी ऐतिहासिक याद को याद करना चाहते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिन-जिन लोगों ने राजस्थान का इतिहास लिखा है, उन्होंने लिखा है कि राजस्थान के एक गांव का इतिहास, राजस्थान का एक जिले का इतिहास, राजस्थान के एक-एक वीर का इतिहास अगर कोई लिखेगा तो दुनिया में कोई देश नहीं है जो राजस्थान के वीरों की तुलना कर सके। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम इन महापुरुषों के नाम को, इन महापुरुषों की परम्पराओं को कायम रखने में असफल रहे। आज मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि महाराष्ट्र की सरकार यह प्रस्ताव कर रही है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेच्यू छत्रपति शिवाजी महाराज का बोम्बे में लगाने जा रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सरदार वल्लभभाई पटेल का स्टेच्यू, जिन्होंने सारे देश को मिलाकर एक कर दिया, उनका स्टेच्यू हम बना रहे हैं। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि 151 वर्ष होने के बाद स्वामी विवेकानन्द जी का बहुत बड़ा स्टेच्यू कलकत्ता में आज बन रहा है, जो आज सबसे बड़ा है। मुझे इस बात की बधाई देते हुए, आपकी सरकार को, कालीचरण जी, हम वह स्टेच्यू तो अभी नहीं बना पा रहे हैं...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): आपकी सरकार नहीं है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ऐसा है कि आपकी जो है वह अपनी है और जो अपनी है वह सिर्फ अपनी है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माननीय सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि महाराजा सूरजमल जी ने...(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): क्या बोले?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं यह बोल गया कि आपकी है वह अपनी है और जो अपनी है वह अपनी है। (व्यवधान) यह बात कुछ गहरी है।

माननीय सभापति महोदय, इस बात का वर्णन कर रहा हूं कि हमारे राजस्थान का यह सौभाग्य है, कोई पार्टी का सवाल नहीं है, कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज का बना रही है। अगर हम सोचें कि इन लोगों ने जितना त्याग किया, हिन्दुस्तान के इतिहास में महाराजा सूरजमल ने जितनी लड़ाइयां लड़ीं, उन जैसे बहुत कम योद्धा पैदा हुए। फिर उनका हम चिरस्थायी स्टेच्यू आज तक नहीं बना सके। महाराणा प्रताप का, पुंजा भील का आज तक नहीं बना सके। दुर्गादास राठौड़ का भी नहीं बना सके। इन वीरों की भूमि में पहला प्रयत्न है कि महाराजा सूरजमल के नाम से इसको लेकर आये।

अगर इतिहास के पृष्ठों में जाएं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, क्या कहा गया उनके लिए। अगर दो-चार बात उनकी देखें तो हमको पता लगेगा कि कितने महान आदमी थे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि केवल नाम रखने से नहीं, उनकी उन बातों को स्थायी बनाने के लिए वहां अनुसंधान केन्द्र की भी आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। महाराजा सूरजमल का जन्म फरवरी, 1707 में हुआ। 3 फरवरी, 1707 को औरंगजेब का निधन हुआ था। 1763 में युद्ध के क्षेत्र में वे वीरगति को प्राप्त हुए। इस पीरियड में उन्होंने जो काम किया, वह वीरता का ही नहीं, उन्होंने डीग के महल बनाये, जो विश्व में स्थापत्य कला का नमूना है। उन्होंने कवियों को शरण दी और लिखाया। वह भी अपने आप में नमूना है। इसलिए बृज का एक शोध केन्द्र भी वहां बनना चाहिए और महाराजा सूरजमल का शोध केन्द्र भी बनना चाहिए और जाटों के इतिहास का शोध केन्द्र भी बनना चाहिए।

सभापति महोदय, अर्जुनसिंह जी जब मानव संसाधन मंत्री थे, तब पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता था बृज के बारे में कि जाट उद्दण्ड हैं और लुटेरे हैं। मैंने इसका जबरदस्त विरोध किया वहां पर और 60 साल बाद में वह कटा। हम 60 साल तक यह पढ़ाते रहे।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मैंने एक बार कहा था, इमादुस्ताक एक मुस्लिम लेखक हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी उसमें लिखा है, ''सूरजमल एक कृषक जैसा पहनावा पहनता था और कमवल...'' मतलब, वे उसको कम जानने वाला बोलते थे, ''...कमवल अपनी बृज भाषा में बोल सकता था, लेकिन वास्तव में वह जाटों का प्लेटो था। वह केवल जाटों के नहीं, वे सम्पूर्ण भारतवर्ष के प्लेटो की श्रेणी में आते थे। चतुराई, बुद्धिमत्ता और लगन तथा अन्य माल के महकमे में निजाम के सिवाय भारत के प्रसिद्ध पुरुषों में उसकी कोई समानता नहीं कर सकता था। साहस, चतुराई, अटूट दृढ़ता का अजेय और न दबने वाला स्वभाव, आदि अपनी जाति के छोटे-छोटे गुण सूरजमल में पाये जाते थे।'' यह उनके विरोधी ने उनके बारे में लिखा है।

जो कवि थे उस समय, उन्होंने उसके बारे में लिखा है-

''सह्यो भले ही जट्टिनी, जाए अरिष्ट अरिष्ट।
जाठर तस रवि मल्ल हव, आमरण को इष्ट।।
बहुरि जट्ट मल्हार सन, लरर लग्यो हर बल्ल।
आंगर है हुलकर, जाट मिहिर, मल्ल प्रति मल्ल।।''

उसने कहा कि जाटनी ने उनका प्रसव करते समय फालतू की पीड़ा नहीं सही, एक महापुरुष को पैदा करके बहुत बड़ा काम किया। यह किस समय लिखा गया, यह जयपुर से सम्बन्धित बात है, इसलिए मैं इस बात को बताना चाहता हूं। जयपुर में जब सवाई जयसिंह जी का देहान्त हो गया था तो महाराजा ईश्वरी सिंह जी और माधव सिंह जी में लड़ाई थी कि किसको बनाया जाय। तो महाराजा सूरजमल जी ने ईश्वरी सिंह जी का समर्थन किया था और मेवाड़ और बाकी जो राजघराने थे वे सारे के सारे माधव सिंह जी के साथ थे। जहाजपुर में इसका बड़ा संग्राम हुआ था और 10 हजार जाट सैनिक महाराजा ईश्वरी सिंह जी की सहायता के लिए जयपुर आये थे और फिर उनको जहाजपुर भेज दिया गया। उस समय उन्होंने सिसोदियों, राठौड़ों, चौहानों और मराठों, 7 राजाओं की फौज को एक साथ हराया था और महाराजा ईश्वरी सिंह जी को जयपुर की राजगद्दी पर बिठाया। इसके कारण से उस दिन से सूरजमल जी का नाम सारे हिन्दुस्तान में जाना जाने लगा। महाराजा ईश्वरी सिंह जी कौन थे? ये महाराजा ईश्वरी सिंह जी वे थे जिन्होंने जयपुर के लिए ईश्वरीय विलास महाकाव्य की संरचना की और उनका प्रोटेक्शन महाराजा सूरजमल जी ने किया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यह इतिहास की जो बातें हैं, इन इतिहास की बातों को इन विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाएगा तो इन विश्वविद्यालयों को बनाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि इन बातों का ध्यान रखें।

शहादत अली खां की बहुत बड़ी लड़ाई हुई महाराजा सूरजमल जी से। महाराजा सूरजमल जी ने दो शर्तें उनसे मनवाईं कि कोई भी पीपल का पेड़ नहीं काटेगा और कोई भी हिन्दू मंदिरों का अपमान नहीं करेगा। यह युद्ध करके मुसलमानों से उन्होंने इस बात को स्वीकृत कराया।

दूसरी सबसे बड़ी बात जो उनके चरित्र में आती है, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई तो 20 हजार जाट सैनिक गये थे, लेकिन पेशवाओं ने वापस भेज दिया। लड़ाई में जब मराठों की फौज हारी और हारने के बाद में भरतपुर होकर निकली तो 10 हजार घायल लोगों को भरतपुर में रखकर उनकी सेवा की और सेवा करने के बाद एक किलो अनाज, एक रुपया और उनको सामान देकर वहां से भेजा।

वह इसलिए उन्होंने कहा, सूरजमल जी के जो कवि हैं उन्होंने लिखा है कि समस्त राजाओं के पास हिन्दू धर्म की रक्षा के नाते युद्ध में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया गया तो केवल एक महाराजा ने पानीपत की लड़ाई में बीस हजार जाट सैनिकों को मराठों के साथ कैम्प में भेजा, और किसी राजा ने नहीं भेजा। यह बहुत बड़ा काम है।

इसलिए इस इतिहास को जब तक हम जनता के सामने नहीं लायेंगे, तब तक इन विश्वविद्यालयों को बनाने का काम पूरा नहीं होगा।

उसी अब्दाली ने, जिसने मराठों की सेना को घायल किया था, जब वह हारा और सहायता के लिए आया, तो उस,को सिकन्दरा नाम के स्थान पर महाराजा सूरजमल ने शरण दी, कहा कि तुम अब स्वदेशी हो गये हो। उसको भी उन्होंने शरण दी।

इस प्रकार मैं कहना चाहूंगा कि यह जो इतिहास है, इस इतिहास के लिए हमने यह कोशिश की थी कि यह सारा इतिहास हमारे सामने आये और इस इतिहास को लाकर हम इस प्रकार का काम करें जिससे इन सब लोगों की जिन्होंने देश को महान बनाने का काम किया, हम उन सब के प्रति श्रद्धांजलि और श्रद्धा पैदा कर सकें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसलिए, माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम पारित करेंगे और मैं आपसे आग्रह भी, करूंगा कि आप इसके लिए तीनों विश्वविद्यालयों में, इस विश्वविद्यालय में भी, महाराजा सूरजमल जी, और आज तक भरतपुर ने अधीनता स्वीकार नहीं की। दिल्ली का चाहे दरवाजा तोड़कर लाये, चाहे सिंहासन उठाकर लाये, एक काम नहीं, कई काम किये। इसलिए मैं चाहूंगा कि महाराजा सूरजमल जी जिसके बारे में इतिहास में अंत में लिखा है- ''यद्यपि एक किसान था और किसान जैसे कपड़े पहनता था लेकिन वास्तव में वह जाट जाति का प्लेटो था।'' उनके बारे में अंत में लिखा है कि वह भारत का अंतिम हिन्दू सम्राट था, महाराजा सूरजमल जी; धर्म के लिए उन्होंने काम किया, संस्कृति के लिए उन्होंने काम किया, एकता के लिए उन्होंने काम किया और एक बहुत बड़ा काम उन्होंने समाज के लिए किया।

इसलिए मैं चाहूंगा कि उसमें तीन काम किये जाएं, एक, ब्रज का अध्ययन केन्द्र स्थापित किया जाए; जाट इतिहास, जिन्होंने संग्राम लड़ा स्वाधीनता का, वह छिपा हुआ पड़ा है। आप, माननीय सभापति महोदय, सब जानते हैं, महाराणा प्रताप का नाम जानते हैं लेकिन पूंजा भील का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, भामाशाह का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, हकीम खां सूरी का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। महाराणा प्रताप के साथ-साथ उनका नाम भी आना चाहिए। महाराजा सूरजमल का नाम जानते हैं लेकिन गोकुला जाट का नाम लोग नहीं जानते, जिसके एक-एक करके 72 टुकड़े कर दिये गये। यह बड़ा इतिहास है।

इसलिए इस बिल का मैं हृदय के अन्त:स्थल से स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि इन योद्धाओं को, अगर इनकी स्मृति को हमने चिर-स्थायी किया तो भारत की आने वाली पीढ़ी हमको धन्यवाद देगी और इन पुरुषों से प्रेरणा ग्रहण करेगी। प्रेरणा ग्रहण करके हम भारत राष्ट्र को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। शिक्षा मंत्री के नाते मैंने एक काम प्रारम्भ किया था, 'आपणी धरती आपणां लोग, आपणी खेजड़ी आपणां फोग', वह काम रुक गया। अगर, मंत्री महोदय, आप कोशिश कर सको तो गांव-गांव में जो राजस्थान का छिपा हुआ इतिहास है, वह राजस्थान संग्रहित होगा।

इसलिए महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय जो आपने नाम रखा है, वह हर प्रकार से उचित है और उस नाम के लिए मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अंत में, यह बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि महाराजा सूरजमल वास्तव में अपने समय के योद्धाओं में भीम थे। चीनी यात्री जो आया था, उसने लिखा है कि महाराजा सूरजमल वास्तव में अपने समय के योद्धाओं में भीम, नीतियों में कृष्ण और अर्थशास्त्रियों में कौटिल्य थे। एक मुसलमान यात्री ने उन्हें भारत का अंतिम हिन्दू सम्राट लिखा है। यथार्थ में वे नवीन युग के प्रवर्तक थे, राष्ट्रीय चेतना के जनक थे और देश को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध थे। मैं उनको श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनकी स्मृति को चिर-स्थायी बनाने के लिए सरकार ने जो प्रयत्न किया है, उसका स्वागत भी करता हूं और आग्रह भी करता हूं कि इस सारे इतिहास और धरोहर को संरक्षित करने के लिए सरकार अनुसंधान केन्द्र का काम करे ताकि आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सके और हम हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पूरे सदन ने जो हमने बृज विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सूरजमल जी के नाम से रखने का संशोधन पेश किया है, उसका स्वागत किया है। विशेष रूप से सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं और उनको बताना चाहूंगा कि 2008 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय हमने जो बृज में विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय किया था, उस समय महाराजा सूरजमल जी का नाम इसलिए जोड़ा था कि उनके किये गये कार्यों से युवा प्रेरणा ले सकें और अपने इतिहास पर गर्व कर सकें। परन्तु पता नहीं, क्यों, उसके बाद सरकार परिवर्तित हो गई, कांग्रेस की सरकार बन गई, चार साल तक तो वे इसी उधेड़बुन में रहे कि ये विश्वविद्यालय खोलें या नहीं खोलें, पर फिर जब चुनाव नजदीक आ गये तो जैसे मजबूरी में कोई काम करना होता है, तो उन्होंने विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय किया। उसमें, पता नहीं, इनको महाराजा सूरजमल जी के नाम से क्या एलर्जी थी कि उन्होंने उनका नाम हटा दिया। उनका नाम हटा दिया और केवल बृज विश्वविद्यालय के नाम से, जनता को भ्रमित करने के लिए इन्होंने विश्वविद्यालय तो खोल दिया पर विश्वविद्यालय खोलने के बाद एक साल तक न तो कोई वाइस-चांसलर की वहां नियुक्ति की, न कोई स्टाफ की नियुक्ति की और केवल वोट लेने के लिए, हम किस प्रकार से

(श्री कालीचरण सराफ)

जनता को भ्रमित कर सकें, वोट ले सकें, इन्होंने विश्वविद्यालय की घोषणा कर दी। खैर, जनता इनके इरादों को भांप गई, राजस्थान में परिवर्तन हुआ और पुन: भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनी।

अब क्योंकि हमने 2008 में महाराजा सूरजमल जी के नाम से बृज विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय किया था और जिस उद्देश्य के साथ किया था, उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हम यह संशोधन लाये हैं। मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम केवल महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय नाम करके ही इतिश्री नहीं करेंगे, हम उस विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद, वहां उन्होंने जो कार्य किये हैं, उनका एक शिलालेख भी लगायेंगे, महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति भी वहां विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित करेंगे और जो पुस्तकालय वहां रहेगा, उसमें उनसे सम्बन्धित इतिहास की पूरी पुस्तकें भी वहां रखेंगे जिससे वहां पढ़ने वाले लोग उससे मार्गदर्शन ले सकें।

इसके साथ-साथ, क्योंकि बृज का नाम भी वहां पर जुड़ा हुआ है और जैसा सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वहां एक बृज अध्ययन केन्द्र की भी स्थापना हो, तो निश्चित रूप से यह विचार भी बहुत बढ़िया है और बृज अध्ययन केन्द्र की स्थापना का भी हम प्रयास करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय के लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। जिला कलक्टर भरतपुर ने अवगत कराया है कि धारा 6 की कार्यवाही मई, 2014 तक पूर्ण कर ली जायेगी। मैं सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसमें जितने भी वित्तीय संसाधन की आवश्यकता होगी, राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था भी करेगी। इस विश्वविद्यालय का जो क्षेत्र होगा, उसमें भरतपुर और धौलपुर जिले के जितने महाविद्यालय हैं, लगभग 119 महाविद्यालय हैं, वे इस विश्वविद्यालय के अधीन होंगे।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बिल को पारित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 पारित किया गया।

मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 । श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक पर विचार

मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति: श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को जन मत जानने के लिए परिचालित करने का जो मैंने प्रस्ताव किया था, उसके पीछे एक हेतु था, वह यह था कि अभी जैसे नाम रखा जा रहा है राज ऋषि, तो या तो राजर्षि करते। अब राज ऋषि को जब साथ-साथ पढ़ेंगे तो राजर्षि हो ही जाना चाहिए था। यह और लम्बा नाम करने की आवश्यकता नहीं थी।

दूसरी बात यह है कि राज ऋषि क्या एक राज्य से बंधे हुए थे? वे तो महर्षि थे, महान् ऋषि थे और केवल राज ऋषि तक सीमित कर दिया, उस राज्य से उनको बांध दिया।

इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने यह प्रस्ताव किया था। मैं आपकी अनुमति से इसको विथड्रा करना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री जोगाराम पटेल।

(अनुपस्थित)

श्री बनवारी लाल सिंघल।

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

(अनुपस्थित)।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार ।

खण्ड 2 से 4। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

अनुसूची, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाय?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद और बधाई दूंगा कि ये वे बिल हैं, पुन: जो हमने पहले किया था, उसको लेकर आये हैं।

मत्स्य और भर्तृहरि, दो नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं और मैं दोनों

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नामों के बारे में, माननीय सभापति महोदय, मैं इसके उद्देश्य और कारणों के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ''महात्मा भर्तृहरि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए और उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाये रखने के लिए, राज्य सरकार ने मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर का नाम राज ऋषि, भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के रूप में परिवर्तित किये जाने का...'' निर्णय लिया है। पहले बिल में ऐतिहासिक बात लिखना ठीक था, इस बिल में केवल ऐतिहासिक बात लिखना ठीक नहीं है।

यह बिल भी हम लाये थे और यह बिल अब वापस आ रहा है, तो इसकी पृष्ठभूमि मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, बहुत लोगों को जानकारी होगी कि हम आज जिस विधान सभा में बैठे हैं, इसका स्वरूप आजादी के बाद ऐसा नहीं था। यह स्वरूप तो 1952 में बना। सरकार वल्लभ भाई पटेल ने जब राज्यों का एकीकरण किया तो सबसे पहले यह मत्स्य संघ का राज्य बना; अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतों को मिला कर मत्स्य संघ बना, 17 मार्च, 1948 को और उसमें शोभाराम जी मुख्य मंत्री बने, युगलकिशोर चतुर्वेदी जी उप मुख्य मंत्री बने, गोपीलाल जी यादव, मंगल सिंह जी, चिरंजी लाल जी शर्मा और भोलानाथ जी, ये मंत्री बने। इधर फिर दूसरा संघ बना, संयुक्त राजस्थान संघ, उसमें माणकलाल जी वर्मा मुख्य मंत्री बने और वह मंत्रिमण्डल बना। एक तीसरा बना जिसमें गोपीलाल जी असावा मुख्य मंत्री बने, कोटा के राजा भी उसमें साथ थे। ये तीनों मिला कर, बाद में, 1952 में राजस्थान इस प्रकार के स्वरूप में आया, विधान सभा में।

मत्स्य का अपने आप का एक बहुत बड़ा सम्बन्ध है। यह जो 'मत्स्य' शब्द है, यह संस्कृत का 'मत्स्य' और 'मीन' मछली, ये एक ही शब्द हैं और इस मीन से ही मीणा बना है। यहां मीणाओं का बाहुल्य था, उसके बाद राजाओं का राज कायम हो गया। अब माननीय हमारे मंत्री महोदय को पता नहीं कि भाई, राजाओं का राज कायम हुआ, उन्होंने बेचारे ब्राह्मणों और बणियों पर इल्जाम लगा दिया। भाई, हमने कुछ नहीं किया है, आपने जो कुछ लिया है, राजाओं से लिया है। इसलिए आप बिना मतलब हमारे पर मत करो। लेकिन हम तो यह समझ कर माफ कर देते हैं कि भाई, अपनी करत जाय अपकारी, मुनि की क्षमा श्राप से भारी।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं पर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इन्होंने कहा नहीं, मैं तो बात कर रहा हूं कि हमने तो उसको नहीं किया, पर मैं आपको अब इतिहास बताना चाहता हूं।

यह मीणाओं का ही सारा इलाका था, मछली पालन का काम था और कुरू राजा की पत्नी शांतनु इस समुदाय से थी। समुदाय बड़ा था और उससे फिर कौरव और पांडवों का जन्म हुआ। उसके बाद में, माननीय, आपके राज की बात है। माननीय सभापति महोदय, विराटनगर आ गये और बैराठ, राजा विराट की राजधानी बनी। मत्स्य पालन नदी के किनारे होता था। उसके बाद, नदी सूखने के कारण से यह सारा क्षेत्र, फिर अलवर राज बना इसमें। इस प्रकार से, वासु नाम के एक छेदी राजा थे, उनका पुत्र हुआ, उसका नाम मत्स्य रखा गया और ये सारा मत्स्य का इलाका इस प्रकार से हुआ।

इस मत्स्य का जो इलाका है, उसका प्राचीन काल से लेकर अब तक बहुत बड़ा महत्व है, पांडवों के समय से लेकर ही है और सारे समय से ही है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जितना कुरूक्षेत्र से है, जितना हरियाणा से है, महाभारत काल का सम्बन्ध है, उससे कम सम्बन्ध हमारे मत्स्य प्रदेश से, बैराठ से लेकर और एक साल का जो उनका गुप्तवास है, उसको लेकर, उससे कम सम्बन्ध राजस्थान की भूमि से नहीं है। कुरूक्षेत्र में एक बहुत बड़ा पैनोरमा बना उसके लिए, लेकिन हम नहीं बना पाये।

इसलिए इसके साथ जो दो शब्द जुडे हैं, मत्स्य और भर्तृहरि, उन दोनों शब्दों के लिए आपको धन्यवाद। उन दोनों का विश्लेषण यह है कि जिस प्रकार से हरियाणा ने महाभारत युद्ध को चिरस्थायी समृति बनाने के लिए वहां पर कुरूक्षेत्र में बनाया है, उसी प्रकार का अलवर में, उसी प्रकार का आप इस विश्वविद्यालय के माध्यम से बनाएंगे तो हमको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा बहुत बड़ा जो इसमें नाम आया है, वह भर्तृहरि। अभी सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजर्षि बना दो कि एक राजा के ऋषि बना है। ऐसा नहीं है। बह्मर्षि और राजर्षि शब्द, यह बहुत पुराना है, विश्वामित्र के और वशिष्ठ के जो बहुत बड़ी लम्बी लड़ाई चली, वह लड़ाई बह्मर्षि और राजर्षि के रूप में चली और अन्त में उन्होंने अपने आपको बह्मर्षि के रूप में स्वीकार किया। तो राजर्षि तो इसलिए थे कि राजा थे और राजा का वह छोड़ कर बने। वह कैसे छोड़ा? उज्जैन के राजा थे, उज्जैन हमारे दूर है, उज्जैन के राजा थे, सब लोग जानते हैं कि बहुत

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अच्छे राजा थे, दो भाई थे, विक्रमादित्य थे, एक भर्तृहरि थे। पिंगला से प्रेम हो गया था, बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे पिंगला से। जब आसक्ति ज्यादा हो गई तो एक अमरफल का किस्सा आता है। अमरफल आया, राजा ने अमरफल पिंगला को दिया कि रानी, मैं अगर जवान रहूंगा और तू बूढी हो जाएगी, तो क्या काम का, इसलिए तू खा ले। उसने देखा, मैं खा लूंगी और जिसको मैं चाहती हूं, वह बूढा हो जाएगा, तो क्या होगा? तो उन्होंने वह अमरफल उसको दे दिया। उसने देखा, मैं खा लूंगा, जिसको मैं चाहता हूं, नर्तकी का, तो क्या होगा, उसने नर्तकी को दे दिया। नर्तकी ने देखा, मैं खा लूंगी तो क्या होगा? ये राजा जो धर्म को मानने वाला है, भर्तृहरि, इसको अगर नहीं दिया तो क्या होगा? तो उसने वापस भर्तृहरि को दे दिया। उस अमरफल को देख कर भर्तृहरि को वैराग्य पैदा हो गया और वैराग्य होने के बाद में वे भर्तृहरि बने, गोरखनाथ जी ने बनाया, हिन्दुस्तान में, भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में।

माननीय सभापति महोदय, इनको केवल महात्मा कहना ही ठीक नहीं है। इसमें इनको केवल महात्मा और राजर्षि ही कहा, इतना ही नहीं, बहुत बड़ा काम है और हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय भी उतना ही बड़ा काम करे। गोरखनाथ जी ने इनको अमर कर दिया, हिन्दुस्तान के इतिहास में। शास्त्रों ने, सब ने कहा कि राम जन्मा तो राम को मरना पड़ा, कृष्ण जन्मा तो कृष्ण को मरना पड़ा, आठ आदमी हैं जो अमर हुए हैं, सात-अश्वथामा, बलिरव्यासो, हनुमानश्य विभीषण: कृप: परशुरामस्य, सप्तइति चिरंजीवने:, ये सात चिरंजीव हैं, लेकिन गोरखनाथ जी ने आठवें भर्तृहरि को चिरंजीव कर दिया। ये आठवें चिरंजीव हुए कलयुग में, वे अभी भी जिंदा हैं। और वे चिरंजीव कैसे हो गये, भर्तृहरि, जब उनको यह सारा पिंगला का पता लगा, उन्होंने सन्यास ले लिया।

वह उनका नाम इसलिए रखा जाना चाहिए कि बहुत बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने तीन शतक लिखे हैं, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। पहला उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा, कालीचरण जी, जो आपके पढ़ने लायक है। उसमें ...(व्यवधान) गुलाब जी, श्रृंगार की बातें बहुत कम लोग समझते हैं।आपका सब्जेक्ट है नहीं यह। आपने जिनका श्रृंगार करना चाहा, वे दूर हो गये आपसे। ये तो काली, कालीचरण है, साहब। (व्यवधान) अब आगे मैं बोलता नहीं हूं।

तो श्रृंगार शतक लिखा, तो एक कोयल बोल रही थी। तो उन्होंने कहा, रे, कामातुराणाम अति कामकारणा, कोयल जब बोली, तो कामातुर पुरुष के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिए कोयल का बोलना अति-काम का कारण होता है, लेकिन जब उन्होंने वैराग्य ले लिया और वैराग्य शतक लिखा तो भी कोयल बोली। तो उन्होंने कहा, रे, रे कोयल कलरवे, किंतुम् व्यर्था जलवसी, तो उन्होंने कहा कि हे कोयल, तू व्यर्थ ही अपनी आवाज को क्यों खराब कर रही है? मैं वैराग्य में आ गया हूं। उसी प्रकार नीति शतक लिखा तो उन्होंने लिखा कि साहित्य, संगीत, कलाविहीन साक्षात् पशुतुच्छ विषाणे:; जो साहित्य, संगीत और कला से विहीन आदमी है, वह बिना सींग और पूंछ का जानवर है, उन्होंने लिखा है।

इतना ही नहीं, केवल वे उज्जैन से यहां भी नहीं आए। उन्होंने जब मूल तपस्या की तो हरिद्वार में की, और जो हर-की-पौड़ी है, वहां तपस्या की है, तो हर-की-पौड़ी उसका नाम भर्तृहरि के नाम से पड़ा। भर्तृहरि ने तपस्या की, इसलिए हर-की-पौड़ी है। वहां से अंतिम समय में वे मत्स्य प्रदेश में आ गये और यहां पर आकर रहे।

उनको मैं इतना कहना चाहता हूं कि वे केवल गोरखनाथ जी के शिष्य नहीं, केवल महात्मा ही नहीं, जब उन्होंने राजपाट छोड़ा तो अपने भाई विक्रमादित्य को राज सिंहासन पर बैठा दिया और विक्रमादित्य को राज सिंहासन पर बिठा कर कहा कि विक्रम, मैं राज छोड़ कर जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे से तीन काम चाहता हूं, तुम तीन काम करना। माननीय सभापति महोदय, भारत के इतिहास में यह सम्वत् 2070 चल रहा है, तब से, अभी तक उतना बड़ा काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं हुआ। विक्रम सम्वत् हम चला रहे हैं, सम्वत् हमारे यहां कोई नहीं चला सकता, कोई राजा जन्म गया या कोई साधु-संत जन्म गया, या कोई अवतार जन्म गया, उससे सम्वत् नहीं चलता है। उन्होंने तीन बातें उनको कही थीं, सम्वत् वह चलाएगा जो सारे देश को कर्ज से मुक्त कर देगा; सम्वत् वह चलाएगा जिसके राज में पांच साल तक ताला नहीं लगाहो और एक भी अपराध नहीं हुआ हो; सम्वत् वह चलाएगा जो भारत की भूमि का विस्तार करेगा, और विक्रमादित्य ने तीनों बातों को माना। उसने सारे देश में घोषणा कराई कि जो भी कोई ऋण लेने वाला है, ऋण है किसी पर, तो आए और ऋण मुक्त हो जाए, और उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने सारे भारत वर्ष को ऋण मुक्त किया। उन्होंने घोषणा कराई कि हिन्दुस्तान में आसयत् हिमाचल कहीं भी अगर चोरी हुई हो, पांच वर्ष में अपराध हुआ हो तो मेरे पास आए। पांच साल तक चोरी अपराध नहीं हुआ। उसके बाद जब शकों

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

ने आक्रमण किया तो शकों को मारकर, भारत की भूमि से बाहर भगाकर, शकारी विक्रमादित्य की उपाधि ली। उसके बाद में विक्रम संवत् चैत्र शुक्ला एकम् से प्रारम्भ हुआ। यह काम महाराजा भर्तृहरि के कारण से उनके भाई विक्रमादित्य ने किया। आज उसके बाद में भारत में कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो ये तीन काम कर सके।

इसलिए उनकी स्मृति को चिरस्थायी करने के लिए जो आप यह बिल लेकर आये हैं, उसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं।

दूसरा, मैं आपसे चाहूंगा कि भर्तृहरिजी के नीति, वैराग्य शतक और मत्स्य प्रदेश और महाभारत काल का वर्णन तो आप करायें, लेकिन साथ-साथ में मैं यह चाहता हूं, कि बहुत कम लोगों को पता है कि भर्तृहरिजी ने संस्कृत व्याकरण की एक बहुत बढ़िया पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है, ''वाक्य पदयम'', यह व्याकरण की अद्‌भुत पुस्तक है। उन्होंने व्याकरण शास्त्र का वर्णन किया। वे शब्द-ब्रह्म के उपासक रहे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, भर्तृहरिजी, भर्तृहरिजी के नीति शतक, उनका श्रृंगार शतक, उनका वैराग्य शतक, तीनों शतक आज हमारे साहित्यिक धरोहर के बहुत बड़े अंग हैं।

इसलिए मैं चाहूंगा, मंत्रीजी, यह जो भर्तृहरिजी का मत्स्य विश्वविद्यालय, इसमें एक तो मत्स्य प्रदेश का पूरा का पूरा इतिहास और महाभारत काल का इतिहास, जो बैराठ से लेकर सारी इन पर्वत श्रृंखलाओं में गूंजता रहा है, लोहार्गल तक, जहां पांडवों की बेड़ी कटी थी, वहां तक का इतिहास इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिये और भर्तृहरिजी के बारे में जो कहानियां हैं, वे; जो विक्रमादित्य के बारे में कहानियां हैं, वे; और इस शब्द-ब्रह्म और व्याकरण...। बड़ी गड़बड़ होती है हमारे यहां व्याकरण में। पिछली बार एक गलत शब्द लिखा था, मैं बोल रहा था तो विपक्ष के, माननीय मुख्य मंत्रीजी थे, उन्होंने कहा, ऐसे बोलने से क्या हो जाता है? तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, एक ''स्वज़न'' शब्द होता है, उसमें सीकर वाला ''स'' लिखते हैं और उसमें शेखावाटी वाला ''श'' लिख दिया जाये, जिसके आप गद्दीदार हैं सभापति महोदय, शेखावाटी वाला श्वज़न और सीकर वाला स्वज़न। स्वज़न, यानी अपना जन, खुद का आदमी, स्वज़न लिखने से, सीकर वाला ''स'' लिखने से, तो अपना आदमी है और शेखावाटी वाला ''श्वजन'' लिखने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

से कुत्ता हो जाता है। एक ब्राह्मण के लड़के ने पत्र लिखा कि सारे श्वज़न प्रसन्न हैं, तो उन्होंने कहा कि तू और तो कर, लेकिन यह जो स्वज़न है, स्वज़न को श्वज़न मत कर। तो यह व्याकरण में इतनी बड़ी त्रुटि होती है, माननीय मंत्रीजी।

इसलिए व्याकरण में 'वाक्य पदयम' लिखकर उन्होंने इस व्याकरण का बहुत बड़ा काम किया। इसलिए व्याकरण के बारे में, इस मत्स्य प्रदेश में और इस मत्स्य प्रदेश में पांडवों का और इस मत्स्य प्रदेश में भर्तृहरिजी का जो सारा काम है उसका, इसके लिए आप पुन: एक बार जागरण का काम करें।

ये बैराठ से आने वाले माननीय विधायक यहां बैठे हुए हैं, यह विराट से बैराठ हो गया। वहां पर पांडवों का अज्ञातवास था। वह पूरी एक कहानी है इस क्षेत्र की। यह जो थाती है, सभापति महोदय, लोग कहते हैं, ''यूनान मिस्र रोम, सब मिट गये जहां से, कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी'', वह कौनसी बात है, वह यही बात है। वह भर्तृहरिजी की बात है, वह महाराजा सूरजमलजी की बात है, वह पृथ्वीराज चौहान की बात है, वह महाराणा प्रताप की बात है, वह विक्रमादित्य की बात है। यह जो लोग कहते हैं, पूंजा भील कहीं खड़ा हो गया, कहीं गोकुला जाट खड़ा हो गया, ये जो हमारे स्तम्भ थे, मैं चाहूंगा कि इन विश्वविद्यालयों में आप पढ़ायें, नौकरी लगवायें, लेकिन जब तक इस चीज का ज्ञान नहीं करायेंगे तो हम आगे आने वाली पीढ़ी को उसके लिए प्रेरित नहीं कर सकेंगे।

इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि तीनों चीजों का, मत्स्य क्षेत्र का, महाभारत काल का और महाराजा भर्तृहरिजी, राजर्षि भर्तृहरिजी, इन तीनों चीजों के अध्ययन का केन्द्र बने। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बनवारी लाल जी सिंघल।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014, इसमें मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूं।

2008 में राजस्थान की तत्कालीन सरकार की मुखिया, आदरणीया वसुन्धराजी के द्वारा अलवर में एक विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई, ओ एस डी की नियुक्ति की गई और प्राथमिक तौर पर बजट का

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

एलोकेशन भी किया गया, लेकिन कुछ समय पश्चात् ही चुनाव के चलते आचार संहिता लगी, चुनाव हुए, प्रदेश में सरकार बदली और प्रदेश में 2008 में चुनकर आने वाली सरकार, कांग्रेस की सरकार के द्वारा राजनैतिक द्वेषता के चलते, जन-भावनाओं को दरकिनार करते हुए, इस विश्वविद्यालय को ठंडे बस्ते में बांधकर रखा गया। लम्बे समय तक इस विश्वविद्यालय को खुलवाने के लिए अलवर के युवाओं के द्वारा, पूरे जिले भर के विद्यार्थियों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा समय-समय पर धरने दिये गये, प्रदर्शन किये गये, यहां तक कि अनेक बार आमरण अनशन तक भी हुए, किन्तु राज्य सरकार के कानों पर कोई जूं नहीं रेंगी। अंत में, राज्य सरकार ने 2012-13 में इस मत्स्य विश्वविद्यालय को अलवर में खोले जाने की घोषणा, पूर्व में रखे गये नाम महाराजा भर्तृहरि के नाम से हटाकर, मत्स्य विश्वविद्यालय के नाम से खोले जाने की की और इस प्रकार से प्रचारित किया कि जैसे राजस्थान की यह जो अभी पूर्ववर्ती सरकार गई है, यह ही इस यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहती है। इसके लिए बजट का एलोकेशन भी हुआ, ओ एस डी भी लगाये गये।

अभी चूंकि प्रदेश में सरकार बदली है और पिछले दिनों जो काम नहीं हुआ था, उसको करने के लिए भी अब यह सरकार अपने पूर्ववर्ती वादों पर अपनी तत्परता दिखाते हुए, इसको आगे बढ़ाने के विषय में काम कर रही है। सबसे पहला जो काम, इस महाराजा भर्तृहरि के नाम को हटाने का पूर्ववर्ती सरकार ने किया, उस संशोधन विधेयक को आज लाया जा रहा है। इस पर मैं अपनी सहमति जाहिर करते हुए यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राजनैतिक दुर्भावना के कारण से **पांच** वर्ष तक इस यूनिवर्सिटी को लम्बित रखकर केवल अलवर शहर ही नहीं, केवल अलवर जिला ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान का इस कांग्रेस की सरकार ने नुकसान किया है। इन युवाओं को, इन विद्यार्थियों को अगर यह यूनिवर्सिटी मिलती तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में अलवर को लाभ होता, किन्तु राजनैतिक द्वेष को ऊपर रखते हुए और आम जन के हितों को दरकिनार करते हुए जिस प्रकार का काम किया गया, वह निंदनीय है।

मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीया मुख्य मंत्रीजी का, माननीय शिक्षा मंत्रीजी का, जिन्होंने पुन: महान तपस्वी, जैसा अभी सांगानेर से आने वाले हमारे वरिष्ठतम, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय घनश्यामजी ने कहा, लम्बी-चौड़ी व्याख्या के साथ में आपने महाराजा भर्तृहरि की भी और मत्स्य स्टेट की

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

भी जिस प्रकार से व्याख्या की, महाराजा भर्तृहरि ने, जो स्थान आज भर्तृहरिजी के नाम से ही प्रसिद्ध है, वहां आकर तपस्या में लीन होकर समाधि ली और उनकी तपस्या से, उनकी समाधि से यह क्षेत्र ऐसा पावन हुआ कि इस क्षेत्र अलवर में न किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा हुई, न कोई प्राकृतिक प्रकोप आता है, न कोई बाढ़ और न ही किसी प्रकार की कोई दुर्भिक्षा आती है, न कोई विभीषिका वहां होती है। ऐसे महान् तपस्वी के नाम को विलोपित करके पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने एक अपराध का काम किया और साथ ही, इस यूनिवर्सिटी को **पांच** वर्ष तक लम्बित करने का जो काम किया, वह भी एक आपराधिक काम था। अब वर्तमान सरकार के द्वारा इस यूनिवर्सिटी को स्थापित किये जाने का काम हो रहा है।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों जब 2012-13 के बजट के साथ-साथ इसकी घोषणा की गई तो इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए जगह की तलाश हुई। इसके बारे में भी मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि 2008 में जब इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, तो इसके लिए अलवर शहर के मध्य में राजर्षि महाविद्यालय के प्रांगण में ही भूमि चिह्नित की गई थी। चूंकि राजर्षि महाविद्यालय में सवा सौ, डेढ़ सौ बीघा से अधिक खाली भूमि आज भी उपलब्ध है, इस भूमि को तत्समय चिह्नित किया गया था, किन्तु पिछले दिनों कांग्रेस की सरकार के समय, एक किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के इरादे से, इस भूमि को छोड़ कर, इस मत्स्य यूनिवर्सिटी के नाम से इसको स्थापित करने के उद्देश्य से, पहले एक प्रतिबंधित क्षेत्र, जो वन क्षेत्र में आता है, डडीकर ग्राम, वहां भूमि को चिह्नित किया गया। जब सामाजिक संगठनों के द्वारा, युवाओं के द्वारा उस स्थान को अनुपयोगी और शहर से दूर बता कर इसका विरोध किया गया तो इसके बाद फिर पुन: हल्दीना गांव में इस यूनिवर्सिटी को ले जाने की एक सोची-समझी साजिश के तहत योजना बन रही थी।

मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस यूनिवर्सिटी का लाभ अलवर शहर को और अलवर जिले को तभी हो पायेगा जब इस यूनिवर्सिटी की स्थापना शहर के मध्य में हो और चूंकि स्थान उपलब्ध है, इसलिए पिछली फाइल, जो इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

समय 2008 में बजट एलोकेशन से पहले भूमि चिह्नित की गई थी, उसको भी माननीय मंत्री महोदय निकलवा कर पुन: उस पर कार्यवाही करें। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना अलवर शहर से बाहर होने से इस यूनिवर्सिटी का कोई लाभ होने वाला अलवर को नहीं है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं, इस यूनिवर्सिटी को पांच वर्ष का जो लम्बा अंतराल निकला है, इसमें अगर इसकी स्थापना होती तो आज अलवर में जो तीन सार्वजनिक क्षेत्र के कालेज, राजर्षि महाविद्यालय, बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय और महिलाओं के लिए संचालित गौरी देवी महिला महाविद्यालय, ये तीनों जो कालेज चल रहे हैं, इनमें छात्रों की संख्या चार-चार, पांच-पांच हजार होने के बावजूद, इतनी ही संख्या में प्रति वर्ष छात्रों को प्रवेश से भी वंचित होना पड़ता है। अगर पांच वर्ष पहले यह यूनिवर्सिटी स्थापित हो जाती तो जो स्थिति आज देखने को मिल रही है, छात्र या तो निजी क्षेत्र के कालेजेज में जाने को मजबूर हैं, जहां उनको भारी धन चुकाना पड़ता हैं; अधिकतम संख्या में ऐसे छात्र हैं जिनके अभिभावकों की कैपेसिटी में, जिनकी क्षमता में इतना धन चुका कर अपने बच्चों को उन निजी महाविद्यालयों में प्रवेश दिलाना सम्भव नहीं हो पाता है। ऐसे में या तो ऐसे विद्यार्थियों को अपना अध्ययन बीच में छोड़ना पड़ रहा है, या उनको कर्ज के बोझ के तले दबना पड़ रहा है।

तो मेरी माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यही प्रार्थना है कि इस यूनिवर्सिटी को जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी स्थापित करने की दिशा में काम राजस्थान की सरकार करे और शहर में स्थापित करे। मैं मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 का स्वागत करता हूं।

श्री सभापति: विराट नगर से आने वाले।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापतिजी, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी विराटनगर का नाम भी जोड़ा था, इतिहास में अंकित है...

श्री सभापति: वह तो पहले से ही जुडा हुआ है। इन्होंने थोड़े जोड़ा है, पहले से ही जुडा हुआ है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): इसमें मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्टडी सर्किल बने, उसमें विराटनगर के इतिहास को भी जोड़ा जाय।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इसी एक जुलाई से विश्वविद्यालय प्रारम्भ हो। कई वर्षों से अलवर के, अलवर क्षेत्र के विद्यार्थी तरस रहे हैं विश्वविद्यालय के लिए।

तीसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह महात्मा भर्तृहरिजी का जो नाम है, यह हम लोगों के लिए भी प्रेरणादायी बने। इतिहास में शायद ही कोई हो जिसने राज्य छोड़ने के लिए प्रयास किया हो और जब नहीं माना तो गुरु की शरण में जाकर के उन्होंने मन को समझाने का प्रयास किया और गुरु के कहने से वह किया जो नहीं करना चाहिए था, उन्होंने अपनी पत्नी को, अपनी रानी को...(व्यवधान) हां, नहीं करना चाहिए था। रानी, अपनी पत्नी को मां कहने वाला विषय है, लेकिन कहा उन्होंने। यह त्याग की पराकाष्ठा है, विचार की पराकाष्ठा है और वैराग्य की पराकाष्ठा है। ऐसा उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता, जो भाई को राज देकर चले गये। हम तो पन्द्रह बार एम एल ए बना दो तब भी सोलहवीं बार लड़ना चाहते हैं, उन्होंने तो सब त्याग किया। आज जो विवाद है, राजनीति में थोड़ी-बहुत जो गिरावट आई, उसका कारण यह है कि हम त्याग नहीं करना चाहते।

इस कारण से महात्मा भर्तृहरिजी का विषय इससे भी जुडा हुआ है कि किस प्रकार से उन्होंने राज्य का त्याग किया, श्रेष्ठता का त्याग किया और जो नीति शतक है उसको पाठ्यक्रम में..., राजस्थान की धरती पर उनका अस्तित्व है, उनका नामांकन है, इसलिए सभी विश्वविद्यालयों में नीति शतक को संस्कृत में या हिन्दी में, किसी न किसी विषय में जोड़ा जाना चाहिए। ऐसा मैं शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह करता हूं।

आग्रह यह भी करता हूं कि जो अलवर के तीनों कालेज हैं, भरतपुर के दोनों कालेज हैं, सीकर के कालेज हैं, इन सबको कांस्टिट्यूएंट कालेज बनाया जाय। जैसा राजस्थान यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत चार कांस्टिट्यूएंट कालेज हैं, वैसे अजमेर को भी बनाया जाय। जोधपुर को भी बनाया जाय, उदयपुर को भी बनाया जाय। मेरे यहां गर्ल्स कालेज जोड़ा जाय। लेकिन सभी जो हमारे सम्भाग हैडक्वार्टर्स हैं जहां विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय हैं, वहां कांस्टिट्यूएंट कालेज को उसमें जोड़ा जाय, जिस कारण से श्रेष्ठ शिक्षा का हो सके।

इस पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से कि अभी राजस्थान विश्वविद्यालय में चयन हुए हैं, उसमें मेरिट भी बनाई गई है, जोधपुर विश्वविद्यालय में भी चयन हुए हैं, जिसमें कितनी

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

बदनामी हुई है शिक्षा जगत की। यह श्रेष्ठ महात्माओं के नाम जोड़े गये हैं लेकिन ऐसा ध्यान रखा जाय कि चयन में ऐसा नहीं हो। राजस्थान विश्वविद्यालय में अभी तात्कालिक उदाहरण है, चार महीने पहले का ही, जिन बालक-बालिकाओं के या अभ्यर्थियों के जिनके बीस और इक्कीस नम्बर थे, उनको चार-चार नम्बर दिये गये; जिनके अठारह नम्बर थे उनको तीस में से तीस और बीस में से बीस देकर चयन किया गया। अगर शिक्षा जगत में श्रेष्ठ लोगों के नाम जोड़ कर के फिर इस प्रकार के चयन होंगे तो यह शिक्षा जगत के लिए अच्छा वह नहीं है। इस कारण से मैं शिक्षा मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह चयन प्रक्रिया को भी श्रेष्ठ बनाया जाय। पहले प्रक्रिया थी, प्रोफेसर बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता था, वह आवेदन नहीं करता था, अब तो आवेदन के बाद बेईमानी की जाती है। इस प्रकार की स्थिति को भी रोका जाना चाहिए, विश्वविद्यालयों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। यह भी मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं।

इस कारण से, यह श्रेष्ठ नाम जोड़ करके और एक इतिहास का श्रेष्ठ, एक तरह से, महात्मा, उसका नाम जोड़ कर अच्छा कार्य किया। उसके लिए मैं सरकार का भी, हमारी मुख्य मंत्रीजी का भी और शिक्षा मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन ये जो अध्ययन केन्द्र हैं, चाहे वह महाराजा सूरजमल अध्ययन केन्द्र हो, चाहे महात्मा भर्तृहरि अध्ययन केन्द्र हो, इन सबको विश्वविद्यालय के साथ ही शुरू किया जाय और उसको बाद के लिए लिंगर-आन नहीं किया जाय। वह स्टडी सर्किल बनने ही चाहिए, ऐसा निवेदन करता हूं।

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जो नाम परिवर्तन का बिल, विधेयक यहां पेश किया है, उसका सभी ने स्वागत किया है।

यह बात सही है कि 2008 में जब राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया था और उस समय यदि यह निर्णय फलीभूत हो जाता और यह निर्णय लागू होकर विश्वविद्यालय का काम हो जाता तो पांच साल में यह विश्वविद्यालय काम करने लग जाता। परन्तु

(श्री कालीचरण सराफ)

दुर्भाग्य से पांच साल का कार्यकाल ऐसा रहा जिसमें हर निर्णय राजनीति के आधार पर लेने का फैसला हुआ और यह विश्वविद्यालय जो पांच साल पहले बनना चाहिए था, वह नहीं बन पाया। खैर, अब यह विश्वविद्यालय बन गया है और आज राजर्षि भर्तृहरिजी के नाम को इसमें जोड़ा गया है, अब यह राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के नाम से जाना जायेगा।

सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है कि इस विश्वविद्यालय में मत्स्य प्रदेश का इतिहास, महाभारत का इतिहास और राजर्षि भर्तृहरिजी और विक्रमादित्यजी के इतिहास को भी संकलित करके रखा जाय, तो मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद जो यहां का पुस्तकालय होगा, उसमें इन सब से सम्बन्धित इतिहास को संकलित करके वहां उसको निश्चित रूप से रखा जायेगा और इसके साथ-साथ वहां एक शिलालेख भी लगाया जायेगा जिसमें इन सब बातों का उल्लेख होगा। मूर्ति की बात तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि अपने पास कोई राजर्षि भर्तृहरिजी की मूर्ति का आथेंटिक स्टेच्यू नहीं है। इसलिए मूर्ति की बात तो मैं नहीं कहूंगा।

जहां तक अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह विश्वविद्यालय राजर्षि महाविद्यालय प्रांगण में ही हो, तो आपने यह बात कही है, यह बात सही है पर क्योंकि इस विश्वविद्यालय के लिए ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेड़ा में 49.70 हैक्टेयर भूमि आबंटित हो चुकी है, पर फिर भी आपने जो यह सुझाव दिया तो इसको भी एग्जामिन कर लेंगे और जहां बढ़िया से बढ़िया अवसर होंगे, वहां इस विश्वविद्यालय को खोलने का हम प्रयास करेंगे।

(16.00 बजे)

विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि विराटनगर का इतिहास भी इसमें, तो महाभारत का इतिहास जब इसमें रखा जाएगा तो उसमें विराटनगर स्वत: ही आ जाएगा।

इसलिए सबकी भावनाओं का आदर करते हुए, मैं अनुरोध करूंगा कि इस बिल को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को पारित किया गया।

श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का जो मैंने प्रस्ताव किया था, उसके पीछे एक भाव था और वह यह था कि जब सरकारें बदलती हैं तो नाम बदल देते हैं; यह एक स्थायी व्यवस्था की जाए कि यह नाम परिवर्तन नहीं किया जाए, इससे महापुरुष का अपमान होता है। किसी महापुरुष के नाम से यदि हम कोई विश्वविद्यालय का नाम रखते हैं और यदि कोई नई सरकार आये और उसमें नाम बदल दे तो यह ठीक बात नहीं है।

दूसरा, यह कि एकात्म मानववाद के प्रणेता और एक आदर्श राजनेता, हालांकि यह विषय तो सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, आदरणीय तिवाड़ीजी का है, मैं उसमें बीच में घुसना नहीं चाहूंगा, उनका उद्‌बोधन हमें सुनने को मिले, एक तो मूर्ति उसमें लगनी चाहिए और लाइब्रेरी वहां पर होनी चाहिए और लाइब्रेरी में ऐतिहासिक साहित्य रखा जाए ताकि नई पीढ़ी को उसमें प्रेरणा मिले; एकात्म मानववाद का पाठ राजनेताओं को और विद्यार्थियों को भी मिले ताकि राजनीति में भी शुद्धिकरण हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मैं, आपकी अनुमति से, यह जन मत जानने हेतु परिचालित का प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री जोगाराम पटेल।

(अनुपस्थित)।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, उधर से इशारा होता है सरकार पक्ष से और माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के +++ बे-मन से खड़े होकर के अपना प्रस्ताव वापस ले लेते हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी सरकार ने, जब पहले थी, सीकर में विश्वविद्यालय खोलने के लिए एक नाटक किया और नाटक भी इतना बड़ा कि 6X8 की कोटड़ी में एक व्याख्याता को ओ एस डी लगाकर के बिठा दिया और जाते-जाते यह कह दिया, शेखावाटी में सीकर ज़िले में एक विश्वविद्यालय खुल गया है और उसका परिणाम आपने भुगता।

हमने जो शेखावाटी विश्वविद्यालय नामकरण किया था, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी, एक अच्छी सोच थी। हमारे सीकर, चुरू, झुन्झुनूं, जहां से राठौड़ साहब भी आते हैं, यह पूरा का पूरा इलाका शेखावाटी कहलाता है और शेखावाटी यूं ही नहीं कहलाता कि साहब, इसको शेखावाटी कह दो। इसके पीछे एक इतिहास है। वह इतिहास, मैं समझता हूं, जिन्होंने नाम परिवर्तन करने की चेष्टा की है, उनको पता था और उनके मन में एक ईर्ष्या जगी कि शेखावाटी का नाम हो जाएगा तो जिस प्रकार से शेखावाटी का नाम पड़ा, उनका नाम ऊंचा हो जाएगा। इसलिए परदे के पीछे एक षड्यंत्र किया और, सभापति महोदय, षड्यंत्र करके और इन्होंने एक नाम परिवर्तन का यह अध्यादेश लेकर के आये हैं।

ये कहते हैं, नहीं होना चाहिए, राठौड़ साहब ने भी, माननीय सदस्य ने भी कहा। राजीव गांधी शिक्षा संकुल का नाम किसने चेंज किया था? आप ही ने तो किया था। तो यह परम्परा डालता कौन है? आप ही तो डालते हो। इसलिए कि यह आपकी आदत में है।

शेखावाटी का नाम राव मोकल, जो राव राजा था, उनके लड़का नहीं था और लड़का नहीं होने के कारण से; फिर एक सूफी संत हुए, उस सूफी संत ने आशीर्वाद दिया, उसका नाम था शेखपुरी खान, उनके आशीर्वाद से राव राजा मोकल के संतान उत्पत्ति हुई। उन्होंने उनका नाम शेखा रखा और वह आगे जाकर के शेखावत कहलाया।

यह पूरा षड्यंत्र है। माननीय सभापति महोदय, यह शेखावतों के नाम से शेखावाटी है और हमें गर्व है और उसके कारण से कुछ लोगों के मन में, जो अपने आपको शेखावतों के बराबर समझने की चेष्टा करते हैं, उन्होंने बड़े षड्यंत्र से घुमा करके, शेखावाटी का नाम वापस विलोपित करने का काम कर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

रहे हैं। यह अच्छी परम्परा नहीं है। शेखावाटी का नाम 600 साल पुराना है। यह आज का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। लेकिन, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस 600 साल पुराने नाम को और जिनको हमारे पूर्व मुख्य मंत्री भैरोसिंहजी शेखावत, कितना बड़ा नाम, उप-राष्ट्रपति भी हुए, लेकिन आज इस भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए कुछ लोगों को न तो भैरोसिंहजी शेखावत का नाम पसंद है और न शेखावतों की शेखावाटी का नाम पसंद है। तभी माननीय सदस्य, मदन सिंहजी राठौड़ ने कहा, नहीं, नहीं, उनका दीनदयालजी का नाम तो नहीं बोल पाये वे लेकिन कहा कि, नहीं, नहीं, यह शेखावाटी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसको वापस लेता हूं।

यह मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं, माननीय सभापति महोदय। शेखावतों के वंशज, जो गद्दीदार आप हैं, जहां से शुरू होता है पूरा शेखावाटी, यहां से, अमरसर से और पूरा सीकर, चुरू, झुन्झुनूं, हमें नाज है और हमारे नेता भी हुए हैं, माननीय भैरोसिंहजी शेखावत उप-राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे, वे भी शेखावत थे। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, माननीय राठौड़ साहब, शेखावतों से इतनी क्या एलर्जी है आपको? इनका नाम ही मिटाने को लग गए आप। मंत्री तो बनाओ, आपकी मर्जी; नहीं बनाओ, आपकी मर्जी, लेकिन शेखावाटी का नाम जो शेखावतों से पड़ा, उस शेखावाटी के नाम से विश्वविद्यालय तो रहने दो। हमारे बच्चे-बच्चे में, सभी संगठनों में, चाहे वे किसी भी जाति के लोग हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे जाट हों, सब लोग शेखावतों का सम्मान करते हैं, जिसके कारण से आज यह प्रसिद्ध है। हम मुंबई में जाएं, कलकत्ता में जाएं, कर्नाटक में जाएं, माननीय सभापति महोदय, हमें यह बताना नहीं पड़ता है कि सीकर के हैं। सीकर, चूरू, कोई नहीं जानता, कोई जाने या नहीं जाने, लेकिन शेखावाटी के नाम से सब जानते हैं। तो जब शेखावाटी के नाम से, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। अगर आपको, हम विरोध नहीं करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अच्छे थे, उनके नाम से कीजिए।

लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, इन्होंने यह जो तीन-चार संशोधन लाये, पेट पर हाथ फेर-फेर के आपसे अनुमोदन करवा लिये। एक दफा डबल हाथ फेर के पेट पर कोई नया विश्वविद्यालय खोल लें पंडित दीनदयालजी के नाम से, हमें आपत्ति थोड़े ही है इसमें। पेट पर हाथ फेर रहे हैं माननीय शिक्षा

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मंत्रीजी, बार-बार फेर-फेर के, क्योंकि कोई आदमी कोई असत्य कथन करता है तो उसको जोर आता है और जब पचता नहीं है वह, तो, सभापति महोदय, फिर पेट पर हाथ फेरना पड़ता है। इसलिए ऐसा काम ही क्यों करते हो कि आपको बार-बार पेट पर हाथ फेरना पड़े?

शेखावाटी विश्वविद्यालय, हमारी सरकार ने, माननीय अशोक जी गहलोत ने केवल 6X8 के कमरे में ओ एस डी नहीं बैठाया। माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमने वहां पर कुलपति भी लगाया, स्टाफ भी लगाया, जमीन भी आबंटित की और उसके लिए जितना हमसे बन पड़ा, बजट भी आबंटित किया। आज अगर कल वाले बजट में कोई वहां पर दो-पांच सौ करोड़ रुपये बजट देते इस विश्वविद्यालय को और फिर कुछ करते तो बात समझ में आती। खाली-पीली में सुबह से शाम तक रगड़ा-पट्टी हो रही है। नाम कर दो, ऐसा कर दो, नाम कर दो।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, हमारी सरकार आएगी दुबारा और पूरे बहुमत से आएगी और फिर हम शेखावतों का सम्मान करते हुए शेखावाटी विश्वविद्यालय इसका नाम रखेंगे। हम किसी जाति विशेष के विरुद्ध नहीं हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ये रगड़ा-पट्टी क्या होती है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी तो करा ही रखी है न राठौड़ साहब ने। पता नहीं, वरना आप सशक्त कैबिनेट मंत्री होते और हम उसका लाभ लेते। लेकिन हमारा भी दुर्भाग्य है कि हम आपका लाभ नहीं ले रहे हैं, पूरे ज्ञान का, पूरी ऊर्जा का।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, सोचना चाहिए, अब भी संभालना चाहिए। किसी शेखावत को मंत्री बनाओ कि मत बनाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन इस शेखावाटी विश्वविद्यालय का नाम तो रख दो, जो बच्चे-बच्चे के जुबान पर है, बच्चा-बच्चा चाहता है, बूढा चाहता है, महिला चाहती है। इसलिए अभी भी समय है, क्योंकि आप अगर किसी का असम्मान करोगे तो फिर उसका नतीजा भी आपको भुगतना पड़ेगा और थोड़ी शुरुआत तो हो चुकी है, सभापति महोदय, नतीजा भुगतने की। इनको समय-समय पर चेताने वाला एक शेखावत सदन में मौजूद है। अब आज यह समय की गड़बड़ चल रही है, वरना तो यह भी पता लगता। अगर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माननीय अध्यक्ष महोदय इस कुर्सी पर विराजे होते तो मेरी बात को समर्थन मिलता यहां से, इस सदन से।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह छह सौ साल पुराना इतिहास हमारी शेखावाटी का, इसको, राठौड़ साहब, रहने दीजिये। इस इतिहास को आप मिटाने की कुचेष्टा मत कीजिये, वरना, यह इतिहास गवाह बनेगा, यह पूरी भारतीय जनता पार्टी मिट जाएगी। इसमें कोई संदेह मुझे नहीं लगता। (व्यवधान) आएगी, चिन्ता मत करो आप।

इसिलए, सभापति महोदय, मैं ज्यादा लम्बा नहीं करके, इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह शेखावाटी के जन-जन की पुकार है; एक हमारी पहचान है, हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी हम जाते हैं तो वहां लोग कहते हैं, कहां से हो, शेखावाटी से हो, तो हृदय से गद्-गद् होकर के वे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए यह जो सीकर में विश्वविद्यालय खोला गया, उसका शेखावाटी विश्वविद्यालय नाम रहना चाहिए और जो पण्डित दीनदयाल जी, जो भी हैं, महापुरुष हैं, अच्छे हैं, शिक्षाविद् हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं, आप उनके नाम से सीकर में शेखावाटी में एक मेडिकल कालेज खोल दीजिये। कौन मना कर रहा है आपको? आपने कल-परसों भी तो एक घंटे की प्रेस कांफ्रेंस में वहां खोल दी, नाली भी बना दी, फलाने के घर से फलाने के घर तक नाली बना देंगे, यह कर देंगे और गउओं को चारा डाल देंगे और हम ...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ये आपके ही वायदे थे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको कम बोलना आता है इसीलिए तो आपको चीफ व्हिप बनाया है, वरना तो मंत्री भी तो बना देते। ये ही थोड़े देते।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मैं तो रह चुका हूं। आपने तो कभी देखा है क्या, विभाग क्या होता है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वे सम्मान करते हैं, साहब। आप पंचायत राज मंत्री थे, तो इतना अच्छा काम करते थे, सभापति महोदय,...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मैं तो अभी भी अच्छा कर रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने देखा है, मैं उस टाइम प्रधान था, बहुत अच्छा काम करते थे।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मुझे तो जो भी काम दिया जाता है, सब अच्छा ही करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसके पीछे भी, सभापति महोदय, कोई साजिश हुई है। इस साजिश के तौर पर आपको कैबिनेट मंत्री से वंचित किया गया है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप प्रधान थे, तभी साजिश शुरू की थी आपने।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपको इसकी तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे तो हो नहीं रही। मैं तो खुश हूं, मेरी मर्जी से बना हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं तो आपके पक्ष की ही बात कर रहा हूं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सभापति महोदय, ये प्रधान थे तभी से इन्होंने साजिश शुरू की है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विश्वविद्यालय नाम परिवर्तन का विधेयक है, यह जन मत जानने हेतु परिचालित किया जाय। इसमें जल्दबाजी नहीं की जाए। ये लाखों शेखावाटी के लोगों की आस्था की बात है। मैं व्यक्तिगत तौर पर न तो किसी के खिलाफ हूं, न ही व्यक्तिगत किसी के पक्ष में हूं, लेकिन इसके पीछे जो साजिश है उसका पर्दाफाश करें और पुन: इसको जन मत जानने के लिए परिचालित करें। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायक जब बोलने के लिए खड़े हुए तो मैंने यह सोचा कि इतनी भारी हार के बाद उनको कुछ अक्ल आयी होगी और अच्छी-अच्छी बातें कहेंगे, पर मुझे लगता है कि ये अपनी आदतों से बाज नहीं आ सकते। मैं इनको बताना चाहूंगा, इन्होंने शेखावाटी शब्द के साथ बड़ा प्यार दर्शाया, तो इनको यह जानकारी देना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय का नाम हमने जो रखा है, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय। शेखावाटी नाम को हमने इसमें से अलग नहीं किया। नंबर-1 ।

(श्री कालीचरण सराफ)

दूसरा आपने कहा कि भैरोंसिंह जी शेखावत, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज यदि भैरोंसिंह जी शेखावत जिन्दा होते तो भैरोंसिंह जी शेखावत को राजनीति में लाने वाले, राजनीति का पाठ पढ़ाने वाले और मैं यह कहूं कि उनके राजनीतिक गुरु पण्डित दीनदयाल जी उपाध्याय थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिर मैंने यह भी सोचा कि अब तो ये राजनीति से थोड़ा ऊपर उठेंगे। डा. राममनोहर लोहिया, चौधरी चरणसिंह, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय, ये इस प्रकार के राजनीतिज्ञ हुए हैं हिन्दुस्तान में जो राजनीति से ऊपर हैं, पर आपका जो सोच है उस पर मुझे बहुत ही दया आ रही है।

आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने नाटक किया और एक कमरे में षड्यंत्र रचकर शेखावाटी विश्वविद्यालय की घोषणा कर दी। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप **पांच** साल क्या कर रहे थे? **पांच** साल में आप ही एक बड़ा कमरा दे देते, पर **पांच** साल तक आपको सुध नहीं आयी और आपने जाते-जाते चार यूनिवर्सिटीज की घोषणा की। एक तो राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी, उदयपुर में, आपने उसको ट्राइबल हास्टल में, एक कमरे में चालू की; दूसरी आपने हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी आफ जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन, जयपुर की घोषणा की और सूचना केन्द्र के एक कमरे में उसको भी आपने प्रारम्भ किया; सरदार पटेल यूनिवर्सिटी आफ पुलिस एंड क्रिमिनल जस्टिस, जोधपुर आपने प्रारम्भ की, तो जो गवर्नमेंट की पुलिस लाइन है जोधपुर में, उसमें एक कमरे में आपने चालू की; और डा. भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बहुत ही अव्यवस्था है वहां तो। पता ही नहीं, यूनिवर्सिटी किधर है।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): पता नहीं, मैं बता रहा हूं आपको।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कार्ययोजना में ले लो न उसको।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ...(व्यवधान) हम साठ दिन की में ही ले लें?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 60 दिन में ही ले लो, सब हो जाएगा।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): दलितों के नेता डा. भीमराव अम्बेडकर बड़ी दुहाई देते हैं आप। उनके लिए तो आपको अपना कोई कमरा भी नहीं मिला, तो आपने किराये के कमरे में उसको चालू किया। अब ये षड्यंत्र आप कर रहे हैं, या हम कर रहे हैं, यह तो सब जनता जानती है और जनता ने आपने ये जो घोषणाएं कीं न, उसका यह परिणाम किया कि आपको इक्कीस सीटों पर लाकर पटक दिया। यदि दो सीटें कम आ जातीं तो आप यहां विपक्ष के लायक भी नहीं रहते। खैर, मुझे पूरा विश्वास है ....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): खरीद कर कर लो। इसमें आपको महारत हासिल है।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): सुनिये, अब ये कह रहे थे, ...

श्री सभापति: आसन की इजाजत के बगैर कोई भी बात कहेगा, वह अंकित नहीं होगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सभापति: विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): तो अब ये तो, जैसा मैंने कहा और ये कह रहे थे कि अब हम दुबारा सत्ता में आएंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपनें हैं। सत्ता में नहीं आओगे। अभी लोक सभा का जब चुनाव होगा तो यह भी एक रिकार्ड बनेगा हिन्दुस्तान में कि राजस्थान की पच्चीस सीटों में से कांग्रेस को कितनी, जीरो। यह भी रिकार्ड बनने वाला है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): हां, उसकी चिन्ता मत करो। ये वोटों के कारण ये नाम नहीं रखे जाते,

इतिहास पुरुष के नाम से ये नाम रखे जाते हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे व्यक्ति, आर्थिक चिंतक, दुनिया में दो वाद चलते थे, पूंजीवाद और साम्यवाद, उन्होंने एक मूल दर्शन दिया, मानववाद, और आपको यह जानकारी होगी नहीं, तो मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने एस.के. कालेज, सीकर से अपनी पढ़ाई की और वहीं पढ़ कर के उन्होंने **पांच** सब्जेक्ट में गोल्ड मैडल प्राप्त किये। लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे, गरीब थे, मां-बाप नहीं थे, मामा के घर पर पढ़े। रज़ाई ओढ़ कर, उसमें लालटेन जलाकर, वे पढ़ते थे। आप यदि उनके जीवन को देखेंगे तो आपको खुद को अपने जीवन पर शर्मिंदगी महसूस होगी। यही मैं कह सकता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): एक चीज और बताऊं ...(व्यवधान) जिनकी आप बात कर रहे हैं....

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): आप जिन शेखावतों की बात कर रहे हैं, जो सीकर के महाराज साहब थे, उन्होंने उनको पढ़ाई के लिये वजीफा भी दिया। आप करेक्ट कर लेना, उनसे जाकर पता कर लेना।

अब मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि हमने केवल विश्वविद्यालयों की घोषणा ही नहीं की, **पांच** साल में यदि काम होता तो आज शानदार विश्वविद्यालय बन जाता, पर आपने नहीं किया। हमने विश्वविद्यालय के लिये ग्राम कटराथल, सीकर में 30 एकड़ भूमि आबंटित भी कर दी है...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): विराजो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अब इनकी तो गलतबयानी करने की आदत है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): ...(व्यवधान) मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: आपको किसने इजाजत दी? मंत्री महोदय, आप अपना वक्तव्य जारी रखिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: थर्ड रीडिंग में आप बोल लेना।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी जानकारी दे दूं कि जब 2008 में हमारी पिछली सरकार थी, उस समय तो यह जमीन आबंटित हुई और अब उसकी चारदीवारी का काम भी हमने शुरू कर दिया है और इसमें वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जायेगी। शानदार और जानदार विश्वविद्यालय वहां स्थापित होगा। स्थापित होने के बाद

(श्री कालीचरण सराफ)

उस विश्वविद्यालय परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लगाई जायेगी। उनके जीवन से सम्बन्धित और शेखावाटी के इतिहास का शिलालेख पर ब्योरा होगा और शेखावाटी का इतिहास और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से सम्बन्धित जितना भी इतिहास है, उनका संकलन करके विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में रखा जायेगा और एक शानदार और जानदार विश्वविद्यालय बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध थी और कटिबद्ध है।

इसलिए इस बिल को पारित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: बिल को पारित नहीं किया जाये।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): सारी। सारी।

श्री सभापति: दुबारा कहिए। दुबारा कहिए।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): जन मत जानने के लिये परिचालित करने की जो बात कही है, उसको वापस लिया जाये और इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधित प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 4 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

अनुसूची। कोई संशोधन नहीं।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाये?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, पिछले दस सालों से लगातार शेखावाटी में विश्वविद्यालय खोलने को लेकर बहुत बड़े आंदोलन हुए हैं और उन आंदोलनों के परिणामस्वरूप कई लोग राजस्थान की विधान सभा में भी पहुंच गये। लेकिन पिछले पांच सालों में हमने देखा कि विश्वविद्यालय खोलने के नाम पर उनके मुंह पर ताला लगा हुआ था, वे सरकार में बैठे हुए थे लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के टाइम इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिये कोई प्रयास नहीं किये गये।

इस शेखावाटी विश्वविद्यालय के साथ ही तीनों विश्वविद्यालय, महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय और अलवर के विश्वविद्यालय के जो विधेयक आज आये हैं, ये तीनों विश्वविद्यालय 2008 में पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा मंत्री रहे और शेखावाटी से आने वाले घनश्याम जी तिवाड़ी की सोच थी कि शेखावाटी में ...(व्यवधान) हंसो मत, शेखावाटी में शिक्षा का स्तर राजस्थान में सबसे ज्यादा है। हम जब राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव लडते थे, जीते थे, तब भी इस राजस्थान यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट अगर कहीं का था, तो जयपुर के बाद सीकर और झुंझुनूं के लड़के, जो शेखावाटी का इलाका आता है, यहां के ग्रामीण लड़के

(श्री हनुमान बेनीवाल)

राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। यहां के नेताओं की कमजोरी की वजह से यहां विश्वविद्यालय अभी तक नहीं खुला।

अभी पक्ष-विपक्ष की कई बातें हुई लेकिन पिछले पांच सालों में अगर पूर्ववर्ती सरकार चाहती तो निश्चित रूप से इन विश्वविद्यालयों में अभी पाठ्यक्रम चालू हो जाते, लेकिन विश्वविद्यालयों की गति बढ़ाने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया। हां, पूर्ववर्ती सरकार ने एक काम जरूर किया था, पूर्ववर्ती सरकार को अगर सबसे ज्यादा चिढ़ थी तो वह जाटों से थी, महाराजा सूरजमल का नाम जरूर उन्होंने भरतपुर से हटा दिया था। इसको आपने आज वापस किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और शेखावाटी विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय किया गया है, अब हम तो दोनों पार्टियों को हरा कर आये हैं, सीधी बात है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी कुछ नहीं किया और इन्होंने कुछ किया, जमीन की बात में तो मैं भी साक्षी हूं कि घनश्याम जी तिवाड़ी ने जमीन का अलाटमेंट करवाया और इस विश्वविद्यालय को राजस्थान में खुलवाने में घनश्याम जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, क्योंकि मैं भी पहले भारतीय जनता पार्टी में रह चुका हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किसी भी सदस्य का व्यक्तिगत नाम न लेकर, आप उनके निर्वाचन क्षेत्र का नाम लें, तो यह बेहतर होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री जी कहां चले गये? सो गये होंगे जाकर। दोपहर को दो घंटे सोते हैं।

सभापति महोदय, आज देश की सीमाओं पर सबसे ज्यादा अगर सैनिक शहीद होते हैं तो वह शेखावाटी किसान के बेटे देश की रक्षा करते हुए शहीद होते हैं।

आज इस देश के किसी भी कोने में चले जाओ, देश के किसी भी कोने में चले जाओ, शेखावाटी के लोग, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, हर जगह मारवाड़ी और शेखावाटी के लोग निश्चित रूप से मिलेंगे। विश्वविद्यालय की बहुत पहले यहां आवश्यकता थी लेकिन देर-सवेर इस ओर ध्यान दिया गया और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नाम परिवर्तन करके, इसका रखा गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं बधाई देता हूं कालीचरण

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जी को कि इसी तरह आगे बढ़ते रहे और पेट पर हाथ फेरने के साथ-साथ और जगह भी हाथ नहीं फेरें। आपको धन्यवाद।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति जी, मैं सर्वप्रथम तो माननीया मुख्य मंत्रीजी को, माननीय शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, शिक्षा से जुड़ा होने के नाते, भारतवर्ष में ये दो जिले ऐसे हैं जो नेशनल औसत से बहुत नीचे शिक्षा का स्तर बनाये हुए हैं। जब सम्पूर्ण भारतवर्ष में 84 हजार की आबादी पर एक विश्वविद्यालय, एक कालेज होता था, उस समय शेखावाटी और सीकर के कालेजों की स्थिति 23 हजार थी और उसमें राजस्थान 56 हजार पर था। 56 हजार की आबादी पर एक कालेज और पूरे देश में 84 हजार की आबादी पर एक कालेज, उस समय शेखावाटी 23 हजार पर था। उस विश्वविद्यालय के साथ वर्षों-वर्षों तक अन्याय हुआ, उस क्षेत्र के लिए, दोनों जिलों के लिए। जहां शिक्षा को उन्होंने चरम पर पहुंचाया, वहां विश्वविद्यालय नहीं था। उस त्रुटि को, उस अन्याय को, उस भेदभाव को ठीक किया, इस कारण से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

दूसरा, जिस महापुरुष के नाम पर विश्वविद्यालय का नामान्तरण किया जा रहा है, मैं लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वह कैसा विद्वान था। सीकर की धरती पर उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का रिकार्ड मीट किया, बिरला जी की छात्रवृति प्राप्त की और शेखावतों के राजा, जो सीकर में थे, उनसे छात्रवृति प्राप्त की।

एक शब्द पर मैं निवेदन करना चाहूंगा लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को। उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में एक शब्द दिया, अपने विचारों में, अदेवमात्रिका कृषि होनी चाहिए भारत में। इस अदेवमात्रिका का अर्थ है, जो देवताओं पर नहीं है, सिंचाई पर निर्भर है; जिसके लिए आप तरस रहे हों, जिसके लिए सारा शेखावाटी तरस रहा है। कोई गंगा के पानी के लिए, कोई जमुना के पानी के लिए, कोई चम्बल के पानी के लिए तरस रहे हैं। उसके बारे में उन्होंने एक शब्द में पूरी कृषि व्यवस्था के बारे में चिंतन किया।

ऐसा श्रेष्ठ चिंतक, जो पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का रास्ता, जो इस देश का मूल विचार था, उसको विचार रूप में बांधा। इसी प्रकार से उद्योग के बारे में कहा, अपरमात्रिका उद्योग। उद्योग की स्थापना करते वक्त हमारे ध्यान में यह रहना चाहिए कि इतना पैदा करेंगे तो देश में आवश्यक है, उससे

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

ज्यादा पैदा करेंगे, इस कारण से एक्सपोर्ट भी हम कर सकें। वहां भी एक शब्द से उन्होंने बांधा।

एकात्म मानव दर्शन में भी उन्होंने यह नहीं कहा, जैसा कांग्रेस के भाई सोचते हैं कि हम और हमारा, कौन, युवराज, ऐसा नहीं है; उन्होंने कहा, यह जो शरीर है, यह जो व्यवस्था है, उसमें शरीर है, मन है, बुद्धि और आत्मा है। वहां तक चिंतन किया और चिंतन को साकार बनाने के लिए उन्होंने एकात्म मानव दर्शन का दिया। इतना ही हमारा चिंतन है।

इतना ही नहीं, वे कहते थे, व्यक्ति, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, वहां तक चिंतन भारत का गया। यह भी उन्होंने कहा, यह भी दीनदयाल जी ने कहा। एकात्म मानव दर्शन के लिए, उसके चिंतन के बारे में आपको सोचना चाहिए, परमेष्टि तक जाने का। आज पर्यावरण पर हम जो कह रहे थे, वह प्रकृति का ही मामला है, जिसके बारे में उन्होंने कहा। बहुत श्रेष्ठ विचार हैं।

अन्त्योदय एक शब्द दिया, जिसके आधार पर, जिनकी आपने बात की, आदरणीय भैंरोसिंह जी मुख्य मंत्री थे, एक दिन में 1 लाख 65 हजार परिवारों का चयन, अन्त्योदय के नाम पर चयन करके, गरीबी हटाने का काम किया। वह अन्त्योदय शब्द भी दीनदयाल जी की देन थी।

ऐसे श्रेष्ठ चिंतक और इस बात की, मैं कह रहा हूं कि चिंतन के बारे में, अगर कौटिल्य के बाद में कोई विद्वान पैदा हुआ, चिंतन के बारे में, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सभी क्षेत्रों में; वे राजनीति के बारे में कहते थे, लोकमतपरिष्कृत, यह शब्द सीखना चाहिए आपको। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये कुछ शब्द हैं जिनके बारे में आपको चिंतन करना चाहिए। इन पर पुस्तकें लिखी जा सकती हैं, पीएच डी की जा सकती हैं।

ऐसे चिंतक का नाम रखकर, एक श्रेष्ठ कार्य और इस राजस्थान की धरती को एकाग्र मानववाद का अध्ययन केन्द्र मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। इस कारण से, उसके लिए मैं इस नाम परिवर्तन का समर्थन करता हूं और पुन: धन्यवाद देता हूं कि ऐसा करके एक बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है। धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, पिछले दो बिल पर जिस प्रकार से अभी अपन ने कहा, उसी प्रकार का तीसरा बिल है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उस समय पूर्ववर्ती सरकार में जब हमने सोचा था, तब हमने विचार किया था कि महारानी जया कालेज, भरतपुर है, इसकी संख्या कितनी है, राजऋषि कालेज, अलवर की है, उसकी संख्या कितनी है; और श्री कल्याण कालेज, सीकर है, उसकी संख्या कितनी है। तो दस-दस हजार से अधिक संख्या के कालेज हो गये। इसलिए कंसेप्ट डवलप करने की कोशिश की कि क्षेत्रीय

(16.36 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

विश्वविद्यालय बनें। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय विश्वविद्यालय के आधार पर हम इस काम को परिपूर्ण कर सकते हैं ।

अभी जो बिल हमारे सामने है, विद्वान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भौतिक उपलब्धियों को देखते हुए, उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाये रखने के लिए, राज्य सरकार ने शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के रूप में परिवर्तित किये जाने के प्रस्ताव का निश्चय किया। इन बिलों के माध्यम से दो-दो चीजें एक साथ दी हैं, पहला दिया उस क्षेत्र की विशेषता; दूसरा दिया, वहां पर किसी व्यक्ति की विशेषता। जब बृज विश्वविद्यालय का नाम था तो हमने महाराजा सूरजमल का नाम उसके साथ जोड़ा क्योंकि महाराजा सूरजमल का बृज के साथ, भरतपुर के साथ और बृज क्षेत्र का नाम उनसे जुड़ा हुआ है। जब हमने भर्तृहरि के नाम का सोचा तो हमने सोचा कि मत्स्य प्रदेश, अलवर, बैराठ, भर्तृहरि जी, इनके नाम का सामन्जस्य है। हमने शेखावाटी का सोचा, शेखावाटी क्षेत्र का और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जुड़ाव है उसको हमने सोचा... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हां, मैं बोल रहा हूं, गम्भीरता से ही बोल रहा हूं, मैं जातीय लाभ नहीं उठाता। अगर मैं जातीय लाभ उठाना चाहता तो मैं महाराजा सूरजमल जी की इतनी तारीफ नहीं करता, मैं भर्तृहरि जी की इतनी तारीफ नहीं करता, वे राजपूत थे, वे जाट थे। मैं महापुरुषों में न जाति देखता, न समाज, सम्प्रदाय देखता। शेखावाटी विश्वविद्यालय का जब नाम रखा तो शेखावाटी का नाम नहीं बदल रहा है, शेखावाटी का 6 सौ साल का इतिहास नहीं बदल रहा है। शेखावाटी का नाम और इसका इतिहास कोई बदल भी नहीं सकता है। किसी में सामर्थ्य भी नहीं है कि बदल दें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि शेखावाटी बहुत चीजों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी की हवेलियां दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। लोग उसको विश्व की आर्ट गैलेरी के नाम से जानते हैं। अगर आज उन हवेलियों को देख लें तो उन हवेलियों पर आर्ट गैलेरियां हैं। तो आर्ट की बहुत बड़ी कला वहां पर है। शिक्षा के क्षेत्र में पिलानी और बहुत से क्षेत्र हैं। शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी के सेठों ने आजादी के पहले शेखावाटी के हरेक गांव में अपने बाप-दादाओं के नाम से और अपने ट्रस्टों के आधार पर कालेज और प्राइमरी स्कूलें खोल दी थीं। आज उन्हीं के कारण से हम बार-बार गर्व करते हैं, ना कि शेखावाटी आज शिक्षा में सबसे आगे है। तो उसका श्रेय शेखावाटी के उन श्रेष्टियों को जाता है, उन्होंने शिक्षा में इस प्रकार योगदान किया। एक।

दूसरा मैं कहना चाहूंगा, शेखावाटी केवल इसी के लिए नहीं है, शेखावाटी धार्मिक रूप से भी बहुत बड़ा स्थान है। या तो नर्मदा की परिक्रमा होती है, या लोहारगल की परिक्रमा। लोहारगल वह स्थान है जहां पर पाण्डवों का बेड़ी और लोहे की ग्रिल थी, उसको वहां जाकर काटा गया। इसलिए उसका नाम लोहारगल रखा गया। बहुत बड़ी परिक्रमा उस क्षेत्र में होती है।

उसी प्रकार, जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, अपन कहते हैं, जयंती मंगलाकाली, भद्रकाली कृपालनी, तो पहला नाम आता है जयंती का। जीण माता के नाम से प्रसिद्ध है और वह वहां पर है।

उसके बाद में आता है शाकम्भरी का। जब देवता इस बात से नाराज हो गये कि सब देवी की पूजा करते हैं, और उन्होंने वृष्टि नहीं की। तो बहुत बार वृष्टि नहीं हुई तो शाकम्भरी देवी ख्याता, शाकम्भरी देवी की आराधना की गई। उदयपुरवाटी की पहाड़ियों में और सीकर जिले की सीमा पर शाकम्भरी माता का मन्दिर है। उसके बाद में सबसे बड़ा मंदिर वहां से थोड़ी दूर जाने के बाद में सालासरजी का भी है।

तो सालासरजी का स्थान है, जीण माता का स्थान है, शाकम्भरी का स्थान है, लोहारगल का स्थान है।

इन सबके साथ-साथ, जो सबसे बड़ा स्थान है, वह शहीदों का स्थान है वहां पर। कोई गांव नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, चाहे कारगिल के शहीद हों, चाहे चीन की लड़ाई हो, चाहे कोई सी लड़ाई हो, आज हर गांव में 25 से लेकर 30 वर्ष के जवान के स्टेच्यू शहीद के रूप में शेखावटी के गांव में पैदा हो रहे हैं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कोई एक चीज पैदा नहीं की वहां पर। शहीद पैदा किये वहां पर, संत पैदा किये वहां पर, परमहंस पैदा हुए वहां पर, साहूकार पैदा किये वहां पर, वीर पैदा किये वहां पर। वह ऐसी धरती है।

एक माननीय सदस्य: आप छोड़कर आ गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं कहीं छोड़कर नहीं आया, यहां तक ले आया हूं।

इसलिए उस क्षेत्र में, हमने प्रारम्भ किया तो नाम क्यों रखा, अब यह नाम आया ना, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। यह नाम उसी दिन भी रखा हुआ था, यह नाम इसलिए रखा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आप तो इमरजेंसी में जेल में रहे, आप जानते हैं कि भारत को आजाद करने के बाद, भारतीय राजनीति में अगर स्वेदशी का, इस जमीन की आने वाली गंध से जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उन्होंने कुछ लिखा तो चार लोगों का नाम उसमें अमर है, डाक्टर राम मनोहर लाल लोहिया ने लिखा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लिखा, समग्र क्रांति की बात जयप्रकाश नारायण ने की और भारतीय अर्थशास्त्र चौधरी चरणसिंहजी ने लिखा। इन चार लोगों का चिन्तन अगर नहीं होता तो भारत की राजनीति प्रजातांत्रिक पारिवारिक सामंतवाद में फंस कर रह जाती। ये लोग हैं जिन्होंने इसको लिखा है। हम पारिवारिक प्रजातांत्रिक सामंतवाद में नहीं हैं।

पंडित दीनदयालजी उपाध्याय के बारे में डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, जब कानपुर में जन संघ की स्थापना हुई, कि यह तो एक हैं, अगर तीन दीनदयाल मेरे पास होते तो मैं इस कांग्रेस को पहले ही 5-10 वर्षों में भारत से विदा करके भारत का नक्शा बदल दूं। यह इस प्रकार की शक्ति उनमें थी। यह कोई ऐसी शक्ति नहीं थी। जिन्होंने जन संघ की स्थापना की, डाक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी, राज के लिये नहीं की, राज को छोड़कर आये थे। उद्योग मंत्री थे, निर्दलीय जीते थे और जीतकर भारत की पार्लियामेंट में आये थे। पंडित जवाहर लालजी नेहरू की नीतियों से आहत होकर, छोड़कर जन संघ की स्थापना की। आज वह जन संघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रूप में विकसित हुआ। उसका सबसे बड़ा श्रेय, उसके विचार का श्रेय, अगर किसी को जाता है तो पंडित दीन दयालजी उपाध्याय को जाता है।

फिर सीकर से जुड़ाव कैसे हुआ? सीकर का जो हाईस्कूल है, कल्याण हाईस्कूल, उन्होंने शेखावटी की बहुत बात की लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जरा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सोचें, सीकर के जितने स्कूल, कालेज, इंस्टिट्यूट हैं, कल्याण हाई स्कूल, कल्याण कालेज, कल्याण संस्कृत कालेज, कल्याण हास्पिटल, कल्याण सांवली टी.बी. सेनेटोरियम, कल्याण बाल मंच, सारा का सारा वहां के राव राजा कल्याणसिंहजी का बनाया हुआ है। उन्हीं राव राजा कल्याणसिंहजी ने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को स्वर्ण पदक अपने हाथ से दिया। दस रुपये प्रति माह, गरीब आदमी थे ना, महाराजा के घर में नहीं जन्मे थे, गरीब आदमी अगर बड़ा बन जाए तो उसके नाम के बारे में आब्जेक्शन करना अच्छी बात हुई? दस रुपये, स्वर्ण पदक और दो सौ पचास रुपये सालाना और देकर राव राजा कल्याणसिंहजी ने उनको पढ़ाया। यहां पढ़ाया, पहले सीकर में जब पढ़ाया तो उन्होंने आठ बोर्डों को टाप किया, उसके बाद पिलानी पढ़े। तो शेखावाटी जहां से शुरू होती है, वहां से, और शेखावाटी जहां समाप्त होती है, वहां तक, पूरे क्षेत्र में पंडित दीनदयालजी उपाध्याय ने पढ़ाई की। इसलिए उस धरती का पढ़ा हुआ आदमी, अगर जाकर भारत की राजनीति में कमाल करके, इतनी बड़ी पार्टी को खड़ा कर दिया, तो उसके नाम से नामकरण करना बहुत वाजिब है और शानदार बात है। इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। कानपुर में पढ़े, संघ के साथ गये, ये सब बातें इनके साथ-साथ हैं।

लेकिन मैं कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शेखावाटी विश्वविद्यालय केवल नाम तक सीमित नहीं रहे। तीन बड़ी बातें उसमें होनी चाहिए। अभी नाम लिया गया, स्वर्गीय श्रीमान भैरोंसिंहजी शेखावत का। हम संसदीय प्रजातंत्र में बैठे हुए हैं। भारत के संसदीय प्रजातंत्र में, केवल राजस्थान में ही नहीं, बल्कि भारत की सभी विधान सभाओं और संसद में अगर देखा जाए तो भैंरोंसिंहजी शेखावत संसदीय प्रजातंत्र के स्वयं एक स्कूल थे, वे स्वयं एक विद्यालय थे, जिनकी बनाई हुई बातों के कारण से संसदीय परम्पराएं कायम हुई हैं। इसलिये मैं चाहूंगा, मंत्री महोदय, सीकर की इस यूनिवर्सिटी में स्वर्गीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत के नाम से भैरोंसिंह शेखावत संसदीय शोध संस्थान की स्थापना होनी चाहिए और भैरोंसिंहजी की प्रतिमा वहां पर लगनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: दखल नहीं करें। दखल नहीं करें, बोलने दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, डोटासराजी ने एक आब्जेक्शन उठाया कि अध्यक्ष महोदय ने माननीय मंत्री महोदय को बोलने की अनुमति दी है, पेट पर हाथ फेरने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन मेरा यह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कहना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पेट पर हाथ फेरना गलत नहीं है, किसी के पेट पर लात मारना गलत है। वह काम इन्होंने नहीं किया है।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): वह काम ये करते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, ये करते हैं।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि शेखावाटी में रक्षा का, डिफेंस का बहुत बड़ा काम है। इसलिए मैं चाहूंगा कि रक्षा के सम्बन्ध में वहां पर एक इस प्रकार की अकादमी बने। यह कोई जरूरी नहीं है कि हमारे बच्चे जाकर, केवल रंगरूट के रूप में सेना में गोली खाकर मरें। यह भी आवश्यक है कि हमारे बच्चे, मेजर, कर्नल, बिग्रेडियर और आफिसर्स भी बनें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिये और बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

विधेयक का पारण

शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां पर इस प्रकार का संस्थान बने रक्षा के सम्बन्ध में, जो उन बच्चों को आफिसर बनाने के लिये ट्रेनिंग दे और शेखावाटी के बच्चे केवल, और उसमें पढ़ने के लिये केवल शेखावाटी के लिए नहीं, सारे क्षेत्र के लोग आयें। यह मैं आपसे दूसरा निवेदन करना चाहता हूं।

तीसरा निवेदन मैं करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कला क्षेत्र में एक बहुत बड़े शोध की आवश्यकता है। आज दो सौ साल तक, दो सौ – ढाई सौ साल हो गये, बाहर सड़कों पर जो हवेलियां बनी हुई हैं उन पर जो भित्ति चित्र बने हुए हैं, आज तक वे उसी प्रकार के हैं, उनका कलर भी फेड नहीं हुआ

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है। उनको देखने के लिये सारे लोग आते हैं। उसको आर्ट गैलेरी कहते हैं। इसलिये उस आर्ट के अध्ययन का भी वहां पर स्थान होना चाहिए।

यह हम सारे विश्वविद्यालय, जो क्षेत्रीय विश्वविद्यालय बना रहे हैं, इन सारे विश्वविद्यालयों में अगर इस प्रकार की बातें नहीं होंगी तो हमारे इनके बनाने का प्रयत्न पूरा नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय ऐसा करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि यह तीनों नाम जो रखे गये हैं, इनके अलावा भी इस राजस्थान की वीरभूमि में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत से काम किये हैं, उनके नाम से नामकरण करके हम इस विधा को आगे बढ़ायें और प्रेरणा केन्द्र बनें। लेकिन मैं चाहूंगा, इस महापुरुष ने, जिस समय सारी दुनिया साम्यवाद और पूंजीवाद के भूत पर ढल रही थी, वह साम्यवाद का किला रूस में ढह गया और वह अमरीका का पूंजीवाद का किला ढहने के कगार पर है, उस समय एकात्म-मानवतावाद का चिंतन देकर, यह स्वदेशी का चिंतन देकर, यह जो काम किया, उस महापुरुष को, यह भारतीय जनता पार्टी, जन संघ, जनता पार्टी, जिसके आप गवाह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, आज 163 सीटें इस मरु भूमि में लेकर खड़े हैं, उसका श्रेय इन लोगों के त्याग और बलिदान को जाता है।

मैं कहना चाहता हूं कि शेखावाटी में, माननीय डोटसराजी, जन संघ का राजस्थान का पहला अधिवेशन भी सीकर में हुआ था और भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन भी राजस्थान में सीकर में हुआ था। भैरोंसिंहजी शेखावत जन संघ के पहले सदस्य 1952 में वहां से जीतकर आये थे, दातारामगढ़ से और भारतीय जनता पार्टी का भी पहला सदस्य 1980 में सीकर से मैं जीतकर आया था।

इसलिए पंडित दीनदयालजी उपाध्याय का नाम रखना समीचीन है, उपयुक्त है। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। सदन ने अपने विचार रखे और जो-जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये, विश्वविद्यालय स्थापना के साथ उनका ध्यान रखा जाएगा।

अब मैं अनुरोध करूंगा कि इस बिल को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 पारित किया जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 पारित किया गया।

माधव विश्वविद्यालय का आप रखिए प्रस्ताव।

विधेयक पर विचार

माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही) विधेयक, 2014

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिरला प्रस्ताव करेंगे। विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, श्री ओम बिरला, श्री जोगाराम पटेल, श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री ओम बिरला।

(अनुपस्थित)

वे नहीं हैं।

श्री जोगाराम पटेल।

(अनुपस्थित)

वे भी नहीं हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

(अनुपस्थित)

वे भी नहीं हैं।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): गये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार ।

खण्ड 2 से 48 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 48 स्वीकार किये जाएं?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 48 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गई।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: कोई बोलना चाहें?

प्रश्न यह है कि माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही) विधेयक, 2014 पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही) विधेयक, 2014 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

पेसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2014

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि पेसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पेसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2014 को जन मत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव किया, उसके पीछे मेरा हेतु यह है कि आज डाक्टर्स की बहुत कमी है, एक तो प्रावधान यह किया जाना चाहिए कि कोई भी इस प्रकार के चिकित्सा कालेजेज से पढ़कर निकले तो वह कम से कम सात वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे। यह प्रावधान किया जाना चाहिए। इसकी डिग्री तब ही मान्य हो जब वह ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवा पूरी करे। तब ही उसकी डिग्री आगे के लिए मान्य होनी चाहिए, अन्यथा उसकी डिग्री को आगे मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। एक तो यह इसमें प्रावधान होना चाहिए, जो पेज नम्बर-21 पर 'ठ' में यह जोड़ा जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये निजी संस्थाएं जो हैं ये सरकारी सेवाएं तो लेती हैं, सरकार से भूमि भी प्राप्त कर लेती हैं और भूमि प्राप्त करके ये केवल व्यापारिक प्रतिष्ठान बनकर रह जाते हैं। यह ठीक बात नहीं है। ये कालेजेज में विद्यार्थियों से फीस भी बहुत लेते हैं; मैनेजमेंट कोटा भी इनका बहुत बड़ा होता है और मनचाही फीस वसूल करके अपने यहां पर प्रवेश दे देते हैं, बैक-डोर-एंट्री से भी देते हैं। तो, खैर, इसके लिए भी कोई प्रावधान इसमें निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। जिससे ये इस प्रकार से नहीं कर पाए। केवल मेरिट के आधार पर, या सरकारी व्यवस्थाओं के अनुसार, उसमें प्रावधान होने चाहिए। यह एक मेरा इसमें निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए।

आज डाक्टर्स करते क्या हैं, सेवा की भावना उनमें नहीं है। यही कारण है कि सरकारी सेवाओं में वे नहीं आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की सेवाओं में वे जाना नहीं चाहते। वे तुरन्त डाक्टर की उपाधि लेते ही विदेश जाना चाहते हैं, या धन कमाने के लिए निजी चिकित्सालय खोल देते हैं, या कहीं शहरों में रहना चाहते हैं। ग्रामीण सेवाएं आज प्रभावित हो रही हैं। इतने चिकित्सा कालेजेज हैं, मेडिकल कालेजेज हैं लेकिन फिर भी आज डाक्टर्स की कमी है। ये क्या केवल पैसे कमाने की मशीन बनाना चाहते हैं? इस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है।

इसलिए मैंने यह प्रस्ताव किया था कि यह जन मत जानने के लिए परिचालित किया जाना चाहिए था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, मैंने

(श्री मदन राठौड़)

सुमेरपुर में मेडिकल कालेज के लिए 2003 में एक जमीन दिलवाई थी, वहां का एक जैन चिकित्सालय है, भगवान महावीर हास्पिटल को। तो उनको एक हमने करीबन 34 बीघा जमीन दिलवाई थी कि आप तीन वर्ष में मेडिकल कालेज खोल करके, मतलब, चालू करेंगे, अन्यथा यह भूमि निरस्त कर दी जाएगी। यह कंडिशन उसमें हमने डाल दी थी, लेकिन उन्होंने केवल नर्सिंग कालेज खोलकर इतिश्री कर दी। वहां पर मेडिकल कालेज खोला नहीं। हालांकि प्रावधान के तहत तो उनकी वह निरस्त कर दी गयी लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। स्टे ले लेना, अब कोर्ट है, स्टे दे देती है, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर हमने जमीन दिलवाई थी, राजस्थान सरकार ने जिस उद्देश्य को लेकर वह जमीन दी थी, बहुत कीमती जमीन है वह, महत्वपूर्ण स्थान पर वह जमीन है, लेकिन उन्होंने वे प्रावधान पूरे नहीं किये, मेडिकल कालेज वहां पर खोला नहीं।

यह एक उदाहरण मैंने दिया है। ठीक इसी प्रकार से कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं, मेडिकल कालेजेज हैं, वे केवल लाभ कमाने की दृष्टि से, सरकार से सहायता लेकर और केवल उसका दुरुपयोग करते हैं। इसमें यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि वे नहीं कर पाए और सेवा का प्रकल्प बनकर रहे, यह मेरी इच्छा है।

इसीलिए मैंने यह प्रस्ताव किया था कि इसको जन मत जानने के लिए परिचालित किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, पेसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2014, यह राजस्थान में पहला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। क्योंकि यह विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों से अलग है, इस विश्वविद्यालय के अन्दर पढ़ने वाला विद्यार्थी जो चिकित्सा सेवा से सम्बद्ध है, उसके नाते उसका एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, राजस्थान में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी चिकित्सक कैसा होना चाहिए, यह हमारी चिंता का विषय है क्योंकि चिकित्सा मानव सेवा का सबसे बड़ा पुण्य का काम है। अन्य विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाला विद्यार्थी किसी पर एक्सपेरिमेंट नहीं करता लेकिन इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी, जो हम राजस्थान में चिकित्सक के रूप में बनाएंगे और जिस तरीके से आज मेडिकल सेवाएं हैं, सब

(श्री ओम बिरला)

कुछ स्तर गिरने के बाद भी आज राजस्थान की मेडिकल सेवा, उसकी परीक्षा, कुछ प्रश्न-चिह्न लग सकते हों कि विश्वविद्यालय के अन्दर, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में कुछ प्रश्न-चिह्न पिछले **पांच** साल में लगे हैं। जो विश्वविद्यालय हमने बनाया था, उस विश्वविद्यालय में जो परीक्षा आयोजित की गई, उन परीक्षाओं के अन्दर कई सारे प्रश्न, कई सारे सवाल हमने **पांच** साल इस विधान सभा में उठाये, लेकिन सरकार ने बात नहीं सुनी। लोगों को हाई कोर्ट में जाना पड़ा और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन विश्वविद्यालयों के दिये और उन विद्यार्थियों के साथ न्याय हुआ।

हमारी शंका यह है कि यह जो विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, यह विश्वविद्यालय जिन मापदंडों के आधार पर बनने जा रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2007 में तिरुपति बालाजी एजुकेशन ट्रस्ट, उदयपुर ने विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति मांगी और इस विश्वविद्यालय के अन्दर जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं।

(17.00 बजे)

आज मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया, जिसकी मान्यता लेने के लिए जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम यहां पर आती है, तो कई बार मेडिकल कालेजों के अन्दर उनके मापदण्डों को पूरा करने के लिये राज्य सरकार को भी, इस विधान सभा में पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब ने भी कहा कि एम.सी.आई. की मान्यता के लिए हमें भी चिकित्सकों को इधर से उधर ट्रांसफर करके, हमें उनके मापदण्डों को पूरा करने के लिए कई बार सरकार द्वारा भी गलत तरीके से साधन अपनाये जाते हैं। जब इस सदन के अन्दर राजस्थान के मुख्य मंत्री कहते हों, एम.सी.आई. के मापदण्ड अपनाने के लिये सरकारें गलत तरीके से उन मापदण्डों को पूरा करने के तर्क दें, अध्यापकों को, प्रोफेसरों को वहां पर केवल कागजों में ट्रांसफर करके केवल मापदण्ड पूरा करें, उस परिस्थिति में हम जिस विश्वविद्यालय की मान्यता देने जा रहे हैं, कहीं ऐसा न हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का बनने वाला चिकित्सक अनुभवहीन चिकित्सक हो जाये और वह अनुभवहीन चिकित्सक हमारे राजस्थान की इस माटी पर कलंक लगा दे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विश्वविद्यालय की मान्यता के लिए जो विधेयक पेश किया है, माननीय मंत्री महोदय ने उस विधेयक को गम्भीरता से

(श्री ओम बिरला)

पढ़ा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एम.बी.बी.एस., एम.डी., एम.एस., डी.एम., एम.सीएच., पीएच.डी., पी.जी. डिप्लोमा, ऐसे तमाम 12 तरह के कोर्सेज; माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं, एम.सी.एच. और डी.एम., इन दो विषयों के आज भी हमारे मेडिकल कालेजों के अन्दर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं मिलते। आज भी इस देश के अन्दर एम.डी. और एम.सीएच. के उन डाक्टरों का अभाव है। ऐसी परिस्थिति में, इस विश्वविद्यालय को सारे अधिकार देना और अधिकार यह देना कि एक ही विधेयक के अन्दर यह विश्वविद्यालय सारे अधिकार लेकर चला जाये और एम.बी.बी.एस. डाक्टर भी तैयार कर दे, एम.डी. भी तैयार कर दे, डी.एम. भी कर दे, एम.सीएच. भी तैयार कर दे; क्या हालत है इस विश्वविद्यालय के अन्दर? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विश्वविद्यालय की हालत देखें, जितनी कक्षा, जितने कोर्सेज इन्होंने खोलने के लिए इस विधेयक के अन्दर रखे हैं, उसके आधार पर 40 कोर्सेज हैं। इसके अन्दर कक्षा-कक्ष कितने हैं, इनकी पुस्तकें कितनी हैं, इनका इन्फ्रास्ट्रक्चर कितना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके इन्फ्रास्ट्रक्चर की हालत देखें, पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर जो इन्होंने खड़ा किया है, चार व्याख्यान हाल, 12 ब्रांच, केवल 16 रूम इन्होंने तैयार किये हैं। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विश्वविद्यालय ने जो किताबें रखी हैं, 3,059 पुस्तकें रखी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चिन्ता उस समय तत्कालीन विधायक ने भी व्यक्त की थी, उन्होंने कहा था, इतनी कम किताबों का विश्वविद्यालय हम बनायेंगे, उस विधेयक को पारित करेंगे, तो हम राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं करेंगे।

इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो प्रोफेसर लगेंगे, कितने लगेंगे? चार आचार्य, 3 सह-आचार्य, 6 सह-आचार्य। आप कोर्सेज की हालत देखो, माननीय अध्यक्ष महोदय, और जिन लोगों को यहां पर लगाया जा रहा है, वे कितने हैं? आप एम.सीएच., डी.एम., किन चीजों को परमिशन दे रहे हैं इस विधेयक के अन्दर। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारी चिन्ता का विषय है।

इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक के सेक्शन 32 में इन्होंने कहा है, योग्यता का निर्धारण - विश्वविद्यालय अथवा ग्रुप आफ यूनिवर्सिटीज परीक्षा लेगी। मतलब, परीक्षा आयोजित करने का काम भी यह निजी विश्वविद्यालय कर लेगा। निजी विश्वविद्यालयों के अन्दर किसी भी तरह

(श्री ओम बिरला)

का नियन्त्रण न सरकार का है, न नियामक आयोग बना हुआ है, न कोई कंट्रोलिंग एजेन्सी बनी हुई है, और हालत यह हो गयी कि ये खुद परीक्षा आयोजित करेंगे, ये भर्ती कर लेंगे।

इस विश्वविद्यालय की हालत है, माननीय अध्यक्ष महोदय, परमिशन देने के पहले ही लोगों से 40-40 लाख रुपये ले लिये हैं। सारा राजस्थान जानता है कि 30 लाख, 40 लाख के बिना इस राजस्थान के अन्दर प्राइवेट विश्वविद्यालय के अन्दर डाक्टर नहीं बन सकता। आप इस गरीब के साथ न्याय करेंगे क्या? अगर किसी की जेब में 40 लाख रुपये नहीं होंगे, क्या चिकित्सक बनायेंगे? क्या बड़े घराने के बड़े लोग ही चिकित्सक बन सकते हैं? गरीब, शोषित व दलित व्यक्ति क्या इस विश्वविद्यालय से चिकित्सक बन पायेगा? और इस विश्वविद्यालय का हमें लाभ क्या होगा?

हमें इस विश्वविद्यालय के अन्दर मेडिकल कालेज खोलना चाहिये, लेकिन सरकारी विश्वविद्यालय खोलना चाहिये। आवश्यकता है कि राजस्थान सरकार को निजी विश्वविद्यालयों की जगह जो चिकित्सकीय यूनिवर्सिटी हमने खोल रखी है, उस यूनिवर्सिटी के अन्दर ही कोर्सेज शुरू करें। हम एक बेहतरीन तरीके का विश्वविद्यालय खोलें, जिसके अन्दर चिकित्सा सुविधा भी हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है, इतना ही नहीं, इसके अन्दर फीस का जो स्ट्रक्चर खोलेंगे, उस फीस के स्ट्रक्चर के अन्दर विधेयक का सेक्शन 33 – फीस का निर्धारण इस विश्वविद्यालय की इंटरनल टीम करेगी, और वह भी तीन साल में। किसी बच्चे ने एडमिशन ले लिया, आपने फीस रख दी 50 हजार; बच्चे को पढ़ना पड़ेगा 5 साल, विश्वविद्यालय ने कहा, आज से आपकी फीस होगी 4 लाख। वह बीच में छोड़कर चला जाये? अध्यक्ष महोदय, जितने साल का कोर्स है, अगर कोई कोर्स 5 साल का है तो फीस का निर्धारण, अध्यक्ष महोदय, पांच वर्ष का होना चाहिये; अगर कोई कोर्स तीन साल का है, तो फीस का निर्धारण तीन साल होना चाहिये। राज्य सरकार के पास कोई नियन्त्रण नहीं, इन विश्वविद्यालयों की फीस नियन्त्रण करने का कोई नियन्त्रण नहीं। जब हमारे पास कोई निजी विद्यालयों की फीस का ही नियन्त्रण नहीं है, हम विश्वविद्यालयों के अन्दर विधेयक पारित कर दें और उस बच्चे के साथ एक बार फीस स्ट्रक्चर बना दें, उसके बाद में आधी पढ़ाई करने के बाद कहें कि आपकी फीस इतनी होगी, तो उसको फीस देने के अलावा विकल्प क्या

(श्री ओम बिरला)

बचेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, या तो वह बाहर निकलकर आये, या छोड़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात से सहमत होंगे। मुझे लगता है, जो आपके भाव नजर आ रहे हैं मुझे इतनी दूर से, मेरी बात से सहमत होंगे।

इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक के सेक्शन 33 में मैंने आपको बताया, सेक्शन 5 के पार्ट (टी) के प्रावधान में दान लेने का भी स्वतन्त्र प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संस्था दान भी ले सकती है, पुण्य भी ले सकती है। यह प्राइवेट ट्रस्ट है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो धन्ना सेठों के आधार पर बना है। हम चिल्लाते रहे **पांच** साल तक इस सदन के अन्दर, कि धन्ना सेठों की इन यूनिवर्सिटीज को मत चलने दो, ये राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज फिर चिल्ला रहे हैं कि जो पेसिफिक यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, यह कहीं हमारे इन बच्चों का भविष्य अंधकारमय नहीं कर दे।

माननीय मंत्री महोदय ने शायद पिछली बार आश्वस्त किया था, माननीय मंत्री महोदय ने पिछली बार यह कहा था, 2013 का नहीं बता रहा मैं जो माननीय मंत्री महोदय ने इस विधान सभा में बोला था, मैं यह नहीं बता रहा कि उन्होंने क्या बोला था, लेकिन इतना लोगों को आश्वस्त किया था कि हम नियामक आयोग बनायेंगे। हमारी सरकार की मंशा उस समय भी यह थी कि हमने विश्वविद्यालय खोले हैं अच्छी परिपाटी के लिए। आज विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है; इसलिए हमारे तत्कालीन दो-दो शिक्षा मंत्रियों ने यहां विश्वविद्यालय खोले। हमारी मंशा ठीक थी, हमारी नीयत ठीक थी कि बच्चों के लिये अधिकतम विश्वविद्यालय रहें। सरकारी ही नहीं, निजी विश्वविद्यालय भी रहें, लेकिन जब निजी विश्वविद्यालय खोलें तो धीरे-धीरे हमारे ध्यान में आया कि इन विश्वविद्यालयों के अन्दर कहीं घोर अनियमितताएं नहीं होने लगें। इसलिए हमारे सदन में बैठे लोगों ने कहा था कि हम नियामक आयोग बनायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी भी चिंता यही है कि सरकार एक नियामक आयोग बनाये। सरकार का कुछ न कुछ नियंत्रण होना चाहिए, विधान सभा का कुछ न कुछ नियंत्रण होना चाहिए। विधान सभा के अन्दर उनके आय-व्ययक का विवरण रखने का हमें कानून बनाना चाहिए ताकि हम कहीं न

(श्री ओम बिरला)

कहीं कानून से उन विश्वविद्यालयों की अनियमितताओं को रोक सकें और राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ न्याय कर सकें।

इसलिए मेरी आशा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्री महोदय बोलेंगे तो इन बातों पर गौर करेंगे और इन विषयों को, राजस्थान के बनने वाले भविष्य के चिकित्सकों की चिंता को व्यक्त रखते हुए, इस विधेयक को पास करेंगे। आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनीता।

(अनुपस्थित)

श्रीमती अनिता भदेल।

(अनुपस्थित)

श्री जोगाराम पटेल।

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सुबह से ही मेरे ऊपर बड़े मेहरबान हैं।

श्री अध्यक्ष: और ज्यादा। बोलो आप तो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पूरी-पूरी मेहरबानी है आपकी। आप कितने दयालु हैं, कितना विपक्ष का ध्यान रखते हैं, इसके लिए तो बारम्बार प्रणाम, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: गद्‌गद हो रहा हूं मैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चिकित्सा और शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले व्यक्ति यह चाहता है, मैं स्वस्थ रहूं और स्वस्थ रहने के साथ-साथ मैं मेरे परिवार को अच्छे संस्कार दूं, अच्छी शिक्षा दूं। इसके लिए चिकित्सा विश्वविद्यालय की भी आवश्यकता है, और जो विश्वविद्यालय हैं उनकी भी आवश्यकता है।

हमारी यू.पी.ए. गवर्नमेंट ने इसमें काफी अच्छे प्रयास किये। आज जितने विश्वविद्यालय खुलने जा रहे हैं, चाहे चिकित्सा विश्वविद्यालय हो, चाहे और कोई विश्वविद्यालय हो, उनमें हमारी यू.पी.ए. गवर्नमेंट का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हाथ है। लेकिन विश्वविद्यालय खोलने के साथ-साथ, माननीय अध्यक्ष

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

महोदय, हमें और कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों ही एक ऐसे विषय हैं जिनके माध्यम से हमारे देश का, समाज के लोगों का निर्माण होता है, उनको दीर्घायु प्राप्त होती है और अपने देश का, समाज का और प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। आपने एल. एल बी की, अच्छी शिक्षा प्राप्त की, आप अच्छे स्वस्थ हैं, आज पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान का नाम ऊंचा कर रहे हैं।

तो निश्चित रूप से, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें विश्वविद्यालयों की तो आवश्यकता है लेकिन ऐसे विश्वविद्यालयों की नहीं, जैसे माननीय सदस्य बिरला जी ने कहा। हमने सोचा, सारे के सारे ही माननीय राठौड़ साहब से दबते हैं लेकिन कई तो इनमें भी मर्द हैं, जो अपनी बात रखते हैं और रखनी भी चाहिए। कम से कम जो विचार मन में आ गया और पन्ने पर लिख कर आपसे निवेदन कर दिया, मैं इस पर बोलना चाहता हूं, तो उसको बोलना भी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राठौड़ साहब को मैं बहुत वर्षों से जानता हूं। ये पहले भी मंत्री रहे हैं। ये सुनते भी बड़ा गौर से हैं क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्रीजी को ...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन बिलों पर ये बाहर चले गये थे। जब इनका नाम पुकारा गया, बोले नहीं थे ये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो अध्यक्ष महोदय की अनुमति दिला दो, मैं इस पर ही पूरा बोल दूंगा, तीनों की रड़क, गैप पूरा कर दूंगा।

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, शेखावाटी से आते हैं, माननीय चिकित्सा मंत्री तो शेखावाटी से खुद आते हैं और माननीय शिक्षा मंत्रीजी हैं, आप भी शेखावाटी के ही हैं, फतेहपुर शेखावाटी। आपने हमारे शेखावाटी विश्वविद्यालय में तो, चलो, आपने नाम डाल लिया, आपका विधेयक पारित हो गया; माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहता था कि इस सदन में चिकित्सा मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी यह घोषणा करते कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से हम चिकित्सा विश्वविद्यालय सरकारी खोलेंगे। यह होना चाहिए था, लेकिन सरकार की इच्छा-शक्ति नहीं है।

प्राइवेट विश्वविद्यालय चाहे चिकित्सा का हो, चाहे शिक्षा का हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन पर सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। आज आप स्कूलों की फीस नियंत्रण का कानून तो बना चुके हैं लेकिन ये जो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

विश्वविद्यालय हैं, इनके लिए, मैं समझता हूं, किसी प्रकार का कोई फीस का नियंत्रण नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे बिरला जी कह रहे थे, वे कह रहे थे, 40-40 लाख रुपये। कहां से लायेगा एक गरीब? हम किसको चिकित्सक बनायेंगे? और जो इतने पैसे दे-देकर आयेगा, वह क्या भला करेगा! वह पता नहीं, कहां जायेगा, अमेरिका जायेगा कि और कहीं जायेगा। जिस उद्देश्य से विश्वविद्यालय खोलने के लिए सरकार अनुमति प्रदान करती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है।

अब आज मौका है, इससे स्वर्णिम मौका और क्या होगा? आप जैसे महान व्यक्तित्व के धनी अध्यक्ष की कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं और मेरे को भी बोलने का भरपूर मौका प्रदान कर रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, तो क्यों नहीं, दोनों चिकित्सा मंत्री ये शेखावाटी से हैं, सीकर में एक विश्वविद्यालय की घोषणा कर दें? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां तक भी निवेदन करना चाहता हूं, दोनों माननीय मंत्री मिल कर के अगर सीकर में मेडिकल कालेज की घोषणा कर देंगे तो हम मेजें थपथपा कर इनकी वाहवाही करेंगे, इनको धन्यवाद देंगे। (व्यवधान) नहीं तो कैसे देंगे? भाई? ऐसे थोड़ी होता है, फोकट में धन्यवाद थोड़ी मिलता है। झूठी वाहवाही तो नहीं होगी, अध्यक्ष महोदय।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज अच्छे डाक्टर्स का अभाव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज चिकित्सा सेवाएं गड़बड़ायी हुई हैं। आज सीकर जिला हैडक्वार्टर है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वहां पर कोई आदमी का एक्सिडेंट हो गया, अगर उसको एस.के. हास्पिटल में लाया गया तो एक सेकंड में उसका इलाज हो जाता है। कैसे? अध्यक्ष महोदय, एक ऐसी चिट्ठी बनती है, जयपुर में रेफर किया जाए। यह तो कोई बाबू भी कर सकता है, दसवीं, ग्यारहवीं पास वाला बाबू भी चिट्ठी तो बना देगा। वह ही बनायेगा, डाक्टर तो बनाते नहीं। एक खिलवाड़ हो रहा है गरीबों के साथ में। सब लोग जयपुर नहीं आ सकते।

इसलिए हमें आवश्यकता है, अच्छे चिकित्सक पैदा करें, अच्छे डाक्टर आएं, अच्छी डिग्रियां लेकर के और गरीब लोगों की, जिनकी दुआओं से, जिनके समर्थन से सरकारें बनती हैं, उनके प्रति सरकार का फर्ज बनता है। हम अगर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इसी में लगे रहे, हम आपका नाम संशोधन करा देंगे और आप हमारा संशोधन करा दोगे, इससे बात नहीं बनने वाली है, अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राठौड़ साहब से निवेदन करना चाहता हूं, सराफ साहब से भी निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री हैं, आज एक हिम्मत कर लें, सदन की नेता भी आपकी पीठ थपथपायेंगी कि कोई दो मंत्री हैं कैबिनेट के जो एक निर्णय करना जानते हैं, जनता का समर्थन करना जानते हैं, जनता की भावनाओं की कद्र करना जानते हैं, एक मेडिकल का विश्वविद्यालय शेखावाटी को दे दीजिए, निश्चित रूप से आपको पूरी शेखावाटी धन्यवाद देगी।

श्री अध्यक्ष: राय मिला रहे हैं, दोनों राय मिला रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपके आदेश के, निर्देश के बगैर सम्भव नहीं होगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब तिवाड़ी साहब ने कोई बात रखी थी तो राठौड़ साहब ने तो अनुमति दे दी थी, लेकिन सराफ साहब भूल गये। क्योंकि उस टाइम पेट पर हाथ नहीं फेरा, इन्होंने, इसलिए याद आया नहीं और तिवाड़ी साहब की बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज हो सकता है, क्योंकि सुबह-सुबह आपकी पूरी डांट खाया हुआ हूं ...

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, मैं डांटता ही नहीं हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप हमारा यह काम करा दीजिए, आपको भी बहुत धन्यवाद देगी शेखावाटी की पब्लिक। क्योंकि, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस पीड़ा से बोल रहा हूं, हम सीकर में रहते हैं, हम देखते हैं, गरीब आता है और उसको केवल जयपुर रेफर करने के अलावा इलाज का कोई साधन नहीं है। बीकानेर से लेकर जयपुर के बीच में कोई मेडिकल कालेज नहीं है, गंगानगर से लेकर जयपुर तक कोई कालेज नहीं है और यूनिवर्सिटी होना तो बहुत ही दुर्लभ है। है ही नहीं।

इसलिए यह जो प्राइवेट चिकित्सा विश्वविद्यालय हो या शिक्षा विश्वविद्यालय हो, इनके ऊपर सरकार का नियंत्रण हो।

मैं तो आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब रिफाइनरी आ गयी तो राजस्थान काफी सम्पन्न होगा। (व्यवधान) आएगी,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आपसे बंद नहीं होगी, पक्की आएगी। आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप बंद कर दो। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं चिकित्सा विश्वविद्यालय की घोषणा कर दें? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बोलिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): काम करने की रुचि तो सरकार की है कम और केवल कागजी पूर्ति करने में रुचि ज्यादा है। इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती है, धन्यवाद के पात्र हो जाएंगे, अपनी जन्म-भूमि का कर्ज भी थोड़ा बहुत अदा कर पाएंगे। तो क्यों नहीं, आज यह सुनहरा अवसर है, घोषणा कर दें दोनों मंत्री सीकर में...

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त करें। बार-बार रिपीट कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं तो केवल एक निवेदन कर रहा हूं कि इनको थोड़ा सुनता देरी से है, इसलिए आपके माध्यम से बात सुन जाएं और जो यह प्राइवेट विश्वविद्यालय आ रहे हैं, इनके ऊपर नियंत्रण हो; इनसे निकलने वाले जो स्टूडेंट हैं वे अच्छे ज्ञान के साथ निकलें, अच्छी योग्यता लेकर निकलें जिससे अच्छी सेवा हो; और इनके लिए कोई पाबंदी भी होनी चाहिए कि इतने लोगों का फ्री में, बी पी एल का इलाज करेंगे, और करेंगे। इस तरह के नियम बनाये होंगे, नहीं बनाये तो यह बनाएं।

इसलिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, इसके माध्यम से कि सीकर में भी शेखावाटी में चिकित्सा विश्वविद्यालय सरकार खोलने की घोषणा करे।

इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय विधायक और लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायकों ने जो आशंकाएं व्यक्त की हैं, मैं यह कहना चाहूंगा कि आपकी सब आशंकाओं का ध्यान रखा जाएगा और जो आपकी मंशा है उसके अनुरूप ही काम किया जाएगा।

जहां तक निजी विश्वविद्यालयों का सवाल है, आपको ध्यान होगा कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की कल्पना थी कि पन्द्रह प्रतिशत हमारे देश के जो बच्चे हैं वे उच्च शिक्षा प्राप्त करें। वर्तमान में जो व्यवस्था है, वह सात प्रतिशत की

(श्री कालीचरण सराफ)

है। तो इस हिसाब से हमारे राजस्थान को कम से कम पचास-साठ नई यूनिवर्सिटीज चाहिए।

सरकार की मंशा पहले भी थी, हर सरकार की मंशा रहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार होना चाहिए, पर किसी भी सरकार के वित्तीय संसाधन इतने पर्याप्त नहीं होते कि वह प्रदेश में साठ-सत्तर यूनिवर्सिटीज खोल सके। इसीलिए जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो सरकार ने यह तय किया कि यूनिवर्सिटीज के क्षेत्र में प्राइवेट लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। उसी का यह परिणाम है कि आज हमारे प्रदेश में चालीस से ज्यादा यूनिवर्सिटीज प्राइवेट सेक्टर में हैं और दस यूनिवर्सिटीज पाइपलाइन में हैं। आज उसी का यह परिणाम है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के मार्फत नई-नई फैकल्टीज, नये-नये सब्जेक्ट हमारे प्रदेश में इंट्रोड्यूस हुए हैं। जो पहले हमारे बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, क्योंकि पहले हमारे यहां पर्याप्त विश्वविद्यालय नहीं थे तो उनको कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जाना पड़ता था, पर आज जब हमारे प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय और बड़े-बड़े निजी कालेजेज खुल गए, उसका यह परिणाम है कि यहां के बच्चे तो यहां पढ़ते ही हैं और बाहर के बच्चे भी आकर के यहां पर अध्ययन कर रहे हैं।

जहां तक निजी क्षेत्र का सवाल है, यह कहना भी कोई समयशील नहीं है कि निजी विश्वविद्यालय सारे व्यापार ही करते हैं या व्यवसाय ही करते हैं। आज बिट्स पिलानी, वनस्थली विद्यापीठ, मोदी इंस्टिट्यूट जो लक्ष्मणगढ़ में है, उन्होंने जिस प्रकार से आज पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की है, वह आज किसी से छिपी हुई नहीं है।

जहां तक पेसिफिक यूनिवर्सिटी के मामले में कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने शंका व्यक्त की कि पहली यूनिवर्सिटी है प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल की, तो मैं इनको यह जानकारी देना चाहूंगा कि यह पहली यूनिवर्सिटी नहीं है, यह हमारे प्रदेश में तीसरी यूनिवर्सिटी है मेडिकल के क्षेत्र में। एक यूनिवर्सिटी निम्स और एक महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी, दो यूनिवर्सिटी पहले से जयपुर में चल रही हैं और यह जो यूनिवर्सिटी बनी है, यह यू जी सी मेडिकल एक्ट की गाइडलाइन पर बनी है।

आपने जो आशंका व्यक्त की कि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है,

(श्री कालीचरण सराफ)

आप यह जो एक्ट है उसकी धारा 41, 42, 43, 44 और 45, इनका यदि अध्ययन कर लेते तो यह आशंका अपने आप ही निर्मूल सिद्ध हो जाती। धारा 41 में राज्य सरकार को विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां प्रदान की गयी हैं; धारा-42 में राज्य सरकार को सूचना की अपेक्षा करने की शक्तियां हैं; धारा-43 में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन करने की शक्तियां हैं; धारा-44 में कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियां हैं और धारा-45 में नियम बनाने की शक्तियां हैं। तो यह सब पावर जब राज्य सरकार को है तो कोई विश्वविद्यालय निरंकुश नहीं हो सकता।

जहां तक पेसिफिक यूनिवर्सिटी का सवाल है, मैं यह बताना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने इस विश्वविद्यालय को सितम्बर माह के अन्त में अध्यादेश के मार्फत गठित किया था और जब नई सरकार बनी तो हमने मंत्रिमण्डल की मीटिंग में यह तय किया कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए, तीन सदस्यीय कमेटी का हमने गठन किया और उनको हमने निर्देश दिये कि आप दोनों, माधव विश्वविद्यालय और पैसिफिक विश्वविद्यालय, इनका मौके पर जाकर निरीक्षण करें और निरीक्षण के बाद, उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही हम इन विश्वविद्यालयों के विधेयकों को मंजूरी देंगे। तो मैं आपको और सदन को यह बताना चाहूंगा कि तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने इन दोनों विश्वविद्यालयों की मौके पर जाकर जांच की और पाया कि वे समस्त निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करते हैं।

इस आधार पर ही हमने यह निर्णय लिया कि इन विश्वविद्यालयों के अध्यादेशों का प्रतिस्थापन विधेयक सदन के पटल पर प्रस्तुत करें। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे पिछले चालीस निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय चल रहे हैं, उसी के अनुरूप इन विश्वविद्यालयों के गठन के विधेयक यहां प्रस्तुत किये गये हैं और सरकारी जो शक्तियां मैंने बताई, धारा 41, 42, 43, 44, 45, इनके माध्यम से सरकार को शक्तियां प्राप्त हैं।

जहां तक नियामक बोर्ड का सवाल है, आपने एक बात पूछी, तो हमारा भी पहले विचार था और हमने चुनाव घोषणा पत्र में भी यह कहा है कि हम नियामक बोर्ड का गठन करेंगे, पर मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार का नियामक बोर्ड था परन्तु हाई कोर्ट में पीटीशन लगी और हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में यह कहा कि इस प्रकार का

(श्री कालीचरण सराफ)

नियामक बोर्ड नहीं बनाया जा सकता। इसलिए नियामक बोर्ड तो नहीं बनेगा, पर और विकल्पों पर विचार करके, इन निजी विश्वविद्यालयों पर किस प्रकार से सरकारी अंकुश और सुदृढ़ किया जाए, इस बात का सरकार गम्भीरता से विचार करेगी।

जहां तक आपने कहा कि यह विश्वविद्यालय, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी शेखावाटी में भी होनी चाहिए, मैं पिछली बार आपके भाषण बड़े ध्यान से सुनता था, पर 5 साल में आपने यह मांग कभी नहीं की। खैर करते भी कैसे? क्योंकि जहां आशा होती है, वहीं पर मांग की जाती है। अब हमने अभी भरतपुर में पी पी पी मोड पर मेडिकल कालेज की घोषणा की है, उससे आपकी भी आशा जगी होगी कि हमारे यहां भी ऐसा हो सकता है। तो मैं निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधनों को देखते हुए, यदि सम्भव हुआ, तो आपके शेखावाटी में भी मेडिकल कालेज खोलने पर विचार हम गम्भीरता से करेंगे।

मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि जन मत जानने के लिये जो प्रस्ताव है उसको अस्वीकार किया जाये और बिल को पारित किया जाये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): और धन्यवाद तो दो, राठौड़ साहब ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह पूरा इशारा नहीं किया राठौड़ साहब ने।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि पेसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2014 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि पेसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार ।

खण्ड 2 से 48 । कोई संशोधन नहीं।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 48 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 48 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गयीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

'खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि पेसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2014 को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि पेसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2014 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नहीं, मैं बोलूंगा ना। मैंने आपकी आई कैच कर ली।

श्री अध्यक्ष: नजर से नजर मिल गयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मिल गयी, हां। माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): दोनों की आंखें तेज हैं, दोनों ही विद्वान हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जोगाराम जी, ...

श्री अध्यक्ष: आखें, विधान सभा में बैठते हैं, तेज होनी चाहिये। (व्यवधान) हां, माननीय विधायक।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जोगाराम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, नजरों की बात कह रहे थे ना आप-

‘दृग ऊर्जत टूटत कुटुम्ब, जुड़त चतुर चित प्रीत,
परति गांठ दुर्जन हिये, देहि नहिं यह रीत।’

दो आंखें मिलें तो लोगों को प्रसन्न होना चाहिये, नाराज नहीं होना चाहिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): दो आंख मिलें, दो दिल मिलें, आगे वाला भी है ना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आगे फिर देखेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की यह विधान सभा इस बात के लिये याद की जायेगी कि हिन्दुस्तान में प्राइवेट विश्वविद्यालयों के बिल जितने अधिक हमने पारित किये हैं और जिस सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हमने पारित किये हैं, वह एक अपने आप में रिकार्ड है। वह हमारी पूर्ववर्ती सरकार में शुरू हुआ, कांग्रेस की सरकार में जारी रहा और अभी भी हमने, इस नयी सरकार के आने के बाद भी जारी किया। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इसमें दो-तीन बातें महत्वपूर्ण देखने की हैं। मैं समझता हूं, माननीय मंत्रीजी इन बातों का ध्यान करेंगे।

पहला यह कि विश्वविद्यालय दो श्रेणी के हमारे यहां हो गये। एक विश्वविद्यालय वे हैं जो सामान्य प्रशिक्षण के साथ कुछ विशेष प्रशिक्षण देते हैं। तीन विश्वविद्यालय राजस्थान में इस प्रकार के हो गये हैं जो केवल मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, महात्मा गांधी है, निम्स है और यह तीसरी पैसिफिक यूनिवर्सिटी हो गयी। अब इनमें फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क और फंडामेंटल क्वेश्चन यह है कि इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने जाकर, जिस समय अल्तमस कबीर भारत के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक पास करा लिया था, जजमेंट करा लिया था कि ये अपनी परीक्षाएं स्वयं लें। उसके बाद में चीफ जस्टिस बदले और उस निर्णय में कुछ बू आयी उनको और सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार, एक चीफ जस्टिस की अध्यक्षता की बेंच ने जो निर्णय किया था, श्री कपाड़िया साहब की अध्यक्षता में उसका पुनर्विवेचन किया।

अब मूल प्रश्न यह है कि राजस्थान में विश्वविद्यालय अपनी परीक्षा लेने के लिये स्वतंत्र हैं, अपना कोर्स निर्धारित करने के लिये स्वतंत्र हैं अनुदान आयोग की ग्रांटस के आधार पर। यह जो तीनों विश्वविद्यालय हैं, इनमें जो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मेडिकल में स्टूडेंट प्रवेश लेगा, वह पी एम टी के लिए लेगा, या भारत सरकार जो परीक्षा करती है उसके आधार पर लोगा, या यह लोग अपने आप तय करके परीक्षा लेकर एडमिशन देंगे यह बहुत बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न राजस्थान की जनता के लिए बहुत बड़ा है और इस प्रश्न का समाधान चाहिये।

अब, अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है, मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया प्राइवेट कालेजेज को दो पी जी की या दो ऊपर की डिग्री हासिल करने के लिये स्पेसिफिक एडमिशन देता है, तो 5-5, 10-10 करोड़ रुपये देकर आने पड़ते हैं और उदाहरण आया कि मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया का अध्यक्ष पकड़ा गया और करोड़ों रुपये उससे बरामद हुए, सोना बरामद हुआ उससे। तो ए आई सी टी ई और मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया, ये दोनों लूट के अड्डे बने हुए हैं।

इसके साथ-साथ दुर्भाग्य यह है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कितने वर्ष पहले बना था, कोठारी आयोग के बाद? वह केवल ग्रांट देने के लिये था। आज वह नियामक आयोग बन गया खुद ही। ये परिस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं।

इसलिए सरकार को इन बातों पर विचार करना पड़ेगा कि मेडिकल में प्रवेश कैसे होगा।

दूसरा महत्वपूर्ण विषय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने इस एक्ट की अनुसूची 2 देखी, इस एक्ट की अनुसूची 1 देखी, आप जरा ध्यान करेंगे, इन्होंने कुल 22,852 वर्गमीटर क्षेत्र में निर्माण किया है और 40 से अधिक विभाग खोलना चाहते हैं। सभी परमिशन एक साथ ले रहे हैं एक्ट के अन्तर्गत। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। सारा का सारा 'ए' से लेकर जो कुछ हो सकता है, होम्योपेथी का भी, आयुर्वेद का भी, एलोपेथी का भी, सारे डिपार्टमेंट्स का, 40 से अधिक डिपार्टमेंट्स का, ये खोलने की परमिशन लेकर जा रहे हैं। 2 पी जी की क्लास, गवर्नमेंट में, मेडिकल कालेज में 30 सीट बढ़ाने के लिये राज्य सरकारें मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया और ए आई सी टी ई के हाथ जोड़कर खड़ी रहती थीं, उनको मंजूरी नहीं मिलती थी। हम सारी की सारी इनको परमिशन दे रहे हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

इसलिए तीन यूनिवर्सिटीज को हम उन यूनिवर्सिटीज के केवल आंकड़े में नहीं रख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन बात कही हैं कि एक ट्रस्ट होना

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चाहिए तो बालाजी एजुकेशन ट्रस्ट; सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात कही है कि एंडाउमेंट फंड के लिए दो करोड़ रुपया जमा होना चाहिए, इन्होंने दो करोड़ रुपए जमा करा दिये हैं; सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बात कही है कि तीन आदमियों की कमेटी बनकर जाएगी और वह रिपोर्ट पेश कर देगी, वह रिपोर्ट पेश कर दी है, सामान्य विश्वविद्यालय की। यह सामान्य विश्वविद्यालय नहीं है।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि राजस्थान में मेडिकल की बहुत कमी है। सरकार को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने भी प्रस्ताव पास किया है कि रिटायर्ड डाक्टर वापस आ जाएं। उनको जिस प्रकार की फीस देकर, वह बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन आज राजस्थान में डाक्टर नहीं हैं और इसका केवल इन प्राइवेट विश्वविद्यालयों से इलाज नहीं होना है। इसके लिए सबसे बड़ा है, जो उस समय मैंने सुझाव दिया था, अब भारत सरकार ने स्वीकार किया है, कि राजस्थान के जितने डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स हैं वहां पी पी पी मोड पर प्राइवेट कालेज खुलने चाहिए और उन प्राइवेट कालेजों का सीधा एफिलिएशन हमारे डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स से होना चाहिए। उनसे उसका एफिलिएशन होगा तो उन हास्पिटल्स की स्थिति सुधरेगी और वहां मेडिकल कालेज बनेगा।

आज ये जो कालेज बनते हैं, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कालेज मैंने देखा है, वहां 300 बेड जरूरी हैं, वहां लोगों को जब परीक्षण करने के लिए आते हैं तो रुपये दे-देकर बेड पर आदमियों को सुला देते हैं कि 2 दिन का आपको पेमेंट इतने रुपये देंगे और आप हमारे पास रहो। एम सी आई की टीम जब आती है सरकारी मेडिकल कालेजों की जांच के लिए, तो जयपुर से हाथ जोड़कर 5 डाक्टरों को कोटा भेज देते हैं और कभी झालावाड़ भेज देते हैं। उनका निरीक्षण होने के बाद उनको वापस बुला लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह जो स्थिति है और जिस प्रकार के कोर्स ये खोल रहे हैं, इसको कौन देखेगा? यह इतने बड़े-बड़े कोर्स जो चलायेंगे, इनका निरीक्षण कौन करेगा? इसका कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार नहीं कर सकती। आपने 41, 42, 43, 44, 45 में प्रावधान कर दिया होगा, नहीं कर सकती है। सबसे बड़ा प्रश्न आज यह है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के एक सेक्शन के आधार पर हम ये विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, मेडिकल काउंसिल

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आफ इंडिया इनको नियंत्रित करेगी कि नहीं करेगी? अगर मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया इसको नियंत्रित नहीं करेगी और यही नियंत्रित करेगी तो यह कौनसा कोर्स करेगी, कितनों को पढ़ायेगी और कितने रुपयों में पढ़ायेगी, यह कोई नहीं कह सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर सोचें गम्भीरतापूर्वक कि यह टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनायें, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनायें लेकिन इन विश्वविद्यालयों का निरीक्षण कौन करेगा? नम्बर एक।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं, मैं इस बात के पक्ष में हूं कि आज हायर एजुकेशन की स्थिति में राजस्थान आगे निकल गया है। कोई जमाना था जब प्राइवेट में हम विंध्याचल को पार करके जाते थे। आज जमाना है जब विंध्याचल को पार करके लोग हमारे यहां आ रहे हैं, और भी आयेंगे। लेकिन मूल सवाल यह है कि आज हम कालेजों में हिन्दुस्तान में सबसे आगे निकल गये हैं, इसमें हाथ किसका है? इसमें केवल सरकार का हाथ नहीं है। पहले-पहले तो राजस्थान में भामाशाहों का हाथ था लेकिन उसके बाद से प्राइवेट रूप से जिन लोगों ने इंस्टिट्यूट खोले, जो संस्थान खड़े किये, उनके कारण से शिक्षा का विकास भी हुआ है, शिक्षा में गुणवत्ता भी आयी है और शिक्षा में लोग जा भी रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा में केवल सरकार का नियंत्रण बिलकुल भी उचित नहीं है। अगर शिक्षा में सरकार का नियंत्रण होता तो हमारी सभ्यता नष्ट हो जाती। अंग्रेजों ने, मैकाले ने जब 1835 में बिल पारित किया तो उस समय जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में है कि अकेले मद्रास रेजीडेंसी में उस समय हमारे 5 हजार स्कूल और कालेज चलते थे। उसके बाद उन्होंने तय किया कि भारत के शिक्षा के ढांचे को ध्वस्त किया जाये। जब तक भारत के शिक्षा के ढांचे को ध्वस्त नहीं करेंगे तब तक भारत को गुलाम नहीं बना सकते। इसलिए भारत के शिक्षा के ढांचे को उन्होंने ध्वस्त किया। अगर केवल सरकारों के नियंत्रण में रहेगा तो यह शिक्षा का ढांचा पनप नहीं सकता। शिक्षा बढ़नी चाहिए लेकिन शिक्षा के लिए आल्टरनेटिव केन्द्र चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात की सरकार ने क्रिएट किया है, एक बोर्ड आफ सेकण्डरी एजुकेशन, उन्होंने एक आल्टरनेटिव बोर्ड आफ सेकण्डरी एजुकेशन क्रिएट किया है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आपको, मंत्रीजी, कोई नहीं रोकता कि यहां पर मेडिकल यूनिवर्सिटीज बन रही हैं तो आप उनके लिए आल्टरनेटिव चीज का निर्माण नहीं करें। आपको कोई कानून नहीं रोकता। आप एक आदेश के द्वारा मत बनाइये, आप राजस्थान की विधान सभा में एक कानून लाकर इनके नियंत्रण का एक आयोग बनाइये। आज अक्रेडिटेशन नहीं है। आज बाहर का बच्चा पढ़ने आता है तो उसको 'ए' ग्रेड, 'बी' ग्रेड, 'सी' ग्रेड पता नहीं है। आप अक्रेडिटेशन का सेंटर बनाइये, प्राइवेट कालेजों का बनाइये, प्राइवेट विश्वविद्यालयों का बनाइये और उनकी ग्रेडिंग करिये। उस ग्रेडिंग से उनकी फीस का और उनके आने का पता लगेगा।

अध्यक्ष महोदय, आज फैकल्टी चाहिए, फैकल्टी नहीं है। इंजीनियरिंग कालेजों में, आई आई टीज में जो लड़के पास होकर जाते हैं, उनको एक-एक लाख, डेढ़-डेढ़ लाख, पांच-पांच लाख का पैकेज मिलता है। डाक्टर पास होकर जाते हैं, आज डाक्टरों को माननीय चिकित्सा मंत्रीजी अगर वी आर एस दे दें तो आपकी मेडिकल कालेजेज खाली हो जायेंगी। वे आज लेने के लिए तैयार बैठे हैं सबको। आपको यह बात सोचनी पड़ेगी कि इस सम्बन्ध में सरकार को क्या कदम उठाना है।

अध्यक्ष महोदय, तीन चीजें हमारे पास सबसे बढ़िया थीं जो परोपकार के लिए थीं। शिक्षा परोपकार के लिए, अब कमाई का बढ़िया जरिया; चिकित्सा परोपकार के लिए, अब कमाई का बड़ा जरिया है; प्रवचन और उपदेश परोपकार के लिए, अब कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। ये तीनों जरिये बन गये हैं।

मैं संक्षेप में, आज बहुत बहस हो गयी है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्राइवेट क्षेत्र में यूनिवर्सिटीज खुलनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज को प्रोत्साहित करना चाहिए लेकिन टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी और जनरल यूनिवर्सिटी में विभेद करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल के हाई कोर्ट का फैसला मैंने भी पढ़ा है। उन्होंने जिस प्रकार से बनाया है हम वैसे नहीं बनायें। हम कानून लायें। कानून लाकर इनको नियंत्रित करने के लिए बाडी का गठन करें। उसके बाद अक्रेडिटेशन की व्यवस्था करें। फीस के ढांचे को देखें और उनके एडमिशन टैस्ट का हम एक ढांचा तय करें। वरना सारा का सारा काम गड़बड़ होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपके इस बिल का तो समर्थन करता हूं, पारित किया जाये।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दो ही आदमी यहां विद्वान हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको तो गोविन्द सिंह जी ने दे ही दिया, बहुत गद्‌गद हैं उनके कहने से और मैं गद्‌गद हूं कालीचरण जी के प्रवचन से। आज गद्‌गद होने का समय है। मेरी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएं और बहुत-बहुत धन्यवाद।

बार-बार पेट की बात मत करो। हमारे शास्त्रों के हिसाब से पेट वैश्यों के लिए ही बना हुआ है। वैश्य तो इसलिए पेट पर ही हाथ फेरेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय प्रभारी मंत्री।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, बोलिये। बोलिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान विश्वविद्यालय में आयुर्वेदिक कालेज, मेडिकल कालेज, होम्योपेथिक कालेज, डेंटल कालेज, 4 हो सकते हैं तो क्या इस विश्वविद्यालय के एक्ट में 4 कॉलेजों का वह प्रावधान है? इस प्रकार की स्थिति है। हम कालेजों को विश्वविद्यालय का दर्जा तो दे रहे हैं लेकिन जब कोई जनरल विश्वविद्यालय खुलेगा तो उसमें 4 फैकल्टी होंगी। यह 4 फैकल्टियां मौजूद हैं? इसमें प्रावधान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि कमरे कितने हैं? एक साथ अनुमति दे रहे हैं लेकिन 40 कमरे हैं नहीं। यह तो हम चलाकर ही कर रहे हैं। हमारे सामने उदाहरण है अजमेर का, उसमें 8 साल से विश्वविद्यालय चल रहा है और खुद का भवन नहीं बना। ऐसी त्रुटि फिर की जा रही है। मेरा निवेदन है कि पर्याप्त संसाधन होने के बाद ही यह किया जाये। जिनका भी होगा तो मान्यता की बात होगी। अब निम्स विश्वविद्यालय है, तो वह एडमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर के बैठा है। स्टे ले आयेंगे और ले लेंगे। किस प्रकार से लूट होगी। 40-40 लाख रुपये की पहले से ही जब चल रही है, तो उसके बारे में माननीय मंत्रीजी चुप रहे, कोई बात कही नहीं उन्होंने। कमरे कम हैं, इसकी बात कही नहीं। 40 सब्जेक्ट हैं और 100-100 पुस्तकें हैं नहीं, 3,000 पुस्तके है। सारे विश्व में ज्ञान इतना ही है क्या? अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस विश्वविद्यालय में जब तक पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, सब्जेक्ट तो जो हम दुनिया में लिख लेते हैं वही सब्जेक्ट लिखकर ले आये, जिन्होंने एक्ट बनाया।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

अब इसमें दान की बात भी कही गयी है, यह दान का मतलब क्या है? यह गरीबों के लिए नहीं होना चाहिए विश्वविद्यालय? केवल पैसे वालों के लिए ही विश्वविद्यालय होगा? इसमें कोई बात डाली नहीं हमने।

रिजर्वेशन की बात आपने की नहीं। इन विश्वविद्यालयों में रिजर्वेशन की बात कही है क्या हमने? जब नहीं की तो गरीब के बच्चे कहां जायेंगे? यह प्रावधान तो करायें कम से कम। इन विश्वविद्यालयों को हम पास करते जा रहे हैं।

चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट, ये 2 शब्द ले आये। एक्ट बनाते जा रहे हैं हम।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यही निवेदन है कि कम से कम प्रत्येक मेडिकल विश्वविद्यालय को 4 कालेज होने ही चाहिए। मेडिकल कालेज होना चाहिए एलोपेथी का, आयुर्वेदिक कालेज होना चाहिए, होम्योपेथिक होना चाहिए और एक डेंटल कालेज होना चाहिए। चारों कालेजों की व्यवस्था की जायें, तब जाकर के वह एक विश्वविद्यालय होगा, वरना विश्वविद्यालय का कोई अर्थ नहीं होगा। वहां शिक्षण की सारी व्यवस्थाएं हों उसको ही हम विश्वविद्यालय कहते थे। यह तो सिर्फ 40 सब्जेक्ट का नाम ले आये, इस कारण से, सब्जेक्ट लिखने से पार नहीं पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, आप विश्वविद्यालय तो खोलिये, मैं तो शिक्षा का आदमी हूं, ज्ञान आयोग ने यह भी कहा है कि प्रत्येक 5 हजार विद्यार्थी जिस कालेज में हैं, उसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाये। उस ओर तो हमारा ध्यान है ही नहीं। यह प्राइवेट विश्वविद्यालय, केवल 2 करोड़ रुपये में हम छूट दे रहे हैं और उनकी लूट का आधार बना रहे हैं।

इस पर नियंत्रण लगे। यह सदन तो जनता के लिए है, जनता का सदन है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, सबका केन्द्र है। मैं यह चाहता हूं कि जनता की गाढ़ी कमाई की लूट का आधार हम इस सदन के माध्यम से नहीं दें, जितना नियंत्रण हम कर सकें। मध्य प्रदेश में 10 साल से चल रहा है, वहां नियामक आयोग चल रहा है उच्च शिक्षा पर, मेडिकल और इंजीनियरिंग, दोनों के लिए चल रहा है। सलाहकार समिति तो बन सकती है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जितने सरकारी विश्वविद्यालय बने हैं, उनमें 4 जो सेक्रेटरीज हैं उनके नामिनी तय किये हैं, दो विधायक होते हैं। यहां

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

किसी का नहीं किया है हमने। विधि विभाग का नहीं किया, शिक्षा विभाग का नहीं किया। किसी भी सेक्रेटरी का नामिनी नहीं है। ना ही इस सदन का कोई नामिनी है उसमें। जबकि और जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं, जहां सरकार के विभागों का नियंत्रण है, वहां तो हम एम एल एज को लगाते हैं और यहां सारी छूट दे रखी है। इस कारण से, जो सदन तय कर रहा है, उसका कुछ तो नियंत्रण होना चाहिए। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट आड़े नहीं आता कि 2 एम एल ए की नामिनी के रूप में उसमें व्यवस्था की जाये। ऐसी मेरी प्रार्थना है। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट। संक्षेप में ही माननीय मंत्रीजी से कहूंगी कि बिल तो पास हो रहा है और बिल पास हो, उसके लिए मैं समर्थन में भी हूं, लेकिन सिर्फ एक बात ध्यान में लाना चाहती हूं कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज के अन्दर कुछ सीट्स वहां के स्थानीय...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन का समय इस बिल के पारित होने तक बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय इस बिल के पारित होने तक बढ़ाया गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की कार्यसूची पूरा होने तक की बात थी।

विधेयक का पारण

पेसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2014

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगी कि जो बिल है उस बिल

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

के अन्दर, राजस्थान के स्टूडेंट्स को जो पी एम टी क्लीयर करने के बाद रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो अन्य स्टेट्स के अन्दर मिलता है, अगर हम कर्नाटक में जायें, आंध्रा में जायें, गुजरात में जायें तो उन स्टेट्स के जो बच्चे हैं उन बच्चों को अमुक सीट्स रिजर्व के तौर पर, मेरिट के अन्दर, उनकी अलग से वह बनाकर दी जाती है, वह जो वहां के स्थानीय स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। राजस्थान के अन्दर, जब हम इस तरीके से एक यूनिवर्सिटी का बिल पास करने जा रहे हैं तो यह बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके साथ-साथ इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को इतना तो पाबन्द किया जा सकता है कि राजस्थान के बच्चे, जो योग्य बच्चे हैं, मेरिट के अन्दर वह एक राजस्थान की मेरिट बनाये, उन्हें भी उसमें कुछ स्थान ऐसे दिये जा सकते हैं, जैसा कि गुजरात में हाल ही में जो बिल पास हुआ है उसके अन्दर दिया गया है। यह सिर्फ उनको कहूंगी कि ये जब अपना जवाब दें तो बतायें कि क्या ऐसा कोई प्रोविजन रखने की सरकार मंशा रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जब कोई नई-नई चीज इंट्रोड्यूस होती है तो कई प्रकार की शंकाएं उठना स्वाभाविक हैं, पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का जहां तक सवाल है, सेक्शन 4 से लेकर 45 तक सरकार के पास असीमित अधिकार हैं। यह बिल पास होने के बाद, कहीं पर हमको यह लगेगा कि इसमें किसी प्रकार से संशोधन होना चाहिए, तो निश्चित रूप से संशोधन करेंगे और आपकी जो आशंकाएं हैं उनको बिलकुल दूर किया जायेगा।

जहां तक आपने प्रवेश के लिए कहा, सांगानेर से आने वाले आदरणीय माननीय सदस्य ने, तो सेक्शन 32 में यह किस प्रकार से प्रवेश लिया जायेगा, यह स्पष्ट है। हमने दोनों बातें कही हैं कि वह अपने यहां भी परीक्षा आयोजित करके प्रवेश ले सकता है और जो स्टेट की पी एम टी की परीक्षा होती है उससे भी प्रवेश ले सकता है। पर इसमें यदि हमको कहीं कोई गड़बड़ नजर आई तो संशोधन का द्वार खुला रखा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जो यह अधिकार लिया है न, यह अधिकार उन पर हो गया कि वे राजस्थान की पी एम टी से लेंगे या खुद की से लेंगे। हमारे पर नहीं है, क्योंकि हम उनको यह अधिकार दे रहे हैं इस सेक्शन के अन्दर। इसलिए यह सेक्शन नहीं होना चाहिए।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): मैं यही कह रहा हूं, इसमें कहीं हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता हुई तो निश्चित रूप से परिवर्तन करेंगे। क्योंकि कोई भी नई चीज आती है तो उसमें कई प्रकार की विसंगतियां रहती हैं। तो समय रहते-रहते उनको हम दूर करेंगे। पर यह बात निश्चित है कि जितनी प्राइवेट सेक्टर में, टेक्निकल क्षेत्र में भी, यूनिवर्सिटीज खुलेंगी तो उसका ओवर-आल यदि हम देखेंगे तो स्टेट को इसका फायदा होगा, स्टेट के बच्चों का फायदा होगा।

इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि यह बिल पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि पेसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2014 पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

पेसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2014 पारित किया गया।

अब माननीय सदस्यों से निवेदन करना है कि राष्ट्र गान होगा, आप सब खड़े हो जाएं।

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा,
द्राविड़ उत्कल बंगा
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.54 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

बी.पी.एल. परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान के लम्बित प्रकरण

90. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बी पी एल कार्डधारकों की पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान राशि दी जाती हैं? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजसमन्द जिले में गत 05 वर्षों में बी पी एल कार्डधारकों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुये तथा कितने आवेदन स्वीकार किये गये तथा कितने आवेदकों को विवाह हेतु सहायता अनुदान राशि आबंटित की गई? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सहायता राशि से वंचित आवेदकों को भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि बी पी एल कार्डधारकों की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान दिया जाता है। विवाह योग्य पुत्री के विवाह हेतु रुपये 10000/- की अनुदान सहायता देय है। यदि पुत्री 10वीं उत्तीर्ण है, तो उन्हें 5000/- अतिरिक्त तथा पुत्री स्नातक उत्तीर्ण है, तो रुपये 10000/- अतिरिक्त राशि देय है। यह सहायता राशि अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह पर दी जाती है।

(2) जिला राजसमन्द मे गत 5 वर्षो में प्राप्त/स्वीकृत आवेदन पत्रों का पंचायत वार वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 की सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) राजसमन्द जिले में पंचायत वार कोई बकाया आवेदन-पत्र नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

राजसमन्द जिले में बीपीएल परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु गत 5 वर्षों में प्राप्त/स्वीकृत आवेदन-पत्र (जिनको राशि आबंटित की गई) का विवरण

वित्तीय वर्ष	पंचायत समिति का नाम	क्र.सं.	ग्राम पंचायत	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन
2008-09	भीम	1.	भीम	2	2

वित्तीय वर्ष	पंचायत समिति का नाम	क्र.सं.	ग्राम पंचायत	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन
2009-10	खमनोर	1.	कोठारिया	1	1
		2.	खमनोर	1	1
	कुम्भलगढ़	1.	बनोकड़ा	2	2
		2.	गढबोर	2	2
		3.	केलवाड़ा	1	1
	भीम	1.	भीम	2	2
	देवगढ़	1.	मदारिया	1	1
		2.	विजयपुरा	2	2
		3.	मियाला	1	1
2010-11	राजसमन्द	1.	केवला	1	1
		2.	महासतियों की मादडी	2	2
	खमनोर	1.	कुंठवा	1	1
		2.	बामनहेडा	4	4
		3.	उथनोल	1	1
		4.	नमाणा	3	3
		5.	कोठारिया	1	1
		6.	मचीन्द	3	3
	कुम्भलगढ़	1.	बडगांव	1	1
	भीम	1.	बरार	1	1
		2.	भीम	5	5
		3.	काछबली	1	1
		4.	अजीतगढ़	8	8
		5.	कुकड़ा	2	2
		6.	छापली	1	1
		7.	कालेसरिया	2	2
	देवगढ़	1.	लसानी	3	3
		2.	नाराणा	1	1
		3.	विजयपुर	1	1
		4.	ताल	2	2

वित्तीय वर्ष	पंचायत समिति का नाम	क्र.सं.	ग्राम पंचायत	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन
	रेलमगरा	1.	पनोतिया	2	2
		2.	रेलमगरा	2	2
		3.	धनेरियागढ़	2	2
		4.	गिलुण्ड	1	1
2011-12	राजसमन्द	1.	केलवा	2	2
		2.	फरारा	2	2
		3.	बडारडा	2	2
		4.	पडासली	2	2
		5.	सुन्दरचा	5	5
		6.	मुण्डोल	1	1
		7.	पीपली आचार्यन	1	1
		8.	पीपरडा	1	1
	खमनोर	1.	शिशोदा	2	2
		2.	बागोल	1	1
		3.	झाला की मदार	1	1
		4.	बामनहडा	4	4
		5.	बिलोता	7	7
		6.	कुंठवा	1	1
		7.	कोठारिया	3	3
		8.	सेमा	1	1
		9.	सेमल	1	1
		10.	शिशवी	2	2
	कुम्भलगढ़	1.	अण्टालिया	1	1
		2.	सेवन्त्री	1	1
	भीम	1.	दिवेर	2	2
		2.	बरार	3	3
		3.	भीम	23	23
		4.	अजीतगढ़	1	1
		5.	बली जस्साखेड़ा	3	3

वित्तीय वर्ष	पंचायत समिति का नाम	क्र.सं.	ग्राम पंचायत	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन
		6.	शेखावास	1	1
		7.	लगेतखेड़ा	1	1
		8.	समेलिया	2	2
		9.	कुकरखेड़ा	2	2
		10.	थानेटा	1	1
		11.	बाघाना	1	1
		12.	ठीकरवारा	1	1
		13.	कालादेह	1	1
		14.	मियाला	1	1
	आमेट	1.	सरदारगढ़	2	2
		2.	आगरिया	1	1
	देवगढ़	1.	आंजना	1	1
		2.	लसानी	1	1
		3.	जीरण	1	1
		4.	मदारिया	1	1
		5.	विजयपुरा	1	1
		6.	नराणा	1	1
	रेलमगरा	1.	गिलुण्ड	1	1
		2.	रेलमगरा	1	1
		3.	कुरड	1	1
		4.	पछमता	3	3
		5.	धनेरियागढ़	1	1
2012-13	राजसमन्द	1.	तासोल	4	4
		2.	मुण्डोल	1	1
		3.	पडासली	1	1
		4.	सुन्दरचा	2	2
		5.	खटामला	1	1
		6.	केलवा	4	4
		7.	पीपरडा	1	1

वित्तीय वर्ष	पंचायत समिति का नाम	क्र.सं.	ग्राम पंचायत	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन
	खमनोर	1.	उथनोल	1	1
		2.	मोलेला	1	1
		3.	मचीन्द	1	1
	भीम	1.	अजीतगढ़	4	4
		2.	कालादेह	2	2
		3.	भीम	12	12
		4.	समेलिया	1	1
		5.	बली जस्साखेडा	3	3
		6.	छापली	1	1
		7.	कुकड़ा	1	1
		8.	बरार	9	9
		9.	बोरवा	1	1
	आमेट	1.	सेलागुडा	5	5
		2.	सरदारगढ़	1	1
	देवगढ़	1.	ननाणा	1	1
		2.	लसानी	1	1
		3.	विजयपुरा	1	1
	रेलमगरा	1.	कुरज	1	1
		2.	गोगाथला	1	1
		3.	रेलमगरा	1	1

पाली जिले में फसल खराब होने पर किसानों को दी गई राहत

91. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में गत खरीफ की फसल के समय वर्षा के अभाव में किसानों को फसल की हानि हुई है? यदि हां, तो उन्हें किस प्रकार राहत दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिले में बेमौसम वर्षा से भी फसल को हानि हुई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा दी गई राहत का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्राकृतिक आपदाओं से खरीफ फसल संवत् 2070 (सन् 2013) में हुए नुकसान की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर पाली जिले के 934 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। इन अभावग्रस्त गांवों के प्रभावित पात्र किसानों को एस डी आर एफ मानदण्डानुसार कृषि आदान अनुदान वितरण हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं एवं प्रथम चरण में जिला कलक्टर पाली को इस हेतु 15.00 लाख रुपये का बजट आबंटन किया जा चुका है।

(2) जी हां। सम्वत् 2070 (वर्ष 2013) में बेमौसम वर्षा से जिले के तहसील क्षेत्र बाली, जैतारण, सोजत, देसूरी के अलावा अन्य सभी तहसीलों में खरीफ की खड़ी फसलों में हानि हुई है, जिसके आधार पर जिले के 934 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। इन अभावग्रस्त गांवों के प्रभावित पात्र किसानों को एस डी आर एफ मानदण्डानुसार कृषि आदान अनुदान वितरण हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं एवं प्रथम चरण में जिला कलक्टर पाली को इस हेतु 15.00 लाख रुपये का बजट आबंटन किया जा चुका है।

जहाजपुर में नवीन राशन कार्डों का वितरण

92. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में काफी समय से नये राशन कार्ड वितरित नहीं होने से उचित मूल्य की दुकानों से सामग्री नहीं मिल रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब कब तक नये राशन कार्डों का वितरण करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में पुराने राशन कार्डों पर उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन सामग्री दी जा रही है।

नये राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है। यथाशीघ्र उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवा दिये जायेंगे।

आर.टी.ई. के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में प्रवेश के मानदण्ड

93. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शिक्षा के अधिकार (आर टी ई) के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में

(डा. राजकुमार शर्मा)

प्रवेश के सम्बन्ध में क्या नियम/मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? नियम/मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अनेक निजी विद्यालयों द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत विहित नियमों/मानदण्डों की पालना न कर मनमाने तरीके से प्रवेश दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार निजी विद्यालयों में आर टी ई के अन्तर्गत प्रवेश सुनिश्चित करने व तत्पश्चात् उसकी प्रभावी तरीके से मानिटरिंग की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि निजी विद्यालय मनमाने तरीके से नियम विरुद्ध फीस, वर्दी व स्टेशनरी तथा अन्य सामान का शुल्क बच्चों/अभिभावकों से वसूलते हैं? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या प्रभावी कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-12 एवं राजस्थान नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2011 के नियम-10 में निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश से सम्बन्धित प्रावधान हैं। नियम/मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के प्रावधानों की धारा-12 के प्रावधानों के अनुसार निजी विद्यालयों में प्रवेश को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार के पत्रांक प.12(06) शिक्षा-5/2014 दिनांक 03 फरवरी, 2014 के द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जारी किये गये दिशा-निर्देश की प्रति परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है। इससे प्रवेश व्यवस्था की सही निगरानी की जा सकेगी।

(3) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 10 अप्रैल, 2013 के द्वारा राज्य में निजी विद्यालयों के द्वारा ली जा रही फीस के सम्बन्ध में राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) अधिनियम-2013 लागू किया जाकर अधिसूचना दिनांक 19 सितम्बर, 2013 के द्वारा राजस्थान प्राइवेट विद्यालयों में फीस के संग्रहण का विनियमन नियम-2013 अधिसूचित किये गये हैं तथा निजी विद्यालयों के लिए फीस अवधारित करने के प्रयोजन के लिए राजस्थान निजी शिक्षण संस्थाएं फीस निर्धारण समिति का गठन किया गया है। जिसकी प्रति परिशिष्ट-"ग" पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बहरोड़ के छात्रवृत्ति से वंचित छात्र-छात्राएं

94. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत दो वर्षों में कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया तथा कितने वंचित रहे व किन कारणों से? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में विगत दो वर्षों (2011-12 एवं 2012-13) में 17,845 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया एवं 2,457 छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित रहे। छात्रवृत्ति से वंचित रहने का कारण छात्र-छात्राओं के आवेदन पत्रों में आक्षेप होना है।

बस्सी ग्राम पंचायत (जयपुर) द्वारा कराये गये कार्यों के भुगतान में अनियमितताएं

95. श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील बस्सी जिला जयपुर की ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा जनवरी, 2004 से दिसम्बर, 2010 तक क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब और किस अधिकारी द्वारा किस दिनांक को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यों के निर्माण सामग्री बिल एवं एम.बी. रिपोर्ट का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि बिल वाउचर पर किसी भी प्रकार का विवरण सही नहीं है और ना ही दिनांक एवं बिल संख्या अंकित है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि उक्त वर्षों में अधिकतर काम हुए ही नहीं हैं, परन्तु उनके नाम से बिल वाउचर बना कर तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता के साथ मिलीभगत करके सचिव एवं सरपंच ने भुगतान उठाया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील बस्सी जिला जयपुर की ग्राम पंचायत बस्सी में जनवरी, 2004 से दिसम्बर, 2010 तक का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(2) तहसील बस्सी जिला जयपुर की ग्राम पंचायत बस्सी में जनवरी, 2004 से दिसम्बर, 2010 तक का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(3) तहसील बस्सी जिला जयपुर की ग्राम पंचायत बस्सी में जनवरी, 2004 से दिसम्बर, 2010 तक का रिकार्ड उपलब्ध नही है।

(4) तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव श्री राजेश शर्मा को विकास अधिकारी पंचायत समिति बस्सी के आदेश क्रमांक पंसब/संस्था/2014/1063-67 दिनांक 18.02.2014 द्वारा निलम्बित कर दिया गया है।

(5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर के आदेश क्रमांक 1832-38 दिनांक 18.02.2014 द्वारा तीन सदस्यों की समिति गठित कर जांच के आदेश दे दिये गये हैं। साथ ही, प्रकरण के सम्बन्ध में पुलिस थाना बस्सी में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफ आई आर) संख्या 120 दिनांक 19.2.2014 दर्ज करवाई गयी है।

प्रदेश में किसानों की उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने की कार्य योजना

96. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किसानों की उपज को लाभकारी समर्थन मूल्य पर खरीदने तथा बोनस घोषित कर सीधा किसान के खाते में जमा कराने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो कब तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा मूंगफली का समर्थन मूल्य 4,000/- प्रति क्विंटल घोषित किया गया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बीकानेर, लूणकरणसर की मण्डियों में किसानों का पूरा माल खरीदने हेतु क्या उपाय किये गये व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर किसानों की उपज के बाबत न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

जी हां। राज्य सरकार द्वारा भी समय-समय पर किसानों के हित में परिस्थितियों के अनुसार बोनस की घोषणा की जाती है।

जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किसानों की उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बोनस यदि घोषित किया गया है, तो उसको निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए सीधे काश्तकार के खाते में अकाउंट पेयी चैक के द्वारा जमा कराया जाता है।

(2) जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा मूंगफली का समर्थन मूल्य 4,000/- प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। तिलम संघ द्वारा बीकानेर, लूणकरणसर मण्डियों में किसानों का माल खरीदने हेतु खरीद केन्द्र दिनांक 15.11.2013 से संचालित किये जा रहे हैं एवं दिनांक 07.02.2014 तक इन खरीद केन्द्रों पर मूंगफली मात्रा क्रमश: 33,131.35 मीट्रिक टन एवं 18,686.71 मीट्रिक टन खरीद की जा चुकी है। पूर्व में भारत सरकार के निर्देशानुसार यह खरीद दिनांक 12.02.2014 तक की जानी थी, परन्तु कृषकों की मांग को देखते हुए मूंगफली खरीद अवधि बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से निवेदन किये जाने पर मूंगफली खरीद अवधि दिनांक 28.02.2014 तक बढ़ा दी गयी है।

प्रदेश में उपखण्ड मुख्यालयों पर कन्या महाविद्यालय खोलने की कार्य योजना

97. श्रीमती सोना देवी (रायसिंहनगर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार सादुलशहर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़, घड़साना, श्रीविजयनगर, सूरतगढ़, पीलीबंगा, टिब्बी, रावतसर, नोहर व भादरा उपखण्ड मुख्यालयों पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य सरकार प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालयों पर राजकीय कन्या महाविद्यालय चरणबद्ध रूप से खोलने पर विचार करेगी।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए इस सम्बन्ध में योजना बनाई जावेगी।

प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के तहत आम जनता को दी गई नकद राशि

98. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 में विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश की आम जनता को नगद या अन्य सहायता प्रदान की है? यदि हां, तो किन-किन योजनाओं के तहत क्या-क्या, कब-कब व कितनी राशि प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कई योजनाओं में कई चीजों के बदले नगद राशि प्रदान की गई हैं? यदि हां, तो किन-किन योजनाओं के तहत, कितनी-कितनी राशि कब से कब तक प्रदान की गई तथा इससे नगद राशि प्राप्तकर्ताओं को क्या लाभ हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 में संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश की आम जनता को योजना मापदण्ड एवं पात्रता के आधार पर निम्नानुसार राशि व्यय कर सहायता प्रदान की है:-

क्रं. सं.	योजना का नाम	भुगतान की गई राशि	लाभान्वितों की संख्या
1	उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	38928.23	632412
2	पी सी आर	815.44	1956
3	अन्तरजातीय विवाह योजना	87.50	175
4	पालनहार योजना	6163.00	73360
5	अनुप्रति योजना	336.46	1099
6	सहयोग योजना	1482.44	14286
7	गाड़िया लौहारों को भवन निर्माण हेतु अनुदान	143.73	322
8	गाड़िया लौहारों को कच्चा माल क्रय हेतु अनुदान	17.83	713

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

क्र. सं.	योजना का नाम	भुगतान की गई राशि	लाभान्वितों की संख्या
9	देवनारायण योजनान्तर्गत विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	3364.49	49912
10	देवनारायण योजनान्तर्गत विशेष पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	689.42	104596
11	देवनारायण गुरुकुल योजना	373.14	1086
12	देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना	392.47	1109
13	देवनारायण विशेष पिछड़ा वर्ग अनुप्रति योजना	37.95	137
14	देवनारायण प्रतिभावान छात्र प्रोत्साहन योजना	0.81	27
15	देवनारायण उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना	1.08	36
16	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	3157.47	107550
17	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	18876.60	696933
18	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तजन पेंशन योजना	573.78	17549
19	राज्य वृद्धावस्था योजना	36649.62	174871
20	राज्य विधवा पेंशन	20604.39	296736
21	राज्य विकलांग पेंशन	8726.27	147127
22	पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (मृत्यु दावे)	2325.60	7752
23	पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (विकलांगता)	203.85	453
24	पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री छात्रवृत्ति)	1499.83	124986
25	मुख्य मंत्री असहाय पुनर्वास योजना	31.70	1683
26	विधवा पुनर्विवाह सहायता योजना	0.75	5
27	विधवा पुत्री विवाह सहायता योजना	102.75	1027
28	संयुक्त सहायता अनुदान	648.81	11173
29	विश्वास योजना	206.34	657
30	विशेष योग्यजन के लिए छात्रवृत्ति	124.82	3386
31	विशेष योग्यजन के राज्य स्तरीय पुरुस्कार	1.20	6
32	विशेष योग्यजन को आस्था कार्ड	7.55	1647
33	विशेष योग्यजन के विवाह हेतु शिविर	127.10	397
34	विशेष योग्यजन अनुप्रति	7.78	14

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

(2) जी हां। वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा संख्या-79 के क्रम में बी पी एल एवं समकक्ष परिवारों को दो साड़ी एवं एक कम्बल उपलब्ध कराने के स्थान पर उच्चस्तरीय शासकीय निर्णय के पश्चात 1,500 रुपये प्रति परिवार एकमुश्त सहायता एकाउंट पेई चेक के माध्यम से जिला कलक्टर के पर्यवेक्षण में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दिनांक 27/6/2013 से दिनांक 12/07/2013 तक लगाये गये शिविरों के माध्यम से 35,45,485 परिवारों को उपलब्ध कराई गई ताकि वे अपनी पंसद के अनुसार गुणवत्ता के साथ क्रय कर सुखद उपयोग कर सकें।

इन्दिरा आवास योजना के आवेदन पत्रों का सरलीकरण

99. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार प्रदेश में इन्दिरा आवास तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लम्बित कार्यों को पूर्ण कराने हेतु भरे जाने वाले फार्मों का सरलीकरण कर सूक्ष्म मानदण्डों पर वंचितों को लाभ पहुंचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

इन्दिरा आवास योजना एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है जिसमें आनलाइन साफ्टवेयर आवास साफ्ट से स्वीकृति, किश्त हस्तान्तरण के प्रावधान हैं। आनलाइन प्रपत्र निर्धारित हैं, जो अपेक्षाकृत सरल हैं। इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत प्राथमिकता से इन्दिरा आवास की स्थायी वरीयता सूची से लाभान्वित किया जाता है। प्राप्त लक्ष्यानुसार आवासहीन सभी लाभार्थी लाभान्वित होंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभागीय नीति अनुसार वर्ष 2013-14 में पेंशन नियमों का सरलीकरण करते हुए राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 एवं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 जारी किये गये जो दिनांक 01.04.2013 से प्रभावी हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

आहोर में संचालित राशन की दुकानें

134. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर में वर्तमान में कुल कितनी राशन की दुकानें संचालित हैं? स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में राशन डीलरों द्वारा ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. परिवारों को क्या-क्या खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर (जिला जालौर) में वर्तमान में कुल 139 राशन की दुकानें संचालित हैं। स्थानवार विवरण परिशिष्ट-''अ'' पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में माह अक्टूबर, 2013 से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के फलस्वरूप जो ए.पी.एल. परिवार पात्र परिवार के रूप में चयनित हो चुका है, उसे गेहूं उपलब्ध कराया जाता है तथा बी.पी.एल. परिवारों को गेहूं एवं चीनी उपलब्ध कराई जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में एल.पी.जी. उपभोक्ताओं का दुर्घटना बीमा

135. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकारी तेल कम्पनी इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड व हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा एल.पी.जी. ग्राहकों के लिए दुर्घटना बीमा पालिसी करने का प्रावधान है? यदि हां, तो उक्त पालिसी कब से की जा रही है और कितने उपभोक्ताओं की दुर्घटना बीमा पालिसी की जा चुकी है? क्या कनेक्शन लेते ही उपभोक्ता स्वत: ही उक्त पालिसी का हकदार हो जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त गैस कम्पनियों द्वारा एल.पी.जी. ग्राहकों के दुर्घटना बीमा पालिसी कवरेज करने के लिए कोई मानदंड तय किये गये हैं? यदि हां, तो एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर से होने वाली दुर्घटनाओं में कौन-कौनसी व किस-

(श्री हीरालाल नागर)

किस प्रकार की दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर से होने वाली दुर्घटनाओं में सम्पत्ति नुकसान, व्यक्तिगत दुर्घटना, दुर्घटना में मृत्यु एवं विकलांगता आदि की क्षतिपूर्ति हेतु कोई मानदंड तय किये गये हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 2009 से दिसम्बर, 2013 तक प्रदेश में एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर से कितनी दुर्घटनाएं हुई, कितने उपभोक्ताओं की मृत्यु हुई, कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ है, कितने उपभोक्ता विकलांग हुए हैं, कितने उपभोक्ताओं को तत्काल सहायता दी गई है एवं कितने उपभोक्ताओं को उनकी मृत्यु के बाद बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य स्तरीय समन्वयक (तेल उद्योग) राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार राज्य के सभी एल.पी.जी. उपभोक्ता कनेक्शन प्राप्त करते ही दुर्घटना बीमा पालिसी के हकदार हो जाते है। राज्य के सभी एल.पी.जी. उपभोक्ताओं के लिए पब्लिक लाइबिलिटी पालिसी मैसर्स यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि. द्वारा पालिसी संख्या 021700/46/13/37/00000030 लागू है, जिसकी वर्तमान अवधि 02.05.2013 से 01.05.2014 है। यह पालिसी प्रतिवर्ष नवीनीकृत की जाती है।

(2) जी हां। राज्य स्तरीय समन्वयक (तेल उद्योग) राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार इस सम्बन्ध में पालिसी संख्या 021700/46/13/37/00000030 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। राज्य स्तरीय समन्वयक (तेल उद्योग) राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार इस सम्बन्ध में पालिसी संख्या 021700/46/13/37/00000030 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) राज्य स्तरीय समन्वयक (तेल उद्योग) राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार सम्बन्धित इन्श्योरेन्श कम्पनी से प्राप्त विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जयपुर शहर में नये राशन कार्ड का वितरण

136. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्ष 2011 में नये राशन कार्ड बनाये जाने अपेक्षित थे?

(2) जयपुर शहर में अब तक कितने राशन कार्ड वितरित किये जा चुके हैं और कितने राशन कार्ड किन-किन क्षेत्रों में किस कारण से अभी तक वितरित नहीं किये गये? उक्त राशन कार्ड अब कब तक वितरित कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जयपुर शहर में अब तक डिविजन संख्या 1 एवं 2 के 1,27,175 राशन कार्ड वितरित किये जा चुके है। शेष 11 डिविजन के 7,57,080 राशन कार्ड वितरित कराये जाने शेष हैं।

नवीन राशन कार्ड बनाए जाने की अवधि अन्तर्गत राज्य सरकार की अनेक फ्लैगशिप योजनाएं जैसे मनरेगा, पेंशन अभियान, ग्रामीण मुख्य मंत्री आवास योजनाएं, प्रशासन-गांव-के-संग, प्रशासन-शहर-के-संग अभियान, बोर्ड/विश्वविद्यालय परीक्षा इत्यादि समान्तर रूप से संचालित किये जाने के फलस्वरूप विलम्ब हुआ है। राशनकार्ड कार्य की प्रक्रिया विस्तृत एवं जटिल है। विभाग द्वारा राशन कार्ड कार्य हेतु चयनित फर्मों के माध्यम से आवेदकों से प्राप्त राशन कार्ड आवेदन फार्मों की स्क्रीनिंग, फार्म में उल्लिखित विवरणों की डैटाफीडिंग एवं चैकलिस्ट तैयार कराई जाकर, तैयार चैकलिस्टों को प्राधिकृत अधिकारियों को सुपुर्द करने तथा प्राधिकृत अधिकारियों से प्राप्त जांचशुदा चैकलिस्टों के आधार पर फर्म द्वारा पुन: डैटा संशोधन किया जाकर डिजिटाइज्ड हस्ताक्षर कराये जाने के पश्चात् राशन कार्ड प्रिन्ट कर सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारियों को वितरण हेतु उपलब्ध कराने, इत्यादि कार्य किया जा रहा है। इस कारण राशन कार्ड मुद्रण एवं वितरण में विलम्ब हुआ है।

जयपुर शहर में नवीन डिजिटाइज्ड राशन कार्ड यथा शीघ्र तैयार कराये जाकर वितरण कराये जाने के लिये विभाग प्रयासरत है।

किशनगंज में अधिकृत राशन डीलरों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

137. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने अधिकृत राशन डीलर कौन-कौन सी सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में वितरण करने हेतु अधिकृत है?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में गत पांच वर्षों में अधिकृत राशन डीलरों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? शिकायतों की प्रति एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में गत पांच वर्षों में कितने नये उचित मूल्य दुकानदार बनाये गये तथा वर्तमान में कितने स्थानों पर दुकानों को अन्य ग्राम पंचायतों के उचित मूल्य राशन डीलरों से जोड़ा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) किशनगंज विधान सभा क्षेत्र (जिला बारां) में 168 उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं, बी.पी.एल. परिवारों को 25 किलोग्राम गेहूं दर 1.00 रुपये प्रति किलो तथा अन्य पात्र परिवारों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम गेहूं 2.00 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। बी.पी.एल. अन्त्योदय परिवारों को 500 ग्राम प्रति यूनिट लेवी चीनी दर 10.00 रुपये प्रति किलो तथा बिना गैस कनेक्शनधारी सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को 3 लीटर केरोसीन दर 17.25 रुपये प्रति लीटर प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त सहरिया परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं, 1 किलोग्राम देशी घी, 2 लीटर सोया तेल, 2 किलोग्राम हरी मूंग दाल प्रति माह नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है।

(2) गत पांच वर्षो में किशनगंज विधान सभा क्षेत्र के अधिकृत राशन डीलरों की 58 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-1 पर एवं शिकायतों की प्रतियां परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में गत पांच वर्षों में 12 नये उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र जारी किये गये तथा वर्तमान में 16 उचित मूल्य दुकानें अटैचमेंट में चल रही हैं। सूचियां परिशिष्ट-3 एवं परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण, प्रतियां व सूचियां पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश के निजी विद्यालयों में फीस निर्धारण हेतु कार्य योजना

138. श्री बंशीधर (खण्डेला) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के निजी विद्यालयों द्वारा फीस का निर्धारण अपनी मनमर्जी से किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में फीस निर्धारण कमेटी का गठन किया गया है? यदि हां, तो किस स्तर पर एवं इसके सदस्यों का चयन किस आधार पर किया जाता है? सम्बन्धित आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कमेटी को फीस निर्धारित करने का अधिकार है, किन्तु फीस बढ़ोत्तरी पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है? यदि हां, तो क्यों एवं नहीं, तो सम्बन्धित आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार निजी विद्यालयों द्वारा की जा रही मनमानी को रोकने हेतु कोई कार्य योजना बनाकर अभिभावकों को राहत पहुंचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम-1993 में निजी विद्यालयों की फीस सम्बन्धी प्रावधान हैं तथा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : प.8(17) शिक्षा-5/2004 पार्ट-।। दिनांक 01.06.2009 के द्वारा निजी विद्यालयों द्वारा वसूल की जाने वाली फीस एवं भविष्य में की जानी वाली अधिकतम फीस वृद्धि के सम्बन्ध में आदेश जारी किया गया है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 10 अप्रैल, 2013 के द्वारा राज्य में निजी विद्यालयों के द्वारा ली जा रही फीस के सम्बन्ध में राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) अधिनियम-2013 लागू किया जाकर अधिसूचना दिनांक 19 सितम्बर, 2013 के द्वारा राजस्थान प्राइवेट विद्यालयों में फीस के संग्रहण का विनियमन नियम-2013 अधिसूचित किये गये हैं तथा निजी विद्यालयों के लिए फीस अवधारित करने के प्रयोजन के लिए राज्य स्तर पर राजस्थान निजी शिक्षण संस्थाएं फीस निर्धारण समिति का गठन किया गया है। इसमें सरकार द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष तथा अन्य पदेन सदस्य हैं।

(3) समिति द्वारा फीस निर्धारित की जावेगी। विद्यालय अपनी मर्जी से फीस बढ़ोतरी नहीं कर सकता। अधिनियम एवं नियमों की प्रति परिशिष्ट-"क" एवं "ख" पर संलग्न हैं।

(4) जी हां। राजस्थान प्राइवेट विद्यालयों में फीस के संग्रहण का विनियमन नियम-2013 अधिसूचित किये गये हैं तथा निजी विद्यालयों के लिए फीस अवधारित करने के प्रयोजन के लिए राज्य स्तर पर राजस्थान निजी शिक्षण संस्थाएं फीस निर्धारण समिति का गठन किया गया है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा का संचालन

139. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में किस स्तर के विद्यालयों में कब से कम्प्यूटर शिक्षा का संचालन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान में छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा देने हेतु विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा किस प्रकार दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) **प्रारम्भिक शिक्षा**

केन्द्र प्रवर्तित योजना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कल्प (कम्प्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम) के माध्यम से चिह्नित राजकीय उच्च प्राथमिक

(शिक्षा मंत्री)

विद्यालयों में कक्षा 6, 7 एवं 8 में सत्र 2004-05 से कम्प्यूटर के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य कराया जा रहा है।

माध्यमिक शिक्षा

केन्द्र प्रवर्तित योजना आई सी टी के अन्तर्गत चिह्नित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अगस्त 2008 से कम्प्यूटर शिक्षा का संचालन किया जा रहा है।

(2) **प्रारम्भिक शिक्षा**

कल्प विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को क्रमिक रूप से 10/6 दिवसीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर की सहायता से शिक्षण कराया जा रहा है।

माध्यमिक शिक्षा

आई सी टी योजनान्तर्गत प्रथम चरण में 2,500 एवं द्वितीय चरण में 2,000 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सेवाप्रदाता फर्मों द्वारा टेण्डर की शर्तों के अनुसार कम्प्यूटर शिक्षा देने हेतु कम्प्यूटर अनुदेशक लगाये हुए हैं, इसी के साथ, आई सी टी तृतीय चरण में भी 2,000 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा दिये जाने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

नाथद्वारा के निजी विद्यालयों में आर.टी.ई. के तहत प्रवेश

140. श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के किन-किन निजी विद्यालयों ने गत तीन शिक्षण सत्र में 10 प्रतिशत से भी अधिक शिक्षण व अन्य शुल्कों में बढ़ोत्तरी की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में निजी विद्यालयों ने आर.टी.ई. के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विद्यार्थियों को प्रवेश दिया है? यदि हां, तो विद्यालयवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के निजी विद्यालयों ने गत तीन शिक्षण सत्रों में 10 प्रतिशत से अधिक शिक्षण व अन्य शुल्कों में बढ़ोतरी नहीं की है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) उक्त अवधि में नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2011-12 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-12(1)(ग) के प्रावधानानुसार प्रवेशित बालकों की संख्या शून्य है। वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में आर टी ई के तहत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उपलब्ध विद्यार्थियों को दिये गये प्रवेश के विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-"क" एवं "ख" पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण नियमों की पालना

141. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी को माह में 8 दिन में 30 स्कूलों का निरीक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित है? यदि हां, तो जोधपुर में शिक्षा अधिकारियों द्वारा गत तीन वर्षों में कितने निजी/गैर सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया गया? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नियमानुसार प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी को ग्रामीण क्षेत्रों में पांच दिन रात्रि विश्राम कर निजी/सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करना आवश्यक है? यदि हां, तो किन-किन शिक्षा अधिकारियों द्वारा गत तीन वर्षों में रात्रि विश्राम कर स्कूलों का निरीक्षण किया गया? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं तथा सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2004 में प्रदेश के सभी स्कूलों के आस-पास 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू-मुक्त क्षेत्र होने के बोर्ड लगाने के निर्देश दिये गये थे? यदि हां, तो जोधपुर में ऐसी कितनी स्कूलें हैं, जहां पर इस नियम की पालना हो रही है? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभागीय नियमानुसार प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी को माह में 8 भ्रमण 9 विद्यालयों के निरीक्षण के लक्ष्य निर्धारित हैं। जोधपुर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पिछले तीन वर्षों में किये गये निजी/गैर सरकारी विद्यालयों के निरीक्षण का विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

निरीक्षण के निर्धारित लक्ष्य पूर्ण न करने पर शिक्षा अधिकारियों को नियंत्रण अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस एवं चेतावनी पत्र दिये जाते हैं तथा भविष्य में दौरे तथा निरीक्षण के निर्धारित लक्ष्य पूरे किये जाने के निर्देश देकर पाबंद किया जाता रहा है।

(2) जी हां। प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी को माह में 5 रात्रि विश्राम करना होता है। जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा गत तीन वर्षों में किये गये निरीक्षणों का विवरण परिशिष्ट-"क" में सम्मिलित है।

रात्रि विश्राम के निर्धारित लक्ष्य पूर्ण न करने पर शिक्षा अधिकारियों को नियंत्रण अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस एवं चेतावनी पत्र दिये जाते हैं तथा भविष्य में रात्रि विश्राम के निर्धारित लक्ष्य पूरे किये जाने के निर्देश देकर पाबंद किया जाता रहा है।

(3) जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2004 में सभी स्कूलों के आस पास 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू-मुक्त क्षेत्र होने के बोर्ड लगाने के निर्देश दिये गये थे। जोधपुर के सभी विद्यालयों में इसकी पालना की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां

142. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्ष 2009 से दिसम्बर, 2013 की अवधि में कहां-कहां पर किस-किस श्रेणी के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गईं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किन-किन संस्थानों की स्थापना के लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है एवं किन-किन की जारी की जाना शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(3) क्या सरकार स्वीकृत समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर उन्हें चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 2009 से दिसम्बर, 2013 की अवधि में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए जारी प्रशासनिक स्वीकृतियों का श्रेणीवार/जिलेवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	जारी प्रशासनिक स्वीकृतियों का विवरण
2009-10	कोई प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की गई।
2010-11	अल्पसंख्यक श्रेणी की 05 राजकीय ITIs हेतु प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गईं, यथा: तिजारा (अलवर), खो-नागौरिया, जगतपुरा (जयपुर), पदमपुर (श्रीगंगानगर), मकराना शहर (नागौर), बाप (जोधपुर)।
2011-12	अल्पसंख्यक श्रेणी की 05 राजकीय ITIs हेतु प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गईं, यथा: पहाडी (भरतपुर), रामसर (बाड़मेर), संगरिया (हनुमानगढ), किशनगढ़ बास (अलवर), छतरगढ़ (बीकानेर)।
	अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 01 शाहबाद (बांरा) के लिए राजकीय ITI's हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई।
2012-13	सामान्य श्रेणी की 20 राजकीय ITIs हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। यथा: रायपुर (भीलवाड़ा), बसवा (दौसा), सिकराय (दौसा), गंगापुरसिटी (सवाई माधोपुर), चौथ-का-बरवाडा (सवाई माधोपुर), चौहटन (बाड़मेर), लक्ष्मणगढ़ (अलवर), ग्राम सुहेटा (अलवर), चित्रावास (उदयपुर), पीपलखूंट (प्रतापगढ़), नवलगढ (झुन्झुनू), पंचायत टाटोटी (अजमेर), जायल (नागौर), नावां (नागौर), बिलाडा (जोधपुर), भोपालगढ़ (जोधपुर), मण्डोर (जोधपुर), भदेसर (चित्तौड़गढ़), गोपालगढ़ (भरतपुर), महिला बांसवाड़ा (बांसवाड़ा)। अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग की 05 राजकीय ITIs हेतु प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गईं, यथा: नगर (भरतपुर), खाजूवाला (बीकानेर), नसीराबाद (अजमेर), सरदारशहर (चूरू), रामगढ़ (अलवर)।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

वर्ष	जारी प्रशासनिक स्वीकृतियों विवरण
2013-14	सहशिक्षा श्रेणी की 15 राजकीय ITIs हेतु प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गईं, यथा: बायतू (बाड़मेर), जहाजपुर (भीलवाड), गंगरार (चित्तौड़गढ़), तारानगर (चूरू), बीदासर (चूरू), लालसोट (दौसा), पीपाड़शहर (जोधपुर), शेरगढ़ (जोधपुर), ओसियां (जोधपुर), मंडरायल (करौली), ईटावा (कोटा), रायपुर (पाली), श्रीमाधोपुर (सीकर), पिण्डवाडा (सिरोही), मालपुरा (टोंक)। महिला श्रेणी की 10 राजकीय ITIs हेतु प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गईं, यथा: सावर (अजमेर), बारां (बारां), कापरेन (बून्दी), बान्दीकुई (दौसा), जालौर (जालौर), चिराणा (झुन्झुनू), करौली (करौली), पाली (पाली), सिरोही (सिरोही), डाबला (श्रीगंगानर) अल्पसंख्यक श्रेणी की 20 राजकीय ITIs हेतु प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गईं, यथा: गगवाना (अजमेर), मसूदा (अजमेर), जिन्दौली (अलवर), मांगरोल (बारां), पचपदरा (बाड़मेर), सेडवा (बाड़मेर), दन्तौर (बीकानेर), इन्द्रगढ़ (बूंदी), निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़), सांवा (चित्तौड़गढ़, टिब्बी (हनुमानगढ़), सम (जैसलमेर), भीनमाल (जालौर), रामगंजमण्डी (कोटा), लाडनू (नागौर), डीडवाना (नागौर), मलारनाडूंगर (सवाई माधोपुर), लक्ष्मणगढ़ (सीकर), सादुलशहर (श्रीगंगानगर), वल्लभनगर (उदयपुर)।

(2) वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक स्वीकृत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। वर्ष 2013-14 में स्वीकृत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की जानी है।

(3) जी हां। स्वीकृत समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं एवं स्वीकृत समस्त राजकीय औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2014-15 में राशि का प्रावधान किया गया है तथा शीघ्र प्रारम्भ कर दिये जायेंगे।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिवाना में नवीन ट्रेड खोलने की कार्य योजना

143. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हमीर सिंह भायल)

(1) बाड़मेर जिले में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं? उनमें कितने प्रशिक्षणार्थी किस-किस ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिवाना में पैट्रोकेमिकल एवं डीजल मैकेनिकल ट्रेड खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में बाडमेर जिले में कुल 4 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं। उक्त संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों का विवरण परिशिष्ट-। पर उपलब्ध है।

(2) स्थानीय मांग, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर गुणावगुणों के आधार पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिवाना में डीजल मैकेनिकल ट्रेड खोलने बाबत निर्णय लिया जा सकता है।

पैट्रोकेमिकल ट्रेड राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद में नामित ट्रेड नहीं है।

परिशिष्ट-1

बाड़मेर जिले में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित 04 हैं

क्र. सं.	संस्थान का नाम	व्यवसाय का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	राजकीय औ.प्र.सं., बाडमेर	Wireman	36
		Mech. Radio and TV	28
		Turner	25
		MECHANIC (DIESEL)	42
		COE-BBBT module	126
		COE-Advance module	54
		Fitter	21
		Electrician	21
		योग	**356**
2	राजकीय औ.प्र.सं., बालोतरा (बाड़मेर)	Fitter	39
		Electrician	42
		Turner	31
		Electronics Mechanics	40
		MECHANIC (DISESL)	42
		Cutting & Sewing	15
		योग	**209**

क्र. सं.	संस्थान का नाम	व्यवसाय का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
3	राजकीय औ.प्र.सं. सिवाणा (बाड़मेर)	Computer Operator and Programming Assistance	26
		Electrician	39
		योग	**65**
4	राजकीय औ.प्र.सं. शिव (बाड़मेर)	Electronic Mechanics	39
		Electrician	40
		MECHANIC (DIESEL)	42
		Fitter	39
		योग	**160**
		महायोग	**790**

विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर दी जाने वाली सहायता राशि के मानदण्ड

144. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर उपलब्ध कराये जाने वाली सहायता राशि हेतु क्या योजना है व इस योजना के क्या-क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2013 तक विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर सहायता राशि हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए व इन आवेदनों में से कितने–कितने आवेदकों को सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला अलवर को अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2013 तक किस-किस योजनान्तर्गत कितना-कितना बजट आबंटित किया गया तथा आबंटित बजट के विरुद्ध कितना-कितना व्यय/स्वीकृति किस-किस मद में कब-कब जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा ऐसे कमजोर परिवारों की विधवाएं, जिनके कोई कमाने वाला वयस्क व्यक्ति नहीं है, की पुत्रियों के विवाह के लिए राज्य सरकार द्वारा रुपये 10,000/- की वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना है। योजनान्तर्गत केवल दो पुत्रियों के विवाह पर सहायता देय है। आवेदनकर्ता की आय 50,000/- रुपये वार्षिक से अधिक नहीं हो; परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कमाऊ वयस्क सदस्य नहीं हो।

(2) वर्षवार विवरण की सूची संलग्न है (परिशिष्ट 'अ')।

(3) जिला अलवर को अप्रैल 2009 से योजनाओं की सूची संलग्न है परिशिष्ट 'अ')।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के नियमित वितरण की कार्य योजना

145. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विधवाओं, वृद्धों तथा निःशक्तजन को पेंशन प्रदान की जाती है? यदि हां, तो कितनी-कितनी? पात्रता की शर्तों एवं प्रक्रिया सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2013 में विधवा, वृद्धावस्था व निःशक्तजन की पेंशन की पात्रता सम्बन्धित नियमों में संशोधन किया गया है? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में वर्तमान में कुल कितनी विधवाओं, वृद्धों व निःशक्तजन को पेंशन प्रदान की जा रही है? उक्त नियमों में संशोधन के पूर्व कितने पात्र थे व संशोधन के पश्चात् कितने नये पात्र व्यक्ति चयनित हुए हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि जिन वृद्ध, विधवा व निःशक्तजन को पेंशन का पी पी ओ जारी कर दिया जाता है, उन्हें प्रति माह पेंशन मिलनी चाहिए? यदि हां, तो ऐसे कितने प्रकरण हैं, जिनमें नवम्बर, 2013 से जनवरी, 2014 तक पेंशन उपलब्ध नहीं हुई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि कोष कार्यालय से जारी राशि का वितरण

(श्री ओम बिरला)

डाक घरों के माध्यम से किया जाता है? यदि हां, तो कितने प्रकरणों में डाकघर द्वारा पता गलत या अपूर्ण बताते हुये सम्बन्धित पेंशनधारियों को पेंशन उपलब्ध नहीं कराई गई? जिलेवार नवम्बर, 2013 से जनवरी, 2014 तक माहवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार ऐसे सभी प्रकरण, जिनमें अपूर्ण या गलत पता या अन्य किसी कारण से पेंशन का वितरण नहीं हो पा रहा हो, उनके पतों का पुन: सर्वे कराकर पात्र चयनित विधवा, वृद्ध, व निःशक्तजन को नियमित रूप से पेंशन प्रदान करने के लिये अभियान चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(7) क्या सरकार सभी पात्र पेंशनधारियों को नियमित रूप से पेंशन प्राप्त हो, इस निमित्त पेंशन को खाते में सीधे जमा कराने के लिये कोई सरल प्रक्रिया अपनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनान्तर्गत वृद्धों एवं विधवाओं को पेंशन देय है।

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजनान्तर्गत विशेष योग्यजनों को पेंशन देय है। नियमों की प्रति परिशिष्ट 1 से 5 तक संलग्न हैं।

(2) जी हां। सरकार द्वारा दिनांक 01/4/2013 से राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 एवं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 द्वारा पेंशन की पात्रता में संशोधन किया गया है। नियमों की प्रतियां परिशिष्ट 1 एवं 4 पर संलग्न हैं।

(3) राज्य में वर्तमान में 7,04,550 विधवाओं एवं वृद्धों 41,29,157, विशेष योग्यजनों 3,28,212 को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत पेंशन प्रदान की जा रही है। पेंशन नियमों के संशोधन से पूर्व एवं संशोधन के पश्चात् माह दिसम्बर 2013 तक पेंशनरों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट 6 व 7 पर संलग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

(4) जी। हां। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत पेंशनर्स को प्रति माह पेंशन मिलनी चाहिये। पेंशनर्स की संख्या अत्यधिक हो जाने एवं डाकघर कार्यालयों पर कार्मिकों की संख्या पर्याप्त नहीं होने से कुछ जिलों में माह नवम्बर-दिसम्बर 2013 की पेंशन भुगतान में कुछ प्रकरणों में विलम्ब रहा है। जनवरी 2014 का पेंशन भुगतान प्रक्रियाधीन है। पेंशन भुगतान का कार्य सतत प्रक्रिया है। अधिकांश जिला कोष/उपकोषालयों द्वारा पेंशनर्स को नियमित भुगतान किया जा रहा है।

(5) जी हां। कोष/उपकोष कार्यालयों द्वारा पेंशन का भुगतान अधिकांशत: डाकघर मनीआर्डर के माध्यम से किया जा रहा है। गलत या अपूर्ण पते होने के कारण पेंशन का भुगतान नहीं हो सका है। ऐसे प्रकरणों के सम्बन्ध में डाक विभाग से जानकारी मांगी गई है।

(6) ऐसे प्रकरण जिनमें गलत पता या अपूर्ण पता या अन्य किसी कारण से पेंशन वितरित नहीं हो रही है, इन प्रकरणों में राज्य में सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा पता सही करवाने की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में सरकार द्वारा पेंशन नियमित रूप से मिले, इस सम्बन्ध में अभियान चलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(7) सरकार द्वारा सभी पात्र पेंशनधारियों को नियमित रूप से पेंशन प्राप्त हो, इस सम्बन्ध में सीधे लाभ अंतरण योजनान्तर्गत (DBT) पेंशनधारियों के बैंक/पोस्ट आफिस में खाते खुलवाये जाने का विशेष प्रयास किया जायेगा।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

चौमूं में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लम्बित आवेदन

146. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चौमूं विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी विधवा, विकलांग एवं वृद्धावस्था पेंशन कितने व्यक्तियों को स्वीकृत है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नगरपालिका चौमूं एवं पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में पेंशन के कितने आवेदन पत्र वर्तमान में विचाराधीन हैं एवं इनका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चौमूं विधान सभा क्षेत्र में कुल 23,939 विधवा, विशेष योग्यजन एवं वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत हैं। संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

वृद्धावस्था पेंशन	19,451
विधवा पेंशन	2,521
विशेष योग्यजन पेंशन	1,967

(2) नगरपालिका चौमूं में 35 पेंशन आवेदन पत्र विचाराधीन हैं, जिनकी पेंशन अभी भी स्वीकृत नहीं हुई है, जिनकी जांच करवाकर मार्च, 2014 तक पेंशन स्वीकृत कर दी जावेगी तथा वर्तमान में पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

विराटनगर में ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा वितरित ऋण

147. डा. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में वर्ष 2003 से 2010 तक ग्राम सेवा सहकारी समिति वार कितना-कितना ऋण, खाद व बीज का वितरण किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कृषकों को कोई विशेष योजना से लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में वर्ष 2003 से 2010 तक वितरित ऋण, खाद एवं बीज का समितिवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) सरकार के स्तर पर वर्तमान में चालू योजनाओं के अतिरिक्त नई विशेष योजना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-अ

दि जयपुर सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. जयपुर

समिति एवं वर्षवार (जनवरी से दिसम्बर) ऋण एवं खाद व बीज वितरण की सूचना

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	नाम समिति	2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010	
		ऋण	खाद बीज	ऋण	खाद बीज	ऋण	खाद बीज	ऋण	खाद बीज	ऋण	खाद बीज	ऋण	खाद बीज	ऋण	खाद बीज	ऋण	खाद बीज
1	आंतेला	18.63	9.00	22.13	14.40	28.72	14.02	39.84	18.30	52.15	18.48	64.92	17.99	63.83	22.44	89.00	26.19
2	बड़नगर	43.85	9.88	48.45	15.14	59.02	15.52	74.19	23.32	77.12	22.90	84.28	23.71	106.57	32.47	107.13	33.75
3	पांचूडाला	31.13	4.01	29.40	6.29	62.34	8.02	72.98	12.11	53.09	9.19	81.42	7.43	66.98	5.13	123.88	7.93
4	पावटा	49.28	5.90	51.70	6.00	58.86	7.32	71.80	9.15	116.53	17.57	140.23	28.85	213.76	38.19	244.18	47.37
5	खेलना	6.25	-	35.00	-	47.00	-	58.20	3.00	66.71	4.50	77.51	5.50	63.30	5.43	106.13	4.43
6	विराट नगर	22.59	1.44	46.13	3.26	48.52	3.76	44.38	4.10	64.90	4.28	75.01	4.32	98.88	4.68	131.67	5.10
7	तेवड़ी	0.75	1.36	1.28	3.07	20.35	3.55	26.75	3.30	38.25	7.95	37.06	4.93	60.38	5.23	60.50	4.87
8	मैड	37.77	0.58	61.39	1.09	66.54	3.82	81.75	5.54	106.06	9.12	54.61	6.75	92.79	10.69	178.27	13.13
9	दू. आमलोदा	10.20	-	13.30	0.30	15.78	-	18.20	0.42	22.80	0.52	32.80	1.66	14.83	1.10	36.96	1.29
10	छापडाखुर्द	22.07	3.76	19.72	3.06	33.48	2.24	55.64	4.29	52.25	4.14	75.16	4.22	73.83	4.40	94.28	4.90
11	जांजेकला	41.84	5.76	67.65	7.33	115.36	7.27	124.80	9.83	138.25	14.59	93.16	8.68	130.36	4.95	220.62	22.17

क्र. सं.	नाम समिति	2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010	
		ऋण	खाद बीज	ऋण	खाद बीज	ऋण	खाद बीज	ऋण	खाद बीज	ऋण	खाद बीज	ऋण	खाद बीज	ऋण	खाद बीज	ऋण	खाद बीज
12	भाभरू	39.15	5.13	41.10	6.17	47.55	9.42	57.10	8.72	61.54	4.40	28.01	3.40	45.21	10.19	80.70	18.87
13	जयसिंहपुरा	1.09	-	12.11	3.55	21.33	0.82	23.90	1.76	34.36	0.89	41.24	0.92	61.91	3.40	68.01	3.76
14	जवानपुरा	16.27	5.06	23.06	5.67	26.28	6.58	44.60	7.76	47.94	6.36	37.09	7.25	45.29	7.96	97.38	9.96
15	साईवाड़	27.02	2.92	28.74	6.46	41.23	7.02	43.84	9.33	57.43	6.84	54.38	6.37	60.32	4.91	101.19	7.76
योग		**367.89**	**54.80**	**501.16**	**81.79**	**692.36**	**89.36**	**837.97**	**120.93**	**989.38**	**131.73**	**976.88**	**131.98**	**1198.24**	**161.17**	**1740.60**	**211.48**

वरिष्ठ प्रबन्धक (यो.वि.)

सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा किसानों को देय दीर्घ ऋणों के कमीशन में वृद्धि

148. डा. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सहकारी भूमि विकास बैंक से किसानों को लम्बी अवधि के लिए कुआं निर्माण, ट्रैक्टर व पम्पसेट, इत्यादि के लिए मिलने वाले ऋण हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी पर देय कमीशन की राशि में कोई बढ़ोतरी की गयी है? यदि हां, तो कितनी तथा इसके लिए किसानों को कितना अधिक ब्याज देना होगा?

(2) वर्ष 2003 से 2013 तक किसानों को कितना ऋण किस-किस मद से दिया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सहकारी भूमि विकास बैंकों के किसानों को लम्बी अवधि के लिए कुआं निर्माण, ट्रैक्टर, पम्पसैट, इत्यादि के लिए मिलने वाले ऋण हेतु सरकार द्वारा देय गारन्टी पर देय कमीशन की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

(2) वर्ष 2003 से 2013 तक किसानों को दिये गये ऋण वितरण का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur
Sector wise Loan Advancement at PLDB Level

(Rs. in Lacs)

Table-A 2003-04 to 2007-08

S. No.	Year	MIS		FMS		DIVERSIFIED		NFS		R.H.		CROP LOAN		TOTAL	
		No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
1	2003-04	16608	5285.83	3403	8095.42	13603	3981.29	2922	2041.86	556	578.69	941	329.72	38033	20312.81
2	2004-05	9791	3561.79	3777	9510.73	6486	3430.34	4459	2547.60	1447	2003.94	1934	679.24	27894	21733.64
3	2005-06	12370	4962.29	3538	8726.73	10353	5389.29	6047	3656.32	2271	2949.32	3260	1141.35	37839	26825.30
4	2006-07	5249	2651.10	3412	9323.61	9951	6126.08	5149	3151.04	2012	3095.03	2218	811.02	27991	25157.88
5	2007-08	4172	2465.79	2608	7911.98	7385	4999.67	3425	2389.07	1290	2678.13	2115	1120.56	20995	21565.20

Sectorwise Loan Advancement at PLDB Level

(Rs. in Lacs)

Table-B 2008-09 to 2012-13

S.No.	Year	MIS		FMS		DIVERSIFIED		NFS		R.H.		CROP LOAN		TOTAL	
		No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
1	2008-09	5464	3234.99	2269	7240.3	9703	6286.04	2493	1947.69	4973	3080.07	1362	2598.33	26264	24387.42
2	2009-10	4695	2853.38	2455	8151.33	9865	6980.87	3792	2673.70	1133	2432.29	4453	4044.58	26393	27136.15
3	2010-11	3208	2018.84	2114	7385.96	7090	7021.53	6269	6146.57	3212	2807.40	766	2040.43	22659	27420.73
4	2011-12	1693	1063.63	1457	5440.47	6297	7512.22	3214	3268.51	816	2301.98	6624	6964.51	20101	26551.32
5	2012-13	877	724.02	870	3548.06	4117	7102.99	2409	3844.66	700	2607.28	5158	5938.41	14131	23765.42

परियोजना निदेशक

(मानिटरिंग)

सहकारी विभाग राज, जयपुर

रामगंजमण्डी में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु प्राप्त आवेदन

149. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत एक वर्ष में अनेक शिविर लगाकर या घर-घर जाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रत्येक गांव में पेंशन योजनाओं के आवेदन पत्र लेकर स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में किस-किस पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम में किन-किन के आवेदन प्राप्त हुए, कितने स्वीकृत हुए, कितने किस कारण से निरस्त किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा स्वीकृति से दिसम्बर, 2013 तक किन-किन को कितने-कितने माह की कितनी-कितनी पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1. (i) नगरपालिका रामगंजमण्डी में 1.4.2013 से 31.1.2014 तक कुल 1,578 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। 1,530 आवेदन पत्र स्वीकृत एवं 48 आवेदन पत्र उम्र एवं आय अनुरूप पात्रता नहीं होने के कारण निरस्त किये गये।

(ii) पंचायत समिति क्षेत्र में 12,197 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। सभी आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये।

(iii) नगर निगम विधान सभा क्षेत्र में 1414 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 1,380 स्वीकृत किये गये तथा 34 अपात्र पाये जाने पर निरस्त किये गये।

(2) रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष में निम्न योजनाओं में स्वीकृति से माह दिसम्बर, 2013 तक नियमित भुगतान किया जा चुका है:-

पेंशन का प्रकार	संख्या	भुगतान राशि
वृद्धावस्था	13,213	5,32,19,830
विधवा	1,299	61,79,730
विशेष योग्यजन	595	27,04,250
कुल	**15,107**	**6,21,03,810**

बिलाड़ा में विभिन्न योजनाओं के तहत
निर्मित भवन

150. श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में जोधपुर जिले के बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र (पं.स. बिलाड़ा, लूणी व मण्डोर) में विभिन्न सरकारी योजनाओं में सामुदायिक, सार्वजनिक सभा भवन, दुकानें, कियोस्क, विश्राम भवन, धर्मशालाएं, प्याऊ, हाल मय बरामदा, किसान भवन, अम्बेडकर भवन एवं वृद्धाश्रम भवन बनाये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां, कब-कब व कितनी-कितनी लागत से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भवन सार्वजनिक/सरकारी भूमि पर ही बने हैं? यदि हां, तो उनके सरकारी भूमि होने का प्रमाण क्या एवं किस आधार पर बनाया व नहीं, तो क्यों व वर्तमान में उक्त भवनों को किस प्रयोग में लिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्मित भवनों का आधिपत्य/ कब्जा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के पास है? यदि हां, तो क्या प्रमाण है व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं मरम्मत पर कितनी राशि व्यय की जायेगी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर जिले के बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र (पं.स. बिलाडा, लूणी, मण्डोर) में विभिन्न सरकारी योजनाओं में करवाये गये निर्माण कार्यों का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त निर्माण सार्वजनिक भूमि पर हुए हैं तथा वर्तमान में इन भवनों का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त निर्मित भवनों पर आधिपत्य/कब्जा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के पास है तथा निर्मित परिसम्पतियां ग्राम पंचायत के परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज हैं। कार्यवार सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

(4) स्वीकृत कार्यों पर मरम्मत सम्बन्धित राशि की कोई मांग वर्तमान में नहीं है। जिन भवनों में मरम्मत की आवश्यकता होगी उस पर आवश्यक तख्मीना तैयार कर राज्य सरकार के विभिन्न योजनान्तर्गत प्राप्त राशि से कार्य कराने की कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

प्रकाशपुरा (मावली) में सामुदायिक भवन का निर्माण

151. श्री दलीचन्द डांगी (मावली) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम प्रकाशपुरा ग्राम पंचायत पलाना कला पंचायत समिति मावली जिला उदयपुर में सामुदायिक भवन स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो किस योजना के तहत व इस हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सामुदायिक भवन का निर्माण अब तक शुरू नहीं हुआ है? यदि हां, तो किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर कर जन हित में शीघ्र निर्माण शुरू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम प्रकाशपुरा ग्राम पंचायत पलाना कला पंचायत समिति मावली जिला उदयपुर में सामुदायिक भवन सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत डा. गिरिजा व्यास, माननीय सांसद महोदया लोक सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के कोटे से दिनांक 05.02.2013 को राशि रुपये 2.50 लाख स्वीकृत किया गया।

(2) जी नहीं। उक्त सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

(3) जी हां। वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है।

देवली-उनियारा के किसानों को फसल खराबे का मुआवजा

152. श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2013 में विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में अतिवृष्टि के कारण किसानों को फसल का नुकसान हुआ है? यदि हां, तो कौन-कौनसी ग्राम पंचायत में कितना-कितना प्रतिशत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के कितने कृषकों को फसल खराबा का मुआवजा दिया गया? ग्रामवार नाम एवं राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) सरकार द्वारा मुआवजे से वंचित कृषकों को अब कब तक मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2013 में अतिवृष्टि के कारण विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में 0.8 से 40 प्रतिशत तक फसल खराबा हुआ था। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। कृषि आदान अनुदान नहीं दिया गया क्योंकि विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में 50 प्रतिशत से कम फसल खराबा होने के कारण भारत सरकार द्वारा निर्धारित एस डी आर एफ मानदण्डानुसार कृषि आदान अनुदान देय नहीं है।

(3) फसल खराबा 50 प्रतिशत से कम होने के कारण कृषि आदान अनुदान देय नहीं बनता। अत: भुगतान नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट–अ

देवली-उनियारा में अतिवृष्टि के कारण फसल खराबे की ग्राम पंचायतवार सूची

क्र.सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम पंचायत	खराबा प्रतिशत
1	देवली	बीसलपुर	0.93
2	देवली	बीजवाड	4.52
3	देवली	देवली	14.36
4	देवली	कासीर	10.73

क्र.सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम पंचायत	खराबा प्रतिशत
5	देवली	पनवाड	4.83
6	देवली	राजमहल	2.5
7	देवली	गांवडी	1.8
8	देवली	चान्दली	10.36
9	देवली	राजकोट	1.83
10	देवली	सांवतगढ़	21.76
11	देवली	टोडा का गोठड़ा	1.77
12	देवली	पोल्याडा	2.94
13	देवली	संथली	0.8
14	देवली	निबारिया	1.95
15	देवली	बंथली	0.66
16	उनियारा	चोरू	38
17	उनियारा	पचाला	28
18	उनियारा	हैदरीपुरा	32
19	उनियारा	मण्डावरा	22
20	उनियारा	खातोली	31
21	उनियारा	देवली	29
22	उनियारा	अलीगढ़	28
23	उनियारा	बीलोता	23
24	उनियारा	पाटोली	38
25	उनियारा	सूथंडा	37
26	उनियारा	रूपपुरा	17
27	उनियारा	पलाई	27
28	उनियारा	बोसरिया	24
29	उनियारा	कचरावता	30
30	उनियारा	बालीथल	33
31	उनियारा	ककोड	23
32	उनियारा	गोठडा	35
33	उनियारा	कुण्डेर	19
34	उनियारा	खोहल्या	31
35	उनियारा	फुलता	40
36	उनियारा	विलासपुर	40
37	उनियारा	रानीपुर	39

क्र.सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम पंचायत	खराबा प्रतिशत
38	उनियारा	बनेठा	31
39	उनियारा	रूपवास	38
40	उनियारा	सुरेली	39
41	उनियारा	पायगा	38
42	उनियारा	झूंण्डवा	33
43	उनियारा	ढिकोलिया	25
44	उनियारा	खेलनिया	25
45	उनियारा	मोहम्मदगढ़	25
46	उनियारा	सोप	25
47	उनियारा	मोहम्मदपुरा	38
48	उनियारा	आमली	7
49	दूनी	चान्दसिंहपुरा	25.51
50	दूनी	टोकरावास	36.57
51	दूनी	ख्वासपुरा	36.19
52	दूनी	कनवाडा	29.49
53	दूनी	जूनियां	32.35
54	दूनी	घाड	21.00
55	दूनी	देवाडावास	20.78
56	दूनी	गैराली	30.35
57	दूनी	धुवांकला	37.80
58	दूनी	रामसागर	20.00
59	दूनी	चारनेट	28.61
60	दूनी	चन्दवाड	17.04
61	दूनी	बडोली	39.74
62	दूनी	सीतापुरा	34.26
63	दूनी	नगरफोर्ट	29.41
64	दूनी	गुराई	20.63
65	दूनी	बालून्दा	20.97
66	दूनी	आदां	24.17

जिला कलक्टर (सहायता)

टोंक

लूणी में फसल बीमा योजना के तहत किसानों को देय मुआवजा

153. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार गत वर्ष दीपावली के आस-पास बेमौसम हुई भारी बरसात से खलिहान में या खेत में रखी या खेतों में खड़ी फसल को जो नुकसान हुआ, उसका मुआवजा काश्तकारों को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस दर से?

(2) विधान सभा क्षेत्र लूणी में गत पांच वर्षों में फसल बीमा योजना के तहत कितनी राशि काश्तकारों को बतौर मुआवजा वितरित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र लूणी में इस वर्ष किन मानदण्डों के आधार पर कितनी राशि बतौर फसल बीमा मुआवजा स्वीकार हुई है?

उत्तर

(1) गत वर्ष 2013 में खरीफ फसल में हुए नुकसान के कारण जोधपुर जिले के 868 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है, जिनमें लूणी विधान सभा क्षेत्र की तहसील लूणी के 173 ग्राम व जोधपुर के 145 ग्राम भी शामिल हैं। इन अभावग्रस्त गांवों के प्रभावित पात्र किसानों को एस डी आर एफ मानदण्डानुसार कृषि आदान अनुदान वितरण हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं एवं प्रथम चरण में जिला कलक्टर जोधपुर को इस हेतु 15.00 लाख रुपये का बजट आबंटन किया जा चुका है।

(2)विधान सभा क्षेत्र लूणी की तहसील लूणी व जोधपुर क्षेत्र में गत पांच वर्षों में फसल बीमा योजना के तहत वितरित की गई क्लेम राशि का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र लूणी की तहसील लूणी व जोधपुर क्षेत्र में खरीफ 2013 में मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत रु. 1,06,38,451/- का क्लेम स्वीकार हुआ है। मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

जहाजपुर में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत स्वीकृत कार्य

154. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में वर्ष 2008 से 2013 तक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य कहां-कहां पर स्वीकृत किये गये व कार्यों की कार्यकारी एजेन्सी कौन थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो गये व कितने कार्य किस कारण अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में वर्ष 2008 से 2013 तक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत स्वीकृत किये गये कार्यों की राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 के कालम संख्या 12 व कार्यकारी एजेन्सी कालम संख्या 3 पर अंकितानुसार है।

(2) उपरोक्त स्वीकृत 400 कार्यों में से 273 कार्य पूर्ण हो गये हैं व 127 कार्य अपूर्ण हैं। अपूर्ण रहने के मुख्य कारण कुशल श्रमिक का अभाव, टेण्डर प्रक्रिया एवं जगह के विवाद हैं। कार्यवार अपूर्ण कार्यों की सूची मय अपूर्ण रहने के कारण परिशिष्ट-1 के अंतिम कालम पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा जिले में ग्रामीण विकास योजना के कार्यों में अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतें

155. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दौसा जिले में विगत 5 वर्षो में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत चल रहे कार्यों में अनियमितताओं की कितनी शिकायतें कब-कब, किन-किन के द्वारा प्राप्त हुई?

(2) उक्त प्राप्त शिकायतों पर कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दौसा जिले में विगत 5 वर्षो में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत चल रहे कार्यों में अनियमितताओं की कुल 67 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवलगढ़ में कन्या महाविद्यालय की स्थापना

156. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने राजकीय व निजी कन्या महाविद्यालय कहां-कहां संचालित हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में नये कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के नवलगढ़ शहर में कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में 44 राजकीय कन्या महाविद्यालय एवं 413 निजी महिला महाविद्यालय संचालित हैं। जिलेवार सूचियां परिशिष्ट-1 एवं 2 पर उपलब्ध हैं।

(2) जी हां। संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए इस सम्बन्ध में कार्ययोजना तैयार की जावेगी।

(3) संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए इस सम्बन्ध में कार्ययोजना तैयार की जावेगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

टोडारायसिंह में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

157. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कन्हैयालाल)

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा-टोडारायसिंह के टोडारायसिंह में, जिसकी जनसंख्या लगभग 32 हजार है और 40 कि.मी. दूरी तक कोई भी महाविद्यालय नहीं है, राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालय विहिन सभी उपखण्ड़ मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से राजकीय महाविद्यालय खोलने पर विचार कर रही है, जिसमें टोडारायसिंह उपखण्ड भी सम्मिलित है। संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए समुचित योजना बनायी जा सकेगी। राजकीय महाविद्यालय विहीन उपखण्डों की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-1

राजकीय महाविद्यालय विहिन उपखण्डों की सूची

क्र. सं.	जिला	राजकीय महाविद्यालय विहिन उपखण्ड										
1	अजमेर	पीसांगन	मसूदा	भिनाय	रूपनगढ़	टाटगढ़						5
2	अलवर	कोट कासिम	किशनढ़बास	लक्ष्मणगढ़	मूण्डावर	कठूमर	बानसूर	रामगढ़	नीमराणा	रैणी		9
3	बांसवाड़ा	गढ़ी	बागीदौरा	घाटोल	सज्जनगढ़	आनन्दपुरी	छोटी सरवन					6
4	बारां	अन्ता	किशनगंज	अटरू								3
5	बाड़मेर	रामसर	बायतू	शिव	सिणधरी	चौहटन	सेडवा					6
6	भरतपुर	कुम्हेर	नदबई	वैर	रूपवास	भुसावर	नगर					6
7	भीलवाड़ा	माण्डल	बनेडा	कोटड़ी	बिजौलिया	करेडा	बदनोर	फूलियाकला	हमीरगढ़	गुलाबपुरा	गंगापुर	10
8	बीकानेर	पूंगल	छतरगढ़									2
9	बून्दी	केशोराय पाटन	इन्द्रगढ़	हिण्डौली	तालेडा							4
10	चित्तौड़गढ़	गंगरार	राशिम	भदेसर	बड़ी सादड़ी	डूंगला	भूपालसागर					6
11	चूरू	बींदासर										1

क्र. सं.	जिला	राजकीय महाविद्यालय विहिन उपखण्ड									
12	दौसा	महुवा	नांगल राजावतान								2
13	धौलपुर	सेपऊ	राजाखेडा	बसेडी	सरमथुरा						4
14	डूंगरपुर	सिमलवाडा मु. थम्बोला	आसपुर	चीखली	गलियाकोट	बिच्छीवाड़ा	साबला				6
15	श्रीगंगानगर	पदमपुर	विजयनगर	अनुपगढ़	घड़साना						4
16	हनुमानगढ़	पीलीबंगा	टीबी	भादरा	रावतसर						4
17	जयपुर	बस्सी	चाकसू	आमेर	जमवारामगढ़	दूदू म. मौजमाबाद	फागी	विराटनगर	जयपुर द्वितीय		8
18	जैसलमेर	फतेहगढ	भनियाना								2
19	जालौर	आहोर	सायला	रानीवाड़ा	चितलवाना	जसवन्तपुरा	बागोड़ा				6
20	झालावाड़	पिडावा	अकलेरा	खानुपर	मनोहरथाना	गंगधार	असनावर				6
21	झुन्झुनूं	चिड़ावा	मलसीसर	बुडाना	सूरजगढ						4
22	जोधपुर	लूणी	शेरगढ़	ओसिया	बाप	बावड़ी					5

क्र. सं.	जिला	राजकीय महाविद्यालय विहिन उपखण्ड										
23	करौली	मण्डरायल										1
24	कोटा	दीगोद	इटावा	कनवास								3
25	नागौर	खींवसर	डेगाना	परबतसर	मकराना	नावां	लाडनूं	रियाबाडी	कुचामन सिटी			8
26	पाली	रोहट	सुमेरपुर	देसूरी	मारवाड़ जं.	राजयपुर	रानी					6
27	प्रतापगढ़	अरनोद	पीपलखूंट	छोटीसादड़ी								3
28	राजसमंद	रेलमगरा										1
29	स. माधोपुर	खण्डार	चौथ का बरवाडा	बौली	मलारनाडूंगर	वजीरपुर						5
30	सीकर	दांतारामगढ़	श्रीमाधोपुर	फतेहपुर	लक्ष्मणगढ़	धोद						5
31	सिरोही	रेवदर	पिण्डवाड़ा									2
32	टोंक	पीपलू	टोडारायसिंह									2
33	उदयपुर	गोगुन्दा	वल्लभनगर	मावली	ऋषभदेव	लसाडिया	झाडोल*	बडगांव				7
												152

*अब प्रस्तावित किया जा रहा है।

अधिकारियों की नियम विरुद्ध पदोन्नतियों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें

158. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार को विभागीय अधिकारियों की नियम विरुद्ध पदोन्नति की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों की किस सक्षम अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध पदोन्नति करने की? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त नियम विरुद्ध पदोन्नतियों को रद्द कर पदोन्नति करने वाले सक्षम अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा विभागीय सेवा नियमों के अन्तर्गत ही विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर सक्षम स्तर द्वारा पदोन्नतियां की गई हैं।

(2) बिन्दु संख्या-1 के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

महानरेगा योजना अन्तर्गत जोधपुर जिले में स्वीकृत राशि

159. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (महानरेगा) में 1 अप्रैल, 2012 से 31 दिसम्बर, 2013 तक किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में राज्य को कुल स्वीकृत राशि में से किस-किस जिले में कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है तथा कितनी राशि व्यय की जानी शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जोधपुर जिले में उक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि में से किस-किस पंचायत समिति को, किस-किस योजना में, कितनी राशि स्वीकृत

(श्री बाबू सिंह)

की गई तथा उक्त स्वीकृत राशि में से कितनी राशि व्यय हुई व कितनी किन कारणों से शेष है? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत 01 अप्रैल, 2012 से दिनांक 10.02.2014 तक राज्य को जारी केन्द्रीयांश की राशि निम्न प्रकार है :-

वर्ष 2012-13 रु. 2585.34 करोड़

वर्ष 2013-14 रु. 1,909.43 करोड़

महात्मा गांधी नरेगा योजना अपने आप में एक योजना है एवं इसके तहत अन्य कोई योजना संचालित नही है।

(2) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में जिलों को जारी केन्द्रीयांश व राज्यांश की राशियां, व्यय एवं शेष उपलब्ध का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मांग आधारित योजना है एवं रोजगार की मांग के आधार पर राशि व्यय होती है।

(3) जोधपुर जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जिले द्वारा पंचायत समितियों को वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में स्वीकृत राशि तथा उनके द्वारा व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित योजना है तथा योजनान्तर्गत रोजगार की मांग अनुसार ही राशि व्यय होती है। रोजगार की मांग एवं व्यय का एम आई एस से विश्लेषण कर ट्रेंड के आधार पर राशि का आबंटन किया जाता है। राशि का आबंटन एवं व्यय एक निरन्तर प्रक्रिया है एवं वास्तविक मांग एवं व्यय के अनुरूप राशि शेष रहती है।

इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत राज्य में ई-एफ.एम.एस. व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत राज्य स्तर पर एक बैंक खाता खोला गया है एवं योजनान्तर्गत समस्त प्रकार के भुगतान सीधे ही इसी खाते से किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट-1

Statement showing Districtwise funds released, Expenditure & balance under MGNREGA

(राशि रु. लाखों में)

S. No.	Districts	Year 2012-13					Year 2013-14				
		Amount Release			Expenditure As per C.A. Audit	Closing Balance	Amount Release			Expenditure As per MIS	Balance
		Central share	State Share	Total			Central share	State Share	Total		
1	Ajmer	17500.00	1040.00	18540.00	20266.5	2212.77	13833.06	950	14783.06	15180.29	2729.62
2	Alwar	3200.00	800.00	4000.00	5779.51	1548.12	2114.88	200	2514.88	2620.56	1260.25
3	Banswara	20600.00	1750.00	22350.00	25199.43	2895.08	12981.94	1350	14331.94	18085.12	2048.63
4	Baran	6100.00	110.00	6210.00	6308.91	908.18	2863.13	0	2863.13	3510.21	519.10
5	Barmer	28400.00	4186.63	32586.63	36654.35	1144.53	21051.31	1850	22901.31	24130.28	2701.07
6	Bhartpur	3625.00	100.00	3725.00	5748.76	1527.55	2360.46	250	2610.46	2821.78	850.25
7	Bhilwara	15600.00	1200.00	16800.00	18755.87	3259.03	7561.80	400	7961.80	9055.98	2038.14
8	Bikaner	6300.00	3034.54	9334.54	11695.82	540.04	7599.63	1100	8699.63	8805.48	2219.30
9	Bundi	3350.00	308.00	3658.00	4045.27	1363.75	2001.63	0	2001.63	1633.23	1344.15
10	Chittorgarh	5400.00	0.00	5400.00	6790.54	816.19	4089.34	0	4089.34	4045.27	1022.92
11	Churu	7700.00	2066.40	9766.40	11060.1	1138.09	6597.08	350	6947.08	7558.16	663.90
12	Dausa	500.00	0.00	500.00	4949.43	1233.34	1957.59	250	2207.59	1899.85	1661.11
13	Dholpur	1700.00	270.36	1970.36	3407.35	868.74	1496.56	350	1846.56	1508.62	317.68
14	Dungarpur	19700.00	560.00	20260.00	21901.17	1518.27	15470.65	550	16020.65	19048.86	1266.06
15	Hanuman-garh	6200.00	100.00	6300.00	7835.11	1042.65	5885.05	300	6185.05	6988.6	407.04
16	Jaipur	8100.00	500.00	8600.00	10281.32	1676.62	4593.21	400	4993.21	4445.35	886.56
17	Jaisalmer	4750.00	681.38	5431.38	6133.54	1013.18	5299.18	300	5599.21	5285.03	1532.03

S. No.	Districts	Year 2012-13					Year 2013-14				
		Amount Release			Expenditure As per C.A. Audit	Closing Balance	Amount Release			Expenditure As per MIS	Balance
		Central share	State Share	Total			Central share	State Share	Total		
18	Jalore	6500.00	992.86	7492.86	9295.75	996.19	6357.06	600	6957.06	7117.5	1421.75
19	Jhalawar	4100.00	1529.39	5629.39	7661.14	964.43	3278.65	350	3628.65	3549.56	1210.74
20	Jhunjhunu	2900.00	410.00	3310.00	5098.613	569.707	2423.10	250	2673.56	2219.65	865.72
21	Jodhpur	14000.00	304.00	14304.00	16156.33	3370.32	5468.10	0	5468.10	6220.08	2014.26
22	Karauli	5100.00	450.00	5550.00	6346.88	1151.37	3977.02	350.00	4327.02	3678.52	2224.87
23	Kota	4950.00	350.00	5300.00	5664.19	1427.23	3729.83	150	3879.83	4020.74	1226.32
24	Nagaur	20600.00	1693.00	22293.00	24069.44	2794.65	14053.11	1250	15303.11	14591.63	4054.94
25	Pali	9900.00	83.00	9983.00	9865.69	2517.55	4144.68	0	4144.68	3993.64	2844.59
26	Pratapgarh	4000.00	352.00	4352.00	5692.4	1156.67	2262.80	0	2262.80	3002.25	714.22
27	Rajsamand	4900.00	200.00	5100.00	6409.94	900.42	4697.23	350	5047.23	5077.86	1028.53
28	S. Madhopur	4400.00	10.00	4410.00	5802.05	959.79	2489.07	150	2639.07	2418.85	1231.13
29	Sikar	4200.00	1030.01	5230.00	6740.48	765.31	3545.18	450	3995.18	4257.86	624.63
30	Sirohi	2000.00	0.00	2000.00	3219.21	1117.32	1405.32	0	1405.32	2019.63	728.46
31	Sri Ganganagar	5100.00	1220.00	6320.00	7350.1	849.39	5759.89	600	6359.89	7081.41	948.73
32	Tonk	3700.00	0.00	3700.00	4131.53	989.46	1903.32	0	1903.32	2081.21	937.24
33	Udaipur	12000.00	1706.83	13706.83	15910.28	2407.85	6953.37	300	7253.37	6930.31	3353.17
	Total	**267075.00**	**27038.40**	**2994113.40**	**345927.00**	**47643.79**	**190404.67**	**13400.00**	**203804.67**	**214883.37**	**48897.09**

परिशिष्ट-2

जिले में वर्ष 2012-13 में पंचायत समितिवार राशि का विवरण

(राशि रु. लाखों में)

क्र.सं.	पंचायत समिति	प्रारम्भिक शेष	जारी राशि	अन्य	व्यय राशि	शेष
1	बावड़ी	153.36	518.01	10.88	632.21	50.30
2	औसिया	413.20	640.0	4.60	804.41	25.36
3	फलौदी	373.81	712.75	10.57	971.47	125.66
4	बाप	267.04	585.28	4.24	737.46	119.09
5	बालेसर	275.60	552.65	4.13	648.18	184.19
6	बिलाड़ा	99.87	813.00	5.84	908.87	9.84
7	भोपालगढ़	362.30	711.24	4.41	943.85	134.11
8	मण्डोर	582.25	386.74	4.66	788.27	185.39
9	लूणी	309.39	318.71	2.85	364.92	266.03
10	शेरगढ़	572.87	221.23	7.53	629.50	172.14
	योग	**3409.98**	**5459.61**	**59.77**	**742.88**	**1500.48**

जिले में वर्ष 2013-14 में पंचायत समितिवार राशि का विवरण

(राशि रु. लाखों में)

क्र. सं.	पंचायत समिति	प्रारम्भिक शेष	जारी राशि	व्यय राशि	शेष
1	बावड़ी	50.30	407.48	266.09	191.69
2	औसिया	25.36	379.63	306.47	72.53
3	फलौदी	125.66	804.86	317.40	613.12
4	बाप	119.09	406.90	292.07	233.92
5	बालेसर	184.19	612.04	469.07	327.16
6	बिलाड़ा	9.84	940.30	469.73	480.41
7	भोपालगढ़	134.11	972.99	480.21	626.89
8	मण्डोर	185.39	594.43	348.69	431.13
9	लूणी	266.03	220.96	113.59	373.04
10	शेरगढ़	172.14	401.72	293.09	280.77
	योग	**1500.48**	**5641.35**	**3356.41**	**3785.42**

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट-अ

(तारांकित प्रश्न संख्या 84 की सूचियां)

बाबा भगवानदास महाविद्यालय, चिमनपुरा संचालित संकाय तथा उसमें कार्यरत शिक्षकों की संख्या

क्र.सं.	संकाय	कार्यरत व्याख्याताओं की संख्या
1	कला संकाय	51
2	विज्ञान संकाय	18
3	वाणिज्य संकाय	18
4	कृषि संकाय	14

परिशिष्ट-ब

राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा के गैर शैक्षणिक/मंत्रालिक कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	पद का नाम	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों में से कार्यव्यवस्था आधार पर महाविद्यालय से बाहर लगाये गये कर्मचारियों की संख्या
1	लेखाकार	01	-
2	शीघ्र लिपिक	01	-
3	वरिष्ठ लिपिक	05	01
4	कनिष्ठ लिपिक	10	01
5	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	01	-
6	प्रयोगशाला सहायक	19	02
7	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	19	03
8	बुक लिफ्टर	04	01
9	प्रयोगशाला वाहक	06	01
10	एनिमल केचर	01	-
11	मैकेनिक	1	-

क्र. सं.	पद का नाम	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों में से कार्यव्यवस्था आधार पर महाविद्यालय से बाहर लगाये गये कर्मचारियों की संख्या
12	गैसमैन	03	-
13	डेयरी सुपरवाइजर	01	-
14	फार्म सुपरवाइजर	01	-
	योग	**73**	**09**

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
कालेज शिक्षा, राज. जयपुर